सामाजिक विज्ञान

पाठ्यपुस्तक

वेद-भूषण - IV वर्ष / पूर्वमध्यमा - I वर्ष / कक्षा नवीं

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एवं मान्यता प्राप्त)

जंबू प्लक्षाह्वयौ द्वीपो शाल्मलश्चापरो द्विज।
कुश: क्रौंचस्तथा शाक: पुष्करश्चैव सप्तम:॥
गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोरण्यं।
वर्षिष्ठ: पर्वतानां त्रिककुन्नाम।
अप्स्वन्तरमृतमप्सुभेषजमपामुतप्रशस्तिष्वश्वाभवतव्वाजिन÷ ॥
इमं यवमष्टायोगै: षड्योगेभिरचर्कृषु:।
समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियाः।
प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते॥
शौच सन्तोष तप: स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा: ।
अतीतनागते चोभे पितृवंशं च भारत।
तारयेद् वृक्षरोपी च तस्मात् वृक्षांश्च रोपयेत्॥

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)

Phone : (0734) 2502266, 2502254, E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website - www.msrvvp.ac.in

सामाजिक विज्ञान

पाठ्यपुस्तक

वेद-भूषण - IV वर्ष / पूर्वमध्यमा - I वर्ष / कक्षा नवीं

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एवं मान्यता प्राप्त)

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण, पो. ऑ. जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)

Phone : (0734) 2502266, 2502254, E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website - www.msrvvp.ac.in

लेखकगण :- 1. डॉ. प्रकाश प्रपन्न त्रिपाठी
राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, उज्जैन (मध्यप्रदेश)
2. श्री रविन्द्र कुमार शर्मा
श्री वीर हनुमान ऋषिकुल वेद विद्यालय, ग्रा. नांगल भरडा, चौमू,
जयपुर (राजस्थान)
3. श्री विजेन्द्र सिंह हाडा
श्री कर्णेश्वर वेद विद्यालय, कनवास, कोटा (राजस्थान)
4. श्री विक्रम कुमार बासनीवाल
श्री मुनिकुल ब्रह्मचर्याश्रम वेद संस्थानम्, बरुन्दनी (राजस्थान)

आवरण एवं सज्जा :- श्री शैलेन्द्र डोडिया
चित्राङ्कन :- .....
तकनीकी सहयोग, टङ्कण
एवं संशोधन :- 1. श्रीमती किरण परमार
2. श्री अनिल चौहान
3. श्री नरेन्द्र सोलंकी
अक्षरविन्यास :- .....
पुस्तक परामर्श :- .....
© महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्, उज्जयिनी
ISBN :- .....
मूल्य :- .....
संस्करण :- .....
प्रकाशित प्रति :- .....
पेपर उपयोगः :- आर.सी.टी.बी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित
प्रकाशक :- महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेदविद्या प्रतिष्ठान
(शिक्षामन्त्रालय भारत सरकार की स्वायत्तशासी संस्था)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण, पो. ऑ. जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)
email : msrvvpujn@gmail.com,
Web : msrvvp.ac.in
दूरभाषा (0734) 2502255, 2502254

प्रस्तावना

(राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के आलोक में)

शिक्षा मन्त्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), भारत सरकार ने माननीय शिक्षा मन्त्री जी (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मन्त्री) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना दिल्ली में 20 जनवरी, 1987 को सोसायटी पञ्जीकरण अधिनियम, 1860 के तहत की थी। भारत सरकार ने वेदों की श्रुति परम्परा का संरक्षण, संवर्धन, प्रसार और विकास के लिए प्रतिष्ठान की स्थापना का संकल्प संख्या 6-3/85-SKT-IV दिनाङ्क 30-3-1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया था। वेदों के अध्ययन की श्रुति परम्परा (वेद संहिता, पद पाठ से घनपाठ तक, वेदाङ्ग, वेद भाष्य आदि), वेदों का पाठ संरक्षण, वैदिक स्वर तथा वैज्ञानिक आधार पर वेदों की व्याख्या का दायित्व वेद विद्या प्रतिष्ठान को दिया गया था। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के कार्यालय को उज्जैन में स्थानान्तरित करने के पश्चात् संगठन का नाम महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान कर दिया गया। वर्तमान में यह संगठन मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि- परिसर, महाकाल नगरी, उज्जैन में स्थित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के संशोधित नीति-1992 और कार्यप्रणाली (प्रोग्राम ऑफ एक्शन)-1992 में भी वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान को उत्तरदायित्व दिया गया था। भारत के प्राचीन ज्ञान कोष, मौखिक परम्परा और इस तरह की शिक्षा के लिए पारम्परिक गुरुओं को संयोजित करने के उद्देश्य को 1992 के कार्यप्रणाली (प्रोग्राम ऑफ एक्शन) में उल्लेखित किया गया था।

राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुरूप, राष्ट्रीय स्तर पर वेद और संस्कृत शिक्षा के लिए एक बोर्ड की स्थापना के पक्ष में राष्ट्रीय सहमति, जनादेश, नीति, विशिष्ट उद्देश्य और कार्यान्वयन रणनीतियों के अनुरूप, भारत सरकार के माननीय शिक्षा मन्त्रीजी की अध्यक्षता में महासभा और शासी परिषद् के समावेश में ''महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड'' की स्थापना 2019 में हुई है। MSRVVP का वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड भी वैदिक शिक्षा का एक भाग है और MSRVVP के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है जैसा कि MoA और नियमों में संकल्पना की गई है। महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड को शिक्षा मन्त्रालय,भारत सरकार तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय द्वारा वर्ष 2015 में श्री एन. गोपालस्वामी (पूर्व चुनाव आयुक्त) की अध्यक्षता में गठित समिति ''संस्कृत के विकास के लिए विजन और रोडमैप - दस वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना'' की रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि माध्यमिक विद्यालय स्तर तक वेद संस्कृत शिक्षा के पाठ्यक्रम मानकीकरण, संबद्धता, परीक्षा मान्यता, प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रस्तर पर वेद संस्कृत परीक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। समिति की अनुशंसा थी कि प्राथमिक स्तर का वैदिक एवं संस्कृत अध्ययन अभिप्रेरक, सम्प्रेरक एवं आनन्ददायी होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा के विषयों को वैदिक और संस्कृत पाठशालाओं में सन्तुलित रूप से सम्मिलित करना भी आवश्यक है। इन पाठशालाओं की पाठ्यक्रम सामग्री को समकालीन समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप और प्राचीन ज्ञान का उपयोग करते हुए आधुनिक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रारूपित किया जाना चाहिए।

वेद पाठशालाओं के सम्बन्ध में समिति ने यह संस्तुति की है कि संस्कृत और आधुनिक विषयों की श्रेणीबद्ध सामग्री के परिचय के साथ-साथ वेद पाठ कौशल संवर्धन और वेद उच्चारण में मानकीकरण की आवश्यकता है ताकि वेद छात्र अन्ततः वेद भाष्य के अध्ययन तक पहुंच सकें और छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए मुख्यधारा में लाया जा सके। उचित स्तर पर वेदों के विकृति पाठ के अध्ययन पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समिति के सदस्यों ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि वैदिक सस्वर पाठ पूरे भारत में समान रूप से नहीं फैला है, इसलिए वैदिक सस्वर पाठ की शैलियों और शिक्षण पद्धति की क्षेत्रीय विविधताओं में हस्तक्षेप किए बिना स्थिति में सुधार के लिए उचित कदम उठाया जाना है।

यह भी अनुभव किया गया कि वेद और संस्कृत अविभाज्य हैं और एक दूसरे के पूरक हैं और देश भर में सभी वेद पाठशालाओं और संस्कृत पाठशालाओं के लिए परीक्षा मान्यता और सम्बद्धता की समस्याएँ समान है, इसलिए दोनों के लिए एक साथ वेद संस्कृत हेतु एक बोर्ड का गठन किया जा सकता है। समिति ने यह पाया कि बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं को कानूनी रूप से वैध मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जो शिक्षा की आधुनिक बोर्ड प्रणाली के साथ समानता रखे। समिति ने पाया कि महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन को ''महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत विद्या परिषद्'' के नाम से

परीक्षा बोर्ड का दर्जा दिया जाये, जिसका मुख्यालय उज्जैन में रहे। परीक्षा बोर्ड होने के अतिरिक्त अब तक जो सभी वेद कार्यक्रम और वेद पर गतिविधियाँ हैं, वे सभी प्रतिष्ठान में जारी रहेंगे।

वैदिक शिक्षा का प्रचार भारत की गौरवशाली ज्ञान परम्परा का एक व्यापक अध्ययन है और इसमें वैदिक अध्ययन (वेद संहिता, पद पाठ से घनपाठ तक, स्वर का सम्यक् प्रयोग ज्ञान आदि), सस्वर पाठ कौशल, मन्त्र उच्चारण और संस्कृत ज्ञान प्रणाली सामग्री की बहुस्तरीय श्रुति परम्परा सम्मिलित है। प्रतिष्ठान में NEP 2020 अनुरूप 3 + 4 (सात साल तक) के वेद अध्ययन की योजना में पारम्परिक छात्रों को मुख्य धारा में लाने की नीति के परिप्रेक्ष्य में अन्य विभिन्न आधुनिक विषयों जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, मातृभाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, दर्शन, योग, वैदिक कृषि आदि पाठ्यक्रम के अनुसार तथा वैदिक शिक्षा पर केन्द्रित नीति निर्धारक निकायों में राष्ट्रीय सहमति, समय की उपलब्धता के आधार पर सभी अध्ययन संयोजित हैं। अध्ययन की यह योजना NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान प्रणाली पर ध्यान केन्द्रित करने वाले पाठ्यक्रम सामग्री में आधुनिक ज्ञान के साथ एवं भारतीय ग्रंथों से तैयार वैदिक ज्ञान के उपयुक्त सामग्री के साथ है।

प्रतिष्ठान बोर्ड की वेद पाठशालाओं, गुरु शिष्य ईकाइयों और गुरुकुलों में, पाठ्यक्रम मुख्य रूप से सम्पूर्ण सस्वर कण्ठस्थीकरण के साथ संपूर्ण वेद शाखा का अध्ययन होता है तथा संस्कृत, अंग्रेजी, मातृभाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, दर्शन, योग, वैदिक कृषि और SUPW जैसे अतिरिक्त सहायक विषयों के साथ वेद अध्ययन होता है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि वेदों की 1131 शाखाएँ सस्वर पाठ के साथ थे, अर्थात् 21 ऋग्वेद में, 101 यजुर्वेद में, 1000 सामवेद में और 9 अथर्ववेद में। समय के साथ इन शाखाओं की एक बड़ी संख्या विलुप्त हो गई और वर्तमान में केवल 10 शाखाएँ, अर्थात् ऋग्वेद में एक, यजुर्वेद में 4, सामवेद में 3 और अथर्ववेद में 2 सस्वर पाठ के रूप में विद्यमान हैं, जिन पर भारतीय ज्ञान प्रणाली आधारित है, इन 10 शाखाओं के संबंध में भी बहुत कम प्रतिनिधि वेदपाठी पंडित है जो श्रुति परम्परा/पाठ/वेद ज्ञान परम्परा को उसके प्राचीन और पूर्ण रूप में संरक्षित किये हुए हैं। जब तक श्रुति परम्परा के अनुसार वैदिक शिक्षा पर मूलरूप से ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक यह व्यवस्था सुदृढ नहीं हो पायेगी। वैदिक श्रुति परम्परा की श्रुति अध्ययनों के पहलुओं को सामान्य/अध्ययन में स्कूल में न तो पढ़ाया जाता है

और न ही किसी स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है, और न ही स्कूलों/बोर्डों के पास उन्हें आधुनिक स्कूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने और सञ्चालित करने की विशेषज्ञता है।

वैदिक छात्र जो श्रुति परम्परा / वेद का पाठ सीखते हैं, वे दूर-दराज के गाँवों, सीमावर्ती गाँवों आदि में वेद गुरुकुलों में, वेद पाठशालाओं में, वैदिक आश्रमों में हैं, और वेद अध्ययन के लिए उनका समर्पण लगभग 1900 - 2100 घण्टे प्रतिवर्ष है। जो अन्य स्कूल बोर्ड की सीखने की प्रणाली के समय से दोगुना है और वैदिक छात्रों को ''गुरु-मुख-उच्चारण अनुच्चारण'' - वेद गुरु के सामने बैठकर शब्दशः उच्चारण सीखना होता है, संपूर्ण वेद, शब्दशः उच्चारण (उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि) के साथ कण्ठस्थ करना होता है और स्मृति के बल पर बिना किसी पुस्तक/पोथी को देखे।

ज्ञात हो कि इस प्रकार के वैदिक अध्ययन, वेद मन्त्रपाठ की रीति, गुरु शिष्य की अखण्ड मौखिक परम्परा से प्रचलित क्रम के कारण वेदों के मौखिक प्रसारण को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत रूप में यूनेस्को-विश्व मौखिक विरासत सूची में मान्यता प्राप्त हुई है। इसलिए, सदियों पुरानी वैदिक शिक्षा (श्रुति परम्परा/सस्वर पाठ/वेद ज्ञान परम्परा) की प्राचीनता और सम्पूर्ण अखण्डता को बनाए रखने के लिए सुयोग्य कार्यनीति की आवश्यकता है। इसलिए, प्रतिष्ठान और इस बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 द्वारा निर्धारित कौशल और व्यावसायिक विषयों के साथ-साथ आधुनिक विषयों जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, मातृभाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, दर्शन, योग, वैदिक कृषि आदि के साथ विशिष्ट प्रकार के वेद पाठ्यक्रम को अपनाया है।

कोई भी व्यक्ति तब सुखी होकर जी सकता है जब वह परा-विद्या और अपरा-विद्या दोनों का अध्ययन करता है। वेदों में से भौतिक ज्ञान, उनकी सहायक शाखाएँ और भौतिक रुचि के विषय अपरा-विद्या कहलाते थे। सर्वोच्च वास्तविकता का ज्ञान, उपनिषदों की अंतिम खोज, परा-विद्या कहलाती है। वेद और उसके सहायक के रूप में अध्ययन किए जाने वाले विषयों की कुल संख्या 14 है। विद्या की 14 शाखाएँ ये हैं - चार वेद, छह वेदांग, मीमांसा (पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा), न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद और अर्थशास्त्र सहित चौदह विद्याएं अठारह हो जाते हैं। सदियों से भारत उपमहाद्वीप में सभी शिक्षा संस्कृत भाषा में ही थी, क्योंकि इस उपमहाद्वीप में लम्बे समय तक संस्कृत बोली जाने वाली भाषा रही। इसलिए वेद भी सुलभता से समझे जाते थे।

तक्षशिला के विद्यालयों के सम्बन्ध में अठारह शिल्प-या औद्योगिक और तकनीकी कला और शिल्प का उल्लेख किया गया है। छान्दोग्य उपनिषद् तथा नीति ग्रन्थों में भी इन का विवरण है। निम्नलिखित 18 कौशल/व्यावसायिक विषय अध्ययन के विषय बताए गए हैं- (1) गायन सङ्गीत (2) वाद्य सङ्गीत (3) नृत्य (4) चित्रकला (5) गणित (6) लेखाशास्त्र (7) इञ्जीनियरिङ्ग (8) मूर्तिकला (9) प्रजनन (10) वाणिज्य (11) चिकित्सा (12) कृषि (13) परिवहन और कानून (14) प्रशासनिक प्रशिक्षण (15) तीरंदाजी, किला निर्माण और सैन्य कला (16) नये वस्तु या उपज का निर्माण । उपर्युक्त कला और शिल्प में तकनीकी शिक्षा के लिए प्राचीन भारत में एक प्रशिक्षु प्रणाली विकसित की गई थी। विद्या और अविद्या मनुष्य को इस प्रपञ्च में सन्तुष्ट जीवन व्यतीत करने के लिए समर्थ और परलोक में मुक्ति योग्य सिद्ध करती है ।

दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में सर्व प्रथम भारतीय सभ्यता में शास्त्रों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सीखने की एक विशाल एवं सुदृढ परम्परा रही है। भारत प्राचीन काल से ही ऋषियों, ज्ञानियों और संतों की भूमि के साथ-साथ विद्वानों और वैज्ञानिकों की भूमि भी रही है। शोध से पता चला है कि भारत सीखने सिखाने (विद्या-आध्यात्मिक ज्ञान और अविद्या- भौतिक ज्ञान) के क्षेत्र में विश्व गुरु तो था ही, सक्रिय रूप से भी सम्पूर्ण प्रपञ्च में योगदान दे रहा था और भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों जैसे सीखने के विशाल केन्द्र स्थापित किए गए थे, जहाँ हजारों शिक्षार्थी आते थे। प्राचीन ऋषियों द्वारा खोजी गई कई विज्ञान और प्रौद्योगिकी तकनीकी, सीखने की पद्धतियाँ, सिद्धान्तों और तकनीकों ने कई पहलुओं पर हमारे विश्व के ज्ञान के मूल सिद्धान्तों को बनाया और प्रबल किया है, खगोल विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, ध्वन्यात्मकता, व्याकरण आदि पर दुनिया में भारत का योगदान समझा जाता है। प्रत्येक भारतीय बालक, बालिका द्वारा इस महान् देश का गौरवान्वित नागरिक होने के कारण इन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये। भारत की संसद के प्रवेश द्वार पर उद्धृत ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' जैसे भारत के विचार और विभिन्न अवसरों पर संवैधानिक प्राधिकरणों द्वारा उद्धृत कई वेद मंत्र के अर्थ वेदों के अध्ययन से ही ज्ञात होते हैं और उन पर मनन करके ही वास्तविक प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। वेदों और सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में "सत, चित, आनंद" के रूप में सभी प्राणियों की अन्तर्निहित समानता पर जोर दिया गया है।

यह भी उल्लेख किया गया है कि वेद वैज्ञानिक ज्ञान के स्त्रोत हैं और हमें आधुनिक समस्याओं के समाधान के लिए वेदों और भारतीय शास्त्रों के स्त्रोतों की ओर पुनः निष्ठा से देखना होगा। जब तक छात्रों को वेदों का पाठ, शुद्ध वैदिक ज्ञान सामग्री और वैदिक दर्शन को आध्यात्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है, तब तक आधुनिक भारत की आकांक्षा को पूरा करने के लिए वेदों के सन्देश का प्रसार पूर्ण रूप से सम्भव नहीं है।

वेद की शिक्षा (वैदिक मौखिक एवं श्रुति परंपरा/वेद पाठ/वेद ज्ञान परम्परा) केवल धार्मिक शिक्षा नहीं है। यह कहना अनुचित होगा कि वेदों का अध्ययन केवल धार्मिक निर्देश है। वेद केवल धार्मिक ग्रन्थ नहीं हैं और इनमें केवल धार्मिक सिद्धान्त ही नहीं हैं, बल्कि वेद शुद्ध ज्ञान के कोष है, मानव जीवन की कुञ्जी वेदों में है इसलिए, वेदों में निर्देश या शिक्षा को केवल "धार्मिक शिक्षा/धार्मिक निर्देश" के रूप में नहीं माना जा सकता है।

2004 की सिविल अपील संख्या 6736 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय (AIR 2013: 15 SCC 677); (निर्णय की दिनाङ्क- 3 जुलाई 2013), जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में यह स्पष्ट है कि वेद केवल धार्मिक ग्रन्थ नहीं हैं। वेदों में गणित, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, रसायन विज्ञान, हाइड्रोलिक्स, भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, दर्शन, योग, शिक्षा, काव्यशास्त्र, व्याकरण, भाषा विज्ञान आदि के विषय सम्मिलित हैं, जिन्हें माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुपालन में प्रतिष्ठान एवं बोर्ड के माध्यम से वैदिक शिक्षा -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली 'संस्कृत ज्ञान प्रणाली' के रूप में भी जाना जाता है, उनके महत्त्व और पाठ्यक्रम में उनका समावेश और विविध विषयों के संयोजन में लचीले दृष्टिकोण को मजबूती से प्रदर्शित किया गया है। कला एवं मानविकी के छात्र भी विज्ञान सीखेंगे, प्रयास करना होगा कि सभी व्यावसायिक विषय और व्यावहारिक कौशलों (सॉफ्ट स्किल्स) को प्राप्त करें। कला, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में भारत की गौरवशाली परम्परा इस तरह की शिक्षा की ओर बढ़ने में सहायक होगी। भारत की समृद्ध, विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परम्पराओं को संयोजित करने और उससे प्रेरणा पाने हेतु यह नीति बनायी गयी है। भारत की शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के महत्त्व, प्रासङ्गिकता और सुन्दरता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। संस्कृत,

संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित एक महत्त्वपूर्ण आधुनिक भाषा है यदि सम्पूर्ण लैटिन और ग्रीक साहित्य को मिलाकर भी इसकी तुलना की जाए तो भी वह संस्कृत शास्त्रीय साहित्य की बराबरी नहीं कर सकता। संस्कृत साहित्य में गणित, दर्शन, व्याकरण, सङ्गीत, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, धातुविज्ञान, नाटक, कविता, कहानी, और बहुत कुछ (जिन्हें "संस्कृत ज्ञान प्रणालियों" के रूप में जाना जाता है) के विशाल भण्डार हैं । विश्व विरासत के लिए इन समृद्ध संस्कृत ज्ञान प्रणाली विरासतों को न केवल पोषण और भविष्य के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शोध कराकर इन्हें बढ़ाते हुए नए उपयोगों में भी रखा जाना चाहिए। इन सबको हजारों वर्षों में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के एक विस्तृत जीवन्त दर्शन के साथ लिखा गया है । संस्कृत को रूचिकर और अनुभावात्मक होने के साथ-साथ समकालीन रूप से प्रासङ्गिक विधियों से पढ़ाया जाएगा । संस्कृत ज्ञान प्रणाली का उपयोग विशेष रूप से ध्वनि और उच्चारण के माध्यम से है। फाउंडेशन और माध्यमिक स्कूल स्तर पर संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों को संस्कृत के माध्यम से संस्कृत पढ़ाने (एस्.टी.एस्.) और इसके अध्ययन को आनन्ददायी बनाने के लिए सरल मानक संस्कृत (एस्.एस्.एस्.) में लिखा जाना है। ध्वन्यात्मकता और उच्चारण वेदों की मौखिक परम्परा पर लागू होता है। वैदिक शिक्षा ध्वन्यात्मकता और उच्चारण पर आधारित है।

कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं, आदि के बीच कोई स्पष्ट विभेद नहीं किया गया है। सभी ज्ञान की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने के लिए, एक बहु-विषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहु-विषयक (Multi-Disciplinary) एवं समग्र शिक्षा के विकास पर बल दिया गया है। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे, सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतान्त्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक सम्पत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिन्तन, स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व, बहुलतावाद, समानता और न्याय पर जोर दिया गया है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्रं. 4.23 में अनिवार्य विषयों, कौशलों और क्षमताओं का शिक्षाक्रमीय एकीकरण के विषय में निर्देश है। विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत पाठ्यक्रम को चुनने में बड़ी मात्रा में लचीले विकल्प मिलेगें, लेकिन आज की तेजी से बदलती दुनिया में सभी विद्यार्थियों को

एक अच्छे, सफल, अनुभवी, अनुकूलनीय और उत्पादक व्यक्ति बनने के लिए कुछ विषयों, कौशलों और क्षमताओं को सीखना भी आवश्यक है। वैज्ञानिक स्वभाव और साक्ष्य आधारित सोच, रचनात्मकता और नवीनता, सौंदर्यशास्त्र और कला की भावना, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति और संवाद, स्वास्थ्य और पोषण, शारीरिक शिक्षा, शारीरिक दक्षता, स्वास्थ्य और खेल, सहयोग और टीम वर्क, समस्या को हल करने और तार्किक चिन्तन, व्यावसायिक एक्सपोजर और कौशल, डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और कम्प्यूटेशनल चिन्तन, नैतिकता और नैतिक तर्क, मानव और संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान और अभ्यास, लिङ्ग संवेदनशीलता, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता कौशल और मूल्य, भारत का ज्ञान, पर्यावरण सम्बन्धी जागरूकता, जिसमें पानी और संसाधन संरक्षण, स्वच्छता और साफ-सफाई, समसामयिक घटना और स्थानीय समुदायों, राज्यों, देश और दुनिया द्वारा जिन महत्त्वपूर्ण मुद्दों का सामना किया जा रहा है उनका ज्ञान, भाषाओं में प्रवीणता के अलावा, इन कौशलों में सम्मिलित है। बच्चों के भाषा कौशल संवर्धन के लिए और इन समृद्ध भाषाओं और उनके कलात्मक निधि के संरक्षण के लिए, सार्वजनिक या निजी सभी विद्यालयों में सभी छात्रों को भारत की एक शास्त्रीय भाषा और उससे सम्बन्धित साहित्य सीखने का कम से कम दो साल का विकल्प मिलेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्रं. 4.27 में "भारत का ज्ञान" के विषय में महत्त्वपूर्ण निर्देश है। "भारत का ज्ञान" में आधुनिक भारत और उसकी सफलताओं और चुनौतियों के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान - भारतीय ज्ञान प्रणाली जैसे गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, योग, वास्तुकला, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, भाषा विज्ञान, साहित्य, खेल के साथ –साथ शासन, राजव्यवस्था, संरक्षण आदि जहाँ भी प्रासङ्गिक हो, विषयों में सम्मिलित किया जाएगा। इसमें औषधीय प्रथाओं, वन प्रबन्धन, पारम्परिक (जैविक) फसल की खेती, प्राकृतिक खेती, स्वदेशी खेलों, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में प्राचीन और आधुनिक भारत के प्रेरणादायक व्यक्तित्वों पर ज्ञानदायी विषय हो सकेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्रं. 11.1 में समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर प्रवृत्त करने के निर्देश हैं। भारत में समग्र एवं बहु-विषयक विधि से सीखने की एक प्राचीन परम्परा पर बल दिया गया है, तक्षशिला और नालन्दा जैसे विश्वविद्यालयों के उल्लेख सहित 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में गायन और चित्रकला, वैज्ञानिक क्षेत्र जैसे रसायनशास्त्र और गणित, व्यावसायिक क्षेत्र जैसे बढ़ई का काम और कपड़े सिलने का कार्य, व्यावसायिक कार्य जैसे औषधि तथा अभियान्त्रिकी और साथ ही साथ

सम्प्रेषण, चर्चा और वाद-संवाद करने के व्यावहारिक कौशल (सॉफ्ट स्किल्स) भी सम्मिलित है । यह विचार है कि गणित, विज्ञान, व्यावसायिक विषयों और सॉफ्ट स्किल सहित रचनात्मक मानव प्रयास की सभी शाखाओं को 'कला' माना जाना चाहिए, जिसका मूल भारत है। 'कई कलाओं के ज्ञान' या जिसे आधुनिक समय में प्राय: 'उदार कला' कहा जाता है (अर्थात्, कलाओं की एक उदार धारणा) की इस धारणा को भारतीय शिक्षा में वापस लाया जाना चाहिए, क्योंकि यह ठीक उसी तरह की शिक्षा है जो 21वीं सदी के लिए आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्रं. 22.1 में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन हेतु निर्देश हैं। भारत संस्कृति का समृद्ध भण्डार है – जो हजारों वर्षों में विकसित हुआ है, और यहाँ की कला, साहित्यिक कृतियों, प्रथाओं, परम्पराओं, भाषायी अभिव्यक्तियों, कलाकृतियों, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के स्थलों इत्यादि में परिलक्षित होता हुआ दिखता है। भारत में भ्रमण, भारतीय अतिथि सत्कार का अनुभव होना, भारत के आकर्षक हस्तशिल्प एवं हाथ से बने कपड़ों को खरीदना, भारत के प्राचीन साहित्य को पढ़ना, योग एवं ध्यान का अभ्यास करना, भारतीय दर्शनशास्त्र से प्रेरित होना, भारत के अनुपम त्यौहारों में भाग लेना, भारत के वैविध्यपूर्ण सङ्गीत एवं कला की सराहना करना और भारतीय फिल्मों को देखना आदि ऐसे कुछ आयाम हैं जिनके माध्यम से दुनिया भर के करोड़ो लोग प्रतिदिन इस सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित होते हैं, इसका आनन्द उठाते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं।

यही सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदा है भारत की इस सांस्कृतिक सम्पदा का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार, देश की उच्चतर प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि इस देश की पहचान के साथ-साथ इसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्त्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्रं. 22.2 में कलाओं के विषय में निर्देश हैं। भारतीय कला एवं संस्कृति का संवर्धन राष्ट्र एवं राष्ट्र के नागरिकों के लिए महत्त्वपूर्ण है । बच्चों में अपनी पहचान और अपनेपन के भाव तथा अन्य संस्कृतियों और पहचानों की सराहना का भाव पैदा करने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति जैसी प्रमुख क्षमताओं को बच्चों में विकसित करना जरूरी है। बच्चों में अपने सांस्कृतिक इतिहास, कला, भाषा एवं परम्परा की भावना और ज्ञान के विकास द्वारा ही एकता,

सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान और आत्म-सम्मान निर्मित किया जा सकता है । अत: व्यक्तिगत एवं सामाजिक कल्याण के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति का योगदान महत्त्वपूर्ण है ।

प्रतिष्ठान की मुख्य वैदिक शिक्षा (वेदों की श्रुति या मौखिक परम्परा/वेद पाठ/वैदिक ज्ञान परम्परा) सहित अन्य आवश्यक आधुनिक विषय- संस्कृत, अंग्रेजी, मातृभाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, दर्शन, योग, वैदिक कृषि, भारतीय कला, SUPW आदि महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों की नींव/ स्रोत भारतीय ज्ञान परम्परा (IKS) विषयों की अनुप्रविष्टि (इनपुट) पर आधारित हैं। ये सभी निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के शैक्षिक चिन्तकों, प्राधिकरणों के परामर्श एवं नीति को ध्यान में रखते हुए प्रारूप पुस्तकें पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करायी गयी हैं। इन पुस्तकों को भविष्य में NCF के अनुरूप अद्यतन किया जाएगा और अन्त में प्रिन्ट रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के राष्ट्रीय आदर्श वेदविद्यालय के अध्यापक महानुभावों ने, वेद अध्यापन (वैदिक मौखिक एवं श्रुति परम्परा/वेद पाठ/वेद ज्ञान परम्परा) में समर्पित आचार्यों ने, सम्बद्ध वेद पाठशालओं के संस्कृत एवं आधुनिक विषयों के अध्यापकों ने, आधुनिक विषय पाठ्यपुस्तकों को इस रूप में प्रस्तुत करने में पिछले दो वर्षों में अथक परिश्रम किया है। उन सभी को हृदय की गहराई से धन्यवाद समर्पण करता हूँ। राष्ट्र स्तर के विविध विशेषज्ञों ने समय-समय पर पधार कर पाठ्यपुस्तकों में गुणवत्ता लाने में विशेष सहायता प्रदान की है। उन सभी विशेषज्ञों एवं विद्यालयों के अध्यापक महानुभावों को भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। अक्षर योजना हेतु, चित्राङ्कन हेतु, पेज सेटिंग हेतु मेरे सहयोगी कर्मचारियों ने कार्य किया है, उन सभी को हृदय की गहराई से कृतज्ञता समर्पण करता हूँ।

पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए रचनात्मक आलोचना सहित सभी सुझावों का स्वागत है।

आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्।

बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्यप्रत्ययं चेतः॥

(अभिज्ञानशाकुन्तलम् १.०२)

(जब तक विद्वानों को पूर्ण सन्तुष्टि न हो जाए तब तक विशिष्ट प्रयोग को सब तरह से सफल नहीं मानता क्योंकि प्रयोग में विशेष योग्यता प्राप्त विद्वान भी पहले प्रयोग के सफलता में आश्वस्त नहीं रहता है।)

प्रो. विरूपाक्ष वि जड्डीपाल्

सचिव

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड

पाठ्यपुस्तक के आलोक में

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के आलोक में राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, भारत सरकार द्वारा संस्थापित महर्षि सान्दीपनि वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड, उज्जैन (म.प्र.) द्वारा देश भर में मान्यता प्राप्त वेद पाठशालाओं/गुरु शिष्य इकाइयों में अध्ययनरत वेद भूषण प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम एवं वेद विभूषण प्रथम और द्वितीय वर्ष तथा स्कूली शिक्षा में छठीं, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्याराहवीं एवं बाराहवीं कक्षा के छात्रों के लिए एन.सी.ई.आर.टी. एवं राज्य शिक्षा बोर्डों तथा भारतीय ज्ञान परम्परा विषयक विविध प्रकाशित स्त्रोतों के मानक अनुसार सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित विषय यथा भूगोल, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र आदि हमें, समाज को समझने में बहुविध सहायता प्रदान करते हैं। इसी समझ के आधार पर हम अपने भविष्य को व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से उत्कृष्टतम बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह सम्पूर्ण विश्व हजारों-लाखों वर्ष पूर्व से समयानुरूप विविध घटनाओं और परिवर्तनों का परिणाम है। इन घटनाओं परिवर्तनों और परिणामों को जानने व समझने में सामाजिक विज्ञान की यह पाठ्यपुस्तक निश्चित ही सहायक है।

सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में अधिकांश विषयों को वैदिक वाङ्मय के सैद्धान्तिक स्वरूप और उपयोगिता को दृष्टि में रखकर जोड़ा गया है, जिससे अध्येताओं को भारतीयता और सांस्कृतिक गौरव का निश्चय ही अनुभव होगा। इस पुस्तक में विविध मानचित्रों, चित्रों एवं अद्यतन आँकड़ों को समाहित कर छात्रों के लिए अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। पाठ्यपुस्तक निर्माण कार्य में समय समय पर माननीय सचिव महोदय का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक के विषय सङ्कलन, मन्त्र सङ्कलन, शब्द विन्यास, त्रुटि सुधार आदि की दृष्टि से राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय के समस्त आचार्यों एवं अध्यापकों का योगदान रहा है, विशेषतया श्री आयुष शुक्ला एवं श्री अभिजीत सिंह राजपूत जी का साथ ही विविध विद्यालयों के सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों श्री विजेन्द्र सिंह हाड़ा, श्री विक्रम बासनीवाल, श्री अनिल शर्मा, श्री मुकेश कुशवाहा, श्री लक्ष्मीकान्त मिश्र, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री नरेन्द्र सिंह, श्रीमती अनुपमा त्रिवेदी, श्रीमती नेहा मैथिल जी का भी अभूतपूर्व सहयोग

प्राप्त हुआ है। इन सब के साथ टङ्कण कार्य में श्रीमती किरण परमार का कार्य अति सराहनीय रहा है। इस सहयोग के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद अर्पित करते हैं।

हमारा प्रयास सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक को वैदिक विद्यार्थियों के लिए सतत् अधिकतम उपयोगी बनाने का रहा है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक गतिशील विषय होने के कारण सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में पाठ्य सामग्री के संशोधन एवं परिवर्धन की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। इस सन्दर्भ में सम्मानित शिक्षकों, विषय विशेषज्ञों तथा सामाजिक विज्ञान में अभिरुचि रखने वाले विद्वानों के सुझावों का सदैव स्वागत है।

सादर धन्यवाद

दिनाङ्क-

डॉ. प्रकाश प्रपन्न त्रिपाठी

रविन्द्र कुमार शर्मा

विषयानुक्रमणिका

क्रम संख्या	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
	भूगोल	1
1	भारत का भौगोलिक स्वरूप	2-13
2	अपवाह तन्त्र	14-24
3	जलवायु	25-33
4	भारत में कृषि	34-45
	इतिहास	46
5	समाज का पूर्ण स्वास्थ्य : उसके लिए पारम्परिक उपाय	47-57
6	पारम्परिक क्रीड़ाएँ	58-62
7	फ्रान्स की क्रान्ति (1789 ई.-1799 ई.)	63-71
8	समाजवाद और रूसी क्रान्ति	72-80
9	नात्सीवाद	81-88
10	विश्व युद्ध और भारत	89-97
	राजनीति शास्त्र	98
11	लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली	99-108
12	संविधान निर्माण और राजनीतिक संस्थाएँ	109-121
13	भारत में निर्वाचन प्रणाली	122-131
	अर्थशास्त्र	132
14	आदर्श ग्राम की परिकल्पना	133-139
15	मानव संसाधन और गरीबी	140-149
16	भारत में खाद्य सुरक्षा	150-156
	आदर्श प्रश्न पत्र	157-166

वेदभूषण चतुर्थ वर्ष

भूगोल

अध्याय – 1

भारत का भौगोलिक स्वरूप

इस अध्याय में- प्राचीन भारत की अवस्थिति, विश्व मानचित्र में भारत की स्थिति एवं आकार,भारत का भौगोलिक स्वरूप, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र, द्वीप समूह, भारत तथा विश्व और भारत के पड़ोसी देश।

प्रकृति ने भारत पर जितनी कृपा की है, शायद ही विश्व के किसी अन्य देश पर इतनी कृपा की हो, क्योंकि भारत की सीमाएँ प्राकृतिक रूप से उत्तर में विशाल हिमालय, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में विशाल जलनिधि से आवृत होने के कारण चतुर्दिक सुरक्षित है। भौगोलिक दृष्टि से प्रकृति ने अपने अदभुत सौन्दर्य को यहाँ की नदियों, वनों, जलवायु, पर्वतों आदि में बिखेरकर, भारत के ही नहीं, न जाने विश्व के कितने दार्शनिकों और साहित्यकारों को आकर्षित किया है।

मानचित्र- 1.1 भारत प्राकृतिक

प्राचीन भारत की अवस्थिति- भौगोलिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप विविधता युक्त है। प्राकृतिक रूप से विन्ध्य पर्वतमाला भारत को दो भागों- उत्तरापथ और दक्षिणापथ में विभाजित करती है। सभ्यताकाल से ही यहाँ पर जीवनोपयोगी सभी संसाधन सरलता से प्राप्त होते रहे हैं। भारतीय सनातनी संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। हमें इसके साक्ष्य वैदिक वाङ्मय, पुरातात्विक स्त्रोतों, भू-संरचनाओं आदि से प्राप्त होते हैं। भारत को आर्यावर्त, हिन्दुस्तान और इंडिया नाम से भी जाना जाता

है। भारत, विश्व के सबसे प्राचीन भू-भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इस भू-भाग में भारत के अतिरिक्त आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरीका तथा अण्टार्टिक क्षेत्र सम्मिलित हैं। अथर्ववेद में **षड उर्व्य:** (117.7.18) अर्थात् पृथिवी के छ: खण्ड बतलाये गये हैं। ये छ: भू-खण्ड उत्तरी अमेरीका, दक्षिणी अमेरीका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और आस्ट्रेलिया ही वर्तमान के 6 महाद्वीप हैं क्योंकि पूर्वकाल में भूवेत्ताओं द्वारा भौतिक रूप से एशिया और यूरोप को यूरेशिया महाद्वीप कहा जाता था। परन्तु आधुनिक भूवेत्ताओं द्वारा इन दोनों की विभाजक रेखा यूराल पर्वतमाला को मानने से इन्हें दो महाद्वीप यूरोप और एशिया कहा है। महर्षि पतञ्जली ने पृथिवी को सप्तद्वीपा कहा है। **जंबू प्लक्षाह्वयौ द्वीपो शाल्मलश्चापरो द्विज। कुश: क्रौंच्स्तथा शाक: पुष्करश्चैव सप्तम:॥** (अग्निपुराण 108.1) अर्थात् जम्बू, प्लक्ष, शाल्मल, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप हैं।

सारणी 1.1

प्राचीन द्वीपों के आधुनिक नाम

क्र.	प्राचीन नाम	आधुनिक नाम
1	जम्बू द्वीप	एशिया
2	प्लक्ष द्वीप	दक्षिण अमेरीका
3	शाल्मल द्वीप	आस्ट्रेलिया
4	कुश द्वीप	ओसियाना भू क्षेत्र
5	क्रौंच द्वीप	अफ्रीका
6	शाक द्वीप	यूरोप
7	पुष्कर द्वीप	उत्तरी अमेरीका

चित्र-1.1 जम्बुद्वीप

विश्व मानचित्र में भारत की स्थिति एवं आकार-

भारत एक विशाल देश है, जो उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित है।

भारत का अक्षांशीय विस्तार 8°4' उत्तर से 37°6' उत्तरी अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार 68°7' पूर्व से 97°25' पूर्वी देशान्तर तक है। कर्क रेखा (23°30' उत्तर) तक कर्क रेखा के मध्यप्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। यह भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है। हमारे देश के मुख्य भू-भाग के दक्षिण-पूर्व में अण्डमान, निकोबार द्वीप समूह (बङ्गाल की खाड़ी) और दक्षिण-पश्चिम में लक्षद्वीप समूह (अरब सागर), उत्तर में हिमालय की विस्तृत पर्वत श्रृँखला एवं दक्षिण में हिन्द महासागर स्थित है।

भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सातवाँ स्थान है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% भू-भाग है। हमारे देश की स्थल सीमा लगभग

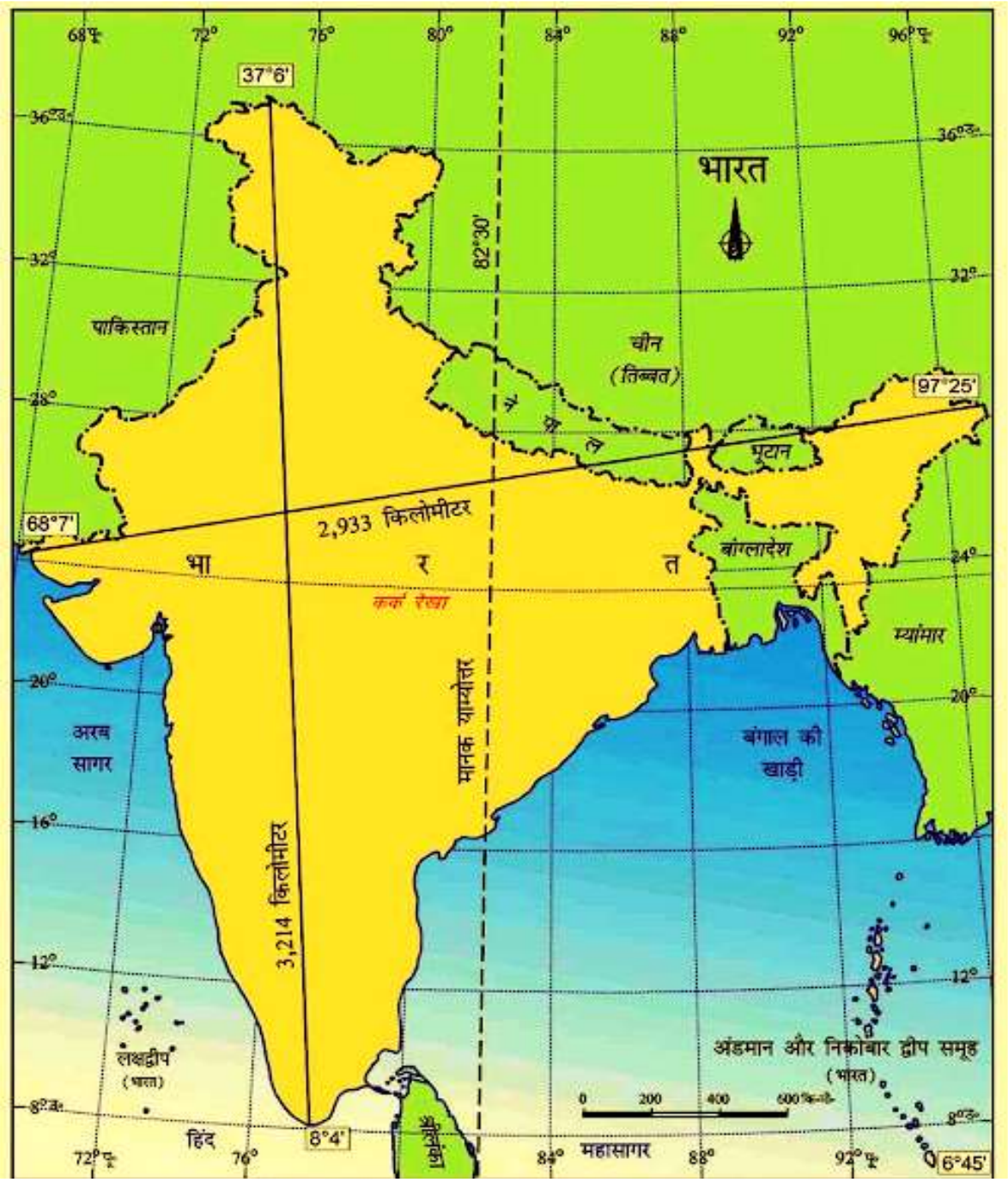

मानचित्र-1.2 भारत मानक रेखा का विस्तार

15,200 कि.मी. है। भारत की समुद्र तटीय सीमा लगभग 7516.6 कि.मी. (अंडमान-निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह) लम्बी है। भारत के उत्तर के भू-भाग चौड़ाई अधिक है और दक्षिण की ओर सँकरा होता जाता है। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा 82°30' पूर्व देशान्तर रेखा को माना गया है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि

पर पड़ता है इसलिए गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में दो घण्टे का अन्तर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है।

इसे भी जानें-

- गोंडवाना शब्द प्राचीन भारतीय गोंड साम्राज्य से बना है। यह साम्राज्य नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था। इस क्षेत्र में मिली शिलाओं के अध्ययन के आधार पर ही भू-विज्ञानियों ने इसे गोंडवाना कहा था। ये विशाल भू-भाग पैंजिया महाद्वीप का दक्षिण भाग है।

भारत का भौगोलिक स्वरूप- हमारे देश में प्राय: सभी प्रकार की भू-आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे- पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार आदि। भारत का प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय एवं कायान्तरित शैलों से बना है। यह विश्व के प्राचीनतम भू-भागों में से एक है। हिमालय पर्वतमाला विश्व की **नवीनतम** पर्वत श्रेणी है, इसमें ऊँची-ऊँची पर्वत चोटियाँ, गहरी घाटियाँ और तीव्र वेग वाली नदियाँ अवस्थित हैं। भारत का उत्तरी मैदान जलोढ निक्षेपों से बना है। भू विज्ञानियों ने भारत की भू आकृतियों को छ: भागों- **हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह** में विभाजित किया है, जिनका अध्ययन हम निम्नानुसार करेंगे-

1. **हिमालय पर्वतीय क्षेत्र-** भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे विस्तृत हिमालय पर्वत श्रृँखला वलयाकार रूप में अवस्थित है। हिमालय पर्वतमाला का पश्चिमोत्तर भाग हिन्दुकुश और त्रिकूट (सुलेमान) पर्वत और पूर्व के भाग को नागा, पतकुई, आराकान पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत श्रृँखला पश्चिम दिशा में सिन्धु नदी से लेकर पूर्व दिशा में ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। इस पर्वत श्रृँखला की लम्बाई लगभग 2400 कि.मी. है। इसकी पश्चिम (कश्मीर) में चौड़ाई में 400 कि.मी. है, तो पूर्व में (अरूणाचल प्रदेश) में इसकी चौड़ाई लगभग 150 कि.मी. है। इस पर्वतमाला के पूर्वी भाग में अधिक विविधता है। हिमालय को विस्तार एवं ऊँचाई के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।

इसे भी जानें-

- भारत के अन्तिम उत्तरी सीमा बिन्दु इन्दिरा कोल सियाचीन के पास (लद्दाख) से अन्तिम दक्षिण सीमा बिन्दु इन्दिरा पॉइन्ट कन्या कुमारी (तमिलनाड़ु) की दूरी 3214 कि.मी. है। इसी प्रकार भारत के अन्तिम पश्चिमी सीमा बिन्दु गौर माता,सरक्रीक (गुजरात) से अन्तिम पूर्वी सीमा बिन्दु किबिथू अरुणाचल प्रदेश की दूरी 2933 कि.मी. है।

क. आंतरिक हिमालय **ख. मध्य हिमालय** **ग. शिवालिक श्रेणी**

क. **आंतरिक हिमालय-** हिमालय के सबसे उच्च भाग को हिमाद्री अथवा महान या आंतरिक पर्वत श्रृँखला कहते हैं। इसका आंतरिक भाग क्रोड ग्रेनाइट से निर्मित है। हिमालय का यह भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इस भाग में विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर **माउंट एवरेस्ट** (8848 मीटर) नेपाल में स्थित है। **कंचनजंघा** (8598 मीटर) भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसके अतिरिक्त नागा पर्वत, नंदादेवी, नामचा-परचा आदि प्रमुख पर्वत शिखर इसी भाग में स्थित है।

चित्र- 1.2 हिमालय पर्वत

ख. **मध्य हिमालय-** यह क्षेत्र महान हिमालय के दक्षिण भाग में स्थित है। इसे मध्य हिमालय या हिमाचल कहते हैं। इस भाग का निर्माण अत्यधिक संपीडित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। मध्य हिमालय की ऊँचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के मध्य तथा चौड़ाई 50 किलोमीटर है। यहाँ की सबसे लम्बी व महत्वपूर्ण पर्वत श्रृँखला पीर पञ्जाल है। इसके अतिरिक्त धौलाधार, महाभारत, कश्मीर घाटी, हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिङ्ग आदि स्थान भी हिमालय के इस भाग में स्थित हैं। यह क्षेत्र पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है।

ग. **शिवालिक श्रेणी-** हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रृँखलाओं को शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। इनकी औसत ऊँचाई 900 से 1100 मीटर तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। इनका निर्माण अवसादी शैलों से हुआ है। ये घाटियाँ नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई, जलोढ़ मिट्टी एवं बजरी से ढकी हुई हैं। शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच स्थित लम्बवत् घाटी के पश्चिम व मध्य भाग को दून एवं पूर्वी भाग को द्वार कहते हैं,जैसे- देहरादून, पाटलीदून, हरिद्वार आदि हैं। भारत में हिमालय पर्वत माला को अनेक नामों से जाना जाता है- सतलुज और सिन्धु के मध्य भाग को पञ्जाब हिमालय, सतलुज और काली नदियों के मध्य भाग को कुमाऊं हिमालय, काली व तीस्ता नदियों के मध्य भाग को नेपाल हिमालय और तीस्ता व दिहांग नदियाँ के मध्य भाग को असम हिमालय आदि नामों से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाडियाँ शामिल हैं। भू-गर्भवेत्ताओं का मानना है कि हिमालय पर्वत मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ खनिज पदार्थों के विपुल भण्डार हैं। हिमालय पर्वतमाला हमारी संस्कृतियों, सततवाहिनी नदियों, वन्यजीवों, औषधियों, रमणीय स्थलों, फसलों एवं विद्युत उत्पादन आदि की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

वैदिक वाङ्मय में अनेक पर्वतमालाओं का दर्शन हुआ है। "**गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यम्।**" (**अथर्ववेद** 12.1.11) इस मन्त्र में हिम से आच्छादित पर्वतों का संकेत मिलता है। ये पर्वतमालायें संभवत: निम्न हैं-

1. **हिमवत-** अथर्ववेद के दस मन्त्रों में हिमवत शब्द का उल्लेख है। इस पर्वत पर कुष्ठ रोग की औषधि मिलती है तथा इससे निकलने वाली नदियों का जल सुखद होता है। यथा- "**शं त आपौ हैमवती:।**" (19.2.1)

सारणी 1.2

हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखर

शिखर का नाम	देश	ऊँचाई (मीटर)
माउंट एवरेस्ट	नेपाल	8,848
कंचन जंघा	भारत	8,598
मकालू	नेपाल	8,481
धौलागिरि	नेपाल	8,172
नंगा पर्वत	भारत	8,125

2. **त्रिककुद-** "**वर्षिष्ठ: पर्वतानां त्रिककुन्नाम।**" (**अथर्ववेद** 4.9.8) अर्थात् जिस पर्वत पर सुरमा पाया जाता है, वह त्रिककुद् पर्वत है। यह वर्तमान का सुलेमान पर्वत है क्योंकि वर्तमान में यहाँ सुरमा पाया जाता है। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान कीथ इसे '**त्रिकूट**' पर्वत मानते हैं।
3. **मूजवत्-** इस पर्वत का उल्लेख वैदिक वाङ्मय में अनेक स्थानों पर हुआ है। "**रुद्रावसन्तेन परोमूजवतोतीहि।**" (**यजुर्वेद** 3.61)। यह हिन्दूकुश पर्वत की एक शाखा है, जो भारत के उत्तर-पश्चिम में है। इस पर्वत पर सोमलता पाई जाती है, जिसे मौजवत भी कहा गया है- "**सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो।**" (**ऋग्वेद** 10.34.1)
4. **महामेरु- तैत्तिरीय आरण्यक** (1.7) में इसका उल्लेख है। '**कश्यप**' नामक सूर्य हमेशा इसके साथ रहता है। वर्तमान में इसे उत्तरीध्रुव पर्वतमाला माना जाता है।
5. **क्रौंच आदि पर्वत- तैत्तिरीय आरण्यक** (1.31) में इस पर्वत का उल्लेख आया है।
6. **दक्षिण पर्वत-** दक्षिण पर्वत को वर्तमान में विंध्याचल पर्वत कहा जाता है। जैमनीय उपनिषद में उत्तर और दक्षिण पर्वत का उल्लेख है।

उत्तर का विशाल मैदान- उत्तर के मैदान का विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। इस मैदान की लम्बाई लगभग 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है।इस मैदान का निर्माण सिंधु, गङ्गा एवं ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। इसे गङ्गा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। यह मैदान कृषि के लिए अति उत्तम है

क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त जल और कृषि के लिए अनुकूल जलवायु है इसलिए इस क्षेत्र में जन घनत्व सघन है। उत्तर के विशाल मैदान को तीन भागों में विभाजित किया गया है-

1. पश्चिमी मैदान
2. मध्यवर्ती मैदान
3. पूर्वी मैदान

क. **पश्चिमी मैदान-** यह मैदान उत्तर के मैदान के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसे पञ्जाब का मैदान भी कहा जाता है। इस मैदान का निर्माण सिन्धु एवं उसकी सहायक नदियों सतलुज, व्यास, रावी, चिनाव, झेलम और व्यास नदियों के द्वारा हुआ है। इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में है।

ख. **मध्यवर्ती मैदान-** इस मैदान का विस्तार हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार झारखण्ड और पश्चिमी बङ्गाल तक है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है और इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मैदान को गङ्गा-यमुना के दोआब (दो नदियों के बीच की भूमि) कहा जाता है। इस मैदान की प्रमुख नदियों में गङ्गा, यमुना, घग्घर, तीस्ता और उनकी सहायक नदियाँ हैं।

ग. **पूर्वी मैदान-** इस मैदान को ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। इस मैदान की प्रमुख नदियाँ ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित **माजोली द्वीप** विश्व का सवसे बडा नदी द्वीप है।

आकृति की भिन्नता के आधार पर भू-गर्भ शास्त्रियों ने उत्तर के मैदान को चार भागों में विभाजित किया है। नदियाँ जब पर्वतों से नीचे की ओर आती हैं, तब शिवालिक की ढाल पर चौड़ी पट्टी (8 कि.मी. से 16 कि.मी.) की गुटिका का निक्षेपण करती हैं, जिसे **'भाबर'** कहा जाता है। ये नदियाँ भाबर क्षेत्र में लुप्त होकर, इसके दक्षिण क्षेत्र में पुन: निकलती है, जिससे यहाँ पर दलदली व नम क्षेत्र का निर्माण होता है, जो **'तराई'** कहलाता है। इस क्षेत्र में सघन वन होते हैं इसलिए इसे **'वन्य जीवों का घर'** कहा जाता है। जैसा कि आप अध्ययन कर चुके हैं कि उत्तर के मैदान का निर्माण जलोढ मिट्टी से हुआ है। यह नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित होने के कारण, वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें **भांगर** कहा जाता है। इस क्षेत्र की मिट्टी में चूनेदार निक्षेप मिलते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में **काँकड़** कहा जाता है। बाढ़ग्रस्त मैदानों के नये निक्षेपों को **'खादर'** कहते हैं। इनका निर्माण हर वर्ष होता रहता है। ये क्षेत्र अधिक उपजाऊ होने के कारण गहन कृषि के लिए उपयुक्त है।

घ. **प्रायद्वीपीय पठार-** प्रायद्वीपीय पठार तीन ओर से समुद्र से आवृत है। इसकी आकृति मेज जैसी है। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से हुआ है और यह गोंडवाना भूमि के टूटने तथा अपवाह के कारण बना है। इस पठार को दो भागों में विभाजित किया गया है- मध्य उच्चभूमि एवं दक्षिण का पठार।

चित्र- 1.3 प्रायद्वीपीय पठार

ङ. **मध्य उच्चभूमि-** नर्मदा नदी के उत्तर में वह पठारी क्षेत्र, जो मालवा के पठार के अधिकांश भाग में विस्तृत है, उसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं। मध्य उच्च भूमि विंध्य श्रेणी, दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर-पश्चिम में अरावली पर्वत माला से आवृत है। इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थल भाग है। इस भू-भाग में बेतवा, केन, चम्बल, पार्वती, कालीसिंध, एवं माही नदियाँ बहती हैं। इसके पूर्वी भाग को बुन्देलखण्ड एवं बघेलखण्ड का पठार भी कहा जाता है।

इसे भी जानें-

- तीन ओर से जल से घिरे भू-भाग को 'प्रायद्वीप' कहते हैं, जैसे- भारतीय प्रायद्वीप, अलास्का प्रायद्वीप आदि।
- समुद्र का वह भाग जो तीन ओर स्थल से आवृत हो खाड़ी कहलाता है, जैसे- बङ्गाल की खाड़ी, गल्फ की खाड़ी आदि।
- दो सागरों को जोड़ने वाले सँकरे जलमार्ग को जलसन्धि या जलडमरू मध्य कहते हैं, जैसे पाक जलडमरू मध्य (भारत और श्रीलङ्का को जोड़ता है)।

च. **दक्षिण (दक्कन) का पठार-** नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित त्रिभुजाकार आकृति के भू-भाग को दक्षिण के पठार के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण कठोर आग्नेय चट्टानों और ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। यह भारत के 8 राज्यों में विस्तृत है। इसकी पूर्व और पश्चिम सीमा को क्रमशः पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट की ऊँचाई पूर्वी घाट से अधिक है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा स्थान **महेन्द्रगिरि पर्वत** है। पश्चिमी घाट को **अनाई मुडी, डोडाबेटा** आदि स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। इस भू-भाग में सतपुड़ा, महादेव, कैमूर एवं मैकाल नीलगिरि पर्वत स्थित है। इस पठार की मुख्य विशेषता यहाँ पर पाई जाने वाली काली मिट्टी है, जिसे **दक्कन ट्रैप** के नाम से भी जाना जाता है। उड्डमण्डलम् (ऊटी) और कोडईकनाल प्रसिद्ध पहाडी नगर हैं। मेघालय,

कार्बी, एंगलौंग पठार तथा उत्तर कचार पहाडी इसी पठार का पूर्वोत्तर भाग है, जो एक भ्रंश द्वारा छोटा नागपुर के पठार को अलग करती है। इसके पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी और जयंतिया प्रमुख पहाड़ी श्रृंखलाएँ हैं।

4. मरुस्थल- भूमि का ऐसा भाग जिस पर न्यूनतम वर्षा के कारण जीवन और वनस्पति बहुत कम मात्रा में होती हैं तथा रेत की अधिकता होती है, **मरुस्थल** कहलाता है। भारत में अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में यह मरुस्थल स्थित है, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं। इस क्षेत्र में केवल वर्षा ऋतु में ही नदियाँ बहती हैं और कुछ समय पश्चात ये नदियाँ रेत में विलुप्त हो जाती हैं। **लूनी** इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 25 सेन्टीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस भू-भाग में बरखान (अर्धचन्द्राकार बालू का टीला) का विस्तार बहुत अधिक है। ये टीले भारत-पाकिस्तान सीमा के समीप लंबवत हैं। राजस्थान के जैसलमेर नगर के पास हम बरखान के समूहों को देख सकते हैं।

चित्र- 1.4 बरखान

5. तटीय क्षेत्र- हमारे देश में दक्षिण के पठार के किनारे सँकरे तटीय मैदान हैं, इन्हें तटीय प्रदेश कहते हैं। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बङ्गाल की खाड़ी तक फैले हुए हैं। इसके दो भाग हैं- पश्चिमी तट और पूर्वी तट। पश्चिमी तट अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण (मुंबई तथा गोवा) मध्य भाग को कन्नड का मैदान और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहते हैं। पूर्वी तट का मैदान बङ्गाल की खाडी के साथ-साथ विस्तृत है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिण भाग को कोरोमण्डल तट के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। इन नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी प्रमुख हैं।

6. द्वीप समूह- भारत में लक्षद्वीप समूह और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास छोटे प्रवाल द्वीपों का समूह है। प्राचीन समय में इसे लक्काद्वीप, मिनिकाय और एमीनदीव के नाम से जानते थे। 1973 ई. में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। यह 32 किमी

इसे भी जानें-

- स्वेज नहर (1869 ई.) के निर्माण से भारत और यूरोप की दूरी 7000 कि. मी. कम हो गई थी।

क्षेत्र में विस्तृत 36 द्वीपों का समूह है, इसका पिटली द्वीप जनविहीन क्षेत्र है। यहाँ अनेक प्रकार के जीव जन्तु पाये जाते हैं।

इसे भी जानें-

- नदी द्वारा लाये गये अवसादों से निर्मित त्रिभुजाकार आकृति जहां नदी समुद्र या किसी झील में समाहित होती है,डेल्टा कहलाती है। सुन्दर वन का डेल्टा गङ्गा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ मकर सक्रान्ति पर प्रसिद्ध गङ्गासागर का मेला लगता है।
- भारत की खारे पानी की सबसे बडी चिल्का झील ओडिसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित है।
- कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म जीव समूह जिनकी उत्पत्ति गर्म व छिछले जल में होती है और उनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता रहता है, इन्हें प्रवाल कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं- प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप। ग्रेट वैरियर रीफ (आस्ट्रेलिया) इसका उदाहरण है।

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह बङ्गाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। ये द्वीप समूह बड़ी सङ्ख्या में छोटे-छोटे द्वीपों के रूप में बिखरे हुए हैं। इस द्वीप समूह को दो भागों में विभाजित गया है- उत्तरी भाग को अंडमान और दक्षिणी भाग को निकोबार कहा जाता है। विषुवत रेखा के पास होने के कारण यहाँ की जलवायु गर्म है। ये द्वीप घने जंगलों से आच्छादित हैं। यहाँ के पादप एवं जन्तुओं में विविधता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी **बैरन,** इस द्वीप पर स्थित है।

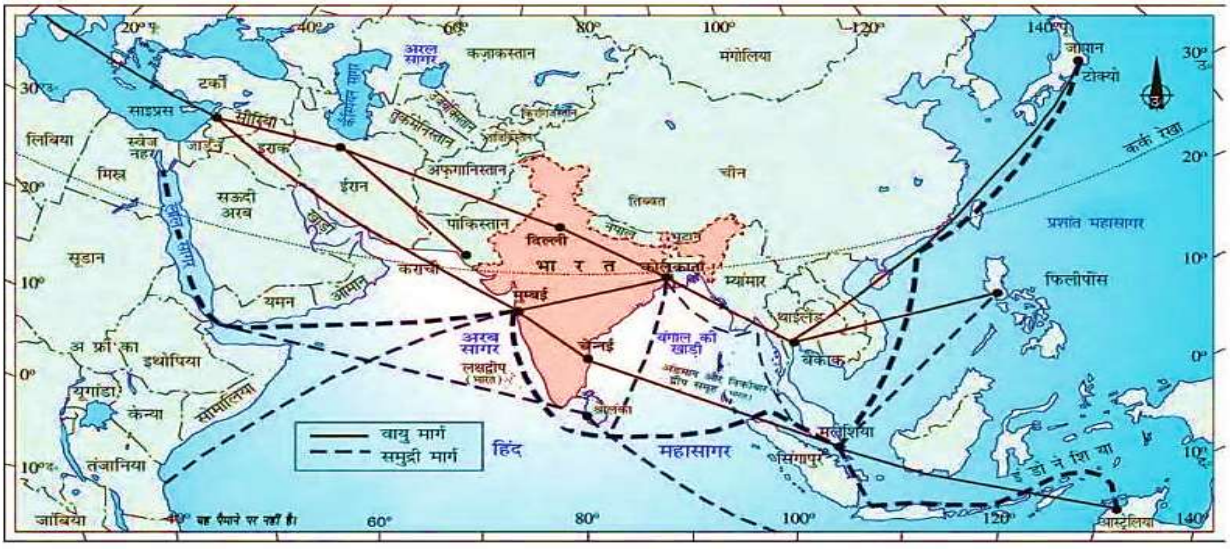

मानचित्र- 1.3 भारत के पड़ोसी देश एवं अन्तराष्ट्रीय मार्ग

भारत तथा विश्व- भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत को केन्द्रिय स्थिति प्रदान करने वाला हिन्द महासागर है, जो कि भारत को पश्चिम युरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों से

मिलाता है। हिन्द महासागर के साथ किसी भी देश की तटीय सीमा भारत के समान नहीं है इसलिए इस महासागर को हिन्द महासागर के नाम से जाना जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से भारत की भौगोलिक स्थिति अच्छी है। प्राचीन काल से ही भारत के विश्व के देशों के साथ व्यापारिक सम्पर्क रहे हैं। उत्तर भाग के पर्वतीय दर्रों से अनेक यात्री प्राचीनकाल में भारत में आए थे क्योंकि उस समय समुद्री मार्ग ज्ञात नहीं थे। व्यापारी हिमालय पर्वत और पहाड़ी, मैदानी क्षेत्रों के मार्गों से ही व्यापार किया करते थे। व्यापार के अतिरिक्त स्थापत्यकला के क्षेत्र में भी भारत का प्रभाव अन्य देशों पर तथा भारत के कुछ स्थानों पर अन्य देशों का प्रभाव देखा जा सकता है।

भारत के पड़ोसी देश- भारत एशिया महाद्वीप का महत्त्वपूर्ण देश है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार, बाङ्गलादेश और दक्षिण में श्रीलंका, मालदीव स्थित हैं।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. भारत का मानक समय निर्धारित..... होता है।

अ. 82°30' पश्चिमी देशान्तर से　　ब. 80°30' पूर्व देशान्तर

स. 82°30' पूर्व देशान्तर से　　द. 8°30' पूर्व देशान्तर

2. भारत में कर्क रेखा ..... राज्य से होकर गुजरती है।

अ. मध्यप्रदेश　　ब. महाराष्ट्र　　स. गोवा　　द. तमिलनाडु

3. क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बडा राज्य..... है।

अ. तेलंगाना　　ब. उत्तरप्रदेश　　ब. राजस्थान　　द. महाराष्ट्र

4. भारत और श्रीलंका के मध्य जल सन्धि का नाम..... है।

अ. जिब्राल्टर जल संधि　　ब. पाक जल संधि

ब. डॉवर जल संधि　　द. कर्क जल संधि

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. भारत ..... में स्थित है। (उत्तरी गोलार्द्ध/दक्षिणी गोलार्द्ध)
2. भारत की तटीय सीमा ..... लम्बी है। (7516.6 किमी./7520 किमी.)

3. भारत के दक्षिण में ..... स्थित है। (नेपाल/मालदीव)

4. स्वेज नहर का निर्माण .....हुआ था। (1869 ई./1860 ई.)

सत्य/असत्य बताइए-

1. $82^{0}30'$ पूर्वी देशान्तर रेखा उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। (सत्य/असत्य)
2. क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7 वां स्थान रखता है। (सत्य/असत्य)
3. भारत-पाकिस्तान की सीमा के समीप जैसलमेर नगर स्थित है। (सत्य/असत्य)
4. कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. उत्तर	क. हिन्द महासागर
2. दक्षिण	ख. अरब सागर
3. पश्चिम	ग. हिमालय
4. पूर्व	घ. बङ्गाल की खाड़ी

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौनसा है ?
2. भारत की स्थल सीमा और तटीय सीमा की लम्बाई कितनी है ?
3. भारत का क्षेत्रफल कितना है ?
4. भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौनसा है ?
5. भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन- कौन से पड़ोसी देश हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. प्रवाल किसे कहते हैं ?
2. प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं ?
3. उत्तर के मैदान में बहने वाली नदियों का नाम लिखो ?
4. ढक्कन के पठार के बारे में आप क्या जानते हैं ?
5. तटीय मैदान के बारे में आप क्या जानते हैं ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत के भौतिक स्वरूप को समझाइए ।
2. भारत के उत्तर के मैदानी भाग का वर्णन कीजिए ?

परियोजना कार्य-

1. मानचित्र में भारत के मैदानी भाग को चिन्हित कीजिए।

अध्याय – 2

अपवाह तन्त्र

आइये जानें- अपवाह तन्त्र का अर्थ, भारत में अपवाह तन्त्र, हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, झील, नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व और वैदिक वाङ्मय में नदियों एवं जलराशियों की अवधारणा।

अपवाह तन्त्र का अर्थ- अपवाह तन्त्र या अपवाह प्रणाली (drainage system) किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। यह एक प्रकार का जालतन्त्र या नेटवर्क है, जिसमें नदियाँ एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशीय प्रवाह का मार्ग बनाती हैं। किसी नदी में मिलने वाली सभी सहायक नदियाँ और उस नदी बेसिन के अन्य लक्षण मिलकर, उस नदी का अपवाह तन्त्र बनाते हैं। वह तन्त्र है, जो किसी नदी को उसके गन्तव्य अथवा समुद्र तक पहुँचाता है, अपवाह तन्त्र कहलाता है। नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को 'अपवाह द्रोणी' कहा जाता है। जब को ई ऊँचा स्थान एक अपवाह द्रोणी को दूसरी द्रोणी से अलग करता है, तो ऐसी भूमि को **'जल विभाजक'** कहा जाता है।

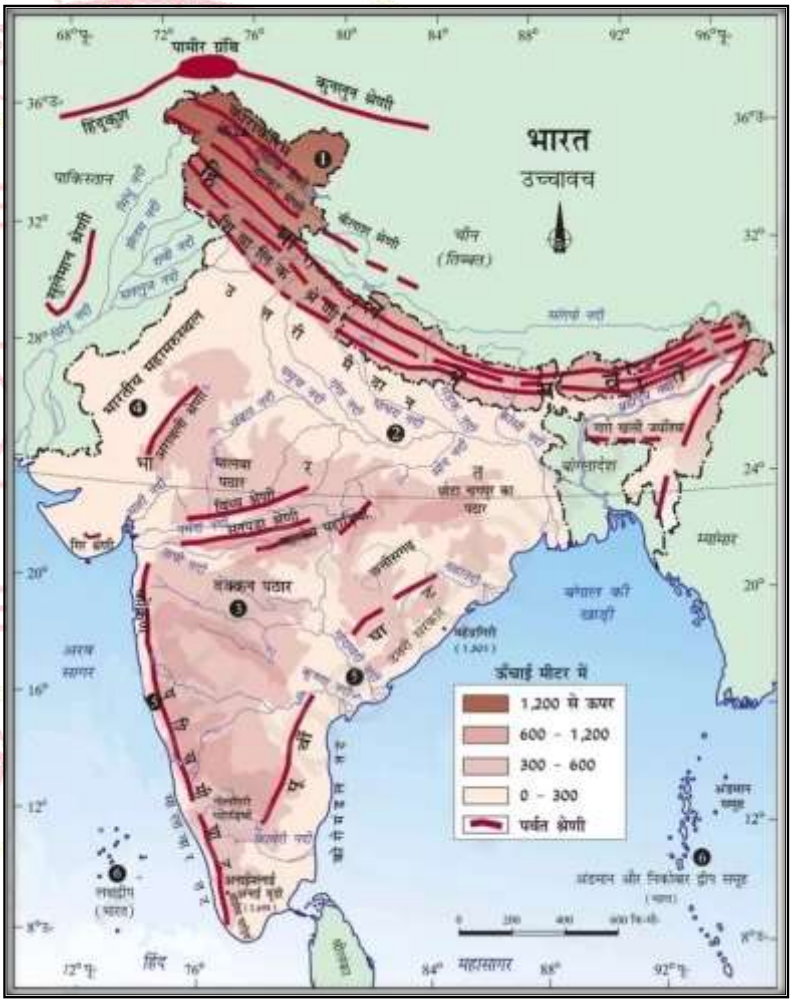

मानचित्र 2.1- भारत की नदियाँ एवं अपवाह तन्त्र

भारत में अपवाह तन्त्र- भारत की धरातलीय संरचना में अनेक प्रकार की भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। इन भिन्न्ताओं के कारण हमारे देश में अपवाह तन्त्र का नियन्त्रण भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस प्रकार भारत की नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित जा सकता है-

1. हिमालयी नदियाँ
2. प्रायद्वीपीय नदियाँ

1. **हिमालयी नदियाँ-** इन नदियों की मुख्य विशेषता यह है कि इनमें वर्ष भर जल रहता है। इन नदियों में वर्षा जल के साथ-साथ पर्वतों के हिम-खण्डों से भी जल की आपूर्ति होती रहती है। इन नदियों की उत्पत्ति, हिमालयी पर्वतीय भागों में से होने के कारण, ये गहरी धाराएं, गार्ज व झरनों का निर्माण करती हैं। इन नदियों का अपवाह क्षेत्र अधिक लम्बा होता है और इनमें अपरदन क्रिया तेज होने के कारण अपने बहाव के साथ बालू एवं गाद (सिल्ट) ले जाती हैं। ये नदियाँ अपने मध्य एवं निचले भागों में विसर्प, गोखुर झील तथा बाढ़ वाले मैदानों में निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण करती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों में सिन्धु, गङ्गा, यमुना, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाव, झेलम, ब्रह्मपुत्र आदि प्रमुख हैं। इन नदियों का बहाव क्षेत्र लम्बा होने से इनमें अनेक सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों को **नदी तन्त्र** कहते हैं।

इसे भी जानें-

- विश्व का सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी अमेजन नदी का है।
- भारत में सबसे बडा अपवाह तंत्र गंगा द्रोणी है।
- V आकार की घाटी को महागर्त या गार्ज कहते हैं।
- भारत पाकिस्तान के मध्य 1960 ई.में सिन्धु जल विभाजन समझौता हुआ था। सिन्धु जल समझौता के अनुसार भारत इसके 20% जल का उपयोग करता है।

सिन्धु नदी तन्त्र- सिन्धु नदी का उल्लेख वैदिक वाङ्मय में अनेक स्थानों पर मिलता है। "**त्वं सिन्धो कुभया गोमतीं क्रुमुं मेहत्वा।" (ऋग्वेद** 10.75.6) अर्थात् हे सिन्धु नदी ! तुम काबुल, गोमती, खुर्रम और मेहत्नू नदी के साथ प्रवाहित होती हो।

सिन्धु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। इस नदी की लम्बाई लगभग 2880 कि.मी. है। यह नदी पश्चिम की ओर बहती हुई, भारत के लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ पर यह एक सुन्दर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। सिन्धु नदी का एक तिहाई हिस्सा भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और पञ्जाब प्रदेश में है, शेष भाग पाकिस्तान में हैं। अन्त में यह अरब सागर में समाहित हो जाती है। सिन्धु नदी की जास्कर, नूबरा श्योक, हुञ्जा, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाव और झेलम सहायक नदियाँ हैं।

गङ्गा नदी तन्त्र- वैदिक वाङ्मय में गङ्गा नदी को पवित्रतम् नदी कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लेख है कि **इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति।** (10.75.5) अर्थात् हे! गङ्गा, यमुना और सरस्वती नदियों मेरी प्रार्थना सुनो।

इसे भी जानें-

- नमामि गंगे परियोजना- केंद्र सरकार ने 13 मई 2015 को राष्ट्रीय नदी गंगा और इसकी सहायक नदियों को प्रदुषण से मुक्त करने और उनके संरक्षण के लिये नमामि गंगे परियोजना को मंजूरी दी है। इस महत्वाकाँक्षी परियोजना को पांच वर्ष में पूरा करने के लिये कुल 20,000 करोड़ रूपये आवंटित किये गये थे। नमामि गंगे कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय की एक महत्त्वपूर्ण योजना है।
- गङ्गा-ब्रह्मपुत्र नदी 'सुन्दर वन' नामक विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ पर सुन्दरी के वृक्ष बहुतायत रूप में पाये जाते हैं इसलिए इसे सुन्दर वन कहा जाता है। यह हमारे राष्ट्रीय पशु बङ्गाल बाघ की आश्रय स्थली है।

गङ्गा नदी की मुख्य धारा भागीरथी का उद्गम **'गंगोत्री ग्लेशियर'** से हुआ है। उत्तराखण्ड राज्य के देवप्रयाग शहर में अलकनन्दा और भागीरथी नदी सङ्गम होता है और इस सङ्गम से आगे इसे **गङ्गा** नदी के नाम से जाना जाता है। गङ्गा नदी हरिद्वार के पास मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में यमुना, घाघरा, गण्डक, और कोसी हैं। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर इसके समान्तर बहती है और प्रयागराज में इसका सङ्गम गङ्गा के साथ होता है, जिसे त्रिवेणी सङ्गम कहा जाता है। घाघरा, गण्डक, और कोसी के उद्गम स्थल नेपाल में हैं। इन नदियों से भारत के कुछ भू-भाग में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है और जानमाल की अधिक हानि होती है। इसी कारण कोसी नदी को **'बिहार का शोक'** कहते हैं। इन नदियों की मिट्टी से यहाँ की भूमि उपजाऊ होती है। इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाली नदियाँ केन, बेतवा और चम्बल भी गङ्गा एवं यमुना की सहायक नदी हैं। पश्चिमी बङ्गाल में फरक्का के पास गङ्गा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। भागीरथी हुगली, जो दक्षिण की ओर बहती है और डेल्टा के मैदान से बङ्गाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। गङ्गा नदी की दूसरी मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और यहाँ गङ्गा में ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है। अपने अन्तिम चरण में समुद्र में लुप्त होने से पहले इसे **'मेघना'** के नाम से जाना जाता है। तब तक यह नदी 2500 किमी से अधिक की दूरी तय कर चूकी होती है। गङ्गा नदी पर टिहरी बाँध, फरक्का बाँध आदि प्रमुख महत्वपूर्ण परियोजनाएँ हैं।

ब्रह्मपुत्र नदी तन्त्र- ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। यद्यपि बह्मपुत्र नदी की लम्बाई, सिन्धु नदी (2900 कि.मी.) से कुछ अधिक है। परन्तु इसका अधिकांश प्रवाह भारत के बाहर है। यह नदी हिमालय पर्वत के बराबर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई,

अरूणाचल प्रदेश में (यू आकार की घाटी) का निर्माण कर प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में साँगपो, बाङ्गलादेश में जमुना, अरूणाचल प्रदेश में दिहाँग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, धनश्री, कालांग आदि हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में होने के कारण इसमें गाद (सिल्ट) की मात्रा अधिक होती है। गाद (सिल्ट) की बढ़ती मात्रा के कारण इसकी सतह ऊँची हो जाती है और इस नदी का प्रवाह निरन्तर परिवर्तित होता रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी गङ्गा नदी से मिलकर अन्त में बङ्गाल की खाडी में समाहित हो जाती है।

2. **प्रायद्वीपीय नदियाँ**- भारतीय प्रायद्वीप में प्रवाहित होने वाली नदियों का प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। प्राय: इन नदियों की लम्बाई कम होती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकाशं नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बङ्गाल की खाडी में समाहित होती हैं। परन्तु नर्मदा और ताप्ती नदियों की उत्पत्ति केन्द्रिय उच्च भूमि से हुई है। अत: ये नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हुई ज्वारनद का निर्माण कर, अरब सागर में मिलती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बेतवा, केन, चम्बल, नर्मदा और ताप्ती इस क्षेत्र की मुख्य नदियाँ हैं।

चित्र- 2.1 बङ्गाल बाघ

नर्मदा नदी- वेदों में नर्मदा नदी का उल्लेख स्पष्ट नहीं है। परन्तु पुराणों, रामायण, महाभारत में इसका उल्लेख अनेक स्थानों पर हुआ है। प्राचीनकाल में इसे **'रेवा'** के नाम से जानते थे। स्कन्द पुराण के रेवा खण्ड में में इसकी उत्पत्ति एवं महिमा का वर्णन किया गया है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्यप्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। इस नदी की कुल लम्बाई 1312 कि.मी. है। यह नदी मध्यप्रदेश और गुजरात में अनेक दार्शनिक स्थलों का निर्माण करते हुए, खम्भात की खाडी (अरब सागर) में समाहित हो जाती है। नर्मदा नदी गहरे गार्जों (V आकार की घाटी) जैसे- जबलपुर में **'धुंआधार जल प्रपात'** का निर्माण करती है। नर्मदा नदी की कई सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं, जो इसमें समकोण स्थिति में मिलती हैं।

ताप्ती नदी- ताप्ती नदी का उद्गम मध्यप्रदेश के बैतुल जिले में मुलताई नामक स्थान से हुआ है। इस नदी की लम्बाई 724 कि.मी. है। ताप्ती नदी का तटीय मैदान बहुत सँकरा है। यह नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलकर मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। इसके

अतिरिक्त पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में माही (राजस्थान), साबरमती (गुजरात), पेरियार (तमिलनाडु, केरल) आदि हैं।

गोदावरी नदी- कुछ विद्वानों के अनुसार गोदावरी नदी का नामकरण तेलुगू भाषा के शब्द गोद से हुआ है। जिसका अर्थ मर्यादा होता है। दूसरा मत पुराणों में व्याख्यान है कि एक बार गौतम ऋषि के तप से भगवान् शिव प्रसन्न हुए और अपने एक बाल के प्रभाव से गङ्गा को प्रवाहित किया था। गङ्गाजल के स्पर्श से एक मृत गाय जीवित हो उठी, इसी कारण इसका नाम गोदावरी पड़ा था। गोदावरी नदी की गौतमी, वशिष्ठा, कौशिकी, आत्रेयी, वृद्ध गौतमी, तुल्या और भारद्वाजी ये सात धाराएँ (सहायक नदी) हैं। गोदावरी नदी का उल्लेख रामायण, महाभारत, ब्रह्मपुराण के अतिरिक्त पाणनि के सूत्र के वार्तिक में **'सङ्ख्याया नदी गोदावरिभ्यां च'** (5.4.75) में भी हुआ है। गोदावरी नदी नासिक के पास पश्चिमी घाट से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्रप्रदेश में प्रवाहित होती हुई बङ्गाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। इसकी कुल लम्बाई 1465 कि. मी. है। यह प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है। इसलिए इसे **दक्षिण की गङ्गा** कहते हैं। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ- वर्धा, मांजरा, वेणगङ्गा, पूर्णा आदि हैं।

इसे भी जानें-

- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 2016 ई. में नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए 'नमामि देवी नर्मदे' योजना प्रारम्भ की है।

महानदी- महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ में **सिहावा** नामक स्थान है। महानदी की कुल लम्बाई 860 कि.मी. है। इसी नदी पर हीरा कुण्ड बांध का निर्माण किया गया है। इस महानदी का अपवाह तन्त्र महाराष्ट्र छत्तीसगढ, झारखण्ड और ओडिशा में है। अन्त में महानदी बङ्गाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है।

कृष्णा नदी- कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से हुआ है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्रप्रदेश राज्यों में से प्रवाहित होती हुई, 1400 किमी की दूरी तय करते हुए, बङ्गाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कोयना, पञ्चगङ्गा, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, मूसी और तुंगभद्रा है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बाँध (तेलंगाना) और अलमाटी सागर बाँध (कर्नाटक) प्रमुख हैं।

कावेरी नदी- कावेरी नदी अपने उद्गम स्थल कुर्ग की ब्रह्मगिरि पहाडी से निकलकर लगभग 760 किमी बहती हुई, तमिलनाडु राज्य के कुडलूर के निकट बङ्गाल की खाडी में विलुप्त हो जाती है। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी है। इस नदी पर भारत का दूसरा सबसे

बड़ा जलप्रपात '**शिवसमुन्दरम्**' है, जिससे जल विद्युत का उत्पादन कर कोलार की स्वर्ण खानों के लिए विद्युत आपूर्ति की जाती है।

झील- पृथिवी के धरातल पर स्थित ऐसे प्राकृतिक गड्ढे, जो जल से भरे हुए हों, झील कहलाते हैं। भारत में आकार व लक्षणों के आधार पर अनेक प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, जैसे अन्तर्देशीय अप्रवाह वाली अर्द्ध शुष्क झील, जो हिमानियों से निर्मित होती हैं। जबकि कुछ झीलों का निर्माण नदी अपवाह, वायु और मानवीय गतिविधियों के कारण हुआ है। जब नदी V आकार की घाटी से आगे बढ़ती है, तो अपरदन के कारण '**गौखुर झील**' का निर्माण करती है। इन रोधिकाओं को तटीय भू- भाग में '**लैगून**' कहते हैं। चिल्का (चिल्लिका) झील (उड़ीसा), पुलीकट (तमिलनाडु), कोलेरू (आन्ध्रप्रदेश) झील आदि इसके उदाहरण हैं। अन्तर्देशीय भागों में स्थित झीलें मौसमी होती हैं। सांभर झील (राजस्थान) खारे जल की भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसके जल का उपयोग नमक उत्पादन में होता है। भारत में मीठे जल की अधिकतर झीलें का निर्माण हिमालयी क्षेत्र में बर्फ के पिघलने से हुआ है। '**वूलर झील**' (कश्मीर) मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। इसका निर्माण भू-गर्भीय क्रियाओं से हुआ है। भीमताल, नैनीताल, लोकताल आदि मीठे जल की प्रमुख झीलें हैं। इसके अतिरिक्त नदियों पर बाँध बनाने से झीलों का निर्माण हो जाता है, जैसे- गुरू गोविन्द सागर (भाखड़ा नाँगल परियोजना), जयसमंद झील (राजस्थान) आदि।

मानव जीवन में झीलों का अत्यधिक महत्व है। झीलों से जल विद्युत उत्पादन, सिञ्चाई, जल बहाव का नियन्त्रण, जलीय पारितन्त्र का संतुलन आदि अनेक मानव उपयोगी कार्य होते हैं। इसके अतिरिक्त झीलों की प्राकृतिक सुन्दरता पर्यटन और मनोरंजन प्रदान करती है। जैसे- कश्मीर की डल झील, उदयपुर की पिछोला झील आदि।

नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व- मानव सभ्यता के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन समय में नदियों के किनारे बसने वाले स्थान आज शहरों के रूप में विकसित हो गए हैं। नदियों के मैदान अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान करते हैं। हमारे देश की अधिकांश जनसङ्ख्या कृषि पर निर्भर है। इन नदियों के किनारे स्थित शहरों, घाटों, दार्शनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों

इसे भी जानें-

- बड़े आकार वाली झीलों को सागर भी कहा जाता है, जैसे- केस्पियन सागर, अरब सागर और मृत सागर आदि।
- भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जोग है, जो शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में है।
- राजस्थान के उदयपुर शहर को झीलों की नगरी कहते हैं।

को देखने के लिए पर्यटक आते हैं, जिससे हम आर्थिक रूप से लाभान्वित होते हैं। ऋषिकेश की नौका सञ्चालन (राफ्टिंग), वाराणसी के घाटों की गङ्गा आरती, कुंभ एवं अन्य सांस्कृतिक मेलों के आयोजन आदि वृहद रूप से पर्यटन क्षेत्र एवं अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत परियोजनाओं को साकार करने में भी नदियों एवं झीलों का महत्वपूर्ण योगदान हैं।

नदी प्रदूषण- मानव प्राचीनकाल से ही नदी के जल का उपभोग कर रहा है। परन्तु सभ्यता के विकास क्रम में उसने नदी जल का औद्योगिक, कृषि और घरेलु आदि क्षेत्रों में अत्यधिक दोहन किया है, जिससे इनकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट, अपरिष्कृत कचरे और मानवीय मलमूत्र के नदियों में मिलने से आज नदी (जल) प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। बढ़ते नगरीकरण ने भी प्रदूषण के स्तर को बढ़ाया है। आज अधिकांश नदियों का जल पीने योग्य नहीं है। सरकार ने नदी प्रदूषण की समस्या का निराकरण करने के लिए केन्द्र व राज्य स्तर पर अनेक योजनाएँ चलाई हैं। उनमें राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (1985 ई.), नमामि गंगे योजना (2015 ई.), नमामि नर्मदे योजना (2016 ई.) आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त जल प्रदूषण से बचने के लिए हमें जागरूकता पूर्वक जल का संरक्षण करना चाहिए ।

वैदिक वाङ्मय में नदियों एवं जलराशियों की अवधारणा- प्राचीन भारतीय संस्कृति में जल को जीवन माना गया है अर्थात् '**जलमेव जीवनम**'। वैदिक श्रुतियों में जल स्त्रोतों, जल का समस्त जीवों के लिए महत्व और जल की गुणवत्ता तथा संरक्षण पर अधिक बल दिया गया है। वेदों में जल को औषधीय गुणयुक्त माना है। ब्रह्माण्ड में जितने भी प्रकार का जल है उसका हमें संरक्षण करना चाहिए। नदियों के जल को सर्वाधिक संरक्षणीय माना गया है। क्योंकि इनका जल कृषि में प्रयुक्त होता है, जिससे प्राणीमात्र का जीवन चलता है। नदियों का बहता जल शुद्ध होता है। इसलिए इनको प्रदूषित नहीं करना चाहिए। अथर्व वेद में सप्त सैन्धव **नदियों** का वर्णन है। ये नदियाँ सिन्धु, विपाशा(व्यास), शतुद्रि (सतलुज), वितस्ता (झेलम), असिक्नी (चिनाव), परूषणी (रावी) और सरस्वती हैं, जो सप्त सैन्धव देश में प्रवाहित होती हैं। वेदों में जल और **नदियों** के प्रति श्रद्धापूर्ण संकेत हैं और उन्हें वैदिक शक्ति की अभिव्यक्ति एवं पूजा योग्य माना गया है। ऋग्वेद के प्रसिद्ध **नदी सूक्त** में नदियों को माता के समान मान कर उनसे प्रार्थना की गई है- "**ता अस्मभ्यं पयसा पिन्वमाना शिवा देवीरशिपदा भवन्तु सर्वा नद्यो अशिमिदा भवन्तु॥**" (7.50.4) अर्थात् नदियाँ जल का वहन करती हुई, सभी जीवों को तृप्त करती हैं, ये भोजनादि प्रदान करती हैं और आनन्द को बढ़ाने वाली तथा अन्नादि वनस्पति से प्रेम करने वाली हैं। ऋग्वेद में उल्लेख है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को बलिष्ठ बनाने का प्रयत्न करती है। उसी प्रकार जल भी हमारे लिए घृत के समान होता है, जिससे हम शक्तिशाली और उत्तम बनते हैं। इसलिए जल जिस रूप में हो उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। "**आपो अस्मान् मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्वः**

पुनन्तु।"(10.17.10) अथर्ववेद में भी उल्लेख है कि "**शिवा न सन्तु वार्षिकी:।**" अर्थात् वर्षा जल हमारे लिए लोक कल्याणकारी होता है। अत: इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।अथर्ववेद के अनुसार मित्र और वरूण वर्षा के देवता हैं। इनके मिलने से ही जल की उत्पत्ति होती है। मित्र और वरूण क्रमश: ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के वाचक हैं। ऋग्वेद में एक ऋषि का कथन है कि "**अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषज मपामुत प्रशस्त्ये देवा भवत वाजिन:।**" (1.23.19) अर्थात् हे मानव! अमृत तुल्य तथा गुणकारी जल का सही उपयोग कर जल की स्तुति और प्रशंसा के लिए हमेशा तैयार रहो। प्रवाहमान नदियों के विषय में शुक्लयजुर्वेद के निम्न मन्त्रों में उल्लेख है कि "**देवीरापो यो व उर्मि: इन्द्रियावान् मदिन्तम:।**" (6.27) अर्थात् हे दिव्य जल तुम्हारी लहर हर्षदायक और शक्तिप्रदाय हैं। प्रवाहमान जल को दिव्य जल की संज्ञा दी गई है, इसलिए प्रवाहित जल में स्नान करना सुखकर होता हैं। "**विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवी:।**" (**शु.य**. 4.2) दिव्य जल सभी मलों को नष्ट कर देता हैं। "**आपो मा हिंसी:**" (**शु.य**. 6.22) अर्थात् जल को दूषित न करो। "**स्वदन्तु देवीरमृता ऋतावृध:**" (**शु.य** 4.12) अर्थात् जल अमृत है और शक्तिवर्धक है और स्वादिष्ट है। इसी प्रकार अथर्ववेद में उल्लेख है कि "**दिवस्पृथिवीमभि ये सृजन्ति।**" (4.27.4) अर्थात् मरूत् समुद्री वाष्प को आकाश से पृथिवी पर बरसाते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व के 58वें अध्याय में भीष्म ने वृक्षारोपण, नदियों, जलाशयों आदि के निर्माण और महत्त्व के बारे में युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा है कि- "**अतीतनागते चोभे पितृवंशं च भारत। तारयेद वृक्षरोपी च तस्मात् वृक्षांश्च रोपयेत्॥**" अर्थात् हे युधिष्ठिर! वृक्षारोपण करने वाला व्यक्ति अतीत में जन्मे मनुष्यों और भविष्य में जन्म लेने वाली सन्तानों और अपने पितृवंश का तारण करता है। मनुस्मृति में भी **नदी वेगेन शुद्धयति** अर्थात् नदियों का बहने वाला जल शुद्ध होता है।

चित्र- 2.2 प्रदूषित नदी एवं स्वच्छ नदी

सारणी- 2.1

विश्व की प्रमुख नदियाँ

नदी	उद्गम स्थल	समापन स्थल	लम्बाई कि.मी.	अपवाह क्षेत्र
नील	विक्टोरिया	भूमध्य सागर	6650	युगान्डासूडान, मिश्र आदि ,
अमेजन	लैगो विलफेरो	अटलांटिक महासागर	6500	ब्राजीलइक्वा,डोरगुयाना आदि,
यांगसी	तिब्बत का पठार	चीन सागर	6300	चीन
नाइजर	गिनी	गिनी की खाडी	4180	नाइजरनाइजीरिया आदि ,
मीकांग	तिब्बत का पठार	दक्षिण चीन सागर	4350	चीन म्यांमार कम्बोडिया आदि
मिसीसिपी	इटास्का झील	मेक्सिको की खाडी	3730	सयुंक्त राज्य अमेरीका कनाडा आदि,
टाइग्रिस	तोरस	शैतिब अरब	1840	टर्की
ब्रह्मपुत्र	मानसरोवर झील	बङ्गाल की खाडी	2800	चीन और भारत
सिन्धु	सिन का बाव-	अरब सागर	2880	चीनभारत और पाकिस्तान ,
गङ्गा	गोमुख हिमानी	बङ्गाल की खाडी	2510	भारत
यमुना	यमुनोत्री	गङ्गा नदी	1376	भारत
सतलज	राक्षस ताल	चिनाब नदी	1450	भारत
डेन्यूब	ब्लैक फारेस्ट	काला सागर	2872	जर्मनी ,ऑस्ट्रिया आदि

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. गङ्गा नदी का उद्गम स्थल..... है।

   अ. गङ्गोत्री ब. यमुनोत्री स. मानसरोवर द. तिब्बत

2. गोदावरी नदी को अन्य.....के नाम से जाना जाता है।

   अ. उत्तर की गङ्गा ब. दक्षिण की गङ्गा स. पश्चिम की गङ्गा द. पूर्व की गङ्गा

3. अमरकण्टक ..... प्रमुख नदी का उद्गम स्थल है।

   अ. महानदी ब. नर्मदा नदी

   स. तुंगभद्रा नदी द. क्षिप्रा नदी

4. खारे जल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील ..... राज्य में है।

अ. मध्यप्रदेश　　ब. उडीसा

स. राजस्थान　　द. तमिलनाडु

5. भारत की प्रायद्वीपीय सबसे बड़ी नदी..... है।

अ. नर्मदा नदी　　ब. गोदावरी नदी

स. महानदी　　द. कृष्णा नदी

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. प्राचीन समय में विपाशा ..... को कहा जाता है। (चिनाब/व्यास)
2. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना ..... में शुरू की गई। (1985/1989)
3. पुलीकट झील ..... राज्य में स्थित है। (आन्ध्र प्रदेश/तमिलनाडु)
4. वेदों में जल को.....गुणयुक्त माना है। (औषधीय/ अऔषधीय)

सत्य/असत्य बताइए-

1. मानव सभ्यता के विकास में नदियों का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। (सत्य/असत्य)
2. शिव सुन्दरम् जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। (सत्य/असत्य)
3. सांभर झील, उडीसा में अवस्थित है। (सत्य/असत्य)
4. महानदी का उद्गम सिहावा, छत्तीसगढ़ से हुआ है (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. सिन्धु नदी	क. जनापाव की पहाड़िया (इन्दौर)
2. चम्बल	ख. सिहावा (छत्तीसगढ)
3. यमुना	ग. गङ्गोत्री
4. गङ्गा	घ. यमुनोत्री

अति लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. अपवाह तन्त्र किसे कहते हैं ?
2. भारतीय अपवाह तन्त्र को कितने भागों में विभाजित जाता है ?
3. झील किसे कहते हैं ?

4. गङ्गा नदी की लंबाई तथा उद्गम स्थल के साथ समाहित स्थल को लिखिए ?

5. प्रायद्वीपीय नदियाँ किन्हें कहा जाता है ?

7. 'नदी वेगेन शुद्धयति' किस ग्रंथ से लिया गया है ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. नदी प्रदूषण किस प्रकार होता है ?

2. हिमालयी नदियों का वर्णन कीजिए ।

3. अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम लिखिए।

4. नदियों से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

5. झीलों की विशेषताएँ लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. गङ्गा-ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तन्त्र का वर्णन कीजिए ।

2. वैदिक वाङ्मय में नदियों के महत्व पर प्रकाश डालिए।

परियोजना कार्य-

1. भारत के मानचित्र में प्रमुख नदी अपवाह क्षेत्र को दर्शाइए।

अध्याय - 3

जलवायु

इस अध्याय में- जलवायु, भारतीय जलवायु, जलवायवीय नियंत्रण, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारतीय मानसून, ऋतुएँ, भारत में वर्षा का वितरण और भारतीय एकता का परिचायक मानसून।

जलवायु - किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को जानने के लिए उस क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप, अपवाह तन्त्र और जलवायु आवश्यक तत्त्व होते हैं। किसी विशाल भू-भाग में लम्बी समयावधि (30 वर्ष से अधिक) की मौसम की अवस्थिति और भिन्नताओं के योग को **'जलवायु'** कहते हैं। मौसम के द्वारा ही विशेष समय में किसी क्षेत्र के वायुमण्डल की अवस्था का पता चलता है। मौसम एवं जलवायु के तत्त्व- तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता और वर्षा आदि समान होते हैं। हम जानते हैं कि एक दिन में मौसम कई बार बदलता है। परन्तु मौसम की अवस्था कई महिनों तक एक जैसी रहती है। इन महिनों की औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को हम ग्रीष्म/सर्दी या वर्षा ऋतुओं में वर्गीकृत करते हैं।किसी भी देश के भौगोलिक स्वरूप को जानने के लिये वहाँ की जलवायु का अध्ययन करना अति आवश्यक है।जलवायु किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों के अतिरिक्त वहाँ की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभ्यताओं को भी विशेष रूप से प्रभावित करती है।

भारतीय जलवायु- भारत की भौगोलिक भिन्नताओं के परिणामस्वरूप यहाँ जलवायु की भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ पाई जाती हैं। भारत की जलवायु मानसूनी है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के **'मौसिम'** शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मौसम होता है। एक वर्ष की अवधि के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना ही **'मानसून'** कहलाता है। सामान्य रूप से भारत की जलवायु में एकरूपता होते हुए भी क्षेत्रीय विभिन्नताएँ हैं। उदाहरण के लिए गर्मी के मौसम में जहाँ मरुस्थलों का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान 15-20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है।शीतकाल में द्रास व लद्दाख क्षेत्र का तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में तो रात-दिन के तापमान में बहुत अन्तर होता है, जैसे- राजस्थान के पश्चिमी भाग में दिन में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, तो रात में 15-20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसी प्रकार केरल और अंडमान निकोबार में दिन-रात का तापमान लगभग समान होता है। हमारे देश में वर्षा भी

समान नहीं होती है। उदाहरण के लिए मेघालय में करीव 400 सेमी वार्षिक वर्षा होती है, तो पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख क्षेत्र में 10 सेमी से कम वर्षा होती है।

जलवायवीय नियन्त्रण- किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक हैं- 1.अक्षांश 2.ऊँचाई. 3.वायुदाव और पवन तन्त्र 4. समुद्र से दूरी 5. महासागरीय धाराएँ 6. उच्चावच।

इसे भी जानें-

- राजस्थान में अत्यधिक गर्मी से बचाव हेतु घरों की दीवारें मोटी और वर्षा जल के संरक्षण के लिए छत चपटी बनाई जाती हैं।
- गोवा, मंगलौर और तराई क्षेत्रों में वर्षा अधिक होने के कारण घरों की छतें ढालदार बनाई जाती हैं।
- बाढ़ से बचाव के लिए असम में बाँस के ऊपर घर बनाये जाते हैं।

1. **अक्षांश-** पृथिवी की वृताकार स्थिति के कारण यहाँ प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अंक्षाशों पर भिन्न-भिन्न होती है, जिसके कारण तापमान विषुवत वृत से ध्रुवों की ओर घटता है।
2. **ऊँचाई-** पृथिवी की सतह से ऊँचाई की ओर जाने पर वायु मण्डल की सघनता में कमी होने के कारण तापमान भी घट जाता है, इसलिए पहाड़ियाँ ग्रीष्म ऋतु में भी ठण्डी होती हैं।
3. **वायुदाव और पवन तन्त्र-** किसी क्षेत्र का वायुदाब और पवन तन्त्र वहाँ के अक्षांश तथा ऊँचाई पर निर्भर करता है। अत: यह तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है।
4. **समुद्र से दूरी-** समुद्र का जलवायु पर प्रभाव समान होता है, जैसे-जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, यह प्रभाव भी कम होता जाता है।
5. **महासागरीय धाराएँ-** समुद्र से तट की ओर चलने वाली मौसमीय हवाएँ को **'महासागरीय धाराएँ** कहते हैं। ये धाराएँ तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। कोई भी तटीय क्षेत्र जहां समुद्र में गर्म व ठण्डी जलधाराएँ बहती हैं और वायु की दिशा भी तट की ओर प्रवाहित हो, तो वह क्षेत्र समुद्री धारा के अनुसार गर्म या ठण्डा होगा।
6. **उच्चावच-** उच्चावच किसी क्षेत्र की जलवायु निर्धारण में उच्चावच की भूमिका प्रमुख होती है। ऊँची पर्वतमालाओं से ठण्डी या गर्म वायु में अवरोध होता है। उच्च पर्वतीय स्थिति के कारण वहाँ वर्षा होती है। परन्तु इसके विपरीत ढाल पर सूखा पड़ता है।

भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक- भारत की जलवायु को निम्न कारक प्रभावित करते हैं-

1. **अक्षांशीय स्थिति-** भारत एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। अत: भारत की इस विशिष्ट स्थिति के कारण दक्षिणी भाग में उष्ण कटिबन्धीय जलवायु और उत्तरी भाग में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है।

2. **ऊँचाई-** भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत स्थित है, जो शीत ऋतु में उत्तर दिशा से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोककर भारत को ठण्ड से बचाता है। इस पर्वत के कारण ही भारत में मध्य एशिया की तुलना में कम सर्दी पड़ती है।
3. **वायुदाब और पवन-** भारत में मौसमी अवस्था व जलवायु, तीन वायुमंडलीय स्थितियों से प्रभावित होती है- 1.धरातलीय पवनें और वायुदाब 2. ऊपरी वायु परिसंचरण 3. पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात।

भारत में उत्तरी गोलार्द्ध में उत्पन्न होने वाली उत्तरी-पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। ये शुष्क पवनें दक्षिण की ओर बहती हैं। परन्तु **'कोरिआलिस बल'** के कारण निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बहती हैं। इस प्रकार भारत को शुष्क प्रदेश होना चाहिए परन्तु भारत का वायुदाब व पवन तन्त्र असाधारण होने के कारण सर्दी की ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च वायुदाब होता है, इसलिए इस क्षेत्र की ठण्डी हवाएँ दक्षिण में निम्न दाब होने के कारण महासागरीय क्षेत्रों में बहती हैं। गर्मी के मौसम में निम्न दाब उत्तरी-पूर्वी भारत के ऊपर होता है, जिससे इन दिनों में वायु की दिशा बदल जाती है और इस समय हवा का उच्च दाब हिंद महासागर में होता है इसलिए हवा विषुवत् वृत को पार कर भारत में स्थित निम्न दाब की ओर बहती है। इन्हें **'दक्षिण-पश्चिम मानसूनी पवन,** कहते हैं। इन पवनों से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। इस पवन के प्रवाह का एक घटक (जेट धाराएँ) होती हैं।

> **इसे भी जानें-**
> - पृथिवी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को 'कोरिआलिस बल' या फेरेल का नियम कहते हैं।

4. **जेट स्ट्रीम पवनें (जेट-धाराएँ)-** 27-30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में स्थित वायु धाराओं को **'उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएँ'** कहते हैं। ये पवनें ग्रीष्म ऋतु को छोडकर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। इसी प्रवाह के कारण देश के उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम भाग में विक्षोभ आते हैं। यहीं धाराएँ ग्रीष्म कालीन मानसून का कारक होती हैं।

भारतीय मानसून- हमारे वैदिक वाङ्मय में सूर्य की उष्णता से तापक्रम में वृद्धि होने से उसको शान्त एवं सुखद करने की प्रार्थना का उल्लेख ऋग्वेद की इन ऋचाओं में है- **करच्छं नस्तपतु सूर्यः शं वातो वात्वरपा अप स्त्रिधः।** (8.18.9) **तथा नेत् त्वां स्तेनं यथा रिपुं तपाति सूरो अर्चिषा।** (5.79.9) तापमान के अतिरिक्त हवा और वर्षा का जलवायु में महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। मरुद्गणों के रूप में पवनों या वायु का प्रभाव एवं स्वरूप व्यक्त कर, उनके महत्त्व को वर्षा आदि में प्रतिपादित किया गया है। मरुतों की गर्जनाशील व वर्षणशील विशेषताओं का उल्लेख ऋग्वेद हुआ है- **"वपन्ति मरुतो मिहं प्र वेपयन्ति**

पर्वतान्। यद यामं यान्ति वायुभि:। (8.7.4) तं वर्धयन्तो मतिभि: शिवाभि: सिंहभिव नानदतं सधस्थे।"(10.67.9) इसके अतिरिक्त तीन प्रकार के मेघों के साथ तीन प्रकार की वृष्टि का उल्लेख हुआ है- "**स्तिस्रो द्यावस्त्रेधा सस्रुराप: त्रय: कोशास उपसेचनासो।" (ऋग्वेद-** 7.101.4)

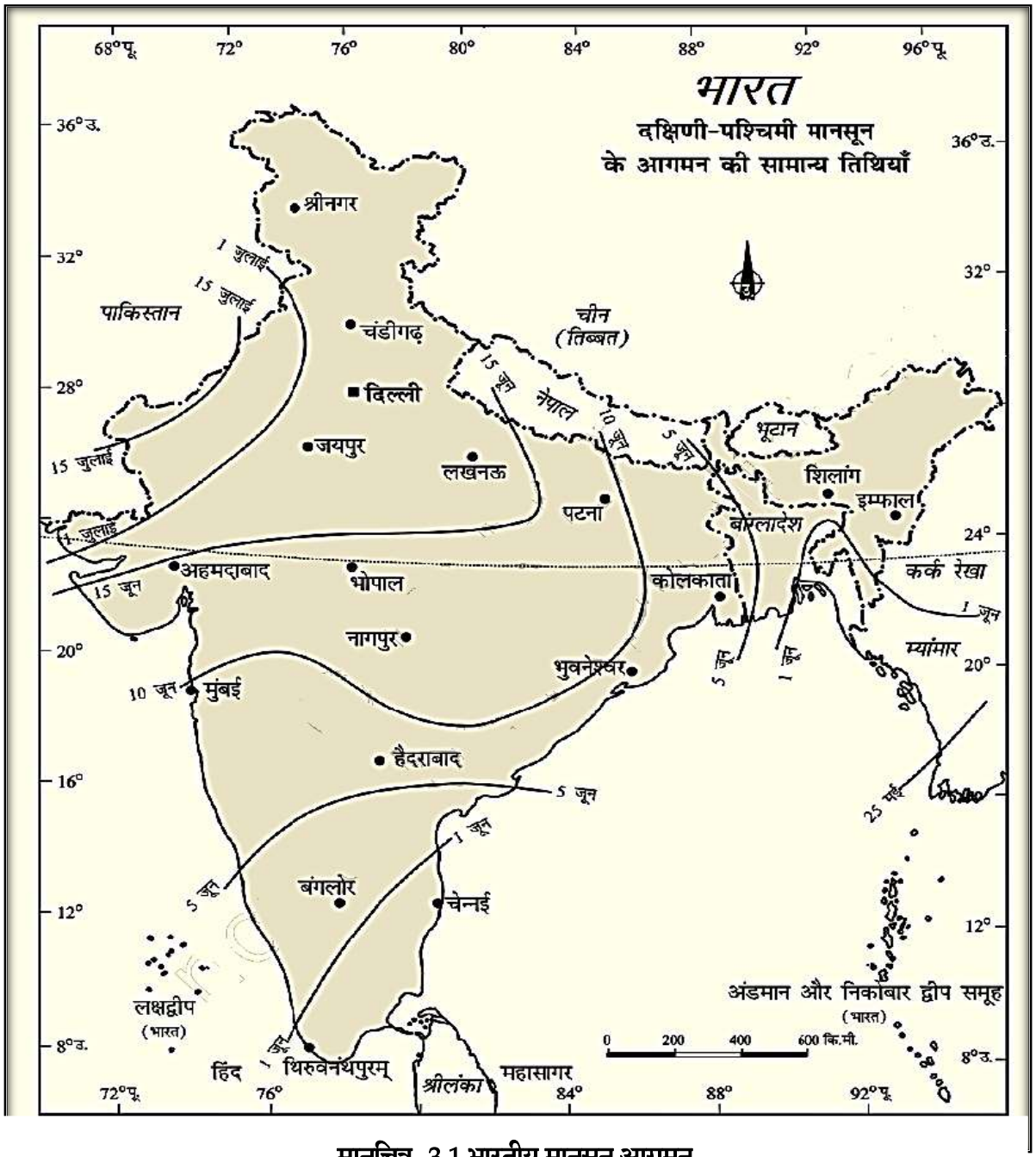

मानचित्र- 3.1 भारतीय मानसून आगमन

भारत की जलवायु दो मौसमी हवाओं से उत्तर-पूर्वी मानसून और दक्षिण-पश्चिमी मानसून प्रभावित होती है । उत्तर-पूर्वी मानसून को आमतौर पर शीतकालीन मानसून कहा जाता है, जिसमें हवाएँ जमीन से समुद्र की ओर चलती हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून ग्रीष्मकालीन मानसून है, जिसमें हवाएँ

हिंद महासागर, अरब सागर और बङ्गाल की खाड़ी से होते हुए धरातल की ओर बहती हैं। दक्षिण-पश्चिमी मानसून से देश में सर्वाधिक वर्षा होती है।

मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती हैं। इनकी प्रकृति स्पन्दमान होती है। इसके आगमन से अचानक अत्यधिक वर्षा लगातार कई दिनों तक होती रहती है, जिसे मानसून का फटना कहते हैं। भारत में मानसून का आगमन जून माह के प्रथम सप्ताह में भारत के दक्षिण छोर (केरल) से होता है। पश्चात में यह दो भागों अरब सागर और बङ्गाल की खाड़ी शाखा में विभाजित हो जाता है। अरब सागर से उठने वाला मानसून 10 जून के आस-पास मुम्बई पहुँचता है और बङ्गाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून उस समय असम तक तीव्र गति से पहुँचता है। उच्च पर्वतमालाओं के कारण मानसून की हवाएँ पश्चिम की ओर मुड़कर गङ्गा- यमुना के मैदानों में वृष्टि करती हैं। जून माह के अन्त तक अरब सागर मानसून की शाखा राजस्थान और गुजरात में वर्षा करती है। भारत में मानसून की अवधि जून से सितम्बर माह (100-120 दिन) तक होती है।इसके पश्चात क्रमिक रूप से मानसून की वापसी होती है।यह मानसून मध्य अक्टूबर तक प्रायद्वीपीय क्षेत्र के उत्तरी भाग से तथा दिसम्बर माह के प्रारम्भ तक दक्षिण भाग से भी लौट जाता है।

ऋतुएँ- हमारे वैदिक वाङ्मय के अनुसार ऋतुओं की सङ्ख्या छः मानी गयी है- वसन्त, ग्रीष्म,वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर। "**पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम्। अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे षळर आहुरर्पितम्॥ (ऋग्वेद**" 1.164.12) इस मन्त्र में 10/12 महीने का वर्ष मानकर 5/6 ऋतुएँ बताई गई हैं। परन्तु जलवायु के आधार पर भारत में मुख्यतः चार ऋतु मानी गई हैं-1. शीत 2.ग्रीष्म 3.वर्षा ऋतु (मानसून आगमन) 4.वर्षा ऋतु (मानसून वापसी)। यह एक वर्ष में घटित होने वाले छोटे-छोटे कालखण्ड हैं, जिनमें मौसम की दशाएँ विशेष प्रकार की होती है। ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण पृथिवी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण तथा पृथिवी का अक्षीय झुकाव है। इस प्रकार ऋतु चक्र निरन्तर चलता रहता है।

1. **शीत ऋतु-** शीत ऋतु का काल मध्य नवम्बर से फरवरी तक माना जाता है। इस समय सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है। इस कारण उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित भारत का तापमान कम हो जाता है। इस ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाला शीतोष्ण चक्रवात '**पश्चिम जेट स्ट्रीम**' के सहारे भारत में प्रवेश करता है, जिसे '**पश्चिमी विक्षोभ**' कहते हैं। यह पञ्जाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में वर्षा करता है, जिसे 'मावट' भी कहते हैं। यह वर्षा रबी की फसल के लिए उपयोगी है।

2. **ग्रीष्म ऋतु-** यह ऋतु मार्च से मई माह तक रहती है। इस समय भारत में तापमान बढ़ोत्तरी होती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर तथा उत्तर-पश्चिमी भारत में दिन के समय तेज, गर्म एवं शुष्क हवाएँ चलती है, जिन्हें राजस्थान में **'लू'** कहा जाता है। मई माह में तापमान 45 डिग्री सेन्टिग्रेड तक होता है। इस ऋतु में शुष्क एवं गर्म पवन जब समुद्री आर्द्र पवनों से मिलती है, तो उन स्थानों पर प्रचण्ड तूफान

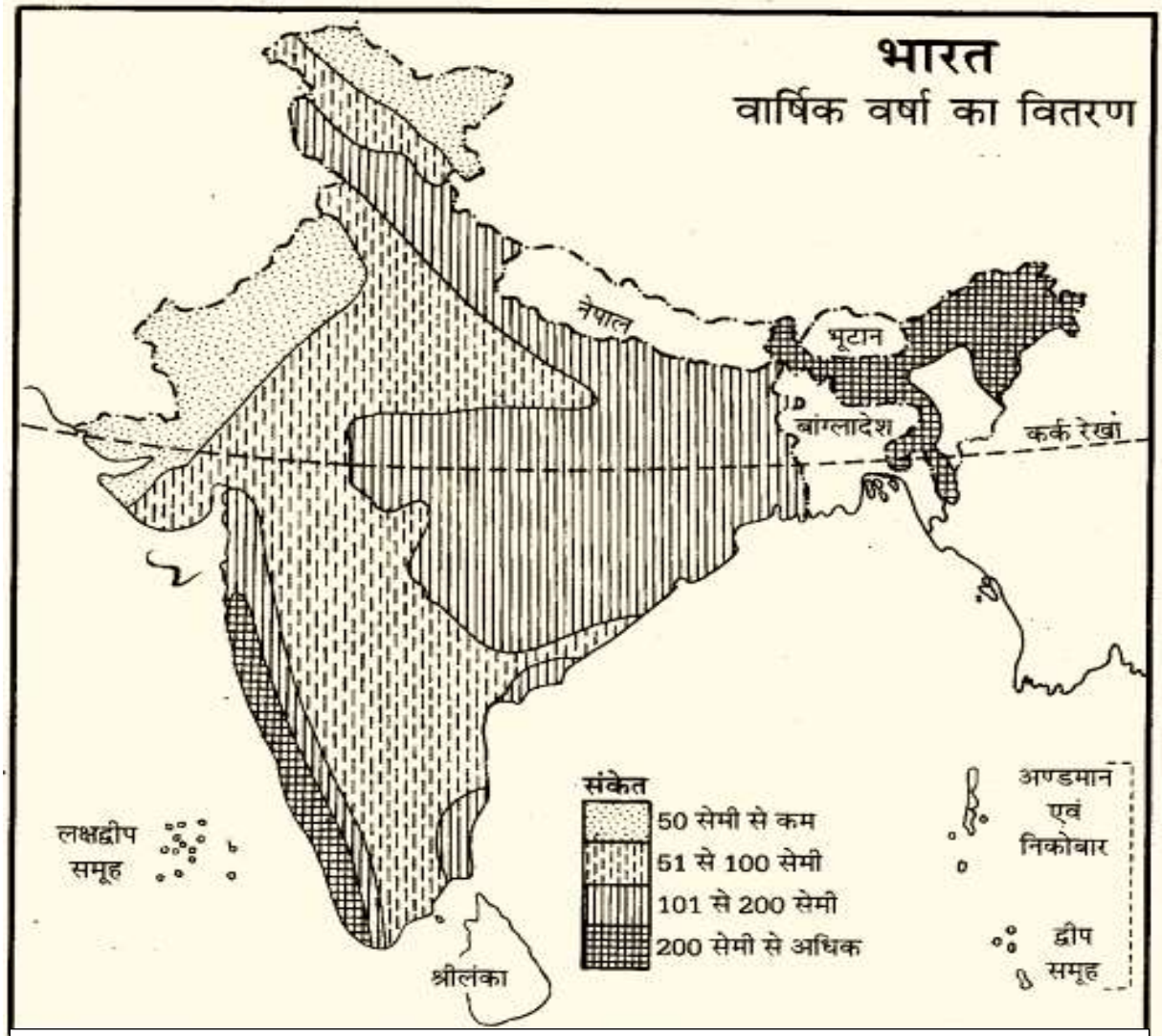

मानचित्र- 3.2 भारत में वार्षिक वर्षा

की उत्पत्ति होती है, जिसे **मानसूनी चक्रवात** कहते हैं।

3. **वर्षा ऋतु (मानसून आगमन)-** भारत के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में बढ़ते तापमान के फलस्वरूप शीत ऋतुकालीन उच्च वायुदाब इस समय अत्यन्त निम्न वायुदाब में परिवर्तित हो जाता है, जिसके प्रभाव से बङ्गाल की खाड़ी और अरब सागर की वायु आर्द्र होकर दक्षिण गोलार्द्ध की ओर से आने वाली व्यापारिक पवनों के साथ मिलकर मानसून का निर्माण करती हैं। यह मानसून दक्षिण से उत्तर की ओर बढता हुआ जून के प्रथम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक देश के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा

का कारक बनता है। भारत में इस मानसून का एक भाग जो अरब सागर वाला निम्न वायुदाब प्रायद्वीपीय भागों में वर्षा करता है, दूसरा भाग बङ्गाल की खाडी का निम्न वायुदाब गङ्गा के मैदान में वर्षा करता है। इसकी एक शाखा म्यामांर, थाईलैंड और भारत के उत्तर पूर्वी भागों में वर्षा करती है।

सारणी 3.1

क्र.	वर्षा के क्षेत्र	औसत वर्षा
1.	केरल, गोवा, तटीय, कर्नाटक तटीय महाराष्ट्र, असम, मेघालय पूर्वी हिमालय	इन क्षेत्रों में 200 से.मी. से अधिक वर्षा होती है ।(अधिक वर्षा वाले क्षेत्र)
2.	बिहार, झारखण्ड, उडीसा पूर्वी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बङ्गाल	औसत वर्षा 100 से.मी. से 200 से. मी.। (मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र)
3.	मध्यप्रदेश, पश्चिमी उत्तरप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पञ्जाब, हरियाणा	औसत वर्षा 50 से 100 से.मी.। (साधारण वर्षा वाले क्षेत्र)
4.	राजस्थान, लद्दाख का पठार तथा दक्षिणी पठार का वृष्टि	औसत वर्षा 50 से.मी. तक या इससे भी कम (अल्प वर्षा वाले क्षेत्र)

4. **वर्षा (मानसून वापसी) ऋतु** - मानसून के निवर्तन का प्रारम्भ सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह से होने लगता है। मानसून सर्वप्रथम उत्तर-पश्चिमी भारत से वापस लौटने लगता है। मध्य सितम्बर तक यह राजस्थान, उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश, पञ्जाब, हरियाणा आदि राज्यों से वापस लौट जाता है। मध्य अक्टुबर तक सम्पूर्ण उत्तरी भारत और नवंबर के अन्त तक सम्पूर्ण भारत मानसून के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, लेकिन तमिलनाडु के तटीय इलाकों में अपवादस्वरूप लौटते हुए मानसून से व्यापक वर्षा होती है तथापि भारत का शेष भाग शुष्क रहता है। इसका कारण तमिलनाडु के तटीय इलाकों का दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाओं के समानांतर होना माना गया है। इस ऋतु में आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है तथा रात्री ठण्डी और सुहावनी होती है।

इसे भी जानें-

- विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है, जो भारत के मेघालय राज्य में है।

भारत में वर्षा का वितरण- भारत में सम्पूर्ण वर्षा का 75 % दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा ऋतु में, 10% ग्रीष्म ऋतु में, 13% मानसून वापसी की ऋतु में तथा 2% वर्षा शीत काल में होती है। भारत में वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 105 से.मी. है।वार्षिक वर्षा के आधार पर भारत वर्ष को चार भागों विभाजित जा सकता है-

भारतीय एकता का परिचायक मानसून- वर्षा की अनिश्चितता और उसकी असमानता मानसून की मुख्य विशेषता है। सम्पूर्ण भारत में प्राणीमात्र और वनस्पतियों के जीवन चक्र को निर्धारित करने में मानसून की अत्यन्त आवश्यकता है। हमारा कृषि चक्र, जीवन, त्यौहार उत्सव आदि सभी मानसून से अत्यधिक प्रभावित हैं। हम सभी मानसून आगमन का बेसब्री से इन्तजार करते हैं। इसके द्वारा ही यहाँ वर्षा होती है, जिससे हमारी नदियाँ कलकल की ध्वनि करती हुई बहती हैं। हमारा कृषि उत्पादन बढने से सम्पूर्ण देश में खुशहाली आती है और राष्ट्रीय एकता की भावना एक सूत्र में बंधती है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. भारत की जलवायु .....प्रकार की है।
   अ. मौसमी ब. मानसूनी स. चक्रवाती द. व्यापारिक
2. विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र..... है।
   अ. शिमला ब. मासिनराम स. सिलचर द.गुवाहाटी
3. भारत में सर्वप्रथम मानसून ..... राज्य में आता है।
   अ. असम ब. छत्तीसगढ़ स. आन्ध्र प्रदेश द. केरल
4. भारत में मानसून का समय ..... होता है।
   अ. जनवरी-मार्च ब. अक्टूबर-नवम्बर स. जून-सितम्बर द. मार्च-मई

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. भारत में सम्पूर्ण वर्षा का ..... दक्षिण-पश्चिमी मानसून से होता है। (50%/75%)
2. बिहार ..... वर्षा क्षेत्र में आता है। (औसत/अधिक)
3. मानसूनी पवनें ..... होती है। (नियमित/अनियमित)
4. अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत.....होता है।(200 से.मी./250 से.मी.)

सत्य/असत्य बताइए-

1. मरुस्थलीय क्षेत्रों में गर्मी में तापमान 50^0 तक हो जाता है। (सत्य/असत्य)
2. जलवायु के आधार पर ऋतुओं को 5 भागों में विभाजित गया है। (सत्य/असत्य)
3. मानसून का अर्थ है - ऋतु अनुसार हवाओं का चलना। (सत्य/असत्य)
4. नदियाँ कलकल की ध्वनि करती हुई बहती हैं। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. शीत ऋतु	क. जून से जुलाई
2. ग्रीष्म ऋतु	ख. मध्य नवम्बर से फरवरी
3. मानसून आगमन	ग. मार्च से मई
4. मानसून वापसी	घ. सितम्बर से नवम्बर

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. जेट धाराएँ क्या है ?
2. मानसून से क्या आशय है ?
3. भारतीय ऋतुओं के नाम लिखिए ?
4. भारत में जलवायु के आधार पर कितनी ऋतुएँ होती हैं ?
5. मानसूनी चक्रवात किसे कहते हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. पश्चिमी विक्षोभ से आप क्या समझते हैं ?
2. जलवायु किसे कहते हैं ?
3. हिमालय पर्वत की भारतीय जलवायु के सन्दर्भ में उपयोगिता को समझाइए।
4. उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले गर्म हवाओं के बारे समझाइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत की जल वायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।
2. जलवायु के आधार पर भारतीय ऋतुएँ का वर्णन कीजिए।

परियोजना कार्य-

1. भारत के विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों की ऋतु अनुसार वेशभूषा के चित्र इकट्ठा कीजिए।

अध्याय-4

भारत में कृषि

इस अध्याय में- कृषि की प्राचीनता, आधुनिक युग में कृषि, कृषि का वर्गीकरण, फसल, फसलों का वर्गीकरण, भारत की प्रमुख फसलें और कृषि का महत्त्व।

भारत प्राचीनकाल से ही ग्रामीण सभ्यता एवं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। वैदिक वाङ्मय में अनेक सूक्तों एवं मन्त्रों में कृषि कर्म का उल्लेख आया है। पशुओं और लोगों के भोजन और आजीविका का प्रमुख साधन कृषि को बताया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही जीवों की उदर पूर्ति के लिए भोजन की समस्या उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस समस्या के निवारण के लिए **'कृषि'** का आविष्कार हुआ।

कृषि की प्राचीनता- कृषि के द्वारा ही अन्न की प्राप्ति होती है। ऋग्वेद में उपदेशित किया गया है - **"अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमित् कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः।"** (10.34.13) अर्थात् हे मानव! जुआ खेलना छोड़कर, खेती की कला सीखनी चाहिए। वेदों में कृषि कार्य को गौरवपूर्ण कार्य बताया गया है। अथर्ववेद में उल्लेख है कि अन्न ही सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, और भागवत व ब्रह्माण्ड आदि पुराणों से ज्ञात होता है कि राजा पृथु कृषि के जनक हैं। अथर्ववेद में संकेत किया गया है- **"तां पृथी वैन्यो ऽधोक्तां कृषिं च सस्यं चाधोक।"** (8.10.42) अर्थात् राजा पृथु ने सर्वप्रथम कृषि विद्या के द्वारा अन्नों के उत्पादन का रहस्य ज्ञात किया था। वैदिक वाङ्मय में विद्वानों और तत्त्ववेत्ताओं द्वारा खेती करने की जानकारी प्राप्त होती है। अथर्ववेद के कृषि सूक्त में धरती माता से प्रार्थना की जाती है कि, हे भूमि! 'हम सब तुझे प्राप्त करके, जो कृषि कर रहे हैं वह दीर्घ आयुष्य, तेज, क्षेम अर्थात् सुख, पुष्टि और धन प्राप्त करने के लिए है।' कृषि के द्वारा प्राप्त अन्न से हमें सब प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो ऐसी कामना की गई है।

वेद में विहित कृषि पद्धति से की जाने वाली पारंपरिक कृषि में मिट्टी और उत्पाद की गुणवत्ता भी बनी रहती थी। पारम्परिक दृष्टि से वैदिक पद्धति में निर्देशित खेती के विविध चरणों- जुताई, बुवाई, कटाई, कुटाई और मिट्टी को तैयार करने के लिये जुताई, समतलीकरण, खाद डालना इत्यादि का उपयोग वर्तमान में भी किया जाता है। वैदिक कृषि में खेती और गौ-पालन साथ साथ चलते हैं, जिसे आज हम 'मिश्रित कृषि' कहते हैं। वैदिक कृषि का वर्तमान स्वरूप ही जैविक कृषि है। इसमें गाय के गोबर, मूत्र और पौधों के अर्क को खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वैदिक पद्धति में प्रत्येक घर में गौपालन एवं

पंचगव्य आधारित कृषि का वर्णन है। गोबर और गोमूत्र युक्त खाद, पंचगव्यों का घर-घर में उत्पादन किया जाता था। ऋषि, मृदा की प्रकृति, क्षमता, संरचना को बेहतर समझते थे। **अथर्ववेद** में बताया गया है कि देवताओं ने जल से युक्त उत्तम भूमि में मधुर अन्न- जौ, चावल आदि की खेती की थी। वेदों में इन्द्र को **'सीरपति'** (हलों का रक्षक) और मरुतगणों को **'कीनाश'** (किसान) कहा गया है। उस समय कृषि कर्म द्वारा अन्नोत्पादन करके राष्ट्र व समाज को समृद्धि प्रदान करना प्रधान लक्ष्य था। इसी कारण वैदिक वाङ्मय में किसान की अन्नपति और क्षेत्रपति के रूप में स्तुति की गई है। महर्षि वशिष्ठ के पौत्र पराशर ऋषि कृत **'कृषि पराशर'** रचना काफी प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ में कृषि के सिद्धान्त, जैविक खेती और टिकाऊ खेती आदि का उल्लेख हुआ है। कृषि पराशर में बीजों के चयन, भण्डारण और उपचार पर ध्यान देने का निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त बारिश को योजन और अंगुल से मापने का वर्णन मिलता है- "**अथ जलाढक निर्णय: शतयोजनविस्तीर्णं त्रिंशद्योजनमुच्छरतम्। अधिकस्य भवेन्मानं मुनिभि: परिकीर्तित:॥**" अर्थात् पूर्व में ऋषियों द्वारा वर्षा का मापन की विधि निश्चित किया गया था। एक अंगुल चौड़ाई 1 द्रोण= 4 अढक= 6.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो वर्तमान वर्षा मापन में भी इतना ही आता है।

वैदिक वाङ्मय में अन्न और अन्नोत्पादन के अतिरिक्त विविध वृक्षों और फल, फूल, बिना फूल की वनस्पतियों, औषधियों और जड़ी-बूटियों का विस्तार से वर्णन मिलता है। "**षड्भवेन कृषति।**" (काठक संहिता 20.3) तथा "**इमं यवमष्टायोगै: षड्योगेभिरचर्कृषु:।**" (अथर्व. 6.91.1) वेदों में छः और आठ बैलों से चलने वाले हलों तथा अनेक प्रकार के कृषि यन्त्रों जैसे- कुदाल, बेलचा, फावड़ा और खुरपा आदि का वर्णन प्राप्त होता है। इन सबके लिए खनित्र (खेदने का औजार) शब्द का प्रयोग किया गया है। गौपालन भी वेद विहित कृषि का अभिन्न अङ्ग है। वेदों में गायों के संरक्षण और संवर्धन आदि का भी उल्लेख है। यजुर्वेद में गाय, नील गाय, ऊंट, भेड़, श्रभ (हाथी का बच्चा), भैंसा, दो पैर और चार पैर वाले पशुओं, घोड़े आदि की हत्या को निषेधित किया गया है।

चित्र 4.1- प्राचीन भारत में बैल व हल द्वारा कृषि

आधुनिक युग में कृषि- वर्तमान भारतीय कृषि व्यवस्था पारम्परिक कृषि के आधार पर विकसित हुई है। आज भी हमारे देश की लगभग 64% जनसङ्ख्या की आजीविका का साधन कृषि है। कृषि एवं सम्बन्धित उत्पादों का भारत के सकल घरेलू उत्पादों में लगभग 17.8% (2019-20 में) योगदान है। अतः भारत

की राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग कृषि क्षेत्रों से प्राप्त होता है। भौगोलिक दृष्टि से भारत उष्ण एवं समशीतोष्ण कटिबन्धों में स्थित है। यहाँ की भौतिक विविधता युक्त धरातलीय, जलवायु एवं मृदा संरचना कृषि वैविध्यता को प्रोत्साहित करती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, जिसके द्वारा हमारे लिए खाद्यान्न उत्पन्न किये जाते हैं। कृषि के द्वारा खाद्यान्न के अलावा उद्योगों को कच्चा माल भी उपलब्ध करवाया जाता है।

कृषि का वर्गीकरण- भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम एवं तकनीकी आधार पर कृषि को मुख्यतः तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

1. जीवन निर्वाह कृषि
2. गहन जीविका कृषि
3. वाणिज्यिक कृषि

1. **जीवन निर्वाह कृषि-** परिवार या समुदाय के सदस्यों द्वारा जीवन भरण-पोषण के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि को जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें मानव श्रम अधिक तथा मशीनी उपकरणों का न्यूनतम प्रयोग होता है। इसी का एक प्राचीन स्वरूप स्थानान्तरित कृषि है। यह मुख्य रूप से भूमि की प्राकृतिक उर्वरता एवं मानसून पर निर्भर होती है। वर्तमान में इसे असम, मेघालय, नागालैण्ड, मिजोरम में **'झूम'**, मणिपुर में **'पामलू'**, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में **'बालरा'** कृषि कहा जाता है। कृषि का यह प्रकार विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित है।
2. **गहन जीविका कृषि-** सघन आबादी वाले क्षेत्रों में बड़े भू-भाग पर की जाने वाली कृषि जिसमें गहन श्रम के साथ अधिक उत्पादन के लिए अधिक रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, उसे गहन जीविका कृषि कहते हैं। इस कृषि में पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि का बँटवारा होने के कारण कृषि भू-खण्ड का आकार छोटा होता जाता है। अतः यह कृषि लाभप्रद नहीं हो पाती है।
3. **वाणिज्यिक कृषि-** भारत के बड़े भू-भागों पर नकदी प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि को वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इस कृषि में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों एवं मशीनों का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। गन्ना, चाय, कॉफी, रबड़, कपास आदि वाणिज्यिक फसलें है।

फसल- फसल से तात्पर्य एक विस्तृत भू-भाग में पौधों का वह समूह, जो भोजन की आपूर्ति के साथ आर्थिक लाभ की दृष्टि से बडे पैमाने पर उत्पादित किया जाता है,**'फसल'** कहलाता है।

फसलों का वर्गीकरण- भारत में अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिनके वर्गीकरण के विभिन्न आधार हैं-

ऋतुओं के आधार पर फसलें- ऋतुओं के आधार पर फसलों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

1. **रबी की फसलें-** ये फसलें अक्टूबर-नवम्बर माह में बो कर मार्च-अप्रैल माह तक काट ली जाती हैं। रबी की प्रमुख फसलों में गेहूँ, चना, मटर, सरसों, धनिया आदि हैं।
2. **खरीफ की फसलें-** इन फसलों की बुआई जून-जुलाई माह में कर अक्टूबर-नवम्बर माह तक काट ली जाती हैं। खरीफ की प्रमुख फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, जूट, मूंगफली आदि हैं।

इसे भी जानें-

- भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर= 100 वर्गमीटर x 100 वर्गमीटर होता है।
- कृषि में उत्पादन के कारक भूमि, श्रम, भौतिक और मानव पूँजी होते हैं।
- भौतिक पूँजी को स्थायी (कृषि उपकरण) और कार्यशील पूँजी (कच्चा माल और नकद रूपये) में विभाजित किया जाता है।

3. **जायद की फसलें-** जायद की फसलों में मुख्यतः सब्जियों का उत्पादन होता है, जिनकी बुआई मार्च में जून में काट ली जाती हैं। जायद की प्रमुख फसलें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, जानवरों के चारे आदि हैं।

उपयोग के आधार पर फसलें- भारत में उपयोग के आधार पर फसलों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

1. **खाद्यान्न फसलें-** वे फसलें जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है, उन्हें खाद्यान्न फसल कहते हैं। जैसे- जौ, चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि।
2. **व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें-** वे फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उन्हें व्यवसायिक, औद्योगिक या मुद्रादायनी फसलें कहते हैं। जैसे- गन्ना, कपास, जूट, तम्बाकू, तिलहन आदि।

इसे भी जानें-

- एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने की प्रविधि को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं।
- कृषि में उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायनों को उर्वरक कहते हैं।
- भारत में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पञ्जाब में होता है।
- वनस्पतियों में पोषण और विकास के काम आने वाले जैव पदार्थों को जैविक खाद कहते हैं, इसका निर्माण जैव अपघटन से होता है।

3. **बागानी फसलें-** वे फसलें जिन्हें बड़े-बड़े बागानों में उत्पादित किया जाता है, उन्हें बागानी फसलें कहते हैं। जैसे- चाय, कॉफी, रबड़, गर्म मसाले, सिनकोना आदि।
4. **उद्यानी फसलें-** वे फसलें जिनका उत्पादन उद्यानों में किया जाता है, उन्हें उद्यानी फसलें कहते हैं। जैसे- फल, सब्जियाँ, फूल आदि।

भारत की प्रमुख फसलें- मिट्टी, जलवायु एवं कृषि पद्धति के अन्तर के कारण देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग फसलें उत्पादित की जाती हैं। भारत में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख फसलें निम्नलिखित हैं-

चावल- चावल हमारे देश की मुख्य खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में बोई जाती है। इस कारण यह खरीफ की मुख्य फसल है। भारत विश्व में 21% चावल उत्पादन के साथ चीन के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। भारत में चावल की फसल उष्णकटिबंधीय भागों में जहां उच्च तापमान (25^0 सेन्टीग्रेड से अधिक) और वर्षा 75 से 200 सेन्टीमीटर के मध्य होती हो, में की जाती है। मौसम के अनुसार चावल की तीन फसलें-अमन (मानसून कालीन) ओस (शीतकालीन) तथा बोरो (ग्रीष्म कालीन) उत्पादित की जाती है। देश के 86% चावल का उत्पादन अमन अर्थात् मानसून काल में होता है। देश में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पश्चिम बङ्गाल है। इसके अतिरिक्त आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, बिहार,असाम, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, महाराष्ट्र व पञ्जाब आदि में उत्पादित किया जाता है। वेदों में चावल (व्रीहि) की पाँच प्रजातियों- कृष्ण व्रीहि, आशु व्रीहि, महा व्रीहि, शुक्ल व्रीही और हायन का उल्लेख हुआ है।

गेहूँ- गेहूँ भारत की चावल के पश्चात दूसरी सबसे महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। गेहूँ उत्पादन में भारत का विश्व में चीन व अमेरिका के पश्चात तीसरा स्थान है। गेहूँ रबी की प्रमुख फसल है और देश की कुल कृषि योग्य भूमि की लगभग 10% भूमि पर गेहूँ की कृषि की जाती है। गेहूँ के लिए 20^0 सेन्टीग्रेड से 25^0 सेन्टीग्रेड तापमान तथा 50 से 75 सेन्टीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूँ उत्पादन में भारत में उत्तरप्रदेश प्रथम स्थान पर तथा पञ्जाब द्वितीय स्थान पर है। इसके अतिरिक्त हरियाणा, बिहार, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान गेहूँ उत्पादक प्रमुख राज्य हैं। भारत में हरित क्रान्ति का सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूँ उत्पादन पर ही पड़ा है, जिसके कारण देश वर्तमान में गेहूँ उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है। यजुर्वेद में गेहूँ के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग हुआ है यथा- **गोधूमाः परिवापस्य रूपम् ।**

ज्वार- उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से ज्वार तीसरी महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ज्वार की गिनती मोटे अन्न में होती है। ज्वार की फसल खरीफ की फसल है, जिसकी कृषि सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में बिना सिञ्चाई के जाती है। भारत में ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। इसके अलावा आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक तथा मध्यप्रदेश प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्य हैं।

मक्का- खाद्यान्न फसल के साथ औद्योगिक फसल भी है। भारत में मक्का का उपयोग प्रमुख खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। मक्का खरीफ की फसल है, जिसे 17वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था। मक्का की फसल के लिए 21^0 सेन्टीग्रेड से 27^0 सेन्टीग्रेड तापमान तथा 50 सें.मी. से 100 सेन्टीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। देश में मक्का उत्पादन में आन्ध्रप्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके

अतिरिक्त उत्तरप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, पञ्जाब, बिहार, कर्नाटक तथा हरियाणा प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य है।

बाजरा- बाजरे की गिनती भी मोटे अन्न में होती है। इसका उपयोग खाद्यान्न तथा चारे दोनों के लिए किया जाता है। बाजरे की कृषि गर्म तथा शुष्क जलवायु में मानसून काल में की जाती है। बाजरे की फसल के लिए 40 से 60 से.मी. वार्षिक वर्षा तथा 25^0 से.ग्रे. से 30^0 से.ग्रे. तापमान जरूरी है। बाजरा उत्पादन में देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है, जो देश के कुल बाजरे का 42% उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त पञ्जाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश भी बाजरा उत्पादक राज्य हैं।

जौ- जौ भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण खाद्यान्न व रबी की फसल है। भारत में उ. प्र. सबसे ज्यादा जौ उत्पादित करता है। इसके अलावा बिहार, राजस्थान, पञ्जाब, हरियाणा एवं मध्यप्रदेश में भी जौ उत्पादित किया जाता है। वैदिक वाङ्मय में जौ के लिए **'यव'** शब्द का का प्रयोग किया गया है।

दलहनी फसलें- जिन फसलों से दालें प्राप्त होती है, उन फसलों को दलहनी फसलें कहते हैं। विश्व में भारत दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा उत्पादक है। मूंग, मोठ, उड़द, अरहर आदि खरीफ के मौसम में तथा चना, मसूर, मटर आदि रबी के मौसम में उत्पादित की जाती हैं। भारत में दालों के उत्पादन में चने का मुख्य स्थान (लगभग एक-तिहाई) है। चना मुख्य रूप से उत्तरप्रदेश, पञ्जाब, हरियाणा, राजस्थान व पश्चिम बङ्गाल के मैदानी भागों में उत्पादित किया जाता है। चने के पश्चात अरहर दूसरी प्रमुख दलहनी फसल है। इसके उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। इसके अतिरिक्त उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश आदि राज्यों में भी अरहर का उत्पादन किया जाता है।

तिलहनी फसलें- वे फसलें जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है, उन्हें तिलहनी फसलें कहते हैं। विश्व में भारत, चीन के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है, जो विश्व के कुल तिलहन का 10% उत्पादन करता है। भारत में तिलहन की फसलें खरीफ तथा रबी दोनों मौसम में उत्पादित की जाती हैं। मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, अरण्डी, सोयाबीन आदि भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। भारत के कुल तिलहन उत्पादन में मूंगफली व सरसों का 80% हिस्सा है। राजस्थान का सरसों उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है, जो देश की 40% से अधिक सरसों उत्पादित करता है। उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, पञ्जाब तथा हरियाणा सरसों उत्पादक मुख्य राज्य है। मूंगफली उत्पादन में भारत में गुजरात का प्रथम स्थान है, जो देश की 85% मूंगफली उत्पादित करता है। आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा राजस्थान मूंगफली उत्पादक मुख्य राज्य हैं। मूंगफली ब्राजील मूल की फसल है।

गन्ना- भारत का विश्व में गन्ना उत्पादन में ब्राजील के पश्चात दूसरा स्थान है। भारत में गन्ने का उत्पादन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। गन्ना उत्पादन के लिए 21^0 सेन्टीग्रेड से 27^0 सेन्टीग्रेड तापमान तक 75 से 125 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में गन्ना उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से उत्तरी भारत तथा उत्पादन की दृष्टि से दक्षिणी भारत अग्रणी है। दक्षिण भारत की आर्द्र जलवायु गन्ने में रस की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे उत्पादन अधिक होता है। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तरप्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। उत्तरप्रदेश में देश का 35% गन्ना उत्पादित होता है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पञ्जाब, हरियाणा तथा राजस्थान मुख्य गन्ना उत्पादक राज्य है। गन्ना भारतीय मूल का पौधा है तथा यह एक वाणिज्यिक फसल है।

कपास- विश्व में भारत का कपास उत्पादन में तीसरा स्थान है। कपास की फसल के लिए 20^0 से 35^0 सेन्टीग्रेड तापमान 80 से 150 सेन्टीमीटर वार्षिक वर्षा तथा 210 दिन पाला रहित व खिली धूप की आवश्यकता होती है। भारत में कपास उत्पादन की दृष्टि से गुजरात का प्रथम, महाराष्ट्र का द्वितीय व आन्ध्रप्रदेश का तृतीय स्थान है। कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, पञ्जाब, हरियाणा व उत्तरप्रदेश भी मुख्य कपास उत्पादक राज्य है।

चाय- चाय एक महत्त्वपूर्ण बागानी फसल है, जिसका 1834 ई. में अंग्रेजों द्वारा भारत में परीक्षण की दृष्टि से उत्पादन किया गया था। चाय की फसल सुगम जल निकासी वाले ढलान वाले क्षेत्रों में जीवांश युक्त मिट्टी में उत्पादित की जाती है। चाय की कृषि के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तथा 25^0 सेन्टीग्रेड से 35^0 सेन्टीग्रेड तक के उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। समान रूप से होने वाली वर्षा की फुहारें चाय की पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। जल प्रिय पौधा होने के बावजूद, इसकी जड़ों में जल नहीं लगना चाहिए। इसलिए चाय की कृषि पहाड़ी ढालों पर की जाती है। विश्व में चाय उत्पादन में भारत का चीन के पश्चात दूसरा स्थान है।भारत में चाय उत्पादन की दृष्टि से असम का प्रथम स्थान है। पश्चिम बङ्गाल, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखण्ड, त्रिपुरा आदि चाय उत्पादक प्रमुख राज्य हैं।

कहवा (Coffee)- भारत में विश्व की केवल 2% कॉफी ही उत्पादित की जाती है। भारत में दो प्रकार की कॉफी उत्पादित की जाती है-

1. अरेबिका कॉफी 2. रोबस्टा कॉफी।

भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। इसका स्वाद उत्तम होने के कारण इसकी माँग विदेशों में अधिक रहती है। इसके लिए 15^0 सेन्टीग्रेड से 25^0 सेन्टीग्रेड तापमान तथा 150^0

सेन्टीमीटर से 250^0 सेन्टीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कर्नाटक में देश के कुल कॉफी उत्पादन का 68% भाग उत्पादित होने के कारण प्रथम स्थान पर है। इसके अतिरिक्त केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बङ्गाल उड़ीसा आदि कॉफी उत्पादक प्रमुख राज्य हैं।

रबर- भारत में रबर के पौधे सर्वप्रथम केरल में पेरियार नदी के किनारे लगाये गए थे। रबर, भूमध्यरेखीय क्षेत्र की फसल है किंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी पैदा की जा सकती है। रबर की कृषि के लिए 25^0 सेन्टीग्रेड से 32^0 सेन्टीग्रेड तापमान तथा 200 सेन्टीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी कृषि दक्षिण भारत में ही की जाती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि रबर उत्पादक प्रमुख राज्य है। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जिसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है।

सारणी- 4.1

कृषि उत्पाद में प्रवृति (मिलियन टन) कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, उत्पादन

देश में प्रमुख फसलों का अनुमानित (दूसरा अग्रिम अनुमान 22-2021)						
फसल	2021-22 (रिकॉर्ड)	21--2020	20-2019	19-2018	18-2017	08-2007
चावल	127.92	124.37	118.87	116.48	112.76	96.69
गेहूँ	111.32	109.59	107.86	103.60	99.87	78.57
दलहन	26.96	25.46	23.03	22.08	25.42	14.76
तिलहन	371.47	359.46	332.19	315.22	314.59	297.55
गन्ना	4140.44	4053.99	3705.00	4054.16	3799.05	3481.88

कृषि का महत्त्व- प्राचीनकाल से ही कृषि को समस्त ऐश्वर्यदायक, लोकोपकारक, जीवन हेतु अत्यावश्यक एवं उत्तम कार्य माना गया है। लोक कवि घाघ ने कहा है कि '**उत्तम खेती, मध्यम बान अधम चाकरी भीख निदान**' अर्थात् खेती को सर्वोत्तम काम माना गया है। व्यापार को मध्यम और नौकरी को नीच दर्जा दिया गया है। कृषि को मानव कल्याण का साधन माना गया है। कश्यप कृषि सूक्त में कृषि कर्म की स्तुति की गई है- "**यज्ञानामपि चाधार: प्राणिनां जीवदायकम्। कृषिकर्म प्रशंसन्ति मुनयो दिव्यचक्षुष:॥ नृपात् प्राप्तं स्वत:कीत सस्यक्षेत्रं तु मानवा:। संप्राप्य यत्नवन्तश्च कृषिकार्यकृतादरा:॥ देवानां च मुनीनांच ते मता: प्रीतिदायिन:। धनानमपि सर्वेषां कृषिरेव परं धनम्॥ परैरग्राह्यमादिष्टं सर्वश्लाघ्यं महाफलम्। देवानां प्रीतिजनक शुध्दद्रव्यप्रदायि तत्॥**" (235-238) अर्थात् प्राणियों के जीवन का आधार एवं जीवन देने

वाला कृषि यज्ञ है, जिसकी प्रशंषा दिव्य चक्षुषा मुनियों ने किया है। हे मानव! राजत्त्व को प्राप्त करने के लिए तुम स्वयं मृदा क्षेत्र का निर्माण करो। यत्नपूर्वक तुम कृषिकर्म को प्राप्त करो।ऐसे मत का प्रतिपादन देव और मुनियों ने भी किया है। धनों में सर्वोपरि कृषि कर्म से प्राप्त धन है। अत: कृषि कर्म सभी के लिए श्लाघनीय और महाफल देने वाला है। ऐसे जनक को देवता भी प्रीत और शुध्द द्रव्य प्रदान करते हैं।

यजुर्वेद में ऋषियों द्वारा राजा को निर्देशित किया गया है कि राजा का मुख्य कर्त्तव्य कृषि की उन्नति, जन कल्याण और धन-धान्य की वृद्धि करे। अथर्ववेद में कहा गया है कि हमारा राजा कृषि को विशेष रीति से बढ़ावे और ऐसे धान्यों के उत्पादन को बढावा दे, जो मनुष्य के आरोग्य के लिए लाभदायक होते हैं। वैदिक ऋषियों का मानना था कि उत्तम खेती के लिए किसान स्वयं अपनी भूमि में स्वदेशी बीज बोए। वेदों में उत्तम खेती का आधार यज्ञ को बताया गया है। क्योंकि यज्ञ से भूमि एवं पर्यावरण का शोधन होता है, जिससे अच्छी वृष्टि होती है। परिणामत: उत्तम कोटि की फसलों का उत्पादन होता है। इससे समाज में सौहार्दमय, शान्तिमय तथा आनन्दमय वातावरण की निर्मिति होती है। वेदों के अतिरिक्त अन्य प्राचीन ग्रंथ जैसे- ऋषि सुरपाल रचित वृक्षायुर्वेद, वराहमिहिर की वृहत संहिता, मनुस्मृति, नारद स्मृति, विष्णु धर्मोत्तर, अग्नि पुराण, कृषि पराशर, कौटिल्य का अर्थ शास्त्र, कृषि गीता इत्यादि में कृषि का विवरण प्राप्त होता है। कृषि के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन मोहन देव बोस ने अपनी पुस्तक 'A concise history of science in India' में भी किया है। विकास क्रम में किसान पारम्परिक कृषि से दूर होते गए। परिणामस्वरूप कृषि योग्य भूमि की सेहत के साथ भूजल स्तर, पर्यावरण की गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ।

अत: आवश्यकता है कि हम वैदिक कृषि के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुसार कृषि कार्य करें। आधुनिक कृषि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वर्तमान में कृषि भूमि में कार्बन समेत अन्य सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी हो गई है। जिसका मूल कारण रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का बहुतायत प्रयोग किया जाना है।पूर्व में सनई व ढैंचा की हरी खाद और गोबर की कम्पोस्ट खाद का प्रयोग कर भूमि को उर्वरा बनाया जाता था परन्तु अब ऐसा नहीं हो रहा है, जिसके कारण उत्पादित धान्य की मात्रा तो बढी परन्तु ये धान्य जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं।

सारणी- 4.2

भारत की प्रमुख फसलें एवं उनके प्रमुख उत्पादक राज्य

फसलों के प्रकार	फसल	प्रमुख उत्पादक राज्य

खाद्यान्न	गेहूँ (गोधूम)	उत्तरप्रदेश,पञ्जाबहरियाणा ,
	चावल (व्रीहि	पश्चिमी बङ्गालउत्तरप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश,
	जौ(यव)	उत्तरप्रदेशराजस्थान, हरियाणा ,
	बाजरा	राजस्थान ,गुजरातहरियाणा ,
	मक्का	आन्ध्रप्रदेशकर्नाटक, तेलंगाना ,
	ज्वार	महाराष्ट्रकर्नाटक, मध्यप्रदेश ,
नकदी फसलें	चाय	असमपश्चिमी बङ्गाल, तमिलनाडु ,
	गन्ना(ईक्षु)	उत्तरप्रदेशमहाराष्ट्र, बिहार ,
	पोस्ता	उत्तरप्रदेश ,हिमाचल प्रदेश ,पञ्जाब
	कहवा	कर्नाटक ,केरलतमिलनाडु,
तिलहनी फसलें	नारियल	केरलतमिलनाडु ,
	मूंगफली	गुजरातआन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु ,
	सरसों (सर्षप)	राजस्थानउत्तरप्रदेश, हरियाणा ,
	तिल (	उत्तरप्रदेशराजस्थान, हरियाणा ,
	सोयाबीन	मध्यप्रदेशमहाराष्ट्र, राजस्थान ,
रेशे वाली फसलें	कपास (कर्पास)	गुजरातमहाराष्ट्र, तमिलनाडु ,
	जूट	पश्चिमी बङ्गालबिहार, असम ,
	रेशम	कर्नाटककेरल ,
मसाला फसलें	कालीमिर्च	केरलकर्नाटक, तमिलनाडु ,
	अदरक	केरलउत्तरप्रदेश,
	हल्दी	आन्ध्रप्रदेशओडिसा ,
	लोंग	केरल
	मिर्च	महाराष्ट्रआन्ध्रप्रदेश, बिहार ,

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. निम्न में से रबी की फसल.....है!

अ. बाजरा ब. मक्का स. गेहूँ द. उड़द

2. भारत में सर्वाधिक गेहूँ उत्पादित.....करता है!

अ. उत्तरप्रदेश ब. राजस्थान स. पञ्जाब द. गोवा

3. देश के सकल घरेलू उत्पाद (G.D.P.) के में कृषि का..... योगदान है!

अ. 21% ब. 25% स. 10% द. 17.8%

4. गन्ना उत्पादन में विश्व में भारत का.....स्थान है।

अ. प्रथम ब. द्वितीय स. तृतीय द. चतुर्थ

5. भारत में चाय का उत्पादन शुरू.....किया गया।

अ. भारतीयों द्वारा ब. अंग्रेजों द्वारा स. पुर्तगालियों द्वारा द. डचों द्वारा

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. गन्ना उत्पादन में भारत ..... स्थान रखता है। (प्रथम/द्वितीय)
2. सर्वाधिक बाजरा ..... में उत्पादित होता है। (राजस्थान/पञ्जाब)
3. रबर मुख्य रूप से ..... में उत्पादित होता है। (उत्तर भारत/दक्षिण भारत)
4. कृषि को आजीविका का उत्तम साधन..... ने बताया है। (घाघ/ माघ)

सत्य/असत्य बताइए-

1. ककडी रबी की फसल है। (सत्य/असत्य)
2. भारत दालों का सबसे बडा उत्पादक व उपभोक्ता है। (सत्य/असत्य)
3. मूंगफली उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। (सत्य/असत्य)
4. भारत में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन राजस्थान में होता है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजए-

1. वालरा कृषि	क. मिजोरम
2. पामलू	ख. राजस्थान
3. झूम	ग. चाय
4. बागानी कृषि	घ. मणिपुर

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. देश की कितनी प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि कार्यों में संलग्न है ?
2. देश में सबसे ज्यादा बाजरा किस राज्य में उत्पादित होता है ?

3. देश में चावल की कितनी फसलें पैदा की जाती हैं ?
4. गेहूँ उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए।
5. नगदी फसलों के नाम लिखिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं ?
2. औद्योगिक फसल किसे कहते हैं ? उदाहरण दीजिए।
3. दलहनी फसलों से आप क्या समझते हैं ?
4. गेहूँ की फसल के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए ?
5. खाद्यान्न फसल किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत में उपयोग के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है? वर्णन कीजिए।
2. कृषि के महत्त्व को समझाइए।

परियोजना कार्य-

1. अपने आस-पास पैदा होने वाली फसलों की सूची बनाकर उन्हें उनके विविध प्रकारों में वर्गीकृत करें। (फसलों के चित्रों को समाहित किया जाए)।

वेदभूषण चतुर्थ वर्ष

इतिहास

अध्याय – 5

समाज का पूर्ण स्वास्थ्य : उसके लिए पारम्परिक उपाय

इस अध्याय में- सम्पूर्ण स्वास्थ्य का अर्थ, सम्पूर्ण स्वास्थ्य के लक्षण, पूर्ण स्वस्थ रहने के पारम्परिक उपाय,योग, सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार के लाभ और वैदिक वाङ्मय में स्वास्थ्य की अवधारणा।

हमारे वैदिक वाङ्मय में उल्लेख है कि '**पहला सुख निरोगी काया**' अर्थात् व्यक्ति का पहला सुख स्वस्थ शरीर (निरोगी काया) है। हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए हमारे ऋषि- मुनियों ने अनेक विधियों का वर्णन किया है। सांसारिक सुखों का उपभोग तभी किया जा सकता है, जब शरीर स्वस्थ हो। नि:सन्देह निरोगी काया केवल पहला सुख ही नहीं है बल्कि सभी सुखों का आधार (माध्यम) भी है। इस संसार में रोगग्रस्त शरीर की कामना कोई भी व्यक्ति नहीं करता है। सभी स्वस्थ शरीर व तंदरुस्त काया की इच्छा करते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ्य मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ्य शरीर के द्वारा ही व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कर आनन्द प्राप्त कर सकता है। यदि हम गहनता से विचार करें तो यह पाते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के एक से बढ़कर एक सुख हैं परन्तु व्यक्ति इन सभी सुखों का उपभोग तभी कर सकता है, जब उसका शरीर स्वस्थ हो।

सम्पूर्ण स्वास्थ्य का अर्थ- हमारे धर्म ग्रन्थों में जीव की चौरासी लाख योनियाँ बतलाई गई हैं। इन सभी योनियों में मानव योनी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि मानव जीवन में ही व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरूषार्थों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। मानव जीवन की सार्थकता इन पुरूषार्थों को प्राप्त करने में है। इन पुरूषार्थ चतुष्ट्य की प्राप्ति के लिए स्वस्थ्य तन और मन का होना अनिवार्य है। शास्त्रों में उल्लेख है- "**न ही बलहीनेन लभ्यते अयं आत्म**" अर्थात् कमजोर और बलहीन व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। सम्पूर्ण स्वास्थ्य का अर्थ व्यक्ति के तन और मन के स्वस्थ्य होने से है। अगर इन दोनों में से कोई एक अस्वस्थ्य है तो दूसरा भी शीघ्र अस्वस्थ्य हो जाता है। सुश्रुत संहिता में उल्लेख है कि "**समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियाः। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते॥**" 15.41 अर्थात् यहाँ **सम** का अर्थ **सन्तुलित** अथवा **समान** है। जिस व्यक्ति के शरीर में दोष (वात, कफ, पित्त) समान हों, अग्नि (देहाग्नि एवं जठराग्नि) सम्यक् हो, सात धातुएँ (रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र), मल (मल, स्वेद, केश, लोम आदि) समुचित हो तथा सभी शारीरिक क्रियाएँ सम अर्थात् सन्तुलित एवं सुचारू हों और आत्मा, दस इन्द्रियाँ (पाञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ और पाञ्च कर्मेन्द्रियाँ) तथा मन प्रसन्न, निर्विकार

निर्मल एवं आनन्दित-अवस्था में हो, वह व्यक्ति **'स्वस्थ'** कहलाता है। **"दोषधातुमलमुलं हि शरीरम्॥"** **(सुश्रत संहिता** 15.3) अर्थात्- दोष, धातु एवं मल के समन्वय से ही शरीर बना है। इनके सम रहने से ही शरीर स्वस्थ रहता है, एवं इनके विषम होने से ही शरीर में रोग उत्पन्न होता है।अतःकहा भी गया है- **"रोगस्तु धातुवैषम्यं,धातुसाम्यमरोगता।"**

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) **के अनुसार-** स्वास्थ्य का अर्थ केवल शरीर में रोगों एवं व्याधियों का अनुपस्थित होना ही नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवम् आध्यात्मिक चारों स्तरों में निर्विकारता एवम् आनन्द की स्थिति से है।इस प्रकार अच्छे स्वास्थ के चार घटक हैं- शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। इनमें से किसी एक की भी अनुपस्थिति होने पर सम्पूर्ण स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता।

सम्पूर्ण स्वास्थ्य के लक्षण- हमारे योगाचार्यों और आयुर्वेदाचार्यों द्वारा बताए गए, मानव के सम्पूर्ण स्वास्थ्य के लिए सामान्य लक्षण निम्न हैं-

1. व्यक्ति का मन प्रसन्न होना चाहिए ।
2. व्यक्ति शरीर में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए।
3. व्यक्ति की सोच सकारात्मक होनी चाहिए।
4. व्यक्ति को नींद गहरी और समय पर आनी चाहिए।
5. व्यक्ति के शरीर में स्फूर्ति और हलकापन होना चाहिए।
6. व्यक्ति के मन में काम करने का उत्साह होना चाहिए।
7. व्यक्ति के शरीर में रोग-प्रतिरोधक शक्ति पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होनी चाहिए।
8. व्यक्ति का शरीर अधिक मोटा या अधिक दुबला नहीं होना चाहिए।

एक या अधिक लक्षणों का अभाव हो तो उसे अस्वस्थ्य कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने की दिशा में तत्परता से लग जाना चाहिए।

पूर्ण स्वस्थ रहने के पारम्परिक उपाय- सम्पूर्ण स्वास्थ्य रहने के पारम्परिक उपायों में आयुर्वेद, अष्टाङ्ग योग, सूर्य नमस्कार, पञ्चकर्म, षट्कर्म, आदि हैं। व्यक्ति को इन्हें अपनी जीवनचर्या का अङ्ग बनाकर इनका अनुसरण करना चाहिए। इनमें से कुछ का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।

आयुर्वेद- प्राचीन भारत में वेदों के आधार पर मनीषियों ने शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कर शरीर में उत्पन्न होने वाले विविध रोगों के निदान की विधियों तथा औषधियों को जाना और समझा था। स्वास्थ्य संरक्षण एवं रोगनिदान हेतु समर्पित ज्ञानराशि **'आयुर्वेद'** को ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। ईसा की दूसरी सदी में भारत में आयुर्वेद के दो महान विद्वान **सुश्रुत** और **चरक** हुए थे। सुश्रुत संहिता में

मोतियाबिन्द, पथरी आदि रोगों का शल्योपचार और शल्य क्रिया के 121 उपकरणों का उल्लेख किया गया है। चरक संहिता भारतीय चिकित्साशास्त्र का विश्वकोश है। इसमें ज्वर, कुष्ठ, मिर्गी और यक्ष्मा के अनेक भेदों का वर्णन है। इस पुस्तक में उन पेड़-पौधों का भी वर्णन है, जिनका प्रयोग दवा (औषधि) के रूप में होता है।

चित्र 5.1- घरेलू औषधियाँ

आयुर्वेद व अन्य शास्त्रों में स्वस्थ रहने के अनेक उपाय बताये गये हैं। जिनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित है जिनका पालन करके हम अपने तन-मन को स्वस्थ रख सकते हैं-

1. उत्तम स्वास्थ्य के लिए बच्चों के जन्म से पूर्व ही माता-पिता को ध्यान देने की आवश्यकता होती है, इसलिए सन्तान को जन्म देने के पूर्व से ही माता-पिता को शास्त्रोक्त विधि से संस्कारों की व्यवस्था उचित समयों पर करनी चाहिए।
2. बचपन से ही बालक को उत्तम पौष्टिक, आयुर्वेदोक्त आहार-विहार की आदत डालनी चाहिए।
3. बाल्यकाल से ही बच्चों को चबा-चबाकर एकाग्र होकर आहार ग्रहण करने की आदत डालनी चाहिए।
4. खेलकूद, शिक्षा-दीक्षा, शील-शिष्टाचार, सद्संस्कार आदि की वैज्ञानिक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।
5. सदाचार के पालनार्थ सन्ध्या, पूजन, प्रार्थना, स्वाध्याय आदि सात्त्विक कर्म नित्य करने चाहिए।
6. बड़ों का आदर, छोटों से स्नेह, गुरुजनों का सम्मान तथा सभी से नम्रता के व्यवहार के संस्कार देकर तनाव मुक्तजीवन शैली विकसित की जानी चाहिए।
7. रोग प्रतिरोधक शक्ति बनाये रखने के आयुर्वेदिक द्रव्यों का सेवन एवं तन-मन को प्रसन्न रखने के लिए योग, खेल, प्रातः एवं सायं पैदल भ्रमण, सात्त्विक भोजन तथा मनोरंजन को जीवनचर्या में शामिल किया जाना चाहिए।
8. समय-समय पर धूपस्नान, तेलमालिश, मृतिका (मिट्टी) स्नान, दशविध स्नान, व्यायाम, तैराकी आदि का अभ्यास किया जाना चाहिए।
9. विरुद्ध आहार अर्थात् परस्पर विरोधी गुणों वाले पदार्थों को एक साथ सेवन न करने का सद्विवेक पूर्व में ही दे दिया जाए, जैसे- बैंगन की सब्जी और दुग्ध या खीर को एक साथ न खाया जाए। शहद व

घी को बराबर मात्रा में मिलाकर सेवन न करना चाहिए। उड़द की दाल, मूली और दुग्ध को एक साथ ग्रहण नहीं करना चाहिए । अचार एवं छाछ या दही का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए।

10. ऋतुचर्या का पालन करना चाहिये। ऋतुचर्या से आशय विभिन्न ऋतुओं के अनुसार आहार-विहार और दिनचर्या को बनाये रखने से है।

11. जल कभी भी खड़े रहकर नहीं पीना चाहिए, सदैव बैठकर ही पीना चाहिए।

12. रात को सोने से पूर्व एक गिलास गुनगुने दुग्ध में एक चुटकी हल्दी पावडर मिलाकर पीना चाहिए, इससे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है।

13. बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य पालन की महत्ता एवं संस्कार दिए जाने चाहिए।

योग- योग, श्रेष्ठतम स्वास्थ्य विज्ञान है। योग का शाब्दिक अर्थ है- जोड़ना, मिलाना, संयोजित करना या एकाकार करना। यौगिक क्रियाओं से तन और मन, क्रिया और सिद्धि, कर्म एवं ज्ञान, जीव एवं ईश्वर का सम्बन्ध जोड़ने का अभ्यास किया जाता है। **'योग: चित्तवृति निरोध:'** अर्थात् चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है। योग व्यक्ति को उसकी आत्म चेतना के केन्द्र से जोड़कर उसकी अन्तर्निहित शक्तियों को जागृत करता है। इन शक्तियों के जागृत होने से व्यक्ति अत्यन्त आत्मीय एवं उदार बनकर कल्याणकारी राष्ट्र एवं एकीकृत विश्व-संकल्पना में सहभागी बनता है। योग भारतीय ऋषि-मुनियों के द्वारा आविष्कृत, अनुभूत आत्मदर्शन, विज्ञान और तन-मन के उपचार की तर्कसम्मत प्रणाली (कला) है। योग एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति होने के साथ-साथ एक परिष्कृत जीवन पद्धति एवं स्वस्थ जीवन प्राप्त करने के लिए एक दिव्य वरदान है। योग का मुख्य लक्ष्य तो मोक्ष है परन्तु उसके अभ्यास से हमें पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक लाभ की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। शास्त्रों में वर्णित समस्त प्रकार के योग-विवेचनों में यह अष्टाङ्ग-योग मुख्य और आधारभूत योग-दर्शन है। महर्षि पतञ्जलि योग दर्शन के प्रणेता हैं। पतञ्जलि द्वारा प्रणीत **'योग दर्शन'** में चार पाद हैं- 1. समाधिपाद 2. साधन पाद 3.विभूति पाद 4.कैवल्य पाद। इन चारों पादों में 195 मन्त्र हैं। महर्षि पतञ्जलि ने योग के आठ अङ्ग बताए हैं- 1. यम 2. नियम 3. आसन 4. प्राणायाम 5. प्रत्याहार 6. धारणा 7. ध्यान 8. समाधि।

चित्र 5.2- योग

इसे भी जानें

- हमारे माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी के सतत् प्रयासों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून, 2014 को अन्ताराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। इसलिए हम प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस मनाते हैं।

1. **यम-** यम का तात्पर्य आत्म नियमन, नियन्त्रण या अनुशासन से है। महर्षि पतंजलि के अनुसार "**अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहा: यमा:**" अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (संग्रह न करना) यम हैं।
2. **नियम-** नियमों का सम्बन्ध शरीर की आन्तरिक शुद्धि से है। "**शौच सन्तोष तप: स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा:**" अर्थात् शौच, तप, सन्तोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान नियम हैं।
3. **आसन-** योग विज्ञान में आसन से आशय, विभिन्न अङ्गों की ऐसी विशिष्ट स्थितियों से है, जो सुखपूर्वक स्थिर बैठने, ध्यान लगाने एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हो। सामान्यत: आसन 84 प्रकार के होते हैं। इन आसनों के नाम शरीर के अंगों के नाम पर, पशु-पक्षियों के नाम पर, जलचर जीवों के नाम पर, प्राकृतिक तत्त्वों के नाम पर और आयुधों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे- शीर्षासन, हस्तपादासन, सर्वांगासन, कर्णपीड़ासन, गर्भासन, गौमुखासन, उष्ट्रासन, सिंहासन, मत्स्यासन, पवनमुक्तासन, बकासन, ताड़ासन, वज्रासन, चक्रासन, हलासन आदि।

आसनों के लाभ- आसन लगाने से अनेक प्रकार के लाभ होते है-

1. आसनों के अभ्यास से शरीर के अंगों में लचीलापन और मजबूती आती है।
2. आसनों के द्वारा शरीर में उपस्थित मल, विकार, विषाक्तता, अनावश्यक- वात, कफ, पित्त आदि शरीर से बाहर निकल जाते हैं।
3. आसनों से नाड़ी शोधन होने के कारण शरीर में हल्कापन एवं स्फूर्ति आती है।
4. आसन करने से पाचन शक्ति बढ़ जाती है, जिससे भूख खुलकर लगती है, निद्रा ठीक से आती है।
5. आसनों के अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है और मन स्थिर रहता है ।
6. आसनों के नियमित अभ्यास से शरीर की सहनशीलता बढ़ने के कारण सर्दी- गर्मी से शरीर शीघ्र प्रभावित नहीं होता है।
7. आसन क्रियाओं से प्राण तत्त्व उर्द्धगामी होता है और शरीर निरोगी और तेजस्वी हो जाता है।

आसन करते समय सावधानियाँ-

1. आसन शान्तिपूर्ण वातावरण में स्वच्छ स्थान एवं खुली हवा में करना चाहिए।
2. आसन करते समय शरीर के अङ्गों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। अन्यथा शरीर को हानि होने की सम्भावना होती है।
3. आसन का अभ्यास योग गुरू के सान्निध्य में करना चाहिए।
4. आसन करते समय अत्यधिक सर्दी, गर्मी, वर्षा से बचना चाहिए।

5. आसन शरीर की क्षमता, रक्तचाप, हृदयरोग आदि बातों को ध्यान में रख कर करना चाहिए।
6. स्वस्थ व्यक्ति सभी प्रकार के आसन कर सकता है। दैनिक अभ्यास के द्वारा धीरे-धीरे इनके समय में वृद्धि करनी चाहिए।
7. आसन प्रातः शौच के पश्चात एवं सायं में भोजन के पूर्व करने चाहिए।

प्राणायाम- प्राणायाम **प्राण** एवं **आयाम** दो शब्दों से मिलकर बना है। प्राण से आशय शरीर में विचरण करने वाले पंच-प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान से है। आयाम से आशय नियन्त्रण, नियमन एवं विस्तारण आदि से है। अतः प्राणायाम का मूल अर्थ हुआ- प्राणों का परिष्कार। प्राणायाम में तीन प्रकार की क्रियाएँ होती हैं- 1. पूरक 2. रेचक 3. कुम्भक।

1. पूरक का आशय प्राणवायु को नासिका के द्वारा अन्दर की ओर खींचना है।
2. रेचक से तात्पर्य वायु को बाहर छोड़ना है।
3. कुम्भक का अर्थ प्राणवायु को यथा शक्ति रोकना है।

प्राणायाम के प्रकार- भस्त्रिका, भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम, विलोम, नाड़ी शोधन, उज्जायी, सीत्कारी, शीतली, प्लावनी और सूर्य भेदी आदि प्रमुख प्राणायाम हैं।

प्राणायाम का महत्व एवं उपयोगिता-

1. प्राणायाम के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों को शुद्ध व पुष्ट बनाया जाता है।
2. शरीर के महत्वपूर्ण अङ्गों, जैसे- हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ों, शिराओं, धमनियों आदि का शोधन प्राणायाम के द्वारा होता है।
3. प्रतिदिन प्राणायाम अभ्यास करने से शरीर के दुःसाध्य रोग एवं व्याधियाँ दूर हो जाती हैं।
4. प्राणायाम के नियमित अभ्यास से एकाग्रता में वृद्धि होती है।
5. शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ दीर्घायु की प्राप्ति के लिए प्राणायाम बहुत लाभप्रद है।

षट्कर्म प्राणायाम के सहायक तत्त्व हैं। इनका उल्लेख **'स्वामी स्वात्माराम'** ने अपने ग्रन्थ **'हठ प्रदीपिका'** में शरीर की शुद्धि के लिए किया गया है।

प्रत्याहार- इन्द्रिय निग्रह को प्रत्याहार कहते हैं। **'ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्'** अर्थात् प्रत्यहार द्वारा इन्द्रियों को नियंत्रितकर, मन को स्थिर किया जाता है। जिस प्रकार घोड़े को लगाम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्याहार रूपी साधना के बल पर मानव अपनी इन्द्रियों को नियंत्रित करता है। प्रत्याहार नकारात्मक क्रिया है।

सारणी- 5.1

नेति	सिर के अन्दर वायुमार्ग को शुद्ध करने की क्रिया है। नेति के प्रायदो रूप जलनेति तथा सूत्रनेति हैं। :
धौति	भोजन नली और पेट के शुद्धिकरण की विधि है। धौति के प्राय दो रूप जलधौति तथा सूत्रधौति हैं। :
बस्ति	नाभि तक जल में खड़े होकर गुदा मार्ग द्वारा आँतों की शुद्धि करना। इसे आधुनिक चिकित्सा में कहा जाता 'एनिमा'।है
नौली	इस क्रिया में पेट की आन्तरिक मांसपेशियों को गोलगोल घुमाकर-, उदर की शुद्धि की जाती है।
कपालभाति	मस्तिष्क को स्वच्छ करने की क्रिया है।इस क्रिया से व्यक्ति ऊर्जावान होता है।
त्राटक	त्राटक का अर्थ है, किसी वस्तु विशेष को ध्यानस्थ होकर देखना। इस क्रिया से एकाग्रता बढती है और मन शान्त रहता है।

धारणा- प्रत्याहार द्वारा वश में किए गए चित्त/मन को किसी विषय विशेष में लगाना धारणा कहलाता है। धारणा एक सकारात्मक क्रिया है।

ध्यान- धारणा के स्थान और विषय वस्तु में चित्तवृत्ति का अखण्ड प्रवाह होना तथा मन का निर्विषय होना ध्यान कहलाता है। 'ध्यान' में ध्याता, ध्येय और ध्यान में ऐसा अखण्ड निर्बाध हो जाता है कि इन तीनों में चित्त ऐसा रम जाता है कि इनके अलावा संसार की किसी भी वृत्ति का पता नहीं चलता है।

समाधि- जब चित्त में ध्याता,ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी नहीं रहती है और चित्त ध्येय में ही लीन हो जाए, उसे 'समाधि' कहते हैं। इस अवस्था में ध्याता और ध्येय, ध्यान में आत्मसात हो जाते हैं। समाधि दो प्रकार की होती है- सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात समाधि। सम्प्रज्ञात समाधि में ईश्वर के साकार रूप की आकारता ध्यान में रहती है और असम्प्रज्ञात समाधि में ईश्वर के निराकार रूप की आकारता ध्यान में में रहती है।

इसे भी जानें-

- को जागृत करने वाले अनुशासन परक उपायों को बन्ध कहा जाता है।बन्ध तीन प्रकार के होते हैं- मूलबन्ध, उड्डयान बन्ध और जालन्धर बन्ध।
- योग शास्त्र में आसन की सहायक क्रियाओं को मुद्रा कहते हैं। योगाचार्यों ने इनकी संख्या 18 बताई है- महामुद्रा, नभोमुद्रा, महावेध, विपरीतकरणी, ताड़न, परिचालन, शक्तिचालनी, खेचरी, व्रजोली, योनी मुद्रा, तड़ागी, माण्डवी, शाम्भवी, अश्वनी, पाशनी, काकी, मातङ्गी और भुजंगनी हैं।
- आसन को दृढ करने,ध्यान को स्थिर करने और कुण्डलिनी।

सूर्य नमस्कार- सूर्यनमस्कार से तात्पर्य है- भगवान् सूर्य के प्रति नमन एवम् आदर का भाव। वैदिकयुग के महान् ऋषि-मुनियों के द्वारा ही हमें सूर्योपासना की परम्परा प्राप्त हुई है। वेदों में सूर्य को सम्पूर्ण सृष्टि के प्राण एवं जीवन-शक्ति बताया गया है। भारत में प्राचीनकाल से ही नित्य प्रातःकाल सन्ध्योपासना, सूर्यनमस्कार एवं योगाभ्यास करने की

परम्परा रही है। सूर्यनमस्कार करने से शारीरिक एवं मानसिक क्लेशों का नाश होता है तथा मनुष्य आध्यात्मिक-उन्नति को प्राप्त होता है। "**आदित्यस्य नमस्कारान्, ये कुर्वन्ति दिने दिने। आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यं, तेजस्तेषां च जायते॥**" अर्थात् जो प्रतिदिन आदित्य (सूर्य) नमस्कार करते हैं, उन्हें दीर्घायु, श्रेष्ठ प्रज्ञा, विवेक, बल, ओज तथा तेज की प्राप्त होती है।

सूर्यनमस्कार के अभ्यास से शरीर के सभी अङ्ग, सन्धियाँ, मांसपेशियाँ एवं सम्पूर्ण नाड़ी-मण्डल स्वस्थ एवं सुचारू होते हैं। शरीर में लचीलापन एवं रक्त-सञ्चरण की वृद्धि होती है तथा अन्तःस्रावी ग्रन्थियों की प्रक्रिया का नियमन होता है। सूर्यनमस्कार विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त आवश्यक अभ्यास माना जाता है। इसके 12 चरणों में कई आसन-समूहों के अभ्यास स्वतः ही हो जाते हैं। नित्य 12 सूर्यनमस्कार करने से विद्यार्थी अद्भुत बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमताओं, ऊर्जा, आरोग्य तथा जीवनी-शक्ति से लाभान्वित हो सकते हैं।

सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियाँ एवं वैदिक मन्त्र इस प्रकार है-

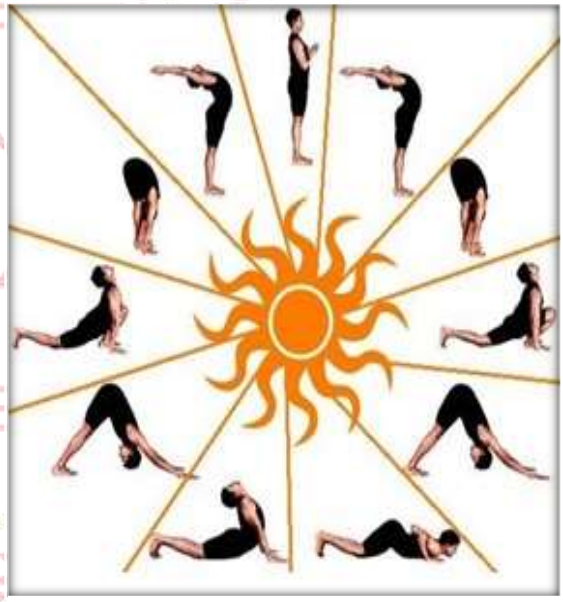

चित्र 5.3- सूर्यनमस्कार

1. प्रथम स्थिति- प्रार्थना मुद्रा। प्रणाम आसन- ॐ मित्राय नमः
2. द्वितीय – हस्त उतानासन – ॐ रवये नमः
3. तृतीय – पाद हस्तासन- ॐ सूर्याय नमः
4. चतुर्थ – अश्व सञ्चालनासन- ॐ भानवे नमः
5. पंचम – पर्वतासन – खगाय नमः
6. षष्ठ – अष्टांग नमस्कार – पुष्णे नमः
7. सप्तम – भुजंगासन – ॐ हिरण्यगर्भाय नमः
8. अष्टम– पर्वतासन (पंचम स्थिति की पुनरावृत्ति) – ॐ मरीचये नमः
9. नवम- अश्व सञ्चालनासन (चतुर्थ स्थिति की पुनरावृत्ति) – ॐ आदित्याय नमः
10. दशम- पादहस्तासन (तृतीय स्थिति की पुनरावृत्ति) – ॐ सवित्रे नमः
11. एकादश – हस्त उत्तानासन (द्वितीय- स्थिति की पुनरावृत्ति) – ॐ अर्काय नमः
12. द्वादश – प्रार्थना मुद्रा(प्रथम स्थिति की पुनरावृत्ति) – ॐ भास्कराय नमः

सूर्य नमस्कार के लाभ- सूर्य नमस्कार के अभ्यास के द्वारा मानसिक एवं शारीरिक दोनों स्तरों पर ऊर्जा का सन्तुलन प्राप्त होता है। शरीर की सभी क्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में सूर्य नमस्कार अति लाभदायक है। यह मानसिक स्वास्थ्य, बुद्धि, एकाग्रता तथा स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी लाभदायक सिद्ध होता है। यह प्राणशक्ति का सञ्चार कर शरीर में बल, बुद्धि, तेज, ओज एवं सामर्थ्य बढ़ाने में अत्यन्त सहायक है। शरीर की अधिक चर्बी को हटाने में सहायता करता है। कब्ज़ को दूर करने में सहायता करता है। शरीर के रक्त सञ्चार में सुधार करता है। बढ़ते हुए बच्चों की लंबाई बढ़ाने और उनके शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। पाचन क्षमता में सुधार होता है। अतः विद्यार्थियों के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास अत्यन्त आवश्यक होता है।

सारणी- 5.2	
पञ्चकर्म	
स्वेदन	शरीर को भाप देकर हानिकारक तत्त्वों को बाहर निकालना।
स्नेहन	पाचन तन्त्र को घी या एरंडी के तेल के सेवन से नरमकरदोष रहित बनाना। ,
वमन	वैज्ञानिक विधि से वमन(उल्टी) करवाकर पेट से विकारों को बाहर निकालना।
विरेचन	औषधियों के प्रयोगकरआँतों के विकारों को बाहर निकालना। ,
नस्य एवं तेलधारा	इस क्रिया में नस्य एवं बस्ती द्वारा नाकमस्तिष्क आदि के विकारों को बाहर , निकालना।

वैदिक वाङ्मय में स्वास्थ्य की अवधारणा- हमारी संस्कृति यह है कि हम पूरे विश्व के स्वास्थ्य एवं कल्याण की कामना करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में वर्णित है- "**यथा नः सर्व इज्जनोऽनमीवः सुमनाऽअसत्।** (33.86)" अर्थात् संसार के सभी लोग निरोग और प्रसन्नचित्त हों । मानव स्वास्थ्य में सूक्ष्म जीवाणुओं के योगदान के बारे में तो आपने सुना होगा। सूक्ष्म जीव मानव स्वास्थ्य के लिए हितकारी और अहितकारी होते हैं। वेदों में सूक्ष्म जीवाणुओं को मरुत कहा गया है। मरुत गणों में वे सभी गुण पाये जातें हैं, जो आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान में पाये जाते हैं। वेदों के अनुसार गाय में रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता सबसे अधिक है इसलिए इसे माता **'रुद्राणाम्'** कहा है। वैदिक वाङ्मय में मरुतों का उल्लेख सेना रूप में हुआ है। इसी प्रकार माइक्रोवेव (सुक्ष्म तरंगें) भी समूह में रहते हैं। यजुर्वेद के 17वें अध्याय में मरुतों की सङ्ख्या 1032 बताई है। आधुनिक विज्ञान भी इनकी सङ्ख्या इतनी ही मानता है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. योग दर्शन के प्रणेता.....हैं।

अ. पतञ्जलि ब. वशिष्ठ स. कपिल द. विश्वामित्र

2. योग के ..... अङ्ग हैं।

अ. 10 ब. 5 स. 11 द. 8

3. धर्म शास्त्रों के अनुसार पुरूषार्थों की सङ्ख्या..... है।

अ. 10 ब. 4 स. 3 द. 7

4. योग दर्शन में ..... पाद व मन्त्र हैं।

अ. 5 पाद 200 मन्त्र ब. 4 पाद 195 मन्त्र स. 2 पाद 150 मन्त्र द. केवल 250 मन्त्र

सत्य/असत्य लिखिए -

1. ऋतुचर्या का पालन करना चाहिये। (सत्य/असत्य)
2. सुर्यनमस्कार शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है । (सत्य/असत्य)
3. आसनों के अभ्यास के समय शरीर के अंगों पर अधिक दबाव डालना चाहिए। (सत्य/असत्य)
4. शरीर को भाप देकर हानिकारक तत्त्वों को बाहर निकालना स्वेदन कहलाता है।(सत्य/असत्य)

सही जोडियाँ बनाइयें -

1. शिथिलीकरण आसन	क. प्राणायाम
2. सुर्यनमस्कार	ख. शवासन
3. भ्रामरी	ग. 18
4. मुद्राएँ	घ. 12 सोपान

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. पहला सुख ..... काया। (सुखी/निरोगी)
2. कपालभाति व भ्रामरी ..... के प्रकार है। (प्राणायाम/आसन)
3. अष्टांग योग में प्रत्याहार ..... अङ्ग है। (पाचवां/आठवां)
4. आदित्यस्य नमस्कारान्, ये कुर्वन्ति .....। आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यं, तेजस्तेषां च जायते॥ (दिने दिने/रात्रि रात्रि)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है ?
2. आयुर्वेद के किन्हीं दो प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम लिखिए ?
3. योग का शाब्दिक अर्थ बताइयें ?
4. आसनों की सङ्ख्या कितनी है ?
5. प्रत्याहार किसे कहते हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. सुर्यनमस्कार के लाभ लिखिए ?
2. प्राणायाम के लाभ लिखिए ?
3. आसन से क्या अभिप्राय है ?
4. बन्ध कितने होते हैं ? नाम लिखिए।
5. मुद्राएँ किसे कहतें हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न –

1. आसानों के बारे में विस्ताए से समझाइए ।
2. योग किसे कहते हैं ? अष्टांग योग के बारे में बताइए।
3. प्राणायाम के क्या लाभ हैं? विस्तार से समझाइए।

परियोजना कार्य-

1. अपने आस-पास औषधीय गुणों से युक्त वनस्पतियों की सूची बनाकर उनके गुण धर्म का उल्लेख करो।

अध्याय - 6

पारम्परिक क्रीड़ाएँ

इस अध्याय में- गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक शिक्षा का महत्व, मल्लयुद्ध, धनुर्विद्या, चौपड़, घुड़सवारी, कलारी पयट्टू, पल्लांगुली, गिल्ली डण्डा, वल्लमकली, खो-खो, मल्लखम्ब आदि।

प्राचीन काल से ही पारम्परिक क्रीड़ाएँ भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही हैं। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में प्रचलित अधिकांश क्रीड़ाएँ भारत की पारम्परिक क्रीड़ाओं से साम्य रखती हैं। इन क्रीड़ाओं का उद्देश्य मानव की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों के विकास के साथ-साथ अनुशासन एवं मनोरंजन करना है। प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में व्यक्ति के बौद्धिक उन्नयन के साथ-साथ शारीरिक विकास के लिए क्रीड़ाओं को भी महत्ता प्रदान की गई थी।

गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक शिक्षा का महत्व- मानव जीवन में शारीरिक दक्षता एवं स्वास्थ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ रहकर ही व्यक्ति अपने जीवनपथ पर उत्तरोत्तर प्रगति कर सकता है। कुमार सम्भव में यह भी कहा गया है कि "**शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्**" अर्थात् शरीर ही धर्म का श्रेष्ठ साधन है। यद्यपि वर्तमान समय में व्याप्त पाश्चात्य जीवनचर्या के अधिक प्रभाव के कारण मनुष्य के जीवन में रोगों का प्रकोप दृष्टिगोचर हो रहा है। ये रोग मनुष्य को न केवल शारीरिक रूप से अस्वस्थ बना रहे हैं अपितु मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर भी उनका दुष्प्रभाव देखा जा सकता है।

हमारे प्राचीन आचार्यों तथा ऋषि-मुनियों ने आयुर्वेद पर आधारित जो जीवनचर्या एवं नियम बनाए थे, वे लाभप्रद होने के साथ-साथ पूर्णरूपेण वैज्ञानिक भी थे। जीवनचर्या एवं नियम द्वारा व्यक्ति में बाल्यावस्था से ही नैतिक एवं आध्यात्मिक अनुशासन का विकास किया जाता था। प्राचीन गुरुकुल में दी जाने वाली शारीरिक शिक्षा मात्र शारीरिक दक्षता के लिये ही नहीं अपितु उसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य के आत्मबल का परिष्कार करना था। क्योंकि "**नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः**" (मुण्डकोपनिषद् 2.3.4) अर्थात् बलहीन मनुष्य को आत्मा (ब्रह्म) की प्राप्ति नहीं हो सकती। वैदिक वाङ्मय में बल की विस्तृत व्याख्या करते हुए 33 प्रकार के बल बताए गये हैं जैसे- सामर्थ्य, तेजस्विता, सहनशक्ति, ज्ञान, शौर्य, राष्ट्रीयता, प्रताप, उत्साह, आयु, सम्पन्नता, सौंदर्य आदि। बल की साधना के उद्देश्य से गुरुकुल परम्परा

में ब्रह्मचर्य पालन के साथ शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। हमारे देश के प्रमुख पारम्परिक क्रीड़ाएँ निम्न हैं-

मल्लयुद्ध- मल्लयुद्ध का उल्लेख हमारे धर्म शास्त्रों में हुआ है। यह चार प्रकार का होता है- हनुमंती, जाम्बुवन्ती, जरासंधि एवं भीमसैनी। मल्लयुद्ध में दो मल्ल (पहलवान) होते हैं। इस युद्ध में जो मल्ल दूसरे मल्ल को पीठ के बल भूमि पर पटक देता है,उसे विजयी माना जाता है। मल्ल स्थल मिट्टी (पीली अथवा लाल) से निर्मित रहता है। हनुमानजी को मल्ल युद्ध का देवता माना जाता है। यदि मल्ल यौद्धा के अन्तःकरण में संयम, स्थिरता, शौर्य, सदाचार एवं बल हो, तो मल्ल युद्ध में विशेष सफलता मिलती है। पुराने समय में मलयुद्ध के बड़े-बड़े आयोजन होते थे। महाभारतकालीन भीम और जरासन्ध का मल्ल युद्ध इतिहास प्रसिद्ध है।

चित्र 6.1- मल्ल युद्ध का दृश्य

धनुर्विद्या- यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद में धनुर्विद्या और सैन्य विज्ञान की शिक्षा का उल्लेख है। प्राचीनकाल में इस विद्या का उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षा था। अग्नि पुराण के अध्याय 249 से 252 तक धनुर्विद्या सम्बन्धित कई उल्लेख मिलते हैं, जैसे- यन्त्रभुक्तं, पाणिभुक्तं, युक्तसंघारित, अभुक्तं आदि। धनुर्विद्या के अभ्यास से आत्मविश्वास एवं एकाग्रता में वृद्धि होती है। परशुराम, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन आदि धनुर्विद्या के प्रखर विशेषज्ञ थे।

चित्र 6.2- धनुर्धर

चौपड़- इस खेल में अधिकतम चार खिलाड़ी होते हैं, जो कौड़ी अथवा पासों का प्रयोग करके खेल को आगे बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त चार पट्टिकाओं का उपयोग भी होता है। जिस पर खेल की मुद्राएँ रखी जाती है। प्राचीनकाल में मनोरंजन एवं स्वस्थ रणनीति के विकास हेतु चौपड़ खेला जाता था। चौपड़ का उल्लेख महाभारत महाकाव्य में भी मिलता है। यह खेल कौरवों एवं पाण्डवों के मध्य खेला गया था, जो महाभारत युद्ध का प्रमुख कारण था।

शतरंज- शतरंज खेल भी प्राचीन खेलों में से एक है। पांचवीं-छठी शताब्दी में यह खेल **चतुरंग** के नाम से प्रचलित था, जो कालान्तर में शतरंज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस खेल में दो खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी के पास 16 मोहरे होते हैं, जिन्हें 64 हिस्सों (कोष्ठ) में विभाजित आधारपट्टिका पर रखा जाता है। दोनों खिलाड़ियों द्वारा विपक्ष के राजा वाली मोहर एवं सेना को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। शतरंज का खेल बौद्धिक क्षमता को विकसित करने में अत्यन्त सहायक है।

इसे भी जानें-
- भारत का प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनन्द हैं।
- भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर एस. विजयलक्ष्मी हैं।

घुड़सवारी- पुरातात्त्विक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मनुष्य द्वारा घोड़ों का उपयोग घुड़सवारी, मनोरंजन, आखेट, युद्ध क्रियाओं आदि में प्राचीनकाल से किया जा रहा है। जब मनुष्य ने पहिये का आविष्कार किया तो उसने घोड़ों, बैलों आदि का पशु गाड़ी के रूप में उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया था। घुड़सवारी के अतिरिक्त खेलों के रूप में घोड़ों की दौड़ भी आयोजित की जाती है, जो आज भी प्रसिद्ध है।

चित्र 6.4- घुड़सवारी

कलारी पयट्टू- केरल का यह प्राचीन खेल आधुनिक मार्शल आर्ट का प्रतिरूप है। यह मलयाली समुदाय में अधिक लोकप्रिय है।

पल्लांगुली- यह खेल दक्षिणी भारत में तमिल महिलाओं द्वारा खेला जाता है। पल्लांगुली एक सङ्घात्मक खेल है। यह खेल दो खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है। जिसमें एक लकड़ी का बोर्ड होता है। जिसमें चौदह गड्ढे होते हैं इसलिए, इसे चौदह गड्ढे या पथिनालम कुई भी कहा जाता है।

गिल्ली डंडा- यह खेल दो लकड़ी की छड़ियों गिल्ली और डंडा के द्वारा खेला जाता है। यह प्राचीन खेल ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोकप्रिय है। क्रिकेट और बेसवाल का विकास इस खेल से ही हुआ माना जाता है।

वल्लमकली- यह खेल केरल राज्य में ओणम के त्यौहार पर खेला जाता है। इस खेल में नावों की दौड़ होती है। यह खेल आज भी केरल में बहुत लोकप्रिय है।

खो-खो- खो-खो भारत का प्रसिद्ध पारम्परिक खेल है।इस खेल में एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी का पीछाकर, उसे छूने कोशिश करते हैं।

मल्लखम्ब- मल्लखम्ब शब्द दो शब्दों मल्ल और खम्ब से मिलकर बना है। जिसका शाब्दिक अर्थ खम्बे पर कुश्ती अर्थात् इसमें खिलाड़ी चिकने खम्बे पर अपनी कला का प्रदर्शन करता है। भारतीय मूल का यह पारम्परिक खेल वर्तमान में भी विश्व के अनेक देशों में लोकप्रिय है।

इसे भी जानें-

- हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है।
- हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यान चन्द के जन्मदिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं।
- भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन 1982 ई. में किया गया था।
- भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गाँधी खेलरत्न है।
- फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 से की गई थी।

उपर्युक्त के अध्ययन के पश्चात हम कह सकते हैं कि खेल मानव जीवन के अभिन्न अङ्ग हैं। इनके द्वारा मानव में आत्मानुशासन, धैर्य, साहस आदि गुणों की वृद्धि होती है। वर्तमान में खेलों के विकास के लिए हमारी सरकार ने अनेक योजनाएँ बनाई हैं, जिनमें भारतीय खेल प्राधिकरण(SAI), राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल विकास कोष, खेलो भारत योजना और फिट इंडिया मूवमेंट आदि प्रमुख हैं।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न -

1. 'शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्' उक्ति ली गई है-

अ. भगवत गीता ब. महाभारत स. मुण्डकोपनिषद द. रामायण

2. वैदिक शास्त्रों में कितने प्रकार का बल बताया है –

अ. 22 ब. 33 स. 11 द. 8

3. पाराम्परिक खेल का उदाहरण है-

अ. मल्ल युद्ध ब. हॉकी स. क्रिकेट द. बालीबाल

4. भारत का राष्ट्रीय खेल है-

अ. टेनिस ब. हॉकी स. क्रिकेट द. बालीबाल

सही जोड़ी मिलान कीजिए-

1. घोड़ा	क. चतुरंग
2. शतरंज	ख. धनुर्विद्या
3. एकाग्रता	ग. खेल दिवस
4. मेजर ध्यानचन्द	घ. घुड़सवारी

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. शतरंज को प्राचीन काल में ..... कहा जाता था। (चौपड/चतुरंग)

2. धर्म का श्रेष्ठ साधन ..... माना गया है। (दान/शरीर)

3. मल्ल ..... को कहा जाता है। (पहलवान/योद्धा)

4. शरीरमाद्यं.....धर्मसाधनम् (खलु/दल)

सत्य/असत्य बताइए-

1. शतरंज एक प्राचीन खेल है। (सत्य/असत्य)
2. चौपड में अधिकतम सात खिलाडी होते थे। (सत्य/असत्य)
3. बलहीन मनुष्य को आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। (सत्य/असत्य)
4. कलारी पट्टू मलयाली समुदाय में अधिक लोकप्रिय खेल है। (सत्य/असत्य)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. अर्जुन किस विद्या का विशेषज्ञ था ?
2. **नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः** से क्य अभिप्राय है ?
3. मल्ल युद्ध कितने प्रकार का होता है ?
4. भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. मल्लयुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं ?
2. प्राचीन खेलों के नाम बताइए ।
3. शतरंज के खेल के बारे आप क्या जानते हैं ?
4. चौपड के खेल से महाभारत युद्ध का क्या सम्बन्ध है ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न –

1. प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा के महत्त्व को समझाइये।
2. धनुर्विद्या और मलखम्ब पर अपने विचार लिखिए।

परियोजना-

1. आपके गाँव/शहर में कौनसे पारम्परिक खेल खेले जाते हैं। अपने परिवार के बुजुर्गों से पूछकर खेल एवं उसकी विधि की सूची बनायें।

अध्याय – 7

फ्रान्स की क्रान्ति (1789 ई.-1799 ई.)

इस अध्याय में- फ्रान्स की राज्य क्रान्ति, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, लेखक एवं विचारकों का योगदान, तत्कालिक कारण, क्रान्ति के विभिन्न चरण, नेपोलियन बोनापार्ट, क्रान्ति का प्रभाव और क्रान्ति का विश्वव्यापी स्वरूप।

फ्रान्स की राज्य क्रान्ति- फ्रान्स के इतिहास में 1789 ई. से 1799 ई. तक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भारी उथल-पुथल के कारण वहाँ पर आमूलचूल परिवर्तन हुए थे। इन परिवर्तनों को ही **'फ्रान्स की राज्य क्रान्ति'** के नाम से जाना जाता है। क्रान्ति के परिणामस्वरूप राजा को पदच्युत कर, गणतन्त्र की स्थापना की गई थी। इस कालावधि में खूनी सङ्घर्षों की अनेक घटनाएँ घटित हुई थी। अन्ततः नेपोलियन की तानाशाही स्थापित हुई, जिससे इस क्रान्ति के अनेक मूल्यों का पश्चिमी यूरोप तथा उसके बाहर प्रचार-प्रसार हुआ था। इस क्रान्ति के परिणामस्वरूप यूरोप के आधुनिक इतिहास की दिशा बदल गई थी । इस क्रान्ति के कारण नये गणतंत्रों की स्थापना होने लगी थी। इस क्रान्ति ने यूरोपीय देशों एवं विश्व के अन्य देशों में स्वतन्त्रता की ललक जागृत की और ये देश भी राजशाही से मुक्ति के लिए सङ्घर्ष करने लगे थे। फ्रान्सिसी क्रान्ति ने तत्कालीन विश्व को प्रभावित किया था इसलिए फ्रान्सिसी क्रान्ति को विश्व इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। इस क्रान्ति के कारण और परिणाम निम्न प्रकार हैं-

राजनीतिक कारण- फ्रान्स में क्रान्ति से पूर्व राजत्व के दैवीय सिद्धान्त पर आधारित निरंकुश राजतन्त्र था। लुई चौदहवें के शासनकाल में (1643 ई.-1715 ई.) निरंकुशता अपनी पराकाष्ठा पर थी। उसने कहा- **'मैं ही राज्य हूँ'**। वह अपनी इच्छानुसार कानून बनाता था। उसने अपनी कूटनीति और सैन्य कौशल से शक्ति का अत्यधिक केन्द्रियकरण किया था। लुई चौदहवें ने जिस शासन व्यवस्था का केन्द्रीकरण किया था, उसमें योग्य राजा का होना अत्यन्त आवश्यक था परन्तु उसके उत्तराधिकारी पूर्णतः अयोग्य थे। लुई 15वाँ (1715-774 ई.) अत्यन्त विलासी, अदूरदर्शी और निष्क्रिय शासक था। उसने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध एवं सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेकर देश की आर्थिक स्थिति को अत्यधिक क्षति पहुँचाई थी। उसके शासनकाल में वर्साय का महल विलासिता का केन्द्र बन गया था। उस समय फ्रान्स की शासन व्यवस्था वंशानुगत नौकरशाही पर निर्भर थी। नौकरशाहों के सेवा में प्रवेश तथा प्रशिक्षण के कोई नियम नहीं थे तथा उन पर नियन्त्रण लगाने वाली कोई संस्था नहीं थी। इस प्रकार फ्रान्स की सम्पूर्ण शासन प्रणाली पूरी तरह भ्रष्ट, निरंकुश, निष्क्रिय और शोषणकारी हो गई थी।

सामाजिक कारण- फ्रान्सिसी क्रान्ति के कारणों में सामाजिक परिस्थितियों ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी। उस समय फ्रान्सिसी समाज तीन वर्गों/स्टेज में विभक्त था। प्रथम स्टेज में पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेज में कुलीन वर्ग एवं तृतीय स्टेज में जनसाधारण वर्ग शामिल था। पादरी एवं कुलीन वर्ग को व्यापक विशेषाधिकार प्राप्त थे जबकि जनसाधारण वर्ग अधिकार विहीन था।इस वर्ग में किसानों की सङ्ख्या सर्वाधिक थी और इनकी दशा निम्न तथा सोचनीय थी।उस समय किसानों के असंतोष का मुख्य कारण राज्य, चर्च तथा जमीदारों को दिए जाने वाले अनेक प्रकार के कर एवं असुविधाएँ थी। राज्य की ओर से उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलती थी। अत: किसान इतने दु:खी हो चुके थे कि, वे स्वयं ही क्रान्तिकारीयों के रूप में परिवर्तित हो गए थे। अब उन्हें क्रान्ति करने के लिए मात्र एक संकेत की आवश्यकता थी। मध्यम वर्ग (बुर्जुआ) में साहुकार, व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, लेखक, कलाकार, कर्मचारी आदि सम्मिलित थे। उनकी आर्थिक दशा ठीक थी परन्तु वे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के प्रति आक्रोशित थे। इस वर्ग को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था और पादरी और कुलीन वर्ग का व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं था। इस कारण मध्यवर्ग, कुलीनों की सामाजिक श्रेष्ठता से घृणा करता था। यह वर्ग राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन कर, अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहता था। यही कारण था कि फ्रान्स की क्रान्ति में उनका मुख्य योगदान रहा और उन्होंने क्रान्ति को नेतृत्व प्रदान किया था।

इसे भी जानें-

- फ्रान्सिसी समाज में सत्ता और सामाजिक सामर्थ्य को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को 'एस्टेट' कहा जाता था।
- चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति को 'पादरी' कहते हैं।
- फ्रान्स में महिलाओं ने अपने हितों की रक्षा के लिए विभिन्न क्लबों की स्थापना की थी। ' द सोसायटी ऑफ रेवलूशनरी एण्ड रिपब्लिकन विमेन' उस समय का प्रसिद्ध क्लब था।
- फ्रान्स में 1946 ई. में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया था।

आर्थिक कारण- फ्रान्स के राजाओं की फिजूलखर्ची तथा लुई 14वें के लगातार युद्धों के कारण राजकोष खाली हो गया था, जिससे राज्य दिवालियापन की स्थिति में पहुँच गया था। लुई 16वें ने अमेरिकी स्वतन्त्रता युद्ध में भाग लेकर फ्रान्स की आर्थिक दशा को और भी जर्जर बना दिया था।विशेषाधिकारों के कारण सम्पन्न वर्ग कर से मुक्त था तथा किसान, जो आर्थिक दृष्टि से विपन्न था, एकमात्र करदाता था। देश की आर्थिक दुर्व्यवस्था को,

इसे भी जानें-

- फ्रान्स में चर्च द्वारा लिए जाने वाले कर को टाइद और राज्य को दिए जाने वाले कर को 'टाइल' कहा जाता था। धार्मिक जीवन को समर्पित समूह के भवनों को कॉन्वेंट कहा जाता है।

व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देकर सुधारा जा सकता था परन्तु सरकार की वाणिज्य नीति इतनी अनियंत्रित एवं दोषपूर्ण थी, जिससे राज्य में उत्पादन एवं व्यापार का विकास संभव नहीं था।

लेखक एवं विचारकों का योगदान- फ्रान्सिसी क्रान्ति में दार्शनिकों एवं विचारकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण थी। इनमें मॉण्टेस्क्यू (1689 ई.-1755 ई.) ने अपनी पुस्तक 'द स्पिरिट ऑफ लॉज' (The Spirit of Laws) में राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धान्तों का खण्डन कर, फ्रान्सिसी राजनीतिक संस्थाओं की आलोचना ही नहीं की थी अपितु उनका विकल्प भी प्रस्तुत किया था। वाल्टेयर (1694 ई. - 1778 ई.) ने अपनी पुस्तक 'लेटर्स ऑन द इंगलिश' के माध्यम से ब्रिटेन की उदार राजनीति, धर्म और विचार की स्वतन्त्रता का चित्रण कर, उसकी तुलना पुरातन फ्रान्सिसी व्यवस्था से की थी। उसने अपनी पुस्तक में फ्रान्स में व्याप्त बुराईयों एवं कमियों का उल्लेख कर, चर्च की आलोचना भी की थी। उसने कहा था कि 'मैं सौ चूहों के बजाय, एक शेर का शासन पसन्द करता हूँ'। रूसो ने अपनी पुस्तक 'एमिली','सोशल कॉन्ट्रैक्ट' व 'रूसोनी' के माध्यम से मानव स्वतन्त्रता की बात की थी। उसने कहा कि मनुष्य स्वतन्त्र पैदा होते हुए भी सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इन जंजीरों से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है कि हम प्राकृतिक आदिम अवस्था की ओर लौटें। रूसों का मानना था कि सार्वभौम सत्ता जनता की इच्छा में निहित है, जिसे 'सामान्य इच्छा '(General Will) कहा जाता है। राज्य को कानूनन इस सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। लेकिन कानून का स्वरूप ऐसा नहीं हो कि वह शासक की इच्छा पर निर्भर रहने लगे। इसके अतिरिक्त अन्य लेखक व विचारकों ने फ्रान्स की राज्य क्रान्ति में अपने विचारों से जन मानस को जागृत करने का कार्य किया था।

तात्कालिक कारण- लुई 16वें ने अपने जनता के समर्थक अर्थमन्त्री नेकर को बर्खास्त कर दिया था। लोगों ने जिससे इस क्रान्ति को कुचलने का प्रयास समझा था। उसी समय यह सूचना फैल गई थी कि बास्तील के किले में राजा ने शस्त्रों का भण्डार संग्रहित कर रखा है इसलिए 14 जुलाई 1789 ई. को पेरिस की भीड़ ने बास्तील के किले पर आक्रमण कर दरवाजा तोड़ दिया था और कैदियों को मुक्त कर दिया था। बास्तील का पतन एक युगांतकारी घटना थी, जो निरंकुशता का पतन एवं जनता की विजय का प्रतीक थी। वास्तव में यह क्रान्ति का उदघोष था।

चित्र- 7.1 रूसो, वाल्टेयर और मॉण्टेस्क्यू

क्रान्ति के विभिन्न चरण- फ्रान्स की क्रान्ति को निम्नलिखित चार चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण (1789 ई.-1792 ई.)- इस चरण में पेरिस की भीड़ ने बास्तील के किले पर नियन्त्रण स्थापित कर, तत्कालीन व्यवस्था को चुनौती दी थी। राष्ट्रीय सभा ने 4 अगस्त 1789 ई. को सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर, संविधान का निर्माण करना शुरू किया था। राष्ट्रीय सभा को ही फ्रान्स की संविधान सभा कहा गया था। संविधान सभा ने 26 अगस्त 1789 ई. को मानवाधिकारों की घोषणा कर दी थी। राष्ट्रीय संविधान सभा ने चर्च की सम्पत्ति को अधिग्रहण कर, चर्च के नियन्त्रण को कम करने का प्रयास किया था। चर्च को राज्य के अधीनकर, रोमन पोप के प्रभाव से मुक्त कर दिया गया था। राष्ट्रीय सभा ने फ्रान्स की प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन किया था। प्राचीन प्रांतों को समाप्त कर, सम्पूर्ण देश को 83 विभागों (Departments) में विभक्त किया गया था। फिर इन विभागों को कैन्टैन (Cantan) और कम्यून (Comune) में विभाजित गया था। प्रत्येक इकाई का शासन चलाने के लिए निर्वाचन परिषद् होती थी। जिसका निर्वाचन सक्रिय नागरिक करते थे। इस तरह स्थानीय स्तर से लेकर केन्द्रिय स्तर तक सारी राज्य व्यवस्था बर्जुआ वर्ग के हाथ में आ गई थी।

द्वितीय चरण (1792 ई. -1794 ई.)- फ्रान्स में राष्ट्रीय सभा के भङ्ग होने के पश्चात 1791 ई. में 745 सदस्यीय व्यवस्थापिका सभा (Legislative Assembly) अस्तित्व में आई थी। इस व्यवस्थापिका सभा में अनुदार एवं राजतन्त्र के समर्थक और अध्यक्ष के दायीं ओर बैठने वाले 'दक्षिणपन्थी' कहलाए थे जबकि बाईं ओर बैठने वाले 'वामपन्थी' कहलाए थे। वामपन्थी समूह मूलत: रेडिकल्स (परिवर्तनवादियों) का था, जो उग्र और क्रान्तिकारी थे। रेडिकल्स भी दो वर्गों में विभाजित थे- जिरोंदिस्त और जैकोबियन। इस कालावधि में व्यवस्थापिका सभा को समाप्त कर, वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन किया गया था।
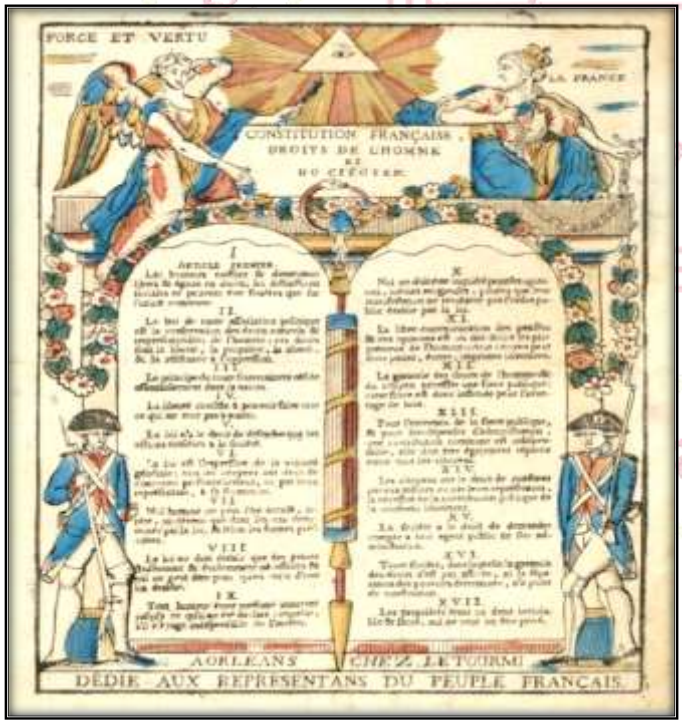
चित्र- 7.2 पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790

राष्ट्रीय कन्वेंशन और आतंक का राज्य- 21 सितंबर 1792 ई. को नेशनल कन्वेशन का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में जैकोबियन एवं जिरोंदिस्त दल प्रमुख थे। जैकोबियन अनुशासित और

सङ्गठित दल था और पेरिस की जनता पर इनका प्रभाव था। इस दल के प्रमुख नेता दाँते, रॉबस्पियर, हीटर आदि थे। दूसरे दल जिरोंदिस्त के सदस्य शिक्षित और सुसंस्कृत लोग थे परन्तु ये व्यावहारिकरूप से राजनीतिज्ञ नहीं थे। इस दल के प्रमुख नेता इस्नार, मैडम रोलाँ, ब्रिसो आदि थे। ये दोनों दल गणतन्त्र के समर्थक थे और विदेशी शक्तियों के विरूद्ध युद्ध का समर्थन करते थे। नेशनल कन्वेंशन के सामने तीन प्रमुख समस्याएँ थी- विदेशी आक्रमण, सम्राट और गृहयुद्ध। सितम्बर 1792 ई. में फ्रान्सिसी सेना ने बेल्जियम पर अधिकार कर, दक्षिण में नीस और सेवॉय पर भी अधिकार कर लिया था। क्रान्तिकारियों ने 1792 ई. की अपनी घोषणा में कहा कि "फ्रान्स का गणतन्त्र स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्त्व की भावनाओं पर आधारित है और इन भावनाओं का प्रसार करना, वह अपना कर्तव्य समझता है। फ्रान्स के क्रान्तिकारी सिद्धान्तों को नहीं मानने वाले लोगों और देशों को फ्रान्स का शत्रु माना जाएगा"। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर, फ्रान्स में से राजतन्त्र को समाप्त कर दिया और गणतन्त्र की स्थापना कर दी थी।

फ्रान्स में गणतन्त्र की स्थापना के पश्चात नेशनल कन्वेंशन में जैकोबियन और जिरोदिस्तों के मध्य सङ्घर्ष की समस्या का सामना करना पड़ा था क्योंकि अनेक युद्धों और बढ़ती मँहगाई के कारण फ्रान्स आर्थिक संकट से जूझ रहा था। राष्ट्रीय कन्वेंशन ने लोगों को सहायता देने के लिए विधान बनाया था तथा अमीर वर्ग से कर वसूलना प्रारम्भ किया था। राष्ट्रीय कन्वेशन के सहायता के विधान का जिरोंदिस्तों ने विरोध किया था। जैकोबियनों ने पेरिस की जनता और कम्यून की सहायता से सत्ता पर अधिकार कर, जिरोंदिस्तों को गिरफ्तार कर लिया था। अब फ्रान्स में आतंक का राज्य (Reign of Terror) स्थापित हो गया था। उस समय यदि कोई जैकाबिन्स के विरूद्ध कार्य करता था, तो उसे मृत्युदण्ड की सजा दी जाती थी । रॉबस्पियर, रूसो की विचारधारा से प्रभावित था, उसके अनुसार **सामान्य इच्छा** (जनरल विल) ही सार्वभौमिक इच्छा है। रॉबस्पियर ने सत्ता पर नियन्त्रण

इसे भी जानें-

- फ्रान्स में 14 जुलाई को स्वतन्त्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- फ्रान्स में आतंक के राज्य की स्थापना रॉबस्पियर के नेतृत्व में की गई थी।

नेशनल कन्वेंशन के कार्य- नेशनल कन्वेंशन ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई और फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषितकर दासप्रथा को समाप्त कर दिया था। सामाजिक जीवन में समानता को स्थापित किया गया था। नेशनल कन्वेंशन ने राजतंत्र को समाप्त कर, गणतंत्र की स्थापना की थी। फ्रान्स में नया पञ्चाङ्ग (22 सितम्बर 1792 ई.) से लागू किया गया था। उसी समय नाप तौल की नयी पद्धति, ग्राम, लीटर, मीटर शुरू की गई और कालाबाजारी रोकने के लिए राशन व्यवस्था लागू की गयी थी। अमीरों पर आयकर तथा युद्ध कर लगाया गया और धर्म के मामले में राज्य ने अपने को धर्म-निरपेक्ष घोषित कर दिया था।

रखने के लिए विरोधियों को **गिलोटिन** (फाँसी) पर चढ़ा दिया था। अतः सभी व्यक्ति अपने जीवन को लेकर सशंकित हो उठे थे । अन्ततः जुलाई 1794 ई. में रॉबस्पियर को कैद कर, उसे फांसी दे दी गई थी। इस प्रकार फ्रान्स से आंतक के राज्य की समाप्ति हो गई थी।

तृतीय चरण- (1794 ई.-1799 ई. उदार गणतन्त्र) फ्रान्स में नेशनल कन्वेंशन ने संविधान का निर्माण कर, कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय **निदेशक मण्डल** को सौंपा था, उसे **डायरेक्टरी** का शासन कहते हैं।इस शासन व्यवस्था में मण्डल के सभी सदस्यों को बराबर के अधिकार प्रदान किए गए थे। प्रत्येक सदस्य क्रमश: तीन महीने के लिए अध्यक्ष चुने जाते थे। प्रत्येक वर्ष एक सदस्य कार्यकाल समाप्त हो जाता था और उसके स्थान पर दूसरे सदस्य की नियुक्ति की जाती थी। इस काल में नेपोलियन ने सैन्य विजयों के द्वारा फ्रान्स के सम्मान को स्थापित कर, डायरेक्टरी के शासन को समाप्त कर,सत्ता पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया था।

चतुर्थ चरण (1799 ई.-1814 ई)- 1799 ई. में नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन का अन्त कर फ्रान्स का प्रथम काउन्सलर (शासक) बना था। नेपोलियन ने 1804 ई. में स्वयं को सम्राट घोषित कर, तानाशाही साम्राज्यवादी शासन का प्रारम्भ किया था।

नेपोलियन बोनापार्ट (1769 ई.-1821 ई.)- नेपोलियन ने सम्राट बनने के पश्चात यूरोपियन देशों को जीत कर वहाँ अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए थे।

उसने फ्रान्स में सम्पत्ति, सुरक्षा कानून, नाप तोल की दशमलव प्रणाली, आधुनिकीकरण आदि नीतियों को लागू किया था, जिससे वहाँ की जनता नेपोलियन को अपना मुक्तिदाता मानने लगी थी परन्तु जनता का यह भ्रम उसकी आक्रमक सेना ने शीघ्र ही तोड़ दिया था। अन्ततः नेपोलियन के विरुद्ध अनेक स्थानों पर विद्रोह होने लगे थे। 1815 ई. के **वाटरलू के युद्ध** में परास्त नेपोलियन बोनापार्ट को कारावास दिया गया था। तत्पश्चात 5 मई 1821ई. को उसकी मृत्यु हो गई थी।

चित्र-7. 3 नेपोलियन बोनापार्ट

क्रान्ति का प्रभाव- इस क्रान्ति का प्रभाव केवल फ्रान्स पर ही नहीं पड़ा था अपितु इसने समस्त विश्व को प्रभावित किया था। क्रान्ति के नारे **स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्त्व** का प्रचार-प्रसार सम्पूर्ण यूरोप में हुआ था। इन तीन शब्दों ने विश्व की राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया था। जिस प्रकार धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में सत्यम् शिवम् और सुन्दरम् का महत्व है। उसी प्रकार राजव्यवस्था में स्वतन्त्रता, बन्धुत्त्व एवं समानता का है। इस क्रान्ति से राष्ट्रवाद, जनतन्त्रवाद जैसी नई शक्तियों को विकसित होने

का अवसर मिला, तो दूसरी तरफ आधुनिक तानाशाही और सैनिक शासन का सूत्रपात होने लगा था।इस क्रान्ति ने सामन्तवाद को दुनिया से समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया और मानव अधिकारों की घोषणा से व्यक्ति की महत्ता प्रतिपादित हुई थी। यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी थी। धर्मनिरपेक्षता की भावना के उदय होने कारण, धर्म को शासन से अलग किया जाने लगा था। इस क्रान्ति के परिणामस्वरूप अधिनायकवाद का उदय हुआ और समाजवादी विचारधारा ने अपना विस्तार किया था,जिससे मजदूर,व गरीब वर्ग की स्थिति में सुधार होने लगा था।

क्रान्ति का विश्वव्यापी स्वरूप- फ्रान्स की क्रान्ति मात्र एक राष्ट्रीय घटना नहीं थी। इसने सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित किया था। किसी ने कहा है कि **यदि फ्रान्स को जुकाम होता है तो समस्त यूरोप छींकता है।** फ्रान्सिसी क्रान्ति एक विश्वव्यापी चरित्र को लिए हुए थी। क्रान्तिकारियों ने 1789 ई. में नागरिक अधिकारों की घोषणा की, जिसके अन्तर्गत कहा गया कि 'जन्म से समान पैदा होने के कारण सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। यह घोषणा सिर्फ फ्रान्स के लिए नहीं अपितु संसार के उन सभी लोगों की भलाई के लिए है, जो स्वतन्त्र होना चाहते हैं। इस क्रान्ति के परिणाम दूरगामी रहे थे, जिससे आने वाले समय में दूसरे देशों के स्वाधीनता आन्दोलन प्रेरित होते रहे हैं।

निष्कर्ष- विश्व इतिहास में फ्रान्स का क्रान्ति को विशिष्ट महत्व है। यह मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस क्रान्ति ने न केवल फ्रान्स अपितु युरोप के जनजीवन में परिवर्तन किया था। इसने सदियों से चली आ रही राजतन्त्रीय और सामन्ती व्यवस्था को नष्ट कर आधुनिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया था।

फ्रांसिसी क्रान्ति की महत्त्वपूर्ण तिथियां एवं घटनाक्रम

वर्ष	घटनाक्रम
1774	लुई सोलहवां राजा बनारिक्त राजकोष और राज ,तन्त्र के प्रति जनता में असन्तोष ।
1789	एस्टेज जनरल का आह्वान, तृतीय एस्टेज द्वारा नेशनल असेंबली का गठन, वास्तील पर हमला और किसान विद्रोह।
1791	संविधान का निर्माण
93-1792	गणराज्य की स्थापना और डायरेक्ट्री का शासन
1804	नेपोलियन ने राजसत्ता संभाली और यूरोप के बड़े भूभाग पर कब्जा-
1815	वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. फ्रान्स की क्रान्ति सन्.....हुई थी।

अ. 1889 ई. में ब. 1789 ई. में स. 1911 ई. में द. 1198 ई. में

2. फ्रान्स की क्रान्ति के समय वहाँ का शासक.....था।

अ. लुई 16 वाँ ब. लुई 15 वाँ स. लुई 11 वाँ द. इनमें से कोई नहीं

3. नेपोलियन फ्रान्स का सम्राट ..... बना।

अ. 1804 ई. में ब. 1789 ई. में स. 1911 ई. में द. 1198 ई. में

4. फ्रान्स में महिलाओं को मताधिकार सन्..... प्राप्त हुआ था-।

अ. 1804 ई. में ब. 1989 ई. में स. 1911 ई. में द. 1946 ई. में

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. फ्रान्सिसी समाज के ..... में शिक्षक, व्यापारी शामिल थे। (प्रथम वर्ग/मध्यम वर्ग)
2. फ्रान्स का प्रथम काउन्सल ..... बना था। (हिटलर/नेपोलियन)
3. फ्रान्सिसी जनता ने ..... के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। (कैंटेन/बास्तील)
4. **फ्रान्स मेम् व्यवस्थापिका की स्थापना..... हुई थी।** **(1791 ई./ 1795 ई.)**

सत्य/असत्य बताइए-

1. फ्रान्सिसी क्रान्ति के समय समाज में 4 वर्ग थे। (सत्य/असत्य)
2. 'एमिली' रूसो द्वारा लिखी गई पुस्तक है। (सत्य/असत्य)
3. फ्रान्स में 14 जुलाई को स्वतन्त्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। (सत्य/असत्य)
4. 1815 ई. में फ्रान्स ने वाटरलू का युद्ध लड़ा था। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. नेपोलियन फ्रान्स का सम्राट बना	क. 1815 ई.
2. वाटरलू का युद्ध	ख. 1792 ई.
3. फ्रान्स में गणतन्त्र की स्थापना	ग. 1789 ई.
4. नागरिक अधिकारों की घोषणा	घ. 1804 ई.

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. नेपोलियन बोनापार्ट कहां का शासक था ?
2. फ्रान्स कितने स्टेट में विभक्त था ?
3. फ्रान्स में आतंक के राज्य की स्थापना कब हुई ?
4. द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. समानता का विचार क्या है ? यह किस देश की क्रान्ति की देन है ?
2. नेशनल कनवेंशन के क्या कार्य थे ?
3. आतंक के राज्य के बारे में आप क्या समझते हैं ?
4. फ्रान्सिसी क्रान्ति के आर्थिक कारण बताइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. फ्रान्स की क्रान्ति के कारण और प्रभाव बताइए।
2. फ्रान्सिसी क्रान्ति के कितने चरण हैं? विस्तार से समझाइए ।

परियोजना-

1. नेपोलियन बोनापार्ट की संक्षिप्त जीवनी लिखिए।

अध्याय- 8

समाजवाद और रूसी क्रान्ति

इस अध्याय में- समाजवाद, प्राचीन भारत में समाजवादी दृष्टिकोण, यूरोप में समाजवाद, औद्योगीकरण एवं समाज में परिवर्तन, यूरोप में समाजवाद और उसका समर्थन, रूसी क्रान्ति, रूसी साम्राज्य और समाजवाद, 1905 ई. की रूसी क्रान्ति, 1917 ई. की रूसी क्रान्ति के कारण, रूसी क्रान्ति के परिणाम, और वर्तमान में रूसी क्रान्ति की प्रासांगिकता।

समाजवाद (Socialism) एक आर्थिक-सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन-सम्पत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियन्त्रण में रहते हैं। इस विचारधारा के अनुसार, सम्पदा का उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथों में होना चाहिए। आधुनिक राजनीति के अर्थ में समाजवाद को पूँजीवाद या मुक्त बाजार के सिद्धान्त के विरूद्ध देखा जाता है। समाजवाद एक आधुनिक राजनीतिक विचारधारा के रूप में युरोप में अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में उदित हुए औद्योगिकीकरण के रूप में विकसित हुआ था।

प्राचीन भारत में समाजवादी दृष्टिकोण- भारत में समाजवाद कोई नई अवधारणा नहीं है। इस विचारधारा का उद्गम वेद हैं, जो समष्टिवाद, साम्यवाद, समाजवाद आदि के स्रोत हैं। वैदिक समाजवाद के सिद्धान्त मनुष्य के सत्यान्वेषण और पक्षपात रहित ज्ञान में दृष्टिगत होते हैं। जबकि मानवजनित विविध वादों (Ism) पर परिस्थितियों का प्रभाव होता है, जो कालान्तर में मूल धारणा से दूर हो जाते हैं। **"इषेत्त्वा इषेत्त्वोर्जेत्त्वाव्वयवस्त्थदेवोव: सविता-प्प्रार्प्पयतु श्श्रेष्ठतमाय कर्म्मण।" (यजुर्वेद** 1.1) अर्थात् हे सविता देव ! तुम सब, हम सबको श्रेष्ठ कर्म के लिए प्रेरित करो। यहाँ तुम और हम जैसे शब्द समष्टि भाव से समाज को श्रेष्ठतम करने की प्रेरणा इस मन्त्र में दी गई है।

> **इसे भी जानें**
> - ब्रिटिश राजनीतिक विचारक सी. एम. जोड ने समाजवाद को 'एक ऐसी टोपी की संज्ञा दी थी, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार पहन लेता है'।

यूरोप में समाजवाद का उदय- फ्रान्सिसी क्रान्ति के कारण फ्रान्स में सामन्ती, तानाशाही, राजशाही व्यवस्था समाप्त हो गई थी, जिसका प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा था। इस क्रान्ति के परिणामस्वरूप यूरोप में भी सामाजिक परिवर्तन होने लगे थे। यूरोप में समाजवाद का विकास अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में हुआ था।

उदारवादी, रैडिकल और रूढ़िवादी- यूरोप में सामाजिक परिवर्तनों के बारे में लोगों के अलग-अलग विचार प्रदान किए गए थे, जैसे- कुछ लोग समाज में शीघ्र परिवर्तन चाहते थे, तो कुछ का मानना था कि परिवर्तन धीरे-धीरे होना चाहिए। इनमें कुछ रूढ़िवादी थे, तो कुछ उदारवादी अथवा आमूल परिवर्तनवादी थे। **उदारवादी समूह** ऐसे राज्य का निर्माण चाहता था, जिसमें सभी धर्म समान हों। वे वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोध करते थे। उनका मानना था कि सरकार के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यह समहू लोकतन्त्रवादी (Democrat) नहीं था। **रेडिकल समूह** बहुमत पर आधारित सरकार चाहते थे और ये नीजि सम्पत्ति के विरोधी नहीं थे। ये केवल सम्पत्ति के संकेन्द्रण के विरुद्ध थे। ये महिला मताधिकार के समर्थक थे। **रूढ़िवादी समूह,** रैडिकल तथा उदारवादी दोनों दलों के विरुद्ध था, परन्तु 19वीं सदी के आगमन तक रूढ़िवादी समूह भी मानने लगा कि परिवर्तन आवश्यक है।

औद्योगीकरण एवं समाज में परिवर्तन- औद्योगिक क्रान्ति के समय यूरोप में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन अत्यधिक हुए थे। औद्योगिक क्रान्ति के कारण नये-नये उद्योगों की स्थापना होने के कारण, नये-नये नगर बस रहे थे और रेलवे का भी विस्तार किया जा रहा था। परन्तु इस दौरान यूरोप में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही थी। नगरीकरण में वृद्धि होने से नगरों में मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति में कठिनाई होने लगी थी। उस समय सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। रेडिकल तथा उदारवादी लोगों के पास आर्थिक सम्पदा अपने उद्योगों और व्यवसाय द्वारा अर्जित की गई थी। इनका मानना था कि सभी को रोजगार, स्वास्थ्य और जीवन उपयोगी सुविधाएँ दी जानी चाहिए, जिससे सभी लोग स्वतन्त्रतापूर्वक अपना जीवन यापन कर, उन्नति की ओर अग्रसर हो सकें। इन विचारों से यूरोप के तत्कालीन समाज में परिवर्तन होने लगे थे। 1815 ई. में यूरोप के अनेक देशों में बनी सरकारों से राष्ट्रवादी, उदारवादी तथा रेडिकल लोग छुटकारा चाहते थे, इसके कारण वहाँ आंदोलन होने लगे थे। फ्रान्स, इटली, जर्मनी, रूस आदि देशों में आंदोलनकारी राजतन्त्र को समाप्त कर, सभी नागरिकों को समान अधिकार वाला राज्य चाहते थे।

यूरोप में समाजवाद और उसका समर्थन- समाजवादी विचारधारा ने यूरोपीय समाज को पुनर्गठित कर, उसे दूरगामी दृष्टि प्रदान की थी। यूरोप में समाजवाद का अभ्युदय उन्नीसवीं सदी तक हो चुका था। समाजवादी व्यक्तिगत सम्पत्ति के विरोधी थे। वे सम्पत्ति का स्वामित्त्व सरकार के हाथों में चाहते थे। उनका मानना था कि पूँजीवादी लोग केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए काम करते हैं। प्रमुख समाजवादी विचारकों में कालमार्क्स का नाम उल्लेखनीय है। कार्ल मार्क्स की सबसे प्रसिद्ध कृति **'दास कैपीटल'** है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि, जब तक पूँजीवादी सम्पत्ति का संचय करते रहेंगे, तब तक समाज में

मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। उसका विश्वास था कि पूँजीपतियों से सङ्घर्ष में जीत मजदूर वर्ग की होगी। उसने भविष्य के इस समाज को **'साम्यवाद'** नाम दिया था।

समाजवाद का विस्तार 1870 ई. के दशक तक सम्पूर्ण यूरोप में हो चुका था। इस दौरान समाजवादियों ने अपने हितों की रक्षा के लिए द्वितीय इन्टरनेशनल नामक संस्था (1900 ई.) का गठन कर लिया था। ये संस्था निर्वाचन के समय यूरोप के देशों में समाजवादियों की सहायता करती थी। इस कालखण्ड में ब्रिटेन में लेबर पार्टी, जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, फ्रान्स में सोशलिस्ट पार्टी आदि प्रमुख समाजवादी सङ्गठन हुआ था। ये समाजवादी पार्टियां चुनावों को जीतती अवश्य थीं परन्तु कभी सरकार के लिए आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं कर सकीं थी।

सारणी 8.1

प्रमुख समाजवादी विचारकों की सूची

राबर्ट ओवेन (इंग्लैण्ड)	**1858-ई. 1771ई.**
लुई ब्लाँक (फ्रान्स)	1882-ई. 1813ई.
कार्ल मार्क्स (जर्मनी)	1882-ई. 1818ई.
फ्रेडरिक एंजेल्स	1895-ई. 1820ई

रूसी क्रान्ति- रूसी क्रान्ति बीसवीं सदी की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना थी, जो 1917 ई.में घटित हुई थी। इस क्रान्ति ने जार निकोलस द्वितीय के स्वेच्छाचारी साम्राज्य का अन्त कर, नए रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना की। जहाँ फ्रान्स की क्रान्ति ने विश्व में स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना का विस्तार किया था, वहीं रूसी क्रान्ति ने निरंकुश, एकतंत्री और स्वेच्छाचारी साम्राज्य (शासन) को समाप्त कर, कुलीन जमींदारों, पूँजीपतियों, सामन्तों आदि की आर्थिक एवं सामाजिक सत्ता का अन्त किया था। इसी क्रान्ति के परिणामस्वरूप मजदूरों तथा किसानों की विश्व में प्रथम सत्ता स्थापित हुई थी।

रूसी साम्राज्य और समाजवाद- वर्तमान फिनलैंड, लिथुआनिया, एस्तोनिया, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड और मास्को के आस-पास का क्षेत्र रूसी साम्राज्य का अङ्ग था। उस समय रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन था। रूसी साम्राज्य में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध धर्म के लोग रहते थे। रूसी साम्राज्य की 85% आबादी कृषि पर निर्भर थी, जो उस समय में यूरोपीय देशों में सबसे अधिक थी। रूस में उद्योगों का कम विकास हुआ था और अधिकतर उद्योग निजी क्षेत्र में थे। मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें लगातार बहुत अधिक समय तक कार्य करना पड़ता था और उनको पारिश्रमिक भी बहुत कम मिलता था। उस समय मजदूर कई वर्गों में विभाजित थे और पुरूषों की तुलना में महिला मजूदरों को बहुत कम मजदूरी मिलती थी। किसान और मजदूर वर्ग में अत्यधिक असंतोष होने के कारण हड़ताल व प्रदर्शन होते रहते थे। रूस के किसानों की स्थिति यूरोप के अन्य देशों के किसानों से भिन्न

थी। यहाँ के किसान समय-समय पर अपनी भूमि को कम्यून (मीर) को सौंप देते थे और कम्यून, प्रत्येक परिवार की आवश्यकता के अनुसार उस जमीन को किसानों को प्रदान करते थे।

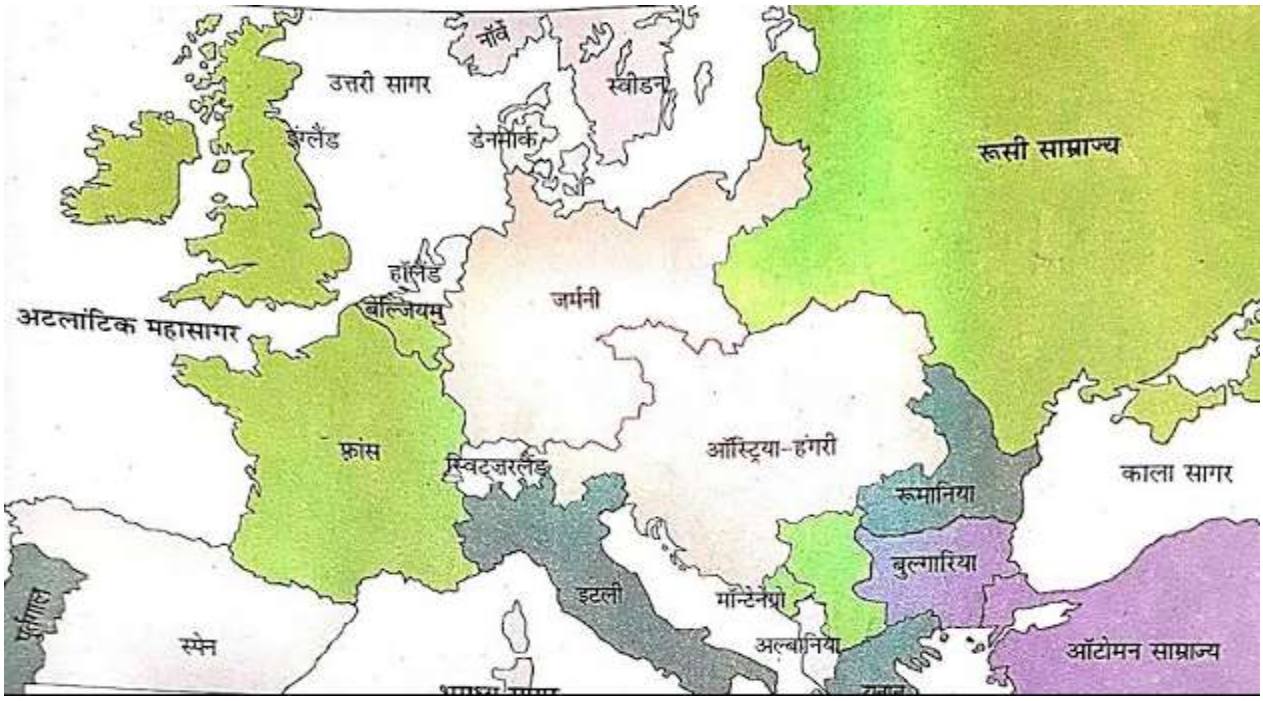

मानचित्र- 8.1- 1914 ई. में रूसी साम्राज्य

रूस में 1914 ई. से पूर्व राजनीतिक पार्टियां वैधानिक नहीं थीं। 1898 ई. में कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने **'रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी'** की स्थापना की थी। इस पार्टी ने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कार्य किया था। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में समाजवादी अधिक सक्रिय थे। उन्होंने 1900 ई. में समाजवादी क्रान्तिकारी दल का गठन किया था। यह दल किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता था। परन्तु सामाजिक डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी और सामाजिक क्रान्तिकारी दल किसानों के बारे में एकमत नहीं थे। प्रमुख समाजवादी नेता लेनिन का मानना था कि किसानों में एकता नहीं है, इनमें आपसी विभेद हैं, इसलिए ये आन्दोलन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। सङ्गठन को लेकर वाल्शेविक दल और मन्शेविक दल में भारी मतभेद था। मेन्शेविक दल सभी लोगों को पार्टी की सदस्यता देना चाहता था परन्तु वाल्शेविक दल के मुखिया व्लादिमीर लेनिन के विचार थे कि जार से मुकाबला करने के लिए पार्टी के सदस्यों को अनुशासित होना चाहिए।

1905 ई. की क्रान्ति- बीसवीं सदी के प्रारम्भ में रूस में जार, राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। रूसी किसानों व मजदूरों के लिए 1904 ई. का वर्ष अच्छा नहीं था क्योंकि इस वर्ष रूस में मँहगाई अत्यधिक बढ़ गई थी और मजदूरों के वेतन में कटौती की जाने लगी थी, जिसके कारण जगह-जगह हड़तालें होने

लगी थी। इस समय 'गैपान' नामक पादरी के नेतृत्त्व में एक जनसमूह विंटर पैलेस (जार का महल) की ओर जा रहा था, उसी समय पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर आक्रमण कर 100 मजदूरों को मार दिया था। उस दिन रविवार होने के कारण रूसी क्रान्ति के इतिहास में इसे **'खूनी रविवार'** के नाम से जाना जाता है। यह घटना 1905 ई. की क्रान्ति का तात्कालिक कारण बनी थी। सम्पूर्ण रूस में लोगों ने हड़ताल कर संविधान सभा के निर्माण की मांग करते हुए **'यूनियन ऑफ यूनियन्स'** की स्थापना की थी। क्रान्ति के परिणामस्वरूप जार ने डयूमा (संसद) के गठन को मंजूरी दे दी।

इसे भी जानें-
- रूस के मजदूरों का राजनीतिक गुट मेन्शेविक कहलाता है।
- रूस में मजदूरों का ऐसा दल जो सीधी क्रान्ति में विश्वास रखता था, उन्हें वाल्शेविक कहा जाता था।

डयूमा के गठन के पश्चात भी रूस में स्थायी शान्ति नहीं हुई थी। कुछ समय पश्चात 1914 ई. में प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया था। यूरोपीय देश दो समूहों में विभक्त हो गए थे। एक समूह में जर्मनी,ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, तो दूसरे समूह में ब्रिटेन, फ्रान्स, रूस , इटली आदि देश थे। इस युद्ध के प्रारम्भ में रूस की जनता ने जार का साथ दिया था परन्तु जार की गलत नीतियों के कारण, उसे जन समर्थन मिलना बन्द हो गया था। 1914-16 ई. के मध्य प्रथम विश्व युद्ध में रूस की सेना की पराजय हुई थी। इसी समय रूस में बेरोजगारी, मँहगाई, उद्योग-धन्धों का विनाश और खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप 1917 ई.की क्रान्ति हुई थी।

इसे भी जानें-
- 1905 ई. में जापान ने रूस को युद्ध में पराजित कर दिया था।
- प्रथम विश्व युद्ध के समय रूसी शाही सेना को 'रूसी स्टीम रोलर' कहा जाता था।

1917 **ई. की रूसी क्रान्ति के कारण**- रूस की क्रान्ति दो चरणों में सम्पन्न हुई- मार्च 1917 ई. की क्रान्ति और अक्टूबर 1917 ई. की क्रान्ति।इस क्रान्ति के प्रमुख कारण निरंकुश राजतन्त्र एवं स्वेच्छाचारी शासक, सामाजिक-आर्थिक विषमता, किसानों की दयनीय स्थिति, श्रमिकों की बदतर स्थिति, समाजवादी विचारधारा का प्रसार, बौद्धिकों की भूमिका, **रूस** एवं जापान युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव आदि हैं।

फरवरी 1917 ई. की क्रान्ति- रूस में 1917 ई. में स्थिति बहुत दयनीय थी। उस समय रूसी समाज में विभिन्नताएँ अत्यधिक थीं। तत्कालीन संसदीय प्रतिनिधि निर्वाचित सरकार को बचाना चाहते थे और जनता डयूमा को बर्खास्त करने के लिए आन्दोलन कर रही थी। उस समय चारों ओर अराजकता का वातावरण था। सरकार व जार के विरुद्ध अत्यधिक धरने प्रदर्शन हो रहे थे। सेना और पुलिस ने

क्रान्तिकारी किसानों और मजदूरों का साथ दिया था। इस आन्दोलन में महिला मजदूरों की सङ्ख्या अधिक होने के कारण वे आन्दोलनों का नेतृत्त्व कर रहीं थीं। आन्दोलन के परिणामस्वरूप जार को अपना राजसिंहासन छोड़ना पड़ा था। डयूमा को भङ्ग कर दिया गया और उसके स्थान पर सैनिकों और मजदूरों ने एक सोवियत (परिषद) का गठन किया, जिसने आगे चलकर सोवियत रूस को जन्म दिया था। सार्वभौम मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया था।

इसे भी जानें-

- रूस की फरवरी 1917 ई. की क्रान्ति में महिलाओं ने भाग लेते हुए हड़ताल शुरू की थी इस दिन ग्रगोरियन कलेंडर के अनुसार 8 मार्च थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को हम अन्तार्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। स्वशासी संगठनों को सोवियत कहा जाता था।

अक्टूबर सन् 1917 की क्रान्ति- रूस की अन्तरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति आदि प्रभावशाली लोग थे। इस सरकार ने सभा करने और सङ्गठन बनाने की छूट प्रदान की थी, जिसके कारण रूस में सभी स्थानों पर सोवियतों का गठन हुआ था। उस समय निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे वाल्शेविक के नेता लेनिन वापिस आ चुके थे। अब उसने युद्ध समाप्ति, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, किसानों को भूमि देने आदि की मांग की थी,जिसे इतिहास में **अप्रैल थीसिस** के नाम से जाना जाता है। धीरे- धीरे अन्तरिम सरकार और वाल्शेविकों में गतिरोध बढ़ने लगा था। दोनों एक-दूसरे के प्रति अविश्वास करते हुए सन्देह की दृष्टि से देखने लगे थे। लेनिन ने सत्ता पर अधिकार करने के लिए लियान ट्राटस्की के नेतृत्त्व में सैनिक क्रान्तिकारी समिति का गठन किया था। 24 अक्टूबर 1917 ई. में विद्रोह शुरू हुआ और वाल्शेविकों ने सरकारी कार्यालयों और विंटर पैलेस पर अधिकार कर लिया था। पेत्रोगाद में अखिल रूसी सोवियतों की बैठक हुई थी और उसने वाल्शेविकों का समर्थन किया था। दिसम्बर माह तक रूस में वाल्शेविकों का शासन हो गया था और अप्रैल थीसिस को लागू कर दिया गया था। वाल्शेविक दल ने अपना नाम परिवर्तित कर '**रूसी कम्युनिस्ट पार्टी**' रख लिया था। 1917 ई. में संविधान सभा के चुनावों में वाल्शेविकों की हार हुई और लेनिन ने असेम्बलियों को भङ्ग कर दिया था क्योंकि रूसी सोवियत उनसे ज्यादा लोकतान्त्रिक थी। इस प्रकार अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को

चित्र- 8.1 अप्रैल 1917 में मजदूरों को सम्बोधित करते हुए लेनिन

संसद का दर्जा दिया गया और रूस में एकदलीय शासन व्यवस्था प्रारम्भ हुई, जो विश्व में एकमात्र थी। इस प्रकार रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। शासन में केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था लागू की गई थी। रूस में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया गया।

रूसी क्रान्ति के परिणाम- रूसी क्रान्ति के राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक परिणाम व्यापक थे। इन परिणामों का संक्षिप्त विवेचन निम्न प्रकार है-

राजनीतिक परिणाम- क्रान्ति के फलस्वरूप रूस में राजतन्त्र समाप्त हो गया था। रूस में सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हो गया था। रूस द्वारा पूँजीवाद व उपनिवेशवाद के विरोध के कारण उसे औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति का अग्रदूत माना जाने लगा था। रूस ने जर्मनी के साथ बेस्टलिटोवस्क की संधि कर, प्रथम विश्वयुद्ध से अलग हो गया।

आर्थिक परिणाम- रूस में उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राज्य का नियन्त्रण स्थापित हो गया था। पूँजीवादी देशों से रूस को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिला था। वह अपनी वैज्ञानिक-तकनीकी विकास के द्वारा आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर हुआ और रूस द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से आर्थिक विकास करने के कारण वह वैश्विक आर्थिक मन्दी से दुष्प्रभावित नहीं हुआ था।

सामाजिक परिणाम- इस क्रान्ति के परिणामस्वरूप रूस में वर्ग भेद और चर्च के शासन की समाप्ति हुई थी। शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ था। राज्य द्वारा 16 वर्ष की आयु तक नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था।

वर्तमान में रूसी क्रान्ति की प्रासंगिकता- मार्क्स के विचारों की महत्ता आज भी है, क्योंकि यदि विश्व की आधुनिक पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाए, तो यह देखने को मिलता है कि आर्थिक मन्दी या फिर सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार सृजन के संभावित खतरे पूँजीवाद के कारण ही हैं। वर्तमान में पूँजीवाद यानी नव उदारवादी पूँजीवाद ने हमारे पर्यावरण को मनमानी क्षति पहुँचाई है। जलवायु परिवर्तन के कारण आज संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व खतरे में है। मार्क्सवाद तथा समाजवाद द्वारा इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

रूस की क्रान्ति के पश्चात समाजवाद को वैश्विक स्तर पहचान मिली। सोवियत सङ्घ के अतिरिक्त विश्व के दूसरे देशों में भी साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। विश्व के अधिकांश देशों ने 'कान्फ्रेंस आफ द ईस्ट' (1920 ई.) और 'कामिन्टर्न' (वाल्शेविकों समर्थकों का अन्तरराष्ट्रीय महासङ्घ) में भाग लिया था। विश्व में एक वैकल्पिक व्यवस्था की स्थापना के प्रयास के रूप में रूसी बाल्शेविक क्रान्ति हमेशा एक प्रेरणास्त्रोत बनी रहेगी। वास्तव में समाजवादी लोकतन्त्र का भारत में विशेष महत्त्व है। आज

भी हमारी सरकारें समाज कल्याण के लिए अनेक योजनाएँ बनाती हैं। समाज के अन्तिम व्यक्ति तक सरकार की पहुँच और सबको रोजगार देने की आवश्यकता पहले भी थी और वर्तमान में भी है।

सारणी 8.2

रूसी क्रान्ति की प्रमुख तिथियाँ

वर्ष	प्रमुख घटनाएँ
1880-1850	रूस में समाजवाद पर बहस
1898	रशियन सोसल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी की स्थापना
1905	खूनी रविवार और क्रान्ति
1917	2 मार्च को जार द्वारा पद त्याग और 24 अक्टुबर को पित्रोगाद का वाल्शेविक विद्रोह
20-1918	गृह युद्ध
1929	सामूहिकीकरण की शुरूआत

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. काल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम..... है।
   अ. दास कैपीटल ब. वार एण्ड पीस स. मैक्बैथ द. इनमें से कोई नहीं
2. द्वितीय इन्टर नेशनल संस्था की स्थापना सन्..... हुई।
   अ. 1900 ई. में ब. 1899 ई. में स. 1889 ई. में द. 1785 ई. में
3. रूसी क्रान्ति से ..... निरंकुश शासन समाप्त हुआ।
   अ. लुई 16 वां ब. जार स. नबाब द. इनमें से कोई नहीं
4. 1917 ई. वाल्शेविक दल का प्रमुख नेता ..... था।
   अ. लुई 16 वां ब. जार स. लेनिन द. कार्ल मार्क्स

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. समाजवाद को एक ..... की संज्ञा दी गई थी। (कलम/टोपी)
2. रूसी क्रान्ति ..... में हुई। (1917 ई./1919 ई.)
3. रूस में क्रान्ति के पश्चात् ..... वर्ग के शासन की स्थापना हुई। (कुलीन/सर्वहारा)
4. रूस ने जर्मनी के साथ..... की संधि की थी। (बेस्टलिटोवस्क/ मास्को)

सत्य/असत्य बताइए-

1. जापान ने 1905 ई. के युद्ध में रूस को पराजित किया था। (सत्य/असत्य)

2. प्रथम विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ। (सत्य/असत्य)

3. 1917 में क्रान्ति के समय फ्रान्स की राजधानी पेत्रोगाद थी। (सत्य/असत्य)

4. 1905 ई. की क्रान्ति का तत्कालिक कारण खूनी रविवार की घटना थी। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजए-

1. लेबर पार्टी	क. फ्रान्स
2. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी	ख. ब्रिटेन
3. सोशलिस्ट पार्टी	ग. रूस
4. रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी	घ. जर्मनी

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. प्रमुख समाजवादी विचारकों के नाम लिखिए ।
2. समाजवादियों की संस्था का क्या नाम था ?
3. रूसी क्रान्ति कितने चरणों में हुई थी ?
4. लेनिन किस दल का नेता था ?
5. रूस कौनसी संधि के द्वारा प्रथम महायुद्ध से अलग हो गया था ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. 1917 ई. की रूसी क्रान्ति के कारण बताइए।
2. उदारवादी, रैडिकल और रूढ़िवादियों के बारे में आप क्या जानते हैं।
3. 1905 की रूसी क्रान्ति के बारे में समझाइए ?
4. रूस में समाजवाद की स्थापना कैसे हुई थी ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. समाजवाद के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए।
2. रूसी क्रान्ति के बारे में विस्तार से समझाइए ।

परियोजना कार्य-

1. रूसी क्रान्ति के प्रमुख समाजवादी नेता लेनिन पर संक्षिप्त निबन्ध लिखो।

अध्याय-9

नात्सीवाद

इस अध्याय में- नात्सीवाद, वाइमर गणराज्य, प्रथम विश्व युद्ध (1914-18 ई.), वर्साय की संधि, रैडिकलवादी (परिवर्तनवाद), आर्थिक मन्दी, हिटलर का उदय (1889-1945), जर्मनी का एकीकरण, नात्सियों का वैश्विक दृष्टिकोण, नात्सी शासन में युवा व महिलाओं की स्थिति, नात्सियों की प्रचार कला, निष्कर्ष आदि।

नात्सीवाद- नात्सी शब्द जर्मन भाषा के 'नात्सियोणाल' शब्द के शुरू के अक्षरों से बना है। यह शब्द हिटलर की पार्टी का प्रथम शब्द था इसलिए इस पार्टी के लोगों को नात्सी कहा जाता था। नात्सीवाद जर्मन तानाशाह **'एडोल्फ हिटलर'** की विचारधारा थी। यह विचारधारा सरकार और जनता के बीच एक नये रिश्ते की पक्षधर थी। इस विचारधारा के अनुसार हर योजना का क्रियान्वन सरकार द्वारा हो, परन्तु वह योजना जनता और समाज की भागीदारी से चले। नात्सीवादी लोगों की कट्टर राष्ट्रवाद, देशप्रेम, विदेशी-विरोध, जर्मन हित, यहुदियों से नफरत आदि प्रमुख विशेषताएँ थीं। नात्सीवादी लोग यूरोप तथा जर्मनी में बुराई के लिए यहुदियों को दोषी मानते थे। नाजियों की केन्द्र में अपनी सरकार बनते ही, जर्मनी में हिटलर की तानाशाही स्थापित हुई थी । इसके पश्चात नाजियों ने यहूदियों की निर्मम हत्याएँ की थीं। जर्मनी में नात्सीवाद के उदय के निम्न कारण थे।

वाइमर गणराज्य- बीसवीं सदी के प्रारम्भ में जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र था। जर्मनी ने इंग्लैंड, फ्रान्स, रूस के विरूद्ध 1914-18 ई. तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में अमेरीका के सम्मिलित होने से जर्मनी की हार हुई थी। युद्ध के परिणामस्वरूप जर्मनी के सम्राट ने पदत्याग दिया था और वहाँ लोकतन्त्र की स्थापना हुई थी। इस नई शासन व्यवस्था में जर्मन संसद (राइखस्टाग) के सदस्यों के निर्वाचन के लिए सार्वभौम व्यस्क मताधिकार

इसे भी जानें-

- नवम्बर 1918 ई. में प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली वर्साय सन्धि में मध्यस्ता और करने वाले राजनेताओं को जर्मनी में नवम्बर का अपराधी कहा जाता है।
- विश्व युद्ध में अमेरीका, सोवियत संघ,ब्रिटेन और उनका सहयोग करने वाले देशों को मित्र राष्ट्र कहलाए थे।
- विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के विरुद्ध लड़ने वाले धुरी राष्ट्र कहलाए थे। जैसे- जर्मनी, इटली, टर्की, जापान आदि।

का प्रयोग करने लगे थे। इस शासन प्रणाली को ही **'वाइमर गणराज्य'** कहा जाता है। वाइमर गणराज्य ने ही मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय की संधि (1918 ई.) में की थी, जो जर्मन हित में नहीं थी। जर्मन लोग इस संधि के लिए वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार मानते थे।

प्रथम विश्व युद्ध (1914-18 ई.)- प्रथम विश्व युद्ध ने जर्मनी ही नहीं सम्पूर्ण युरोप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक स्तर पर तोड़ कर रख दिया था। पहले यूरोप महाद्वीप के देश दूसरे देशों को ऋण देते थे, अब स्वयं ऋण लेने लगे थे। युद्ध क्षतिपूर्ति भुगतान के कारण जर्मनी आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका था। लोग वाइमर गणराज्य के रूढ़िवादी लोगों को राष्ट्रवाद की ओट में 'नवम्बर के अपराधी' कहकर उनका अपमान करते थे। इस युद्ध के पश्चात सिपाहियों को सम्मान जनक दृष्टि से देखा जाने लगा था परन्तु उनका जीवन नारकीय था।

चित्र 9.1- वर्साय की संधि

वर्साय की संधि- प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ 28 जून, 1919 ई. को वर्साय की संधि की थी। इस संधि के अनुसार जर्मनी को युद्ध अपराध बोध के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार माना और उसके खनन और उपजाऊ क्षेत्रों पर मित्र राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया था, उसकी सेना भङ्ग करदी गई और उस पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया था। इस सन्धि को जर्मन लोग अपना अपमान समझते थे इसलिए वे नाजीवादी विचारधारा से प्रभावित हुए थे।

रैडिकलवादी (परिवर्तनवाद)- जब जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई,उसी समय रूसी वाल्शेविक क्रान्ति से प्रभावित होकर जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग की स्थापना हुई थी। इस लीग ने जर्मनी में साम्यवाद की नींव डाली थी और वे समाजवाद का प्रसार-प्रचार करने लगे थे। इस विचारधारा के लोग जर्मनी में आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे परन्तु नाजीवादी, रूस से प्रभावित समाजवादी विचारधारा के प्रबल विरोधी थे।

आर्थिक मन्दी- जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वर्साय की संधि और युद्ध क्षतिपूर्ति के कारण आर्थिक संकट का काल शुरू हो चुका था। इस आर्थिक संकट के निराकरण के लिए जर्मन सरकार ने अत्यधिक मुद्रा का मुद्रण किया था,जिसके

इसे भी जानें-

- गरीब होते-होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुँच जाना सर्वहाराकरण कहलाता है।

कारण जर्मन मुद्रा (मार्क) का मूल्य गिर गया था। ऐसा माना जाता है कि उस समय जर्मनी में पावरोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी भर कर, नोट ले जाने पड़ते थे। इस संकट को अति-मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। इस संकट की घड़ी में अमेरीका ने जर्मनी की सहायता की थी। इसके लिए उसने **'डाव्स योजना'** बनाई, युद्ध क्षतिपूर्ति की दरों को पुन: निर्धारित किया गया था, जिससे जर्मनी में कुछ समय के लिए स्थिरता रही थी परन्तु 1929 ई. में अमेरीका में आर्थिक महामन्दी आने के कारण जर्मनी को अमरीकी सहायता मिलनी बंद हो गई और इस महामन्दी के कारण जर्मनी में बेरोजगारी दर बढ़ गई थी। जर्मन जनता में डर, निराशा का वातावरण होने से युवा वर्ग अपराध की ओर बढा, मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, उद्योग धन्धे नष्ट हो गये थे । इससे सर्वहाराकरण का डर जनता में होने लगा था। जर्मनी में बार-बार सत्ता परिवर्तन होने के कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्था में लोगों को अविश्वास होने लगा था। परिणामस्वरूप नाजीवाद का प्रभाव बढ़ने लगा था।

हिटलर का उदय (1889-1945)- नात्सीदल के उत्कर्ष होने के सभी गुण थे। वह एक प्रतिभावान चतुर राजनीतिज्ञ, महान वक्ता और एक वीर योद्धा था। उसमें परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक दाँव-पेचों को अपने अनुकूल कार्यान्वित करने की अद्भुत योग्यता थी। उसकी वक्तृत्त्व शक्ति अद्भुत थी। उसकी वाणी में एक विचित्र मोहनी शक्ति थी, जो श्रोताओं को मन्त्र-मुग्ध कर देती थी। बैन्स ने उसके सम्बन्ध में लिखा है, **'हिटलर एक कुशल मनोवैज्ञानिक था, एक चतुर जन-नेता था और एक श्रेष्ठ अभिनेता था'**। वह एक साधनसम्पन्न आन्दोलनकारी तथा एक योग्य सङ्गठनकर्त्ता था। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण वह उस राष्ट्र का अधिनायक बन गया, जिसका वह मूल नागरिक भी नहीं था। इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि उसकी उन्नति में जनमत का बहुत सहयोग रहा था। 1889 ई. में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था अत्यन्त गरीबी में गुजरी थी। प्रथम विश्वयुद्ध के आरम्भ में वह जर्मन सेना में भर्ती हुआ था। उसने सेना में अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक, कॉर्पोरल आदि पदों पर रहकर, बहादुरी के पदक प्राप्त किए थे परन्तु जर्मन सेना की पराजय और वर्साय की संधि ने उसे विद्रोही बना दिया था। जर्मनी के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट ने हिटलर का सत्ता में पहुँचने का

चित्र 9.2- हिटलर

मार्ग प्रशस्त कर दिया था। 1919 ई. में हिटलर ने 'जर्मन वर्कर्स पार्टी' की सदस्यता ली और धीरे-धीरे सङ्गठन पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया था। उसने इसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया था,जो आगे चलकर नात्सीपार्टी के नाम से जाना गया था।

1930 ई. की महामन्दी काल में नात्सीवाद ने आंदोलन का रूप ले लिया था और नात्सी प्रोपेगेंडा के अन्तर्गत लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई थी। नात्सी पार्टी को जर्मन संसद राइट राइखस्टांग के 1929 ई. के निर्वाचन में मात्र 2.6% मत मिले थे, वहीं 1932 ई. के निर्वाचन में 37% मतों को प्राप्त कर नात्सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। हिटलर अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करने के पश्चात वर्साय संधि के अन्याय और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा को दिलाने का आश्वासन देता था। वह कहता था कि, वह बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों को सुरक्षित भविष्य, जर्मनी को विदेशी-प्रभाव से मुक्त कर, सभी विदेशी षडयन्त्रों का उत्तर देगा।

हिटलर की राजनीति- हिटलर ने राजनीति की एक अलग शैली लोगों के बीच प्रस्तुत की थी। उसके प्रतिनिधि बड़ी-बड़ी रैलियाँ और सभाएँ करते थे। उन रैलियों में विशेष प्रकार से तालियां बजाना, स्वास्तिक छपे लाल झण्डे, नात्सी सैल्यूट से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, हिटलर को उपदेशक बताना आदि हिटलर के प्रतिनिधियों का प्रमुख कार्य था जिससे लोग उनकी ओर आकर्षित हों, और हिटलर को अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक माने।

लोकतन्त्र का ध्वंस- 30 जनवरी, 1933 ई. को हिटलर जर्मनी का चान्सलर बना। उसने शीघ्र ही फायर डिक्री के आदेश द्वारा प्रेस और सभा करना आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। कम्यूनिस्टों को कंसन्ट्रेसन कैम्पों मे बंद कर, उनका दमन किया था और साम्यवादी दल को गैरकानूनी करार घोषित कर दिया था। हिटलर ने 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का शिकार बनाया था। नाजी दल के विरोधी व्यक्तियों को जेल भेज दिया जाता था। जर्मन संसद को भङ्ग कर 3 मार्च, 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम (इनेबलिङ्ग एक्ट) पारित किया गया था। इस कानून के द्वारा जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी गई थी। नात्सी पार्टी और उससे जुडे सङ्गठनों के अतिरिक्त, सभी ट्रेड यूनियनों, राजनीतिक पार्टियों पर रोक लगा दी गई थी। हिटलर ने जर्मनी को एक खूंखार आपराधिक नात्सी राज्य में परवर्तित कर दिया था। इसके लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए थे। पहले से हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स के अतिरिक्त गुप्तचर राज्य पुलिस, अपराध नियन्त्रण पुलिस तथा सुरक्षा सेवा का गठन किया गया था।

जर्मनी का एकीकरण- सर्वप्रथम हिटलर ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए **'ह्यालमार शाख्त'** को वित्त विभाग जिम्मेदारी दी थी। उसने सौ प्रतिशत उत्पादन, सौ प्रतिशत रोजगार का लक्ष्य निर्धारित

कर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया था। प्रसिद्ध कार कम्पनी फाक्स-वैगन और जर्मन सुपर हाइवे उस समय की प्रसिद्ध परियोजनाएँ थीं। हिटलर ने राष्ट्र सङ्घ की सदस्यता छोड दी और वर्साय की संधि की शर्तों का उल्लंघन कर हारे हुए प्रदेशों पर अधिकार करने लगा था।उसने **'एक जन एक साम्राज्य' का नारा दिया** था। वह शीघ्र ही जर्मनी का एकीकरण कर, यूरोप को जीतने के सपने देखे लगा था। हिटलर की साम्राज्यवादी नीति के कारण ही 1939 ई. में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। युद्ध के प्रारम्भ में उसे विजय मिली परन्तु उसने 1941 ई. में सोवियत रूस पर आक्रमण कर अपनी मूर्खता साबित कर दी थी और इस युद्ध में उसकी पराजय हुई थी। इस प्रकार जर्मनी से नात्सीवाद का अन्त हुआ और हिटलर ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी।

> **इसे भी जानें-**
> - प्रेस और नागरिक स्वतन्त्रताओं को प्रतिबन्धित करने वाले हिटलर के कानून को फायर डिक्री कहा जाता था।

नात्सियों का वैश्विक दृष्टिकोण- नात्सी विचारधारा हिटलर के दृष्टिकोण का पर्याय थी। इस दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का अधिकार नहीं था। इसके अनुरूप ब्लॉन्ड, नीली आँखों वाले, नार्डिक जर्मन सबसे ऊपर और सबसे अन्त में यहूदी लोगों को रखा गया था। नात्सी लोग यहूदियों को अपना कट्टर दुश्मन मानते थे। हिटलर ने सबसे अधिक अत्याचार यहूदियों पर किए, उसने इनको घेटो (दबड़ा) में रखा और समूल नष्ट करने का प्रयास किया था। हिटलर चार्ल्स डार्विन व हर्बर्ट स्पेंसर से बहुत प्रभावित था।वह स्पेंसर के **'सरवाइवल ऑफ द फिटेस्ट'** (अति जीविता का सिद्धान्त) को मानता था। इस सिद्धान्त के अनुसार, जो नस्ल सर्वाधिक ताकतवर है, वह जिन्दा रहेगी। नात्सी दल के लोगों को अधिक से अधिक क्षेत्रों में बसाना चाहिए, इससे देश का क्षेत्रफल विकसित होगा। इसके लिए पौलेंड को अपनी पहली प्रयोगशाला बनाया था।नात्सी लोग यहूदियों अतिरिक्त जिप्सियों, सूदखोर और घेटो आदि से भी घृणा करते थे।

नात्सी यूटोपिया- नात्सी यूटोपिया से आशय नस्ली कल्पना लोक से है। इसमें नस्ल विशेषज्ञों द्वारा पोलैंड के लोगों की नस्ल जाँच करवाई जाती थी। यदि वे नस्ली जाँच में उत्तीर्ण हो जाते थे तो उनका पालन पोषण जर्मनी में किया जाता

> **इसे भी जानें-**
> - जनमत को प्रभावित करने के लिए विशेष प्रकार का प्रचार प्रोपेगैंडा कहलाता है।
> - जर्मनी में ऐसे समूह, जो श्रेणीबद्ध थे और इनकी पहचान सामुदायिक थी जैसे- सिन्ती और रोमा समुदाय आदि को जिप्सी कहते थे।
> - किसी समुदाय को औरों से पृथक रखना घेटो या दड़बा कहलाता था।

था, तथा अनुत्तीर्ण होने पर अनाथालयों में डाल दिया जाता था, या गैस चैम्बरों में मार दिया जाता था। नात्सी लोग जनसंहार और युद्ध के द्वारा अपने कल्पना लोक अर्थात् आदर्श विश्व का निर्माण करना चाहते थे।

नात्सी शासन में युवा व महिलाओं की स्थिति- नात्सी शासन में जर्मनी के सभी युवाओं को बचपन से ही नात्सी विचारधारा के बारे में सिखाया जाता था। स्कूली पाठयक्रम में विद्यार्थियों को केवल नात्सी महिमामंडन का ज्ञान कराया जाता था।जर्मनी में 10 वर्ष के बच्चे को 'युंगफोक' सङ्गठन की सदस्यता दी जाती थी तथा 14 वर्ष की उम्र में हिटलर यूथ और 18 वर्ष की उम्र में लेबर सर्विस में शामिल किया जाता था। हिटलर का मानना था कि जर्मन राज्य की सर्वश्रेष्ठ नागरिक मां है। यदि वह जर्मन नस्ल के बच्चे को जन्म देती है, तो उसका सैनिकों की तरह सम्मान किया जाता था। उन्हें कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जाती थीं और जर्मन नस्ल का बच्चा नहीं पैदा होने पर उन्हें दण्डित किया जाता था।

नात्सियों की प्रचार कला- हिटलर ने प्रचार को अपना प्रमुख हथियार बनाया था। उसके शासन में मीडिया और भाषा कौशल का अत्यधिक उपयोग किया जाता था। नात्सियों ने अपने अभिलेखों में कभी हत्या शब्द का उल्लेख न करके उनको अन्तिम समाधान,संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से सम्बोधित किया है। हिटलर की छवि को आकर्षक दिखाया जाता था। नात्सियों का मानना था कि दुनिया की हर समस्या का समाधान उनके पास है।

चित्र- 9.3 जर्मन यातना गृह

निष्कर्ष- नात्सी शासन व्यवस्था दमन पर आधारित थी। उन्होंने यहूदियों का व्यापक स्तर पर नर संहार किया था। इसलिए विश्व इतिहास में इस शासन व्यवस्था को दमन का प्रतीक माना जाता है। हिटलर की गिनती एक तानाशाह, क्रूर,अत्याचारी शासक के रूप में होती है। नात्सियों के भीषण नर संहार को महाध्वंस (होलोकास्ट) की संज्ञा दी जाती है।

सारणी 9.1

जर्मन इतिहास की कुछ महत्त्वपूर्ण तिथियां

तिथियाँ	घटनाएँ
अगस्त 1,1914	प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ
नवम्बर 9,1918	जर्मनी की पराजययुद्ध समाप्त,वाइमर गणराज्य की स्थापना ,
जून 28,1919	वर्साय की संधि
जनवरी 30,1933	हिटलर का चान्सलर बनता है
सितम्बर 1,1939	जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमणद्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ ,
जून 22,1941	जर्मन सेनाओं का सोवियत रूस में प्रवेश
जून 23,1941	यहूदियों का नरसंहार
दिसम्बर 8,1941	द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरीका का प्रवेश
जनवरी 27,1945	सोवियत रूस द्वारा औषवित्स को मुक्त कराना
मई 8,1945	यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. अति जीविता का सिद्धांत .....ने दिया।

अ. कार्ल मार्क्स ब. हर्बर्ट स्पेंसर स. डार्विन द. हिटलर

2. विश्व में आर्थिक मन्दी.....आई।

अ. 1916 ई.में ब. 1929 ई.में स. 1924 ई.में द. कभी नहीं

3. प्रथम विश्व युद्ध सन्..... शुरू हुआ।

अ. 1916 ई. में ब. 1914 ई.में स. 1924 ई.में द. 1920 ई. में

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. नात्सीवाद ..... की विचारधारा थी। (मुसोलिनी/हिटलर)
2. प्रथम विश्व युद्ध में ..... की हार हुई। (जर्मनी/मित्र राष्ट्रों)
3. हिटलर का जन्म ..... में हुआ था। (ऑस्ट्रिया/जर्मनी)
4. द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरीका ने..... प्रवेश किया था। (1941 ई./1939 ई.)

सत्य/असत्य बताइए-

1. मित्र राष्ट्रों में इंग्लैण्ड, फ्रान्स, रूस आदि देश शामिल थे। (सत्य/असत्य)
2. हिटलर 1935 ई. में जर्मनी का चांसलर बना। (सत्य/असत्य)
3. नात्सी शासन व्यवस्था दमन पर आधारित थी। (सत्य/असत्य)
4. जनमत को प्रभावित करने के लिए विशेष प्रकार का प्रचार प्रोपेगैंडा कहलाता है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. वर्साय की सन्धि	क. 1929 ई.
2. महामन्दी	ख. 1939 ई.
3. द्वितीय विश्वयुद्ध	ग. 1914 ई.
4. प्रथम विश्व युद्ध	घ. 1919 ई.

अति लघु उत्तरीय प्रश्न –

1. जर्मन संसद का क्या नाम था ?
2. हिटलर का जन्म कब हुआ ?
3. जर्मनी में यहूदियों का नरसंहार कब हुआ था ?
4. घेटो या दड़बा क्या कहलाता था।
5. फायर डिग्री अध्यादेश (अग्नि) कब जारी किया गया?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. वाइमर गणराज्य के बारे में आप क्या जानते हैं?
2. महिलाओं के बारे में हिटलर के क्या विचार थे ?
3. नात्सी यूटोपिया क्या है ?
4. जर्मनी की आर्थिक मन्दी के बारे में आप क्या जानते हैं ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. नाजीवाद के उदय के कारण और वैश्विक प्रभाव को विस्तार से समझाए ।
2. हिटलर के व्यक्तित्त्व के बारे में प्रकाश डालिए।

परियोजना कार्य-

1. हिटलर की राष्ट्रवाद की भावना मानव जाति के लिए अच्छी या बुरी थी, पाठ का विश्लेषण करके समझाइए।

अध्याय-10

विश्व युद्ध और भारत

इस अध्याय में- प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, परिणाम, प्रथम विश्वयुद्ध और भारत, भारतीय दृष्टिकोण, ब्रिटिश दृष्टिकोण, द्वितीय विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण, युद्ध का वैश्विक स्वरूप, पर्ल हाबर की घटना, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश, जर्मनी की पराजय, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश, द्वितीय विश्व युद्ध परिणाम, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, शीत युद्ध का प्रारम्भ, नई विश्व अर्थव्यवस्था, भारत और द्वितीय विश्व युद्ध।

प्रथम विश्व युद्ध- प्रथम विश्वयुद्ध 28 जुलाई, 1914 ई. से 11 नवम्बर, 1918 तक विश्व के अनेक देशों के मध्य परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व यूरोपीय देशों के मध्य आपसी विवादों को लेकर अनेक छोटे- छोटे युद्ध होते रहते थे। शने: शने: इन छोटे- छोटे युद्धों ने महायुद्ध का विकराल रूप धारण कर लिया था इसलिए इतिहासकारों ने इसे सभी युद्धों को समाप्त करने वाला **महायुद्ध** भी कहा है। यह महायुद्ध मित्र राष्ट्र (इंग्लैंड, फ्रान्स, रूस, अमेरीका, आदि) और धुरी राष्ट्र (जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, आदि) के मध्य हुआ था। यह युद्ध लगभग चार वर्षों तक यूरोप महाद्वीप के भिन्न-भिन्न स्थानों पर लड़ा गया था। इस महायुद्ध में विश्व के 36 देशों के 6 करोड़ 50 लाख लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 1 लाख सैनिक मारे गये थे, जो दुनिया में उस कालखण्ड की सबसे विनाशकारी घटना थी।

इसे भी जानें-

- 1882 ई. की जर्मनी, आस्टिया और तुर्की की त्रिपक्षीय संधि और इंग्लैंड, फ्रान्स और रूस का त्रिपक्षीय सौहार्द था, जो 1907 ई. में समाप्त हो गया था।

प्रथम विश्व युद्ध के कारण- प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण जर्मनी की साम्राज्यवादी नीति, परस्पर रक्षा सहयोग औद्योगिक क्रान्ति, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, किसी प्रभावशाली अन्तार्राष्ट्रीय संस्था का न होना आदि थे। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सर्विया के नागरिक द्वारा हत्या इस महायुद्ध का तात्कालिक कारण बना था।

परिणाम- यह एक ऐसा युद्ध था, जिसने विश्व की दशा और दिशा परवर्तित कर दी थी। इस युद्ध के दूरगामी परिणाम निकले उनका संक्षेप में वर्णन निम्न प्रकार है-

राजनीतिक परिणाम- प्रथम विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप विश्व के अधिकांश देशों में राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली का अन्त हो गया था। विश्व के अनेक देशों में लोकतन्त्र, अधिनायकवाद और साम्यवाद की स्थापना हुई थी। अमेरिका का विश्व में महाशक्ति के रूप में उदय हुआ था।

आर्थिक परिणाम- प्रथम विश्वयुद्ध के समय विश्व के अनेक देशों का सैन्य व्यय अत्यधिक बढ़ गया था। इस युद्ध में लगभग 10 खरब रूपये का व्यय हुआ था। अत्यधिक व्यय होने के कारण कई देशों की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक कमजोर हो गई थी इसलिए विश्व के अधिकांश देशों में आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी एवं उत्पादन में कमी हुई, जिससे मुद्रा स्फीति बढ़ गई थी।

सामाजिक परिणाम- इस विश्वयुद्ध के फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ था। समाज में जातीय कटुता में कमी आने के साथ-साथ समाजवादी विचारधारा का उदय हुआ था। विश्व में प्रथम बार अन्तार्राष्ट्रीय संस्था के रूप में 1920 ई. राष्ट्र सङ्घ की स्थापना हुई थी। इस महायुद्ध का सबसे बुरा परिणाम वर्साय की सन्धि के द्वारा जर्मनी पर कड़ी शर्तें लागू करना था। इस सन्धि का भयानक परिणाम 20 वर्ष पश्चात द्वितीय विश्वयुद्ध के रूप में प्रकट हुए था, जिसने राष्ट्रसङ्घ की स्थापना के प्रमुख उद्देश्यों को धूमिल कर दिया था।

प्रथम विश्वयुद्ध और भारत- प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में औपनिवेशिक शासन था। भारत के अधिकांश लोग परतन्त्रता की मानसिकता से ग्रसित थे। इस युद्ध में भारत ने ब्रिटेन को तन, मन और धन से सहयोग दिया था। भारत की ओर से युद्ध में भाग लेने गए, अधिकांश सैनिक इसे अपनी स्वामिभक्ति मानते थे। प्रथम विश्वयुद्ध में भारतीय सैनिकों ने युद्ध के प्रत्येक मोर्चे पर जी-जान से युद्ध किया था। इस विश्व युद्ध में लगभग 8 लाख भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था, उनमें से लगभग 47,746 सैनिक मारे गये और 65 हजार से अधिक घायल हुए थे। इस युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया हो गयी थी। महात्मा गाँधी सहित तत्कालीन अनेक बड़े नेताओं द्वारा इस युद्ध में ब्रिटेन को समर्थन देकर सबको आश्चर्य चकित कर दिया था। भारतीय नेताओं को यह आशा थी कि युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करने से अंग्रेज खुश होकर पुरष्कार स्वरूप हमें स्वतन्त्रता या कम से कम स्वशासन का अधिकार प्रदान करेंगे। परन्तु युद्ध के पश्चात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कांग्रेसी नेताओं की सोच के विपरीत अंग्रेज़ों ने जलियाँवाला बाग नरसंहार (1919 ई.) जैसे घिनौने कृत्य करके भारतीय लोगों का दमन किया था। इस युद्ध के लिए गाँव-गाँव नगर-नगर अभियान चलाये गये थे। इस युद्ध में भारतीय रजवाड़ों सहित जनता ने भी अंग्रेजी सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। अधिकांश भारतीय युवाओं को बलपूर्वक सेना में भर्ती कर, युद्ध मोर्चे पर भेजा गया था। भारतीय सैनिकों को राशन, वेतन, भत्ते और दूसरी सुविधाओं के मामले में ब्रिटिश सैनिकों से नीचे रखा जाता था। फिर

भी भारतीय सैनिकों ने लड़ना जारी रखा और इस भेदभाव का असर कभी अपनी सेवाओं पर नहीं पड़ने दिया था। इस युद्ध में गढ़वाल राईफल्स रेजिमेण्ट के दो सिपाहियों को इंग्लैंड का उच्चतम वीरता पदक विक्टोरिया क्रॉस मिला था। युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने 9200 भारतीय सैनिकों को वीरता पदक के द्वारा सम्मानित किया था। ब्रिटिश सरकार ने इस विश्वयुद्ध में शहीद हुए 74 हजार भारतीय सैनिकों की याद में 'इंडिया गेट' का निर्माण करवाया था।

भारतीय दृष्टिकोण- प्रथम विश्वयुद्ध में ब्रिटेन की भागीदारी के प्रति भारतीय राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर अलग-अलग था, यथा-उदारवादियों ने इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा का कार्य समझा तथा उसे पूर्ण समर्थन दिया था। गरम दल के नेताओं ने भी युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में स्वशासन की स्थापना करेगा। क्रान्तिकारियों का मानना था कि यह युद्ध ब्रिटेन के विरुद्ध क्रान्तिकारी गतिविधियों को सञ्चालित करने का अच्छा अवसर है तथा उन्हें इस सुअवसर का लाभ उठा कर ब्रिटिश शासन को समाप्त कर देना चाहिए।

इसे भी जानें-

- भारतीय राजा महेन्द्र प्रताप सिंह (मुरसान रियासत, हाथरस) ने 1915 ई. में भारत के बाहर अफगानिस्तान में अंग्रेजी सत्ता के विरूद्ध निर्वासित सरकार की स्थापना कर ली थी।
- ब्रिटिश सरकार द्वारा दिल्ली में 1921 ई. में इंडिया गेट की आधारशिला रखी गई थी। यह स1931 ई. में बनकर तैयार हुआ था। इंडिया गेट पर द्वितीय विश्वयुद्ध में शहीद हुए 13,300 सैनिकों के नाम उत्कीर्णित हैं।

ब्रिटिश दृष्टिकोण- ब्रिटेन ने प्रथम विश्वयुद्ध को **'लोकतन्त्र के लिए युद्ध'** नाम दिया था। उसने आधिकारिक रूप से घोषणा की थी कि यह युद्ध विश्व में लोकतन्त्र की स्थापना के लिए लड़ा जा रहा है। ब्रिटेन के इस मत से तत्कालीन अमेरीकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन भी सहमत थे। उन्होंने लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए 14 सूत्री मांग रखी थी। इसी कारण बहुत से उपनिवेश स्वतन्त्रता की आशा में इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ दे रहे थे।

भारतीय लोगों को तो इस युद्ध के दुष्परिणाम तब दृष्टिगोचर हुए, जब युद्ध समाप्त होने के पश्चात ब्रिटिश शासन ने भारत में स्वराज स्थापना के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था। इसके विपरीत 1919 ई. में गवर्नमेंट 'ऑफ इंडिया एक्ट' आया तो भारतीय नेताओं को बड़ी निराशा हुई थी। इस युद्ध के पश्चात भारत को स्वतन्त्रता भले ही ना मिली हो परन्तु भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आन्दोलन तेज हो गये थे। अब भारत के नेताओं का अंग्रेजों पर से विश्वास उठ गया था।

द्वितीय विश्वयुद्ध- द्वितीय विश्वयुद्ध वर्ष 1939-45 ई. के मध्य होने वाला एक विश्वव्यापी सङ्घर्ष था। इस युद्ध में लगभग 70 देशों की थल, जल और वायु सेनाओं ने भाग लिया था। इस विश्वयुद्ध में विश्व के दो प्रमुख प्रतिद्वन्दी गुट, धुरी शक्तियाँ (जर्मनी, इटली और जापान) तथा मित्र राष्ट्र (फ्राँस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत सङ्घ) सम्मिलित हुए थे। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय पूर्ण युद्ध का मनोभाव प्रचलन में आया था क्योंकि इस युद्ध में संलिप्त महाशक्तियों ने अपनी सम्पूर्ण आर्थिक, औद्योगिक तथा वैज्ञानिक क्षमता झोंक दी थी। द्वितीय विश्वयुद्ध में विभिन्न राष्ट्रों के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था। इस महायुद्ध में 5 से 7 करोड़ लोगों की जानें गई थीं क्योंकि इसके महत्वपूर्ण घटनाक्रम में असैनिक नागरिकों का नरसंहार भी सम्मिलित हैं। यह युद्ध मानव इतिहास का सर्वाधिक घातक युद्ध साबित हुआ था क्योंकि इस युद्ध में परमाणु हथियारों का पहली बार प्रयोग किया गया था।

चित्र- 10.1 इण्डिया गेट

द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण- द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण वर्साय संधि की कठोर शर्तें, आर्थिक मन्दी, तुष्टीकरण की नीति, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय, राष्ट्र सङ्घ की विफलता,फासीवाद व नाजीवाद का उदय आदि हैं। इस युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी द्वारा 1 सितम्बर, 1939 ई. को पोलैंड पर आक्रमण करना था।

युद्ध का वैश्विक स्वरूप- द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ में जर्मनी ने पोलैंड, फ्रान्स आदि देशों को परास्त कर, सम्पूर्ण यूरोप महाद्वीप (ब्रिटेन को छोड़कर) पर नाज़ी नियन्त्रण स्थापित किया था। अब हिटलरने ब्रिटेन के ऊपर हवाई आक्रमण कर, आंशिक सफलता प्राप्त की थी परन्तु शीघ्र ही उसे ब्रिटेन में हार का सामना करना पड़ा था। इसके पश्चात जर्मनी ने रिबेंट्रोप सन्धि को निरस्त कर वर्ष 1941 ई. में रूस पर आक्रमण कर दिया था, इसे ऑपरेशन **'बारबोसा'** कहा जाता है। हिटलर का उद्देश्य सेबेस्टोपोल (Sebastopol) को अक्टूबर के अन्त तक जीत कर, मास्को पर विजय पाना था। परन्तु शीत ऋतु शुरू होने के कारण नेपोलियन की तरह, उसे भी परिणाम भुगतना पड़ा और सोवियत सङ्घ ने दिसम्बर 1914 ई. में पलटवार कर जर्मनी को परास्त कर दिया।

पर्ल हार्बर की घटना- अमेरिकी व्यापार प्रतिबन्धों से परेशान होकर जापान ने 7 दिसम्बर 1941 ई. को हवाई में स्थित अमेरिकी नौसेना स्थल, पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया था। अब इस युद्ध ने वैश्विक

रूप धारण कर लिया था। इस आक्रमण के पश्चात जर्मनी ने अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी।

द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश- पर्ल हार्बर की घटना के पश्चात अमेरिका ने द्वितीय विश्वयुद्ध में प्रवेश किया था। अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाते हुए चार जाजल मालवाहक (Carrier) और एक युद्धपोत को नष्ट कर दिया था। उसी समय नाजियों द्वारा यहूदी लोगों की सामूहिक हत्या के समाचार मित्र राष्ट्रों तक पहुँच गये थे। अब अमेरिका ने जर्मनी के इन अपराधों का प्रतिशोध लेने का निश्चय किया था।

जर्मनी की पराजय- 1942 ई. के उत्तरार्द्ध में ब्रिटिश और सोवियत सेनाओं ने उत्तरी अफ्रीका और स्टालिनग्राद में जर्मनी के विरुद्ध प्रत्युत्तरात्मक कार्यवाही की थी । जर्मनी ने फरवरी 1943 ई. में स्टालिनग्राद में सोवियत सङ्घ के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। जर्मन सेना की यह अब तक की सबसे बड़ी पराजय थी। रूसी सेना को पूर्वी मोर्चे पर भी बढ़त मिलने लगी थी। जर्मनी से खार्किव (Kharkiv) और कीव (Kiev) को वापस लेकर, रूसी सेना 21 अप्रैल, 1945 ई. को बर्लिन (जर्मनी की राजधानी) तक पहुँच गई थी।इसके अतिरिक्त मित्र देशों के बम वर्षकों यानों ने जर्मन नगरों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। परिणामस्वरूप हिटलर ने 30 अप्रैल, 1945 को स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और मुसोलिनी को इटली के देशभक्तों द्वारा पकड़कर फाँसी दे दी गई थी। उत्तरी अफ्रीका में जर्मन और इतालवी सेनाओं ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष 7 मई 1945 ई. आत्मसमर्पण

चित्र- 10.2 बर्लिन की दीवार

कर दिया था। अगले दिन यूरोप में विजय दिवस के रूप में मनाया गया। इस प्रकार यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया था।

परमाणु बम का प्रयोग- द्वितीय विश्वयुद्ध में अमेरिका द्वारा सर्वप्रथम परमाणु हथियारों का प्रयोग किया गया था। 1942 ई. से ही अमेरिका परमाणु अस्त्र-शस्त्रों का विकास अमरीका कर रहा था। उसने 6 अगस्त 1945 ई. को जापान के नगर हिरोशिमा पर तीन दिन पश्चात नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया था। जिस कारण जापान ने 14 अगस्त, 1945 ई. को आत्मसमर्पण कर दिया था। जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अन्त हो गया था।

द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम- द्वितीय विश्व युद्ध के अनेक दूरगामी परिणाम निकले थे। इस युद्ध के परिणामस्वरूप नई महाशक्तियों अमेरिका (यू. एस. ए.) और सोवियत रूस (यू.एस.एस.आर.) के उद्भव के कारण विश्व राजनीति में ब्रिटेन और फ्राँस का पराभव हुआ था। इस महायुद्ध से तत्कालीन देशों और महाद्वीपों की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ था। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात ब्रिटेन और फ्राँस अपनी घरेलू और बाहरी समस्याओं से जूझने लगे थे। अब इन दोनों देशों का अपने उपनिवेशों पर से नियन्त्रण समाप्त होने के साथ ही अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों में से उपनिवेशवाद का अन्त होने लगा था।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की स्थापना- संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के महत्त्वपूर्ण परिणामों में से एक थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर मानव जाति की आशाओं और आदर्शों को सुनिश्चित करता है, जिसके आधार पर दुनिया के सभी देश स्थायी शान्ति बनाए रखने के लिये मिलकर काम कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अन्त से पहले अटलांटिक चार्टर के तहत संयुक्त राष्ट्र की स्थापना पर सहमति बन चुकी थी। 24 अक्टूबर, 1945 ई. को संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की स्थापना की गई थी।

चित्र- 10.3 संयुक्त राष्ट्र चार्टर

शीत युद्ध का प्रारम्भ- युद्ध की समाप्ति के पश्चात शान्ति सन्धि करने के लिये जर्मनी के पॉट्सडैम (Potsdam) में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सन्धि के अनुसार जर्मनी और उसकी राजधानी बर्लिन को चार भागों में विभाजित कर दिया गया था। इन चारों भागों को ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्राँस और सोवियत सङ्घ द्वारा नियंत्रित किया जाना था। तीन पश्चिमी सहयोगियों और सोवियत सङ्घ के मध्य कई मुद्दों पर असहमति थी।

इसे भी जानें-

- 14 अगस्त 1941ई. को ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति एफ़. डी. रूजवेल्ट की घोषणा को अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। इसकी घोषणा अटलांटिक महासागर में युद्ध पोत पर हुई थी।
- जर्मनी में यहुदियों के नरसंहार को महाध्वंस (होलोकास्ट) कहा जाता है।

परिणामस्वरूप जर्मनी दो भागों (पूर्वी जर्मनी, एक कम्युनिस्ट सरकार और पश्चिम जर्मनी, एक लोकतान्त्रिक राज्य) में विभाजित हो गया था। जर्मनी के विभाजन ने विश्व को एक बार पुन: दो गुटों में विभाजित कर दिया था। एक गुट का नेतृत्त्व संयुक्त राज्य अमेरीका ने किया तो दूसरे गुट का नेतृत्त्व सोवियत सङ्घ ने किया था । इन दोनों देशों की आपसी प्रतिस्पर्धा ने विश्व शीत युद्ध को जन्म दिया था। 1991 ई. में सोवियत रूस के विभाजन से शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी । परन्तु 2022 ई. में रूस-यूक्रेन विवाद में अमरीका अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, जिससे एक बार फिर विश्वयुद्ध का खतरा मंडरा रहा है।

नई विश्व अर्थव्यवस्था- ब्रिटेन के वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन (United Nations Monetary and Financial Conference) के रूप में जाना जाता है। जुलाई 1944 ई. 44 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसका तात्कालिक उद्देश्य द्वितीय विश्वयुद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की सहायता करना था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् युद्ध प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अन्तार्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) की स्थापना की गई थी,जिसे अब विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। अमेरिकी डॉलर को विश्व व्यापार के लिये आरक्षित मुद्रा के रूप में स्थापित किया गया था।

भारत और द्वितीय विश्व युद्ध -द्वितीय विश्वयुद्ध के समय भारत पर ब्रिटिश शासन था इसलिए आधिकारिक रूप से भारत ने भी जर्मनी के विरूद्ध 1939 ई. में युद्ध की घोषणा कर दी थी। ब्रिटिश राज ने 20 लाख से अधिक भारतीय सैनिक युद्ध के लिए भेजे थे। इन भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश कमाण्ड के अधीन धुरी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था। इसके अतिरिक्त सभी देशी रियासतों ने युद्ध के लिए बड़ी मात्रा में अंग्रेजों को धनराशि प्रदान की थी। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों का समर्थन किया, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि भारत को पहले स्वतन्त्र किया जाए, तब कांग्रेस ब्रिटेन की सहायता करेगी। ब्रिटेन ने कांग्रेस की मांग अस्वीकार कर दिया था। फिर भी कांग्रेस अघोषित रूप से ब्रिटेन के पक्ष में और जर्मनी आदि धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध कार्य कर रही थी। अगस्त 1942 ई. में महात्मा गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आन्दोलन की घोषणा कर दी थी। इसी समय सुभाषचंद्र बोस ने जापान के सहयोग से लगभग 40,000 भारतीय सैनिकों की एक सेना गठित की थी,

इसे भी जानें-

- 1942 ई. में भारतीय सेना के मुख्य सेनानायक फिल्ड मार्शल सर क्लाउड आचिनलेक (Claude Auchinleck) ने कहा था कि "यदि भारतीय सेना नहीं होती तो अंग्रेज दोनों युद्धों (प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध) नहीं जीत पाते"।
- आजाद हिन्द फौज का गठन रास बिहारी बोस ने किया था।

जिसे आजाद हिन्द फौज नाम दिया गया था। नेताजी के नेतृत्व में इस सेना ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और भारत के कुछ भूभाग को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया था। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 1943 ई. में बङ्गाल में अकाल के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मौत हो गई थी। भारत की वित्तीय, औद्योगिक और सैन्य सहायता के कारण ही जर्मनी और इंपीरियल जापान के विरुद्ध ब्रिटिश अभियान को सफलता मिली थी।

भारत की सामरिक स्थिति ने ने दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्रों में जापान की प्रगति को रोकने में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय मित्रसेना बलों में भारतीय सेना सबसे बड़ी सेना थी। भारतीय सेना ने उत्तर और पूर्वी अफ्रीकी अभियान में भाग लिया था। इस युद्ध में 87 हजार से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के उपरान्त भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा है।

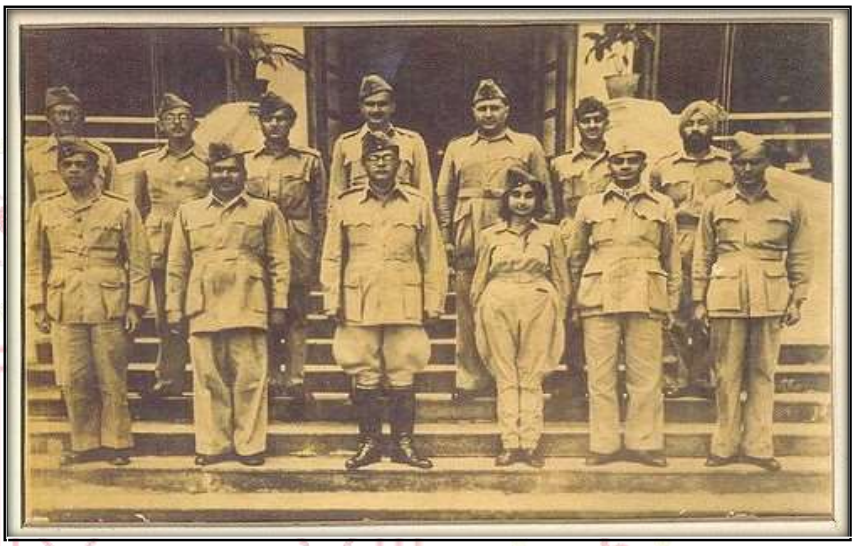

चित्र- 10.4 आजाद हिन्द फौज

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. द्वितिय विश्व युद्ध शुरू सन् ..... हुआ था।

अ. 1914 ई. में ब. 1915 ई. में स. 1918 ई. में द. 1939 ई. में

2. निम्न में से मित्र राष्ट्र..... हैं।

अ. इंग्लैंड ब. फ्रान्स स. रूस द. उपर्युक्त सभी

3. प्रथम महायुद्ध के पश्चात जर्मनी के साथ ..... सन्धि हुई।

अ. बाराबोस की ब. पेरिस की स. पेत्रोगाद की द. वर्साय की

4. जापान ने किस अमरीकी युद्ध पोत पर हमला.....पर किया था।

अ. पर्ल बावर ब. विक्रान्त स. पनडुब्बी द. इनमें से कोई नहीं

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. शीत युद्ध अमेरिका व..... के मध्य हुआ। (सोवियत सङ्घ/ फ्रान्स)
2. प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने ..... की तरफ से भाग लिया। (ब्रिटेन/अमेरिका)
3. जलियावाला बाग काण्ड का कुख्यात अधिकारी ..... था। (जनरल डायर/डलहौजी)

सत्य/असत्य बताइए-

1. द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी पर पौलेण्ड का आक्रमण था। सत्य/असत्य
2. पर्ल हार्बर नौसेनिक बेस जापान में था। सत्य/असत्य
3. द्वितीय विश्व युद्ध में 20 लाख से अधिक भारतीय सैनिक भेजे गए थे। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. राष्ट्र सङ्घ	क. 1942 ई.
2. संयुक्त राष्ट्र सङ्घ	ख. 1921 ई.
3. इंडिया गेट	ग. 1920 ई.
4. भारत छोड़ो आन्दोलन	घ. 1945 ई.

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था ?
2. संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की स्थापना कब हुई ?
3. भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में किसका साथ दिया था ?
4. अमरीका ने किस देश पर परमाणु हमला किया था ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. परस्पर रक्षा सहयोग के बारे में आप क्या जानते हैं ?
2. प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे ?
3. शीत युद्ध किसे कहते हैं ?
4. द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात महा शक्तियों का उदय किस प्रकार हुआ था ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. प्रथम महायुद्ध के परिणामों के बारे में बताइए और भारत की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।
2. द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भूमिका स्पष्ट कीजिए ।

परियोजना कार्य-

1. द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले अपने आस-पास के सैनिकों बारे में पता लगाकर, उनके बारे में जानकारी संग्रहित करें।

वेदभूषण चतुर्थ वर्ष

राजनीति शास्त्र

अध्याय – 11

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली

इस अध्याय में- लोकतन्त्र की अर्थ और परिभाषा, लोकतन्त्र के प्रकार, लोकतन्त्र की विशेषताएँ, लोकतन्त्र के गुण, लोकतन्त्र के दोष, लोकतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त, लोकतन्त्र का महत्त्व और वैदिक वाङ्मय में लोकतन्त्र की अवधारणा।

किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली का होना अत्यन्त आवश्यक है। सुनियोजित, न्यायपरक एवं स्पष्ट शासन व्यवस्था के द्वारा ही किसी देश का सम्पूर्ण विकास संभव है। विश्व में अनेक प्रकार की शासन व्यवस्थाएँ हैं- लोकतन्त्र, राजतन्त्र, तानाशाही, सैनिक शासन आदि। राजनीतिशास्त्रियों ने इन सब शासन व्यवस्थाओं में लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के लिए सर्वोत्तम माना है। वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली लोकतन्त्र है।

लोकतन्त्र का अर्थ और परिभाषा- लोकतन्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है- लोक+तन्त्र। लोक का अर्थ जनता और तन्त्र का अर्थ शासन से है।इस प्रकार लोकतन्त्र का सामान्य अर्थ जनता के शासन से है। लोकतन्त्र की व्युत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के Democracy शब्द से हुई है, जो मूलतः यूनानी भाषा के शब्द Demos एवं cratia से मिलकर बना है। जिसका अर्थ जनता की शक्ति से है अर्थात् ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन का अधिकार या शक्ति जनता के पास होती है।

इसे भी जानें-

- जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा हो। लोकतन्त्र की यह परिभाषा अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई है।

लोकतन्त्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। अत: यह स्पष्ट है कि लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में जनता का स्थान सर्वोच्च होता है। लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली को जनतन्त्र एवं प्रजातन्त्र भी कहा जाता है।

लोकतन्त्र के प्रकार- विश्व में लोकतन्त्र के दो प्रकार हैं-

1. प्रत्यक्ष लोकतन्त्र 2. अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र।

1. **प्रत्यक्ष लोकतन्त्र-** प्रत्यक्ष लोकतन्त्र में शासन कार्यों में जनता की सीधी भागीदारी होती है। स्विट्जरलैंड की कुछ नगरपालिकाओं, कैंटन और संघीय राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र स्थापित है।

जो विश्व में सबसे अनूठी एकमात्र शासन व्यवस्था है। यह कम जनसङ्ख्या वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है।

2. **अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र-** अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन व्यवस्था का सञ्चालन किया जाता है। जनता इस शासन व्यवस्था में एक निश्चित समय के लिए अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है। विश्व के अधिकांश देशों में शासन की यह व्यवस्था प्रचलित है। भारत, अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स आदि इसके उदाहरण हैं।

लोकतन्त्र में दो प्रकार की शासन प्रणालियाँ सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रचलित हैं-

1.अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली 2. संसदात्मक शासन प्रणाली।

1. अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली- ऐसी शासन प्रणाली जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पृथक-पृथक हों और एक-दूसरे को परस्पर नियन्त्रित करती हों तथा कार्यपालिका का प्रमुख वास्तविक शासन होता है, तो उसे अध्यक्षात्मक या अध्यक्षीय शासन कहते हैं।
2. **संसदात्मक शासन प्रणाली**- ऐसी शासन प्रणाली जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उसे संसदीय शासन कहते हैं। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है परन्तु उसकी शक्तियों का वास्तविक उपभोग प्रधानमन्त्री करता है इसलिए प्रधानमन्त्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कहा जाता है। यह शासन प्रणाली उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर सङ्गठित होती है। मन्त्री-परिषद के मन्त्री तभी तक अपने पदों पर रह सकते हैं जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त हो। यह प्रणाली वास्तव मे संसद की सर्वोच्चता के सिद्धान्त पर आधारित होती है।

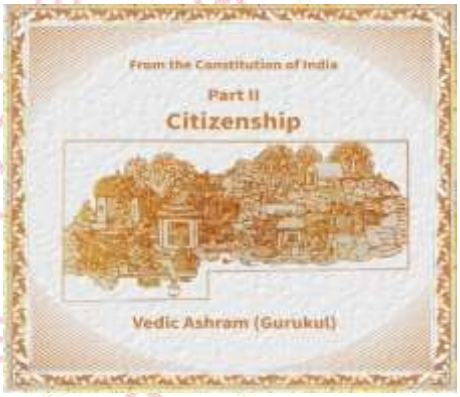

उक्त दोनों शासन प्रणालियों मे अन्तर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंधों के कारण है।

लोकतन्त्र की विशेषताएँ-

1. सार्वजनिक संप्रभुता (Provision of Popular Sovereignty)- सार्वजनिक संप्रभुता लोकतन्त्र का एक विशेष गुण है, जिसका अर्थ है कि लोकतान्त्रिक प्रणाली में संप्रभुता राज्य के सभी नागरिकों के पास होती है इसलिए कहा जाता है कि लोकतान्त्रिक सरकार देश या राज्य के नागरिकों की सरकार होती है। अत: स्पष्ट है कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता के साथ कानून का शासन होता है।

2. **समानता** (Equality)- समानता लोकतन्त्र का मूल आधार है। लोकतन्त्र में समानता का अर्थ शारीरिक, मानसिक या प्राकृतिक क्षमताओं की समानता से नहीं अपितु राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक समानता से है। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि राज्य की दृष्टी में सभी व्यक्ति समान हैं और सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। कानूनी समानता का अर्थ है कि राज्य के कानूनों के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और सभी को समान संरक्षण प्राप्त है। सामाजिक समानता से आशय लोकतान्त्रिक राज्य किसी व्यक्ति से जाति, रंग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है।इस समानता से लोगों में भाईचारे की भावना विकसित होती है। इन गुणों के बिना लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों को उचित रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

इसे भी जानें

- भारतीय शासन व्यवस्था को विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र माना जाता है।
- भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है।
- अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है।

3. **स्वतन्त्रता** (Liberty)- स्वतन्त्रता लोकतन्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। स्वतन्त्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को सामुदायिक कार्यों और सरकार के निर्माण करने का स्वतन्त्र अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास सरकार की आलोचना करने, विचार प्रकट करने, सङ्घ बनाने और मानव जीवन की आवश्यक स्वतन्त्रताओं को मानने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति जो चाहे वह कर सकता है।

4. **विकासवादी प्रकृति** (Evolutionary Nature)- लोकतन्त्र मनुष्य को तर्कशील और नैतिक प्राणी मानता है, अत: स्पष्ट है कि इस विचारधारा में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। लोकतान्त्रिक विचारधारा का यह विश्वास है कि यदि किसी देश के नागरिक शिक्षित हैं, तो वे स्वार्थी भावनाओं को त्यागने और सामाजिक हितों के साथ ठीक से समझौता करने के लिए तत्पर होंगे। विश्व में लोकतन्त्र की स्थापना या रक्षा के लिए भले ही क्रान्तिकारी युद्ध हुए हैं लेकिन मूल रूप से यह एक विकासवादी अवधारणा है।

5. **वयस्क मताधिकार** (Adult Franchise)- विश्व में सार्वभौम वयस्क मताधिकार को सभी लोकतान्त्रिक सरकारों ने लागू किया

सारणी 11.1

विश्व में सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाले प्रमुख देशों के नाम	
न्यूजीलैंड	1893 ई.
रूस	1917 ई.
जर्मनी	1918 ई.
ब्रिटेन	1928 ई.
श्रीलङ्का	1931 ई.
फ्रान्स	1944 ई.
जापान	1945 ई.
भारत	1950 ई.
अमेरिका	1965 ई.
दक्षिण अफ्रीका	1994 ई.

है। लोकतान्त्रिक देशों में बिना किसी भेदभाव के देश के प्रत्येक व्यस्क नागरिक को सरकार चुनने के लिए अपना मत देने का अधिकार दिया जाता है, उसे सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहा जाता है। विश्व के देशों में इस मताधिकार का प्रयोग करने की आयु अलग-अलग है, जैसे- भारत में 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है।

6. **मौलिक अधिकार** (Fundamental Rights)- लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में अपने नागरिकों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अनेक सुविकसित लोकतान्त्रिक देशों में अपने नागरिकों को आर्थिक अधिकार भी दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों में मतदान, निर्वाचन, भाषण, विचार प्रकट करने आदि के अधिकारों के अतिरिक्त प्रेस की स्वतन्त्रता का अधिकार भी शामिल होता है। यदि लोकतन्त्र में नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं, तो वह शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक स्वरूप के अनुरूप नहीं मानी जाती है।
7. **निर्वाचन** (Elections)- लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में स्थानीय स्वशासन से लेकर केन्द्रिय शासन तक की संस्थाओं का गठन निर्वाचन द्वारा किया जाता है। इन संस्थाओं के सदस्यों के निर्वाचन निश्चित अवधि के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और स्थानीय संस्थाओं का कार्यकाल पाञ्च वर्ष का होता है। कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात पुन: निर्वाचन होते हैं।
8. **बहुमत का शासन** (Rule of Majority)- लोकतन्त्र मूल रूप से इस धारणा पर कार्य करता है कि शासन सम्बन्धी सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता के द्वारा लिए जाएँ। कुछ राजनीतिशास्त्रियों का मानना है कि आधुनिक समय में बड़े-बड़े देशों में लोकतन्त्र की इस अवधारणा का पालन करना बहुत कठिन है। लेकिन लोकतन्त्र की इस अवधारणा को सिद्ध करने के लिए उन देशों में अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र प्रचलित है इसलिए इस शासन व्यवस्था में शासन की नीतियों के बारे में निर्णय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के बहुमत के द्वारा लिए जाते हैं।
9. **शासन में सहभागिता का अधिकार** (Right to Participation)- लोकतन्त्र में देश के प्रत्येक नागरिक को मतदान और निर्वाचन लडने का अधिकार प्राप्त होता है। नागरिक इन अधिकारों के माध्यम से शासन में भाग लेते हैं।
10. **कानून का शासन** (Rule of Law)- लोकतन्त्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि राज्य में किसी व्यक्ति या समूह का शासन नहीं होता है, बल्कि कानून का शासन होता है। कानून के शासन का अर्थ है कि कोई भी अधिकारी या सङ्गठन कानून का उल्लंघन और प्रशासन के सञ्चालन में अपनी मनमानी

नहीं कर सकता है। लोकतन्त्र में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए कानून सर्वोच्च होते हैं और शासन का प्रबंध उन कानूनों के अनुसार किया जाता है।

11. **सरकार की आलोचना करने का अधिकार** (Right to criticise the Policies of the govt.)- लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में नागरिकों को सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त होता है। जनता की आलोचना के कारण कई बार सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ता है।

लोकतन्त्र के गुण- लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र को प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक '**जान स्टूअर्ट मिल**' ने सर्वश्रेष्ठ शासन बताया है। उसने लोकतन्त्र के बारे में अपनी पुस्तक '**रिप्रेजेंटिटिव गवर्नमेंट**' में लिखा है कि किसी भी सरकार के गुण-दोषों का विवेचन दो मापदण्डों के आधार पर किया जाता है- पहला क्या सरकार का शासन अच्छा है या नहीं ? दूसरा उसके शासन का प्रजा के चरित्र निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोकतन्त्र में जनता का शासन होता है और जनता के चरित्र पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लोकतन्त्र के गुणों का अध्ययन हम निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत करेंगे।

1. **जन कल्याण-** लोकतन्त्र में प्रभुसत्ता जनता में निहित होने के कारण जन कल्याण की भावना होती है।
2. **लोकमत-** लोकतन्त्र जनता के मत पर आधरित होता है। जनहित का ध्यान नहीं रखने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन लोकतन्त्र में नहीं किया जाता है।
3. **सार्वजनिक शिक्षण-** लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों द्वारा अपने दल की नीतियों के प्रचार-प्रसार के लिए समाचार पत्रों, टेलिविजन, रेडियो आदि जन सञ्चार माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जो जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं।
4. **क्रान्ति से सुरक्षा-** लोकतन्त्र में यदि शासक वर्ग अत्याचारी या निकम्मा हो जाता है, तो जनता उसे संवैधानिक उपायों के द्वारा उसे पदच्युत कर सकती है इसलिए इसमें सशस्त्र विद्रोह या क्रान्ति की आवश्यकता नहीं होती है।
5. **परिवर्तनशील-** लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था परिवर्तनशील होती है। इसमें निर्वाचन के द्वारा सरकार परिवर्तित होती रहती है।

लोकतन्त्र के दोष-

1. **लोकतन्त्र अयोग्य लोगों का शासन-** कुछ राजनीतिक विचारक प्रजातन्त्र को अयोग्य लोगों का शासन मानते हैं। क्योंकि उनका मानना है कि इस शासन व्यवस्था में मूर्ख और योग्य लोग एक साथ

मिलकर शासन को सञ्चालित करते हैं। **हेनरी मेन** ने तो 'इसे अयोग्य और मंदबुद्धि लोगों का शासन कहा है'। **कार्लाइल** ने 'प्रजातन्त्र को मूर्खों का शासन और संसद को बातों की दुकान कहा है'। इन विद्वानों का मानना है कि शासन सञ्चालन एक कला है,इसे विद्वान लोग ही सञ्चालित कर सकते हैं, अनपढ़ नहीं।

2. **गुणों का महत्त्व नहीं-** लोकतन्त्र में गुणों को महत्त्व न देकर सङ्ख्या बल अर्थात् बहुमत पर ध्यान दिया जाता है, जिससे इस शासन व्यवस्था में कई बार उचित निर्णय नहीं हो पाते हैं।
3. **योग्य और अयोग्य में भेद नहीं-** लोकतन्त्र में सभी नागरिकों को सार्वभौम मताधिकार प्राप्त होता है। परन्तु यह व्यवस्था व्यवहारिक और बुद्धि सङ्गत नहीं है क्योंकि प्रकृति ने मानव को बुद्धि, चरित्र और विद्या से असमान बनाया है। लोकतन्त्र में प्रकृति के इस नियम की अवेहलना करके सभी को समान मताधिकार देकर एक वैज्ञानिक और मूर्ख को एक समान माना है।
4. **बहुमत का निर्णय युक्तिसङ्गत नहीं-** बहुमत हमेशा सत्य और सही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। सुकरात जैसे विद्वान को बहुमत के निर्णय के द्वारा ही विषपान करवाया था।
5. **पेशेवर राजनीतिज्ञों का बहुमत-** प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में कुछ व्यवसायिक लोग राजनीति को अपना व्यवसाय बना लेते हैं। वे ऐन-केन प्रकारेण अपने पद को बनाये रखते हैं और इस पद को सुरक्षित करने के लिए जनहितों की बलि दे देते हैं।
6. **खर्चीली शासन व्यवस्था-** लोकतन्त्र में बार-बार निर्वाचन होने के कारण, इसमें व्यय अधिक होता है। जिससे जनता पर करों का अधिक बोझ बढता है।
7. **संकट के समय अनुपयुक्त-** लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि संकट के समय तीव्र निर्णय लिए जाने चाहिए परन्तु इस शासन व्यवस्था में शीघ्र निर्णय नहीं ले सकते हैं।

लोकतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त- लोकतन्त्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा है। अत: इसकी सफलता के लिए नागरिकों का शिक्षित और जागरूक होना अनिवार्य है। प्रजातन्त्र की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए देश में शान्ति एवं सुव्यवस्था होनी चाहिए और जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। लोकतन्त्र की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए देश में समयबद्ध और निष्पक्ष निर्वाचन होने चाहिए, निष्पक्ष न्यायपालिका और जनमत निर्माण के साधन जैसे- समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, सभा, सङ्गठन आदि स्वतन्त्र होने चाहिए। लोकतन्त्र को प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर स्वशासन सहित, प्रभावशाली विपक्ष होना चाहिए,जो सत्ता पक्ष को निरंकुश होने से रोक सके।

लोकतन्त्र का महत्त्व- लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था में अनेक दोष होते हुए भी इसका अपना महत्त्व है। वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में लोकतान्त्रिक सरकारें कार्य कर रही हैं, जिससे इसकी महत्ता स्वत: ही प्रतिपादित होती है। इस शासन व्यवस्था में शासन का उत्तरदायित्त्व जनता के प्रति होता है तथा इसमें अच्छे निर्णय लेने की संभावना होती है। प्रजातन्त्र में टकराव व मतभेदों को दूर करने के लिए सरल उपाय होते हैं। इस शासन प्रणाली में व्यक्ति को अपनी गलती सुधारने का अवसर मिलता है और नागरिकों को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अधिक सम्मान मिलता है।

वैदिक वाङ्मय में लोकतन्त्र की अवधारणा- हजारों सहस्राब्दी पूर्व दुनिया में जब आखेट से जीवन-यापन व वल्कल वस्त्र से शरीर ढकने वाले परिवारों या कबीलों की प्रधानता थी, तब भारतीय वैदिक वाङ्मय में गणराज्य, राष्ट्र की भौगोलिक, भू-सांस्कृतिक, भू-राजनीतिक और सार्वभौम शासन के सुविचार उपदेशित थे। वेदों में राष्ट्र, लोकतन्त्र, राष्ट्राध्यक्ष या राजा के निर्वाचन और निर्वाचित संस्थाओं के प्रति उसके उत्तरदायित्त्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं। वेद, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराणों, नीति शास्त्रों, सूत्र ग्रंथों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र व कामन्दक आदि ग्रंथों में गणराज्य, सार्वभौम शासन विधान (ग्लोबल गवर्नेंस) और निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाने जैसी अवधारणाएँ भी उस समय प्रचलित थीं। राजनीति शास्त्र के सभी प्राचीन मूर्धन्य विद्वानों ने राजधर्म को सभी धर्मों का सार तत्व, राष्ट्र को राजधर्म का आधार और गणतन्त्र को राजधर्म का साधन बतलाया है।

इसे भी जानें-

- ऋग्वेद और अथर्ववेद में क्रमश: 40 व 9 स्थानों पर तथा ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक स्थानों पर गणतंत्र व राष्ट्र के बारे में अनेक उदाहरण मिलते हैं।
- महाभारत के पश्चात बौद्ध काल में (450 ईसा पूर्व से 450 ई. तक) भारत में कई गणतंत्र रहे हैं। इनमें पिप्पली वन का मौर्य, कुशीनगर और काशी के मल्ल, कपिलवस्तु का शाक्य, मिथिला का विदेह और वैशाली का लिच्छवी गणराज्य प्रमुख रहे हैं। इसके पश्चात अटल, अराट, मालव और मिसोई गणराज्य प्रमुख थे।

वैदिक वाङ्मय में सभा, समिति, विष, पंचजना जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनावों की परम्परा अति प्राचीन है। ऋग्वेद की एक ऋचा के अर्थानुसार उस समय भी देश में राजा या राष्ट्र के अध्यक्ष के निर्वाचन होते रहे हैं और राष्ट्राध्यक्ष से शासन में स्थायित्व एवं स्वयं जनप्रिय बने रहने की अपेक्षा की गई है- "**आ त्वाहार्षमन्तरेधि ध्रुवस्तिष्ठाविचाचलि:। विशस्त्वा सर्वा वाञ्छतु मा त्वद्राष्ट्रमधि भ्रशत्।**" (10.173.1) इस मन्त्र के भावार्थनुसार- हे राष्ट्र के अधिपति! मैं तुझे चुनकर लाया हूँ। तू सभा में स्थिरता रख, चंचल मत बन, घबरा मत, तुझे सम्पूर्ण प्रजा चाहती है। तेरे द्वारा राज्य पतित नहीं हो सकता है। इस मन्त्र से पता चलता है कि राष्ट्राध्यक्ष को संसद जैसी किसी सभा में आना पड़ता था।

स्थानीय स्वशासन के लिए नगरों, ग्राम व प्रान्तों की पञ्चायतें होती थीं। इनके द्वारा भी राष्ट्राध्यक्ष का अनुमोदन आवश्यक था। ये पञ्चायतें राष्ट्राध्यक्ष को हटाने में भी समर्थ थीं। राष्ट्राधिपति का निर्वाचन उस समय प्रत्यक्ष प्रणाली से होता होगा। अथर्ववेद में इस बात के संकेत मिलते हैं- "**त्वां विशेष वृणता राज्याय त्वामिमा: प्रदिश: पंचदेवी:। वष्मन राष्ट्रस्य कुकदि श्रयस्व ततो व उग्रो विमजा वसूनि।**" (3.4.2) इस मन्त्र का भावार्थ है कि देश में बसनेवाली प्रजाएँ शासन के लिए तुझको राष्ट्रपति या प्रतिनिधि चुनें। ये विद्वानों की बनी हुई उत्तम मार्गदर्शक, दिव्य पंचदेवी (पञ्चायतें) तेरा वरण करें अर्थात् अनुमोदन करें। इसके पश्चात तू उग्र तेजस्वी व प्रभावशाली दण्ड को न्याय बल के साथ संभाल और हमको जीवनोपयोगी वनों एवं अधिकारों का न्यायपूर्वक समान रूप से विभाजन कर।

वैदिक वाङ्मय में निर्वाचन उपरान्त राष्ट्राध्यक्ष या राजा को मातृभूमि के लिए सर्वस्व अर्पण करने की शपथ: लेने की परम्परा थी। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में शपथ ग्रहण के उदाहरण मिलते हैं- "**अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्। अभिषाडस्मि विष्वाषाडाशामशां विषासहि:॥**" (अथर्ववेद 12.1.54) अर्थात् मैं अपनी मातृभूमि, उसके दु:ख व कष्टों के विमोचन या दु:ख व कष्ट से मुक्ति के लिए स्वयं सब प्रकार के कष्ट सहने को तत्पर हूँ। वे कष्ट कैसे भी हों, कहीं से आवें और कब आवें मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं है। आगे कहा है- "**व्यचिष्ठे बहुपारये यते महिस्वराज्ध्ये।**" बहुमत से अर्जित इस सुविस्तीर्ण स्वराज्य के हितार्थ हम अर्थात् राजा व प्रजा मिलकर अथक प्रयत्न करते रहेंगे। इस मातृभूमि रूपी पृथिवी में बीज बोने, खनिज निकालने, कुआं, तालाब आदि खोदने हेतु न्यूनतम उत्पीडन हो, उसके मर्म को न्यूनतम क्षति हो और इसकी सम्पूर्ण चिन्ता व प्रयत्न करेंगे कि उसकी शीघ्र प्रतिपूर्ति हो। "**यत्ते भूमे विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु। मा ते मर्म विमृग्वरि मा ते हृदयमर्पिपम्॥**" (अथर्ववेद 12.1.35) अर्थात् उस समय तीनों प्रकार की लोकतान्त्रिक संस्थाओं के निर्देशानुसार लोकहित साधन का भी नियम रहा है। हम राजा व प्रजा मिलकर तीनों सभाओं, जैसे- विद्यासभा, धर्मसभा व राजसभा के विधायी निर्देशानुसार विद्या, धर्म व शासन कार्य का नीति सम्बन्धी निदेर्शों एवं राज्य सञ्चालन के विधायी निर्णयों के अनुकूल आचरण करें। इसी प्रकार ऋग्वेद में उल्लेख है कि- "**त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथ: सदांसि। अपश्यमत्र मनसा जगन्वानन् व्रते गन्धर्वाँ अपि वायुकेशान्॥**" (3.38.6) अर्थात् हे प्रजाजनों! मैं आप द्वारा निर्वाचित राजा, उत्तम गुण कर्म और सत्यनिष्ठ विद्वान पुरुषों की राजसभा, विद्यासभा और धर्मसभा द्वारा नियत सिद्धान्तों का अनुपालन करते हुए सम्पूर्ण राज्य सम्बन्धी कर्मों को यथायोग्य सकल प्रजा के निरन्तर सुख के अनुरूप सम्पन्न करूँगा। वर्तमान की संसद और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की भाँति उक्त तीनों के सभाओं के प्रति राजा, सेना व अधिकारियों का उत्तरदायित्त्व होगा। राजा, सेना व रक्षादि के अधिकारी इन सभाओं द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते थे।

लोकतन्त्र के बारे में अथर्ववेद में उल्लेख है कि- "**स विशोनु व्यचऽलत्। तं सभा च समितिश्च सेना च सुरा चानुव्यऽचलन। सभायाश्च वै स समितेश्च सेनायाश्च सुरायाश्च प्रियं धाम भवति य एवं वेद॥**" (15.9.1-3) इन वेद मन्त्रों से स्पष्ट होता है कि वैदिक युग में राजा या निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष का नियमन विविध सभाओं, परिषदों व समितियों द्वारा किया जाता था। राजा के लिए यह अनिवार्य था कि सभा व समितियाँ उसके अधीन हों और राजा हमेशा उनका आदर करें क्योंकि उनका समुचित आदर न होने पर वे ठीक से कार्य नहीं कर पाएँगी। मनु स्मृति में भी परिषदों, उनकी संरचना व कार्य पद्धति का वर्णन किया है। इस सम्बन्ध में उल्लेख है कि- "**ते उभे चतुर्पदे सम्प्रसारयाव॥**" अर्थात् वे दोनों अर्थात् राजा व सभा मिलकर राष्ट्र में चारों पुरुषार्थों का प्रचार-प्रसार करें।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. जिस शासन व्यवस्था का प्रधान व्यक्ति..... होता है।

अ. लोकतन्त्र ब. गणतन्त्र स. नेता शाही शासन द. राजतन्त्र

2. लोकतन्त्र में..... की भागीदारी होती है।

अ. जनता की ब. वस्तुओं की स. राजनीति की द. नैतिकता की

3. लोकतन्त्र के..... प्रकार माने गये हैं।

अ. दो ब. चार स. छः द. एक

4. ऋग्वेद में गणतन्त्र का उल्लेख ..... बार हुआ है।

अ. 40 ब. 6 स. 7 द. 8

5. लोकतन्त्र को अयोग्य और मंदबुद्धी लोगों का शासन ..... ने कहा।

अ. हेनरी मेन ब. कार्लाइल स. सुकरात द. उपर्युक्त सभी

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. लोकतन्त्र को ..... ने अयोग्य और मन्दबुद्धि लोगों का शासन कहा। (कार्लाइल/हेनरीमेन)
2. लोकतन्त्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है ..... ने कहा। (अब्राहम लिंकन/चर्चिल)
3. विश्व की सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली ..... है। (लोकतन्त्र/राजतन्त्र)
4. लोकतन्त्र में प्रभुसत्ता जनता में निहित होने के कारण.....की भावना होती है। (जनकल्याण/स्वार्थ)

सत्य/असत्य बताइए-

1. विश्व का सबसे बडा लोकतान्त्रिक देश भारत है। (सत्य/असत्य)

2. लोकतन्त्र के तीन प्रकार है। (सत्य/असत्य)

3. लोकतान्त्रिक राज्य का धर्म निरपेक्ष होना आवश्यक है। (सत्य/असत्य)

4. भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. लोकतन्त्र	क. राजा का शासन
2. राजतन्त्र	ख. वैदिक वाङ्मय
3. समानता	ग. जनता का शासन
4. सभा और समिति	घ. लोकतन्त्र का मूल आधार

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. लोकतन्त्र की व्युत्पत्ती अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से हुई है ?
2. प्रजातन्त्र या राष्ट्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है?
3. सभा और समिति शब्द का उल्लेख सर्व प्रथम किस वेद में हुआ है?
4. प्रत्यक्ष लोकतन्त्र से आप क्या समझते है?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. लोकतन्त्र के गुणों का वर्णन कीजिए।
2. लोकतन्त्र के अवगुणों को बताइए।
3. लोकतन्त्र की सफलता के लिए क्या शर्तें हैं? वर्णन कीजिए।
4. अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र से आप क्या समझते हैं ?
5. लोकतन्त्र के महत्त्व को समझाइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1. लोकतन्त्र की विशेषताओं को विस्तार से वर्णन कीजिए ।
2. वैदिक वाङ्मय में गणतन्त्र के बारे में क्या विचार हैं? वर्णन कीजिए।

परियोजना-

1. आपके गाँव/नगर में होने वाले चुनावों के बारे में मतदान केन्द्र की प्रक्रिया का वर्णन अपनी डायरी या अभ्यास पुस्तिका में कीजिए।

अध्याय - 12

संविधान निर्माण और राजनीतिक संस्थाएँ

इस अध्याय में- संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान सभा, संविधान निर्माण प्रक्रिया, प्रारूप समिति, भारतीय संविधान के बुनियादी सिद्धान्त, प्रस्तावना में वैदिक स्त्रोत, विभिन्न देशों के संविधानों से लिये गये प्रावधान, संस्थाओं का स्वरूप, वैदिक वाङ्मय में संवैधानिक संस्थाओं का स्वरूप और आधुनिक भारत की प्रमुख संवैधानिक संस्थाएँ।

संविधान- लोकतन्त्र में शासक वर्ग और जनता की स्वेच्छाचारिता रोकने के लिए कुछ बुनियादी नियम होते हैं, जिनका पालन करना जनता और सरकार दोनों के लिए आवश्यक होता है। ऐसे सभी नियमों को संविधान कहते हैं। संविधान लिखित नियमों एवं कानूनों की वह पुस्तक है,जिसके नियमों और कानूनों को उस देश में निवास करने वाला प्रत्येक नागरिक मानता है। संविधान एक विधि ग्रंथ है, जो किसी राष्ट्र के शासन का आधार है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होने के कारण, वह नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कार्यप्रणाली का निर्धारण करता है। संविधान के द्वारा देश के नागरिकों और सरकार के सम्बन्ध निर्धारित होते हैं।

संविधान के मुख्य कार्य-

1. संविधान देश के निवासियों में विश्वास और सहयोग की भावना विकसित करता है।
2. संविधान यह निश्चय करता है कि सरकार का निर्माण किस प्रकार होगा और निर्णय लेने का अधिकार किसे होगा ?
3. संविधान देश के नागरिकों और सरकार के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
4. संविधान अच्छे समाज निर्माण के लिए नागरिकों के विचारों को अभिव्यक्त करता है।

इस अध्याय में हम दक्षिण अफ्रीका और भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किसने किया? संविधान निर्माण के आधार क्या थे? इसमें परिवर्तन किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता है? यदि किया जा सकता है, तो किस प्रकार से किया जाता है? आदि का अध्ययन करेंगे।

दक्षिण अफ्रीका का संविधान- यूरोपीय कम्पनियाँ 17-18वीं सदी में व्यापार के लिए दक्षिण अफ्रीका गई थीं। उस समय दक्षिण अफ्रीका में बहुत बड़ी सङ्ख्या में श्वेत लोग बस गये थे और उन्होंने स्थानीय शासन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। श्वेत लोगों ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के द्वारा,

वहाँ के निवासियों को त्वचा के रंग के आधार पर श्वेत और अश्वेत में विभाजित कर दिया था। श्वेत लोग, अश्वेत लोगों को निम्न समझते थे जबकि दक्षिण अफ्रीका की जनसङ्ख्या का तीन चौथाई भाग अश्वेतों का था। शासन की नीतियों एवं कानून के द्वारा अश्वेत लोगों का दमन किया जाता था। अश्वेत लोगों के साथ रेलगाड़ी, बस, होटल, अस्पताल, विद्यालय, सार्वजनिक शौचालय आदि में भेदभाव किया जाता था इसलिए वे, श्वेत लोगों के विरुद्ध आन्दोलन करने लगे थे। आन्दोलन के कारण सरकार ने उनके प्रमुख नेता नेल्सन मण्डेला को दक्षिण अफ्रीका की प्रसिद्ध जेल रोब्बेन द्वीप में बन्द कर दिया था। नेल्सन मण्डेला जेल में रहकर ही सरकार का लगातार विरोध कर रहे थे । परिणामस्वरूप 26 अप्रैल 1994 ई. को दक्षिण अफ्रीका स्वतन्त्र हो गया था और 28 वर्ष जेल में रहने के उपरान्त नेल्सन मण्डेला को आरोप मुक्त कर दिया गया था। अब दक्षिण अफ्रीका में लोकतन्त्र की स्थापना हुई और नेल्सन मण्डेला को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। मण्डेला ने लोगों से श्वेत सरकार के दमन और अत्याचार को क्षमा कर, लोकतन्त्र की स्थापना के लिए स्त्री-पुरुष समानता, नस्ल भेद की समाप्ति, मानव अधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका के निर्माण की अपील करते हुए, नये संविधान का निर्माण किया था। 18 दिसम्बर 1996 ई. को दक्षिण अफ्रीका में संविधान लागू किया गया था। दक्षिण अफ्रीकी संविधान में मानव मुल्यों एवं लोकतन्त्र की स्थापना आदि का ऐसा उल्लेख है। इस संविधान को हम लोकतन्त्र का प्रतिरूप मान सकते हैं।

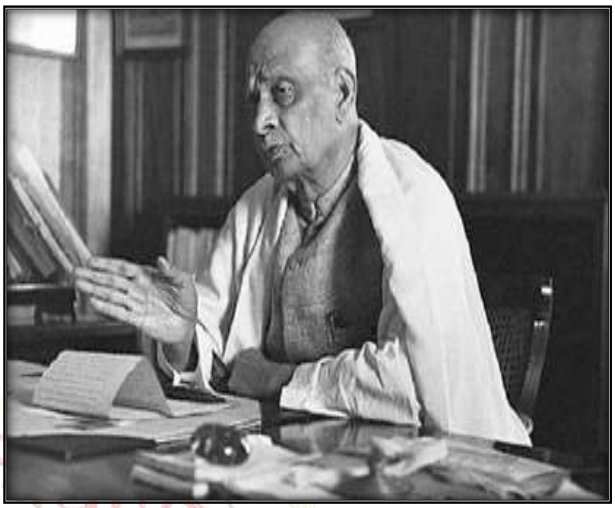

चित्र-12.1 लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल

भारतीय संविधान का निर्माण- भारत एक विशाल देश है और यहाँ हर क्षेत्र में विविधता है। भारत में जब संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ, उस समय यहाँ पर अंग्रेजी शासन था इसलिए यहाँ पर संविधान निर्माण करना सरल कार्य नहीं था। उसी समय भारत दो भागों भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया था। इस विभाजन से देश में बहुत अधिक जन धन की हानि हुई थी। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो देश की रियासतों को स्वतन्त्र कर दिया था। अब देशी रियासतें भारत या पाकिस्तान में विलय होने या न होने के लिए स्वतन्त्र थीं। देश के लौह पुरुष '**सरदार वल्लभ भाई पटेल**' की राजनीतिक सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण सभी रियासतों का विलय भारत में हो गया था।

हमारा राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध सङ्घर्ष भर नहीं था बल्कि इसने भारतीय जन मानस में जागृति पैदा की थी। इस जागृति का लाभ यह हुआ कि संविधान निर्माण से पूर्व ही बुनियादी विचारों पर आम सहमति बन चुकी थी, जिससे संविधान निर्माण का कार्य थोड़ा आसान हो गया था। उदाहारण के लिए 1928 ई. में श्री मोती लाल नेहरू और कांग्रेस के नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान लिखा था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 ई. के करांची अधिवेशन में यह प्रस्ताव आया की स्वतन्त्र भारत का संविधान कैसा होना चाहिए ? इन उदाहरणों से हम समझ गये होंगे कि सार्वभौम व्यस्क मताधिकार, समानता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों आदि पर तो संविधान निर्माण से पूर्व ही आम सहमति बन चुकी थी।

अंग्रेजी शासन के समय ही हमारे संविधान निर्माताओं को तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने का अवसर मिला था, जिससे उन्हें संविधान का स्वरूप निश्चित करने में सहायता मिली थी। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में अधिकांश कानून भारतीय शासन अधिनियम 1935 ई. के हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात भारतीय संविधान के स्वरूप को लेकर पूर्व में हुए चिन्तन और विचार-विमर्श के कारण हमारे देश के संविधान निर्माताओं को अनुभव मिला, जिससे उन्हें दूसरे देशों के संविधानों से हमारे लिए उपयोगी नियमों और कानूनों को अपनाने में कोई परेशानी नहीं हुई थी। हमारे संविधान निर्माता फ्रान्स की क्रान्ति, अमरीका के नागरिक अधिकार,ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली और रूस की समाजवादी क्रान्ति से प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने इनमें से उपयोगी बातों को संविधान में स्थान दिया था।

संविधान सभा- संविधान निर्माण हेतु चुने हुए जनप्रतिनिधियों की एक सभा बनाई गई,जिसे संविधान सभा कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन 6 जुलाई, 1946 ई. में हुए तथा इस सभा की पहली बैठक दिसम्बर, 1946 में हुई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे। देश में 26 नवम्बर, 1949 ई. को संविधान पारित किया गया एवं इसे 26 जनवरी, 1950 ई.को सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था।

संविधान निर्माण प्रक्रिया- भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं के विचार ही अभिव्यक्त नहीं हुए हैं अपितु तत्कालीन व्यापक सहमतियों को भी प्रकट किया गया है। भारतीय संविधान को निर्मित हुए 70 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। छोटे-मोटे समूहों ने यदा-कदा भारतीय संविधान में परिवर्तन की मांग अवश्य की है परन्तु किसी बड़े सामजिक समूह या राजनीतिक दल ने संविधान की प्रमाणिकता पर सवाल नहीं किया है। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। हमारे संविधान की उत्कृष्टता का एक कारण यह भी है कि संविधान सभा में भारत के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व था। इस

सभा में सभी जाति, समूह, वर्ग, धर्म, और व्यवसाय के लोग थे। हमारी संविधान सभा का कार्य पारदर्शी, व्यवस्थित और सर्वसम्मति से हुआ था। इस सभा के कुछ बुनियादी सिद्धान्त भी थे, जिन पर सबकी सहमति थी। संविधान की प्रत्येक धारा की अनेक बार चर्चा हुई थी। दो हजार से अधिक संशोधनों पर विचार हुआ था। संविधान के नियम और अधिनियमों के बारे में 3 वर्ष में 114 दिन गम्भीर बहस हुई थी। संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक प्रस्ताव और शब्द को प्रारूप समिति द्वारा लिखा गया था। इन प्रस्तावों को **'कांस्टीट्यूएंट असेम्बली डिबेट्स'** के नाम से प्रकाशित किया गया था। वर्तमान में संविधान की व्याख्या के लिए इनका प्रयोग किया जाता है।

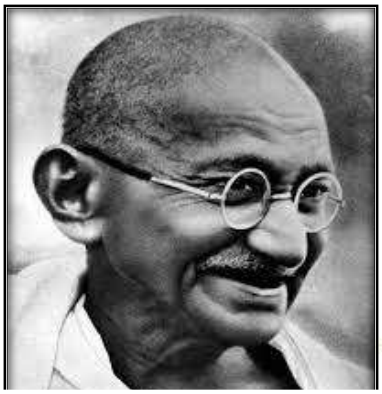

चित्र- 12.2 महात्मा गांधी

मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा, जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहें, जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें तथा छूआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह न हो और महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार हों। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊँगा। (1931 में अपनी पत्रिका 'यंग इंडिया')

प्रारूप समिति- प्रारूप समिति के प्रमुख डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने चर्चा के लिए संविधान का एक प्रारूप बनाया था। प्रारूप समिति के सदस्यों में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अतिरिक्त एन. गौपाल स्वामी आयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधव राव, डी.पी. खेतान थे। डी.पी.खेतान के देहावसान के पश्चात टी.टी. कृष्णामचारी को प्रारूप सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था।

चित्र- 12.3 प्रारुप समिति

भारतीय संविधान के बुनियादी सिद्धान्त- किसी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। भारतीय संविधान के बुनियादी स्वरूप का अध्ययन हम दो प्रकार से

कर सकते हैं। प्रथम अपने देश के नेताओं के संविधान सम्बन्धी विचारों को समझकर, दूसरा हमारे संविधान का दर्शन स्वयं अपने बारे में क्या विचार रखता है, उन विचारों को पढ़कर। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख भूमिका थी। उनके विचार उस समय के कुछ नेताओं से कुछ अलग थे। वे अक्सर गांधीजी के विचारों से सहमत नहीं होते थे। फिर भी उनकी विद्वता एवं स्पष्टवादिता के कारण उन्हें संविधान सभा में उच्च स्थान प्रदान किया गया था। भारतीय संविधान में लोकतन्त्र की तीनों संस्थाओं (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) की रचना, शक्तियाँ, कार्यों और दायित्वों का उल्लेख होता है। संविधान, शासन के अंगों तथा नागरिकों के मध्य संबंधों को भी विनियमित करता है। भारतीय संविधान में बुनियादी मूल्यों को बहुत स्पष्ट व समृद्ध रूप से वर्णित किया गया है। इसमें नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्यों का भी विवरण किया गया हैं। भारतीय संविधान के बुनियादी सिद्धान्तों का अध्ययन निम्न प्रकार से करेंगे-

इसे भी जानें-

- भारत के संविधान के बारे में महात्मा गांधी ने 1922 ई.में कहा था कि 'भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा'।
- भारतीय संविधान निर्माण के समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं परन्तु वर्तमान में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद ,25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है।
- अब तक संविधान में 127 (2021 तक) संशोधन हो चुके हैं।

प्रस्तावना (उद्देशिका)- भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम को जिन सिद्धान्तों एवं आदर्शों से प्रेरणा मिली थी। वे आज हमारे लोकतन्त्र के मूल आधार हैं।विश्व के अनेक देशों ने अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन माना जाता है। भारतीय संविधान की शुरुआत बुनियादी सिद्धान्तों की छोटी सी प्रस्तावना (उद्देशिका) से होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वह दर्शन निहित है,जिससे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन हमारी सरकार के कानूनों एवं निर्णयों का परीक्षण कर उनका मानक निश्चित करता है कि कौनसा कानून या निर्णय देश के लिए अच्छा है या बुरा है। इसलिए 'प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है'। संविधान की प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के लक्ष्यों, मूल्यों एवं विचारों का समावेश किया है। 13 दिसंबर, 1946 ई. को पण्डित जवाहर लाल नेहरु द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। हमारे संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका) उसी पर आधारित है। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिये **राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय** के साथ स्वतन्त्रता के सभी रूप सम्मिलित हैं।

प्रस्तावना में वैदिक स्रोत- संविधान की प्रस्तावना के स्रोत हमारे वैदिक वाङ्मय में भी मिलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय वैदिक वाङ्मय के न्याय सिद्धान्त से अभिप्रेरित है। ऋग्वेद में वैश्विक नियमों और कानूनों का रक्षक मित्र और वरूण को बतलाया गया है। यथा- "**धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिता व्रता रक्षेथे असुरस्य मायया।ऋतेन विश्वं भुवनं राजथः सूर्यमा धत्थो दिवि चित्र्यं रथम्।।**" (5.63.7) अर्थात् बुद्धिमान लोग अपने वैश्विक-नियम कानून के साथ और गैर-दिव्य विस्मित करने वाली शक्ति (मित्र-वरुण) के माध्यम से नियमों और कानूनों की रक्षा करते हैं। आप, इन शाश्वत वैश्विक नियमों से सम्पूर्ण विश्व पर शासन करते हैं। आपने विश्व को प्रकाशित करने के लिए सूर्य को एक विचित्र-वर्ण रथ के रूप में ऊपर (स्वर्ग में) स्थापित किया है। ऋग्वेद में न्याय का निवास उत्तम पुरुषों में बताते हुए कहा गया है कि- "**व्रतेन स्थो ध्रुवक्षेमा धर्मणा यातयज्जना।**" (**ऋग्वेद** 5.72.2) अर्थात् अध्यादेश और न्याय व्यवस्था के द्वारा, आप शान्ति से सुरक्षित उत्तम पुरुषों में निवास करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित **स्वतन्त्रता** की प्रेरणा संविधान निर्माताओं को वैदिक वाङ्मय से प्राप्त हुई है। ऋग्वेद में स्वतन्त्रता के सन्दर्भ में कहा गया है- "**नू मित्रो वरुणो अर्यमा नस्त्मने तोकाय वरिवो दधन्तु। सुगा नो विश्वा सुपथानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः।।**" (7.62.6) अर्थात् अब मित्र, वरुण, आर्यमन हमें और हमारी सन्तानों के लिए स्वतन्त्रता और निवास स्थान देकर रक्षा करते हैं। हमें यात्रा करने के लिए सभी उचित और अच्छे रास्ते मिलें। हे भगवान! हमें आशीर्वाद के साथ हमेशा के लिए सुरक्षित रखें। स्वतन्त्रता विषयक सिद्धान्तों की पुष्टि करते हुए अथर्ववेद में संकेत है- "**ये ग्रामा यदरण्यं याः सभाः अधि भूम्याम्। ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते।।**" (12.1.56) अर्थात् इस पृथ्वी पर जितने गाँव, जंगल, एवं सभाएँ हैं, अतिथियों का समूह और प्रशासकों की समितियाँ स्वतन्त्र रूप से सभी सुखद एवं सुन्दर वाणी बोलें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित समता पर वैदिक वाङ्मय का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है। इसकी पुष्टि ऋग्वेद

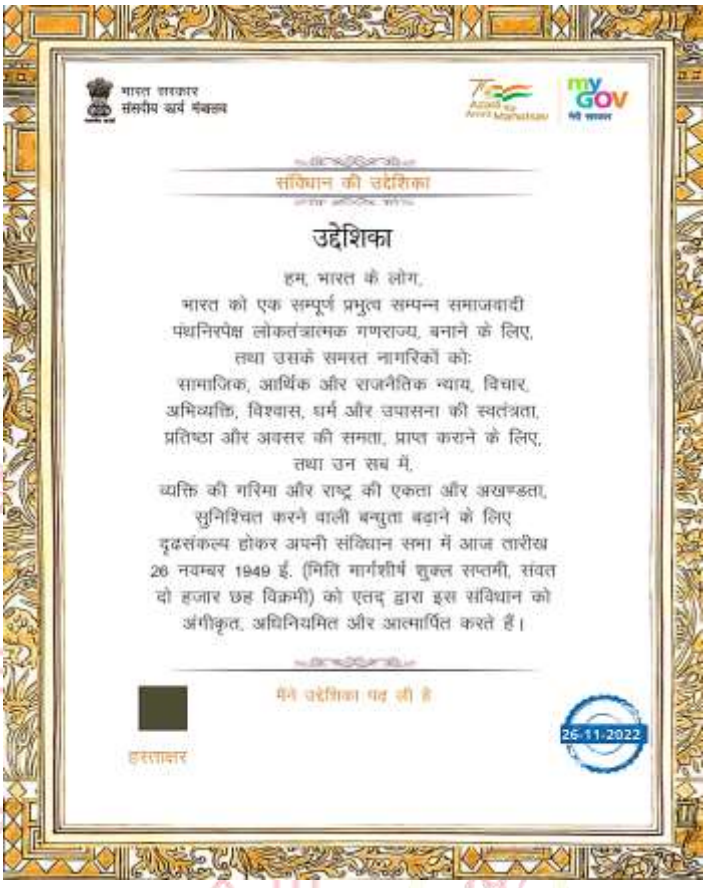

चित्र- 12.4 **भारतीय संविधान की प्रस्तावना**

के इस मन्त्र से होती है- "**अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते तं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय। युवा पिता स्वपा रुद्र एषां सुदुघा पृश्निः सुदिना मरुद्भ्यः॥**" (5.60.5) अर्थात् प्रपंच (संसार) में कोई बडा नहीं, कोई छोटा नहीं, हम सब परस्पर भाई हैं। हम सब उत्तम ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयत्न करते हैं। इन सब का पिता स्वयं रुद्र- परमात्मा-ईश्वर है। इन के लिए स्वादिष्ट दुग्ध देने वाली माता स्वयं प्रकृति है। इसी प्रकार समता का संकेत अथर्ववेद में भी मिलता है- "**असम्बाधं बध्यतो मानवानां यस्या उद्वतः प्रवतः समं बहु। नानावीर्या औषधीर्च्या बिभर्ति पृथिवी नः प्रथां राध्यतां नः।।**" (1.1.18) अर्थात् जिस भूमि में रहने वाले मनुष्यों में ऊँच-नीच एवं समता के विषय में असंबोध भाव (अद्वेष भाव) है। वह पृथिवी नाना प्रकार के वीर्यों, बलों और औषधियों का भरणपोषण करती है, वही मातृभूमि जीवन में हमें परस्पर सद्भाव से रहने में सहायक हो। भावार्थानुसार पृथिवी नाना प्रकार के (जैसे ऊँच-नीच, अमीर-गरीब, विद्वान-निरक्षर आदि) विरोधाभासों को मिटाकर हमें समानता प्रदान करे क्योंकि हम सब पृथिवी पर निवास करते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना में जिस बन्धुत्त्व की बात कही है। वह बन्धुत्त्व हमारी वैदिक संस्कृति का प्रमुख आधार रहा है। पारिवारिक एवं सामाजिक सौमनस्य (बन्धुत्त्व) के लिए अथर्ववेद में प्रार्थना की गई है- "**सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः। अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या।।**" (3.30.1) अर्थात् जिस प्रकार 'गाय अपने बछडे की देखभाल वात्सल्य भाव से करती है उसी प्रकार हमें भी परस्पर सौमनस्य भाव से रहना चाहिए।

विभिन्न देशों के संविधानों से लिये गये प्रावधान- भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान निर्माताओं ने विश्व के विद्यमान संविधानों के सर्वोत्तम लक्षणों को एकत्र कर, उन्हें अपने देश की आवश्यकता तथा विद्यमान दशाओं के अनुसार अंगीकृत किया था। आयरलैण्ड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों का विचार ग्रहण किया है। कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। इंग्लैण्ड की संवैधानिक परम्पराएँ, न्याय निर्णय, संवैधानिक टीकाएँ और संविधान विशेषज्ञों के परामर्श आदि का भी प्रभाव रहा था।

संस्थाओं का स्वरूप- भारतीय संविधान में केवल दर्शन व मूल्यों का वर्णन ही नहीं है बल्कि इसके द्वारा उन्हें संस्थागत रूप भी प्रदान किया है। संविधान के अधिकांश भाग में इन्हीं संस्थाओं की व्यवस्थाओं के नियमों का प्रतिपादन है। समय-समय पर इन संस्थाओं के नियमों में होने वाले परिवर्तन को संविधान में सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है, जिसे हम संविधान संशोधन कहते हैं। भारतीय संविधान में संस्थाओं को कानूनी रूप प्रदान किया गया है। हमारे संविधान में इन संस्थाओं के नियम, कानून, शक्ति, अधिकार और इनके निर्वाचन के विषय में स्पष्ट प्रावधान हैं।

वैदिक वाङ्मय में संवैधानिक संस्थाओं का स्वरूप- प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था में ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी तथा उसके प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। राजा के निर्वाचन में ग्रामणी को भाग लेने का अधिकार प्राप्त होने के कारण उसे राजकृत कहा गया है- "**ये राजानो राजकृत: सूता ग्रामयण्यश्च ये।**" (अथर्ववेद 3.5.7)। अनेक ग्राम समूहों को 'विश' तथा उसके सर्वोच्च अधिकारी को 'विशपति' कहा जाता था, जिसे पुरों का पालक और पिता कहा गया है- "**अत्रा वो विश्पति: पिता पुराणाम्।**" (ऋग्वेद 10.135.1) विशों का समूह जन कहलाता था, जिसका निवास जनपदों में होता था। जन का शासक राजा कहलाता था। अथर्ववेद में बीस जनराज्यों का उल्लेख है- "**त्वमेतां जनराज्ञो द्विर्दश**" (20.21.9) अनेक जनपदों को मिलाने से राष्ट्र का निर्माण होता था- "**आ त्वा गन्राष्ट्रं सह वर्चसोदिहि प्राङ्विशां पतिरेकराट त्व वि राज**" (अथर्ववेद 3.4.1)। उस समय शासन व्यवस्था के सुचारू सञ्चालन के लिए वर्तमान की भांति विभिन्न विभाग होते थे। यजुर्वेद के अध्याय 30 में मन्त्र सङ्ख्या (6-20) तक 102 विभागों के नामों का उल्लेख हुआ है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि प्राचीन काल की ग्राम, विश और जन प्रमुख संस्थाएँ थीं।

आधुनिक भारत की प्रमुख संवैधानिक संस्थाएँ- लोकतान्त्रिक देशों में शासन के सुचारु सञ्चालन के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का प्रावधान संविधान द्वारा किया गया है। लोकतन्त्र की सफलता इन संस्थाओं के कार्यों पर निर्भर करती है। भारत में शासन सञ्चालन के लिए सरकार के तीन अङ्ग हैं-

1. व्यवस्थापिका (विधायिका) 2. कार्यपालिका 3. न्यायपालिका।

1. **व्यवस्थापिका (विधायिका)**- सरकार का वह अङ्ग, जो कानूनों एवं नियमों का निर्माण करता है, उसे व्यवस्थापिका कहते हैं। हमारे देश में यह कार्य संसद करती है। भारत की संसद देश की विधान पालिका का द्विसदनीय सर्वोच्च निकाय है। भारतीय व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति के पास संसद की बैठक को आहूत करने एवं स्थगित करने या लोकसभा को भङ्ग करने की शक्ति निहित होती है। भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा एवं निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिनकी अधिकतम सङ्ख्या 552 होती है। लेकिन वर्तमान में निर्वाचन 543 सदस्यों का होता है। दो सदस्यों एङ्ग्लो-इंडियन समुदाय से मनोनीत किये जाते थे परन्तु 25 जनवरी 2020 ई. को सरकार ने मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। राज्य सभा एक स्थायी सदन है, जिसमें अधिकतम

इसे भी जानें-

- वित्त बजट सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किये जाते हैं। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता ही प्रधानमन्त्री बनता है। इसलिए लोकसभा की स्थिति राज्यसभा की अपेक्षा मजबूत होती है।

सदस्य सङ्ख्या 250 होती है, जिनमें 233 सदस्यों का निर्वाचन राज्य एवं सङ्घ शासित क्षेत्रों में से किया जाता है और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा कला, शिक्षा, खेल या विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले लोगों में से किया जाता है। राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन/मनोनयन 6 वर्ष के लिए होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं।

व्यवस्थापिका के कार्य-

1. व्यवस्थापिका देश या राष्ट्र को सञ्चालित करने के लिए कानून निर्माण का कार्य करती है।
2. व्यवस्थापिका संविधान में आवश्यकता होने पर संशोधन का कार्य करती है।
3. व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है।
4. व्यवस्थापिका शासन की नीतियों का निर्धारण करती है।
5. व्यवस्थापिका वित्त सम्बन्धी कार्य जैसे- कर निर्धारण,आय-व्यय आदि का निरीक्षण करती है।
6. व्यवस्थापिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा पद से हटा सकती है।
7. व्यवस्थापिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के निर्वाचन सम्बन्धी कार्य भी करती है।

कार्यपालिका- कार्यपालिका सरकार का वह अङ्ग है, जो कानून को लागू कर कार्यान्वित करती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अध्यक्ष राज्य और सरकार का प्रमुख होता है। संसदीय प्रणाली में सरकार का व्यवहारिक प्रमुख प्रधानमन्त्री होता है जबकि सवैंधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने एवं सलाह देने के लिए प्रधानमन्त्री और उसकी मंत्रिपरिषद सम्मिलित होते हैं। सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री और उसके मन्त्रीमण्डल को अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है।

प्रधानमन्त्री- किसी लोकतान्त्रिक देश में प्रधानमन्त्री का पद सबसे महत्त्वपूर्ण होता है। भारत में प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमन्त्री बनने के लिए लोकसभा में बहुमत का होना आवश्यक है। यदि किसी एक दल को लोकसभा में बहुमत नहीं है, तो एक से अधिक दल मिलकर सरकार बनाने का कार्य करते हैं, उसे गठबन्धन की सरकार कहा जाता है। गठबंधन की सरकार में गठबन्धन दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है। प्रधानमन्त्री के कार्यकाल का कोई निश्चित समय नहीं होता है। जब तक उसके दल का लोकसभा में बहुमत होता है, तब तक वह इस पद

पर बना रहता है। सभी मन्त्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के निर्वाचित सदस्य होते हैं। कई बार ऐसे व्यक्तियों को मन्त्री या प्रधानमन्त्री बना दिया जाता है, जो संसद के सदस्य नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में उस मन्त्री या प्रधानमन्त्री को छ: माह के अन्दर संसद के किसी सदन का सदस्य चुना जाना अनिवार्य है। सभी मन्त्रियों के समूह को मन्त्रीपरिषद् कहते हैं। इसमें तीन प्रकार के मन्त्री होते हैं- कैबिनेट मन्त्री, राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) और राज्य मन्त्री। कैबिनेट मन्त्री किसी बड़े विभाग के प्रभारी होते हैं। प्राय: ये पार्टी या गठबंधन के वरिष्ठ सदस्य होते हैं। राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राय: छोटे विभागों के मुखिया होते हैं। प्राय: बुलाये जाने पर ही ये कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मन्त्री अपने कैबिनेट मन्त्रियों की सहायता करते हैं। लोकतान्त्रिक देशों में अधिकतर निर्णय कैबिनेट की बैठकों में होते हैं। सभी मन्त्री कैबिनेट में एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। कैबिनेट के निर्णय की कोई भी मन्त्री निंदा नहीं कर सकता है,चाहे वह निर्णय किसी भी विभाग के द्वारा किया गया हों। प्रत्येक मन्त्री की सहायता के लिए एक सचिव होता है, जो उसे आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराता है।

इसे भी जानें-

- भारत में मन्त्री परिषद का शीर्ष समूह कैबिनेट कहलाता है।
- कैबिनेट की सहायता के लिए कैबिनेट सचिवालय होता है, जो विभिन्न विभागों में समन्वय का काम करता है।

प्रधानमन्त्री के अधिकार व कर्तव्य-

1. प्रधानमन्त्री सभी विभागों में सामंजस्य स्थापित करता है और कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
2. वह विभिन्न विभागों के आपसी विवादों को सुलझाता है।
3. प्रधानमन्त्री मन्त्रियों की नियुक्ति कर, उनके कार्यों का वितरण करता है। वह किसी भी मन्त्री को उसके पद से हटा सकता है।

वर्तमान समय में लोकतन्त्र में प्रधानमन्त्री का पद इतना अधिक शक्तिशाली है कि, वह अपनी पार्टी और संसद को भी नियंत्रित करने का प्रयास करता है। प्रधानमन्त्री के अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्त्व पर निर्भर करते हैं। गठबंधन सरकारों में प्रधानमन्त्री कमजोर होता है क्योंकि उसके निर्णयों को गठबंधन के दल प्रभावित करते हैं। अत: वह अपने विवेक से निर्णय नहीं ले सकता है

राष्ट्रपति- भारत में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल (संसद और राज्य विधान मण्डल के निर्वाचित सदस्यों) के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में सम्पूर्ण अधिकार और निर्णय राष्ट्रपति को दिए गये हैं। परन्तु उनका वास्तविक उपयोग प्रधानमन्त्री और उसकी मन्त्री परिषद करती है।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ और अधिकार- राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमन्त्री के परामर्श से अन्य मन्त्रियों, न्यायधीशों, प्रदेशों के राज्यपालों, विदेशों में राजदूतों, आदि की नियुक्ति करता है। लोकसभा भङ्ग करना, संसद् के अधिवेशन बुलाना, या स्थगित करना,अध्यादेश लागू करना, प्रत्येक आम निर्वाचन के पश्चात संयुक्त अभिभाषण और विधेयकों की स्वीकृति देना आदि राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य हैं। भारत में राष्ट्रपति जल, थल और वायु सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को दिए गए दण्ड को क्षमा कर सकता है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही कानून बनता है। राष्ट्रपति विधेयक को कुछ समय के लिए वापिस भेज सकता है। परन्तु संसद् उस विधेयक को पुन: पारित करके भेज दे, तो उस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति इंग्लैंड की महारानी के जैसी है।

न्यायपालिका- लोकतन्त्र की सफलता के लिए स्वतन्त्र न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। किसी देश में विभिन्न स्तरों पर स्थापित न्यायालयों को न्यायपालिका कहते हैं। भारत में न्यायपालिका के रूप में उच्चतम स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, जिला स्तर पर जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर पर स्थानीय न्यायालय हैं। सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य नागरिकों के अधिकारों और संविधान की रक्षा करना है। वह सरकार की स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता पर नियन्त्रण करता है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों और सरकार के मध्य, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य, केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य विवादों का समाधान करता है।यह फौजदारी और दीवानी मामलों की अन्तिम अपीलीय संस्था है।

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता से आशय है कि उस पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का नियन्त्रण नहीं होता है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमन्त्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है लेकिन इसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप न के बराबर होता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन आज तक भारत में ऐसा नहीं हुआ है। भारत की न्यायपालिका विश्व की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। यदि कार्यपालिका या किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया कानून संविधान के विरूद्ध है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून की वैधता की जाँच कर उसे वैध या अवैध घोषित कर सकता है, इसे न्यायिक समीक्षा कहते

इसे भी जानें-

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 ई. में (केशवानन्द भारती वनाम सरकार) निर्णय दिया है कि संसद भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धान्तों को परिवर्तित नहीं कर सकती है।

हैं। न्यायपालिका सरकार को उसकी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकता है तथा दुरुपयोग होने पर उन पर कार्यवाही भी करता है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. एङ्ग्लो-इंडियन समुदाय ने दो सदस्यों मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त..... को किया था।

अ. 25 जनवरी, 2020 ई. ब. 14 नवम्बर, 2020 ई.

स. 18 नवम्बर, 2020 ई. द. 8 नवम्बर, 2020 ई.

2. भारत का संविधान.....हैं।

अ. अलिखित ब. सांकेतिक स. लिखित द. खण्डरहित

3. डॉ. भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा समिति के अध्यक्ष.....थे।

अ. राजनायिक समिति के ब. प्रारूप समिति के

स. भारत के सचिव द. स्वागत समिति के

4. भारत का संविधान सन्.....लागू हुआ था।

अ. 9 दिसम्बर, 1946 ब. 11 दिसम्बर, 1950

स. 26 जनवरी, 1949 द. 26 जनवरी, 1950

5. भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है –

अ. प्रस्तावना को ब. मूल अधिकारों को

स. मूल कर्तव्यों को द. इनमें से कोई नहीं

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. भारतीय संविधान की आत्मा ..... को कहा जाता है। (प्रस्तावना/मौलिक अधिकारों)
2. पं. नेहरू द्वारा ..... को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। (13 दिसम्बर 1946/18 दिसम्बर 1947)
3. मन्त्रिपरिषद् का शीर्ष समूह ..... कहलाता है। (प्रधानमन्त्री/कैबिनेट)
4. दक्षिण अफ्रीका में.....स्वतन्त्र हो गया था (1994 ई./ 1995 ई.)

सत्य/असत्य बताइए-

1. भारतीय संसद के 3 अङ्ग होते हैं। (सत्य/असत्य)
2. मन्त्रिमण्डल में 3 प्रकार के मन्त्री होते हैं। (सत्य/असत्य)

3. अनुच्छेद 342 संविधान संशोधन से सम्बन्धित है। (सत्य/असत्य)

4. दक्षिण अफ्रीका का संविधान लोकतन्त्र का प्रतिरूप है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. संविधान दिवस	क. 26 जनवरी
2. गणतन्त्र दिवस	ख. 2 अक्टूबर
3. अहिंसा दिवस	ग. 26 नवम्बर
4. दक्षिण अफ्रीका	घ. 26 अप्रैल

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे ?
2. लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं ?
3. राज्य सभा में मनोनीत सदस्यों की सङ्ख्या कितनी होती है ?
4. भारतीय संविधान के निर्माण के समय कितने कितना समय लगा था?
5. सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः। अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या ।। मन्त्र किस वेद लिया है ?
6. 1922 में महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में क्या कहा था ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम लिखिए।
2. संविधान किसे कहते हैं ?
3. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित दर्शन को स्पष्ट कीजिए।
4. भारत की प्रमुख वैधानिक संस्थाओं के नाम लिखिए।
5. प्रधानमन्त्री के कार्य एवं अधिकारों का वर्णन कीजिए।
6. न्यायपालिका की कार्य प्रणाली को समझाइए ।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों व शक्तियों का तुलनात्मक विवेचन कीजिए।
2. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वैदिक दर्शन को स्पष्ट कीजिए।

परियोजना कार्य-

1. छात्र यजुर्वेद के अध्याय 30 में उल्लेखित 102 विभागों की सूची तैयार कर शासन के आधुनिक विभागों से तुलना कीजिए।

अध्याय - 13

भारत में निर्वाचन प्रणाली

इस अध्याय में- लोकतन्त्र में निर्वाचन की भूमिका, निर्वाचन की आवश्यकता, लोकतान्त्रिक निर्वाचन के लिए आवश्यक शर्तें, निर्वाचन व्यवस्था में राजनीतिक दल और उनकी प्रतिस्पर्धा, भारतीय लोकतन्त्र की निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अभियान प्रक्रिया, क्या भारत में, निर्वाचन लोकतान्त्रिक तरीके से होते हैं ? और स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन की चुनौतियाँ।

लोकतन्त्र में निर्वाचन की भूमिका- निर्वाचन की अवधारणा आधुनिक नहीं है क्योंकि भारत में निर्वाचन सम्बन्धी अनेक मन्त्र और प्रसङ्ग हमें वैदिक वाङ्मय में प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारत में सभा व समिति नाम की दो संस्थाएँ होती थीं, जो राजा के निर्वाचन का कार्य करती थीं। इन संस्थाओं के सदस्यों का भी निर्वाचन होता था। वेदों में उल्लेख है की देवताओं के राजा इन्द्र का पद वंशानुगत नहीं है, इसका निर्वाचन होता है। इन उद्धरणों से हमारी प्राचीन निर्वाचन प्रणाली के बारे में पता चलता है। संविधान को मानने वाले प्रजाजन के विषय में अथर्ववेद में कहा गया है- **"संजानाना: संमनस: सयोनय:"** (7.19.1) अर्थात् प्रजाजन सद्भाव वाले, समान मन वाले और एक मत वाले हो ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था में जनता द्वारा निश्चित अवधि के लिए शासन सञ्चालन के लिए प्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रिया को निर्वाचन कहा जाता है। स्वस्थ और स्वच्छ लोकतन्त्र के निर्माण में निर्वाचन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतन्त्र को मजबूत बनाने के लिए नियमित अन्तराल पर निर्वाचन कार्य का होना आवश्यक है। मतदाता, चुनावों में अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके बड़े-बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। लोकतन्त्र में प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समान अवसर प्राप्त होते हैं। लोकतन्त्र और निर्वाचन को एक-दूसरे का पूरक माना जाता है। निर्वाचन हमें यह विकल्प देता है कि हम योग्य व्यक्ति को चुन कर सत्ता तक पहुँचाएँ, जिससे वे राष्ट्र के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें। भारत का वह प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, वह अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है और लोकतन्त्र का पर्व माने जाने वाले चुनावों में अपने पसन्द के उम्मीदवार को अपना मत दे सकता है।

निर्वाचन की आवश्यकता- कई बार लोगों द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर निर्वाचन की आवश्यता क्यों होती है? यदि निर्वाचन नहीं भी हों तो भी देश में शासन चलाया जा सकता है। लेकिन

इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहाँ भी शासक, राजा या फिर उत्तराधिकारी चुनने में पक्षपात हुआ है, वह देश या राज्य कभी विकसित नहीं हुआ और उसका विघटन अवश्य हुआ है। यही कारण था कि राजतन्त्रीय व्यवस्थाओं के आरम्भ में राजपद के लिए राजा के सबसे योग्य पुत्र को ही चुना जाता था। हमें इसका सबसे अच्छा दृष्टान्त महाभारत में मिलता है, जहाँ भरतवंश के राजसिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति का निर्वाचन श्रेष्ठता के आधार पर किया जाता था। परन्तु भीष्म पितामह ने सत्यवती के पिता को वचन देते हुए इस बात की प्रतिज्ञा ली की वह कुरुवंश की राजगद्दी पर कभी नही बैठेंगे और सत्यवती का ज्येष्ठ पुत्र ही हस्तिनापुर के सिहांसन का उत्तराधिकारी होगा। इस गलती का परिणाम तो हम जानते हैं कि इस एक प्रतिज्ञा के कारण कुरुवंश का नाश हो गया।

वास्तव में निर्वाचन हमें विकल्प देते है कि हम बेहतर विकल्प को चुन सकें। यदि शासन तंत्र में निर्वाचन नहीं हों तो समाज में निरंकुशता और अधिनायकत्व का बोलबाला हो जायेगा, जिसके परिणाम सदैव ही विध्वंसक रहे हैं। वे देश हमेशा प्रगति करते हैं, जहाँ निर्वाचन के द्वारा शासन के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। किसी लोकतान्त्रिक देश में शासन करने और व्यवस्था बनाये रखने के लिए नागरिकों का सहयोग आवश्यक है, परन्तु यह संभव नहीं है की सभी नागरिक शासन कार्यों में सम्मिलित हो सकें, इसलिए उनके किसी प्रतिनिधि को शासन कार्य में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है। उस प्रतिनिधि का निर्वाचन करना नागरिकों का परम कर्तव्य है।

लोकतान्त्रिक निर्वाचन के लिए आवश्यक शर्तें- लोकतन्त्र में निर्वाचन प्रणाली की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, कुछ नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य है, जो निम्न हैं-

1. देश के प्रत्येक व्यस्क नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।
2. प्रत्येक देश में राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए, जिससे वे मतदाताओं के लिए अच्छे विकल्प प्रस्तुत कर सकें।
3. चुनाव निष्पक्ष,स्वतन्त्र और नियमित समय के अन्तराल में होने चाहिए, जिससे लोग अपनी स्वेच्छा से जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन कर सकें।

निर्वाचन व्यवस्था में राजनीतिक दल और उनकी प्रतिस्पर्धा- नागरिकों के ऐसे सङ्गठित समूह, जो एक जैसी विचारधारा रखते हैं, 'राजनीतिक दल' कहलाते हैं। राजनीतिक दल अपने राजनीतिक व सामाजिक सिद्धान्तों के आधार पर तथा स्वयं के लक्ष्यों और आदर्शों की पूर्ति के लिए शासन में सहभागिता का प्रयत्न करते हैं, इसलिए वे अपने सदस्यों को सत्तारूढ़ करने की चेष्टा करते हैं। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में अनेक राजनीतिक दल होते हैं और सत्ता प्राप्ति के लिए, उनके मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का होना स्वाभाविक है। यदि किसी देश या राज्य में यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता

सकारात्मक है, तो वह देश विकास की ओर अग्रसर होता है परन्तु यह प्रतिद्वंद्विता नकारात्मक है, तो इसके परिणाम विनाशकारी होते हैं। इससे देश में विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। प्रत्येक राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार निर्वाचन जीतने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं।

भारतीय लोकतन्त्र की निर्वाचन प्रक्रिया- निर्वाचन लोकतन्त्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। निर्वाचन के द्वारा ही आधुनिक लोकतन्त्रों में नागरिक अपनी विधायिका (कभी-कभी न्यायपालिका एवं कार्यपालिका) के विभिन्न पदों पर आसीन होने के लिये नागरिकों को चुनते हैं। निर्वाचन के द्वारा ही क्षेत्रीय एवं स्थानीय निकायों के लिये भी व्यक्तियों का निर्वाचन होता है। वर्तमान में निर्वाचन का प्रयोग व्यापक स्तर पर होने लगा है और यह निजी संस्थानों, क्लबों, विश्वविद्यालयों, धार्मिक संस्थानों आदि में भी प्रयुक्त होता है। भारतीय लोकतन्त्र में निर्वाचन प्रक्रिया के अलग-अलग स्तर हैं। इन चुनावी कार्यों को सम्पन्न कराने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है।

निर्वाचन आयोग - निर्वाचन आयोग संविधान द्वारा गठित एक स्वतन्त्र संस्था है। यह देश में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनावों की व्यवस्था सुनिश्चित करती है। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण का कार्य निर्वाचन आयोग का होता है। 1989 ई. तक निर्वाचन आयोग केवल एक सदस्यीय सङ्गठन था। निर्वाचन आयोग में कार्य की अधिकता होने के कारण 16 अक्टूबर, 1989 ई. को राष्ट्रपति की अधिसूचना के द्वारा इसमें दो और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी।

इसे भी जानें-

- भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ई. को हुई थी।
- भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे।
- भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ई. में हुए थे।
- वर्तमान में श्री राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं।
- भारत के निर्वाचन आयोग का कार्यालय नई दिल्ली में है।

निर्वाचन आयोग के कार्य- भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य निम्न हैं-

1. भारतीय निर्वाचन आयोग, चुनावों के आयोजन के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतदान केन्द्रों का निर्धारण और निर्वाचन नामावली तैयार कर, निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है।
2. निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए आदर्श निर्वाचन संहिता लागू कर, उसका पालन सुनिश्चित करता है। यदि कोई व्यक्ति या राजनीतिक दल इसका पालन नहीं करता है,तो उसे दण्डित भी कर सकता है।

3. निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों का पञ्जीयन कर, उन्हें निर्वाचन चिन्ह प्रदान करता है।

4. निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्यों के निर्वहन हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करता है।

निर्वाचन क्षेत्र- हमारे देश में संसदीय प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली को अपनाया गया है इसलिए प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए सम्पूर्ण देश को विभिन्न क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है, इन्हें निर्वाचन/संसदीय क्षेत्र कहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि को 'सांसद' कहा जाता है। वर्तमान में हमारे देश को 543 लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित गया है। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में लगभग मतदाताओं की सङ्ख्या समान होती है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों से चुने हुए प्रतिनिधियों को 'विधायक' कहते हैं। प्रत्येक राज्य में इनकी सङ्ख्या, उस राज्य की जनसङ्ख्या के आधार पर निर्धारित होती है। इसी तरह स्थानीय शहरी स्वशासन में नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका और ग्रामीण स्वशासन में जिला परिषद, पञ्चायत समिति और ग्राम पञ्चायतों को वार्डों में विभक्त किया गया है। इन निर्वाचन क्षेत्रों को सामान्य बोल-चाल की भाषा में 'सीट' भी कहा जाता है।

इसे भी जानें-

- 2012 ई. के अनुसार लोकसभा में 84 सीट अनुसूचित जाति और 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।

हमारे संविधान के निर्माताओं को इस बात का भय था कि आर्थिक रूप से मजबूत और प्रभावशाली व्यक्ति या वर्ग, कमजोर, अशिक्षित व पिछड़े लोगों या वर्गों को निर्वाचन लड़ने व जीतने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। यदि ऐसा होगा तो यह हमारे लोकतन्त्र के लिए हानिकारक होगा। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इन कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन की व्यवस्था की थी। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को 'आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र' कहते हैं। यह आरक्षण व्यवस्था लोकसभा,राज्यसभा, विधान सभा और स्थानीय स्वशासन के सभी स्तरों पर लागू है।

मतदाता सूची- मतदाता सूची, निर्वाचन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अङ्ग हैं। लोकतान्त्रिक निर्वाचन व्यवस्था में मतदान हेतु नागरिकों की एक सूची, निर्वाचन से पूर्व ही तैयार कर ली जाती है, जिसे 'मतदाता सूची' कहा जाता हैं। हमारे देश में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र

चित्र- 13.1 मतदाता सूची

वाले व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, चाहे नागरिक की जाति, लिङ्ग, धर्म कुछ भी हो उसे मताधिकार प्राप्त है। अपराधियों, पागल और न्यायालय से दिवलिया घोषित व्यक्तियों आदि को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा विशेष परिस्थितियों में होता है। सभी योग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है इसलिए प्रत्येक निर्वाचन के पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है। इस पुनरीक्षण में मृतकों एवं प्रवासियों के नाम, मतदाता सूची से हटा दिये जाते हैं। हर पाँच वर्ष में मतदाता सूची का नवीनीकरण किया जाता है। वर्तमान में मतदाता सूची में फोटो की नई व्यवस्था लागू की गई है, इसे मतदाता

चित्र- 13. 2 मतदाता पहचान पत्र

'पहचान पत्र या वोटर आइ. डी.' कहते हैं।

निर्वाचन की घोषणा- इस प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्यक्रम घोषित करता है। इसकी घोषणा के तुरन्त पश्चात आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाती है। निर्वाचन की घोषणा के लिए अधिसूचना जारी की जाती है।

नामांकन पत्र- इस प्रक्रिया के अन्तर्गत उम्मीदवार को निर्वाचन अधिकारी के समक्ष निर्वाचन के लिए एक प्रपत्र भरना पड़ता है, जिसे **'नामांकन पत्र'** कहा जाता है।निर्वाचन में कोई भी मतदाता उम्मीदवार बन सकता है। परन्तु निर्वाचन आयोग द्वारा अलग-अलग संस्थाओं के लिए न्यूनतम उम्र अलग-अलग निर्धारित की गई है। राजनीतिक दल अपने-अपने उम्मीदवारों का मनोनयन करते हैं, जिन प्रत्याशियों को अपने दल का निर्वाचन चिन्ह मिलता है, उसे बोलचाल की भाषा में टिकट मिलना कहते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा-पत्र भरवाने की नई व्यवस्था शुरू की गई है। इसके अन्तर्गत उम्मीदवार को अपने विरुद्ध चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की सम्पति का ब्यौरा और अपनी शैक्षिक योग्यता आदि के बारे में वैधानिक घोषणा करनी होती है। नामाकंन पत्र दाखिल करने के पश्चात निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों को निर्वाचन चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को उनके दल का चिन्ह और स्वतन्त्र उम्मीदवारों को पहचान के लिए अलग-अलग निर्वाचन चिन्ह दिया जाता है, जिसका उद्देश्य यह होता है कि मतदाताओं को उम्मीदवार की पहचान हो सके और वे मत देते समय भ्रमित ना हो।

निर्वाचन अभियान प्रक्रिया- निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से उम्मीदवारों की अन्तिम सूची जारी होने के पश्चात उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार कर मतदाताओं से अपने-अपने पक्ष अथवा पार्टी को मत देने का आग्रह करते हैं। उन्हें, निर्वाचन आयोग द्वारा अपना प्रचार करने के लिए प्राय:15 दिन का समय मिलता है। इस समयावधि में वे सभाओं एवं रैलियों के आयोजन, बैनर पोस्टर आदि प्रचार माध्यमों का उपयोग करते हैं। इस समय राजनीतिक दलों या स्वतन्त्र उम्मीदवार अपनी विजय के उपरान्त कराये जाने वाले कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं, इन कार्यों की सूची को 'चुनाव घोषणा पत्र' कहा जाता है। यह प्रचार कार्यक्रम मतदान होने के 48 घण्टे पहले तक किया जाता है। इन सब की निगरानी निर्वाचन आयोग करता है। यदि किसी प्रकार का गलत प्रचार-प्रसार, किसी उम्मीदवार के द्वारा किया जाता है, तो उसके विरुद्ध निर्वाचन आयोग कार्यवाही कर सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा इन चुनावों के खर्च की सीमा भी निर्धारित की गई है।

लोकसभा उम्मीदवार के लिए यह सीमा 95 लाख और विधानसभा उम्मीदवार के लिए 40 लाख (सन् 2022 के अनुसार) रूपये है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों के लिए आदर्श निर्वाचन आचार संहिता भी बनाई है। इसके अन्तर्गत कोई भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार अपने निर्वाचन कार्य के लिए किसी धार्मिक स्थल, सरकारी विमान, वाहन व अधिकारी का उपयोग नहीं कर सकता है। निर्वाचन घोषणा के पश्चात किसी प्रकार का शिलान्यास, लोकार्पण या नीतिगत घोषणा या निर्णय नहीं कर सकता है। इसका पालन सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को करना अनिवार्य है। यदि वे इसका पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें दण्ड का भी प्रावधान है।

चित्र- 13.3 मतदान केन्द्र

मतदान केन्द्रों का निर्धारण- इस प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग सबसे पहले मतदान केंद्रों का निर्धारण करता है। मतदान केन्द्र अस्थायी रूप से गाँव या शहर के विद्यालय या सरकारी इमारतों में होते हैं।

मतदान और मतगणना - यह निर्वाचन का अन्तिम चरण होता है, इसे निर्वाचन का दिन भी कहा जाता है।इस दिन मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करके नई सरकार या संस्था के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है और उसकी सहायता के लिए अन्य सदस्यों का समूह भी होता है, जो निर्वाचन सम्बनधी कार्यों का निष्पादन करते

है, जैसे- मतपत्र देना, वोटर लिस्ट में नाम मिलान एवं सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज देखना और अमिट स्याही आदि। इस प्रक्रिया में मतों का संग्रहण मतपेटियों या वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.) में किया जाता है। परिणाम वाले दिन उनसे प्राप्त मतों की गणना की जाती है। जिस प्रत्याशी को अधिक मत मिलते हैं, उसे विजयी घोषित किया जाता है। वर्तमान समय में निर्वाचन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होने से निर्वाचन निष्पादन कार्य सुचारू तरीके एवं तीव्र गति से होने लगे हैं।

चित्र-13.3 ई.वी. एम. मशीन

क्या भारत में निर्वाचन लोकतान्त्रिक तरीके से होते हैं?- भारत में निर्वाचन आयोग निम्नाधिकारों का प्रयोग करके चुनाव प्रक्रिया को लोकतान्त्रिक बनाता है-

1. चुनावी अधिसूचना से लेकर परिणामों तक की निर्वाचन प्रक्रिया पर निर्वाचन आयोग विशेष ध्यान रखता है।
2. निर्वाचन आयोग आदर्श निर्वाचन संहिता लागू कर उसकी पालना सुनिश्चित करता है और पालना नहीं करने वाले को दंडित करता है।
3. निर्वाचन के दौरान निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को आयोग के निर्देश मानना अनिवार्य है और इसके लिए निर्वाचन आयोग सरकार को भी दिशा-निर्देश मानने के आदेश दे सकता है।

इस प्रकार से भारत का निर्वाचन आयोग विश्व के सबसे शक्तिशाली निर्वाचन आयोगों में से एक है। निर्वाचन में शामिल सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार जनादेश को स्वीकार कर लेते हैं, जो हमारे चुनावों की लोकतान्त्रिकता को मजबूत आधार प्रदान करता है इसलिए चुनावों को महापर्व कहते हैं।

इसे भी जानें-

- भारत में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (E.V.M.) का प्रयोग नवम्बर 1998 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान, मध्यप्रदेश और दिल्ली के 16 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया था।
- एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में 3840 मत दर्ज किए जा सकते हैं।

स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन की चुनौतियां- लोकतन्त्र का भविष्य चुनावों में निष्पक्षता, प्रलोभन और दबाव के मतदान की स्वतन्त्रता पर निर्भर करता है। भारत में निर्वाचन को निष्पक्ष और स्वतन्त्र रूप से कराने के लिए निर्वाचन आयोग पूरा प्रयास करता है। फिर भी

निर्वाचन प्रक्रिया में अनेक प्रकार की समस्याएँ विद्यमान हैं। हमारी निर्वाचन प्रणाली की प्रमुख चुनौतियाँ निम्न हैं-

1. मतदाताओं में जागरूकता का अभाव होने के कारण निर्वाचन प्रक्रिया में सभी नागरिकों का योगदान नहीं मिल पाता है।
2. भारत में उम्मीदवारों की निर्वाचन व्यय की सीमा निर्धारित होने के बाबजूद कुछ प्रत्याशी बहुत अधिक धन खर्च करते हैं। इस धन बल के कारण कई बार अच्छे और ईमानदार व्यक्ति चुनाव लड़ने में असमर्थ हो जाते हैं।
3. चुनाव जीतने के लिए कुछ प्रत्याशी हिंसा और बल के द्वारा मतदान केन्द्र पर कब्जा कर, बलपूर्वक मतदान को प्रभावित करते हैं।
4. चुनावों में धर्म, जाति, क्षेत्र भाषा आदि के आधार पर मतदाताओं की भावनाएँ को प्रभावित किया जाता है।

25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर ली जाने वाली प्रतिज्ञा- हम, भारत के नागरिक, लोकतन्त्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए, यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतान्त्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाये रखेंगे तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

उक्त चुनौतियाँ भारत की ही नहीं है, अपितु विश्व के अनेक लोकतान्त्रिक देशों की हैं। भारत में निर्वाचन आयोग इन चुनौतियों से निपटने के लिए निरन्तर कठोर कानून बना रहा है, परन्तु हमें भी मतदान प्रक्रिया के प्रति जागरूक होना चाहिए।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. निर्वाचन आयोग ..... मताधिकार से वंचित कर सकता है।

अ. पागल को　　ब. नाबालिगों को

स. न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित　　द. उपर्युक्त सभी

2. निम्न में से ..... पश्चात निर्वाचन प्रक्रिया शुरू मानी जाती है।

अ. निर्वाचन के बाद　　ब. निर्वाचन अधिसूचना जारी होने के पश्चात

स. प्रचार कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात　　द. निर्वाचन सभा होने के पश्चात

4. भारत में मताधिकार की उम्र.....है।

अ. 18 वर्ष　　ब. 20 वर्ष

स. 25 वर्ष　　द. 21 वर्ष

5. भारत में चुनावों को स्वतन्त्र व निष्पक्ष.....कराता है।

अ. दलित आयोग　　ब. निर्वाचन आयोग

स. सङ्घ लोक सेवा आयोग　　द. कृषि आयोग

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. स्वतन्त्र व निष्पक्ष निर्वाचन की जिम्मेदारी..... की होती है। (लोकसेवा आयोग/निर्वाचन आयोग)

2. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ..... है। (राजीव कुमार/सुशील चन्द्रा)

3. EVM का पूरा नाम ..... है। (Electronic voting machine/Election voting machine)

4. राष्ट्रीय मतदाता दिवस..... को मनाया जाता है। (25 जनवरी/ 26 जनवरी)

सत्य/असत्य बताइए-

1. नगर परिषद्, ग्रामीण स्वशासन का भाग है। (सत्य/असत्य)

2. विधानसभा का सदस्य, सांसद कहलाता है। (सत्य/असत्य)

3. निर्वाचन चिह्न प्रदान करना, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। (सत्य/असत्य)

4. लोकसभा सदस्य को विधायक कहते हैं। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. लोकसभा में कुल सीटें	क. 47
2. लोकसभा में अनुसूचित जाति की सीटें	ख. 543
3. लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटें	ग. 3840
4. एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अधिकतम मत सङ्ख्या	घ. 84

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे ?

2. मतदाता सूची किसे कहते हैं ?

3. मतदान केन्द्र किसे कहते हैं ?

4. निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं ?

6. निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. चुनावों की आवश्यकता क्यों होती है ?

2. आदर्श आचार संहिता किसे कहते हैं ?

3. भारत में निर्वाचन को लोकतान्त्रिक मानने के आधार क्या हैं?

4. निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए।

5. निर्वाचन में लोगों की भागीदारी के बारे में आप क्या जानते हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? निर्वाचन की चुनौतिओं का उल्लेख कीजिए।

2. भारत की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाइए ?

परियोजना कार्य-

1. आप जिस राज्य में रहते हो, उस राज्य के विधानसभा चुनावों की प्रकिया पर संक्षिप्त में निबन्ध लिखिए।

वेदभूषण चतुर्थ वर्ष

अर्थशास्त्र

अध्याय - 14

आदर्श ग्राम की परिकल्पना

इस अध्याय में- गाँव का अर्थ, वैदिक चिन्तन में ग्राम्य अवधारणा, आदर्श ग्राम, गाँव में उत्पादन, उत्पादन के कारक तत्त्व, गाँव में कृषि कार्य, कृषि उपज बढ़ाने के उपाय, भूमि पर रसायन या आधुनिक कृषि का प्रभाव, भूमि का वितरण एवं श्रम, कृषि के लिए लागत पूँजी, कृषि उत्पादों (अधिशेष उत्पादों) की बिक्री, गाँवों में कृषि कार्य, सांसद आदर्श ग्राम योजना और निष्कर्ष।

गाँव का अर्थ- छोटी-छोटी मानव बस्तियों को ग्राम या गाँव कहते हैं। इनकी जनसङ्ख्या कुछ 100 से लेकर कुछ 1000 के मध्य होती है। अधिकांश गाँवों में लोग कृषि या कोई अन्य परम्परागत कार्य करते हैं। गाँवों में घर बहुत पास-पास व अव्यवस्थित बने होते हैं। परम्परागत रूप से गाँवों में शहरों की अपेक्षा कम सुविधाएँ (शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि की) होती हैं। गाँवों का हरियाली से आच्छादित होने के कारण वातावरण शुद्ध होता है। आज ग्रामों में बहुत-सी आधुनिक सुविधाएँ प्राप्त होने लगी हैं। संसाधनों के रूप में प्राकृतिक, मानव निर्मित आदि सभी स्रोत गाँव में प्राय: उपलब्ध होते हैं।

वैदिक चिन्तन में ग्राम्य अवधारणा- वैदिक चिन्तन में ग्राम्य व्यवस्था के अनेक दृष्टान्त मिलते हैं। गाँव की प्रशासनिक एवं सैन्य व्यवस्था के लिए उस समय 'ग्रामणी' नामक अधिकारी होता था। गाँव में अधिकाँश घर मिट्टी और लकड़ी से बनाये जाते थे। कृषि भूमि और चारागाह गाँव के समीप ही होते थे। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, चर्मकार, बुनकर, कुम्हार आदि व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। उस समय वैद्य के लिए '**भिषज**' शब्द का उल्लेख किया जाता था। ऋग्वेद में बुनाई और कढाई करने वाली स्त्रियों को '**सिरी**' तथा '**पेशस्कारी**'कहा गया है।उस समय जुलाहों को **वाय** तथा चरघे को '**तसर**' कहा जाता था। धातुकार सभी प्रकार के औजार, कवच, बाण, धनुष, फरसे, तलवार, कृषि यन्त्र आदि बनाते थे। व्यापार करने वालों को '**पणि**' तथा सूदखोर को '**वेकनाट**' कहते थे। लोग व्यापारिक लाभ के लिए समुद्री यात्राएँ भी करते थे। समुद्र में विशाल नौकाओं के सञ्चालन का संकेत ऋग्वेद में है- "**शतारित्रां नावमातस्थिवांसम्।**" (1.116.5) क्रय-विक्रय का आधार वस्तु विनमय था। उस समय कृषि कार्य को उत्कृष्ट कार्य माना जाता था "**सुसस्या: कृषीस्कृधि।**" (शु.य 4.10) "**सीरा युञ्जन्ति कवय:।**" (शु.य. 12.67) अर्थात् विद्वान लोग हल जोतते हैं इसलिए हमें खेती अवश्य करनी चाहिए। अथर्ववेद में उल्लेख है कि "**नम: क्षेत्रस्यपतये।**"(2.8.5) अर्थात् हे खेत के स्वामी ! तुझको नमस्कार है। भारतीय किसान

उन्नत अवस्था में थे। इसका उदाहरण अथर्ववेद में मिलता हैं- "**कार्षीवणा अन्नविदो न विद्यया**" (अथर्व. 6.116.1) अर्थात् कृषि विशेषज्ञ दूसरों के लिए अनुकरणीय होता है। अन्नविद् कृषकों ने ज्ञानपूर्वक कृषि के कुछ नियम बनाये है। "**कृष्टराधिरुप जीवनीयो भवति**" (अथर्व. 8.10.24) अर्थात् कृषि ही जीवन का मूल है। अत: इस प्रकार स्पष्ट है कि वैदिक चिन्तन में गाँवों में बेरोजगारी नहीं थी। उस समय सभी लोग अपने-अपने व्यवसाय में संलग्न रहते थे।

चित्र- 14.1 आदर्श ग्राम

आदर्श ग्राम- ऐसा ग्राम जिसमें उन्नत कृषि, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन व्यवस्था के साथ-साथ मानव की मूलभूत आवश्यकताएँ आसानी से उपलब्ध होती हैं, उसे आदर्श गाँव कहा जाता है। आदर्श गाँव में औद्योगिक विकास और प्रशासनिक व्यवस्था स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो जाती है।

गाँव में उत्पादन- गाँवों में आजीविका का मुख्य आधार कृषि होता है। गाँवों में दो प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं- कृषि आधारित और गैर कृषि आधारित। कृषि आधारित गतिविधियों में फसल उत्पादन करना, कृषि कार्य में मजदूरी करना, पशुपालन करना आदि हैं। गैर कृषि गतिविधियों में लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि की क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं। गाँव में कृषि से प्राप्त होने वाले उत्पादों को कृषि उत्पादन कहते हैं। गाँवों में स्थानीय आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाता है। इन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के चार कारक होते हैं।

उत्पादन के कारक तत्त्व-

1. **भूमि व अन्य प्राकृतिक संसाधन-** इसके अन्तर्गत भूमि, वन, खनिज और जल संसाधन आते हैं।
2. **श्रम-** उत्पादन में श्रम या मेहनत की आवश्यकता होती है। यह दो प्रकार का होता है- पहला शिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला मानसिक श्रम और दूसरा शारीरिक श्रम ।
3. **भौतिक पूँजी-** उत्पादन करने के लिए अनेक प्रकार की आगत (लागत) की आवश्यकता होती है। इसके अन्तर्गत दो प्रकार के मद आते हैं-

    i. उपकरण, मशीन और भवन ii. कच्चा माल व नकद मुद्रा।

i. **उपकरण, मशीन और भवन-** इस मद के अन्तर्गत कृषि में प्रयुक्त छोटे से उपकरण फावड़े से लेकर उन्नत तकनीकी से निर्मित मशीनें जैसे- ट्रेक्टर, कम्प्यूटर,कम्बाईन मशीनें आदि आते हैं। इनका उपयोग दीर्घकाल तक होने के कारण इन्हें 'स्थायी पूँजी कहा जाता है।

ii. **कच्चा माल और नकद मुद्रा-** इस मद के अन्तर्गत उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है और कच्चे माल की खरीद व अन्य लागत के लिए धन की आवश्यकता होती है, जिसे 'कार्यशील पूँजी' कहते हैं।

1. **ज्ञान व तकनीकी-** उत्पादन को उपभोग या बिक्री योग्य बनाने के लिए भूमि, श्रम, भौतिक पूँजी के साथ-साथ ज्ञान व तकनीकी की आवश्यकता होती है क्योंकि बिना ज्ञान व तकनीकी के उपर्युक्त तीनों का समायोजन नहीं होने कारण इनका प्रयोग सम्भव नहीं हैं। वर्तमान में इसे 'मानव पूँजी कहा जाता है।

गाँव में कृषि कार्य- जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में प्रत्येक ग्राम की 75% जनसङ्ख्या कृषि कार्यों में संलग्न रहती है। वर्तमान समय में गाँवों में कृषक परम्परागत कृषि के साथ खेती में नवीन कृषि उपकरणों का प्रयोग करने लगे हैं। कृषि उत्पादन में भूमि का स्थिर होना एक गम्भीर समस्या है क्योंकि कृषि में प्रयुक्त होने वाली भूमि स्थायी है, इसे कम व ज्यादा नहीं किया जा सकता है। गाँवों में कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य बना कर हमने कृषि हेक्टेयर में वृद्धि अवश्य की है।

कृषि उपज बढ़ाने के उपाय- हमारे देश में कुल कृषि क्षेत्र के 40% भाग पर सिञ्चाई होती है तथा शेष भाग वर्षा पर निर्भर रहता है। नदियों के मैदान एवं तटीय क्षेत्रों में सिञ्चाई के समुचित प्रबन्ध हैं। प्राचीन काल में कृषक सिञ्चाई के परम्परागत स्त्रोतों का प्रयोग करते थे परन्तु वर्तमान समय में सिञ्चाई के लिए नलकूप, बोरवेल के साथ-साथ सिञ्चाई की नई पद्धतियों जैसे- फव्वारा, टपकन विधि आदि से सिञ्चाई की जाती है, जिससे कृषि में उत्पादन बढ़ा है। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषक **बहुविध फसल प्रणाली** का उपयोग करने लगे हैं।

इसे भी जानें-

- हेक्टेयर भूमि नापने की ईकाई होती है। 1 हेक्टेयर= 100 मीटर की भुजा वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल या 4 बीघा के लगभग होता है।
- कृषक द्वारा एक वर्ष की समयावधि में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उत्पादन करने की विधि को 'बहुविध फसल प्रणाली' कहा जाता है।

भारत में अधिकांश किसान वर्ष में दो फसलों का उत्पादन करते हैं- रबी और खरीफ। परन्तु कुछ किसान ग्रीष्म ऋतु में विभिन्न सब्जियों और पशुओं के लिए चारे आदि की खेती करने लगे हैं, उसे जायद की फसल कहते हैं। 1960 ई. के दशक के अन्त में हरित क्रान्ति से कृषि क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं।अब कृषि में हाइब्रिड तथा उन्नत किस्म के बीजों (H.Y.V.) का प्रयोग, सिञ्चाई के

उचित प्रबन्ध, रासायनिक खाद और आधुनिक मशीनों के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसे **'हरित क्रान्ति'** कहा जाता है। इस क्रान्ति के परिणामस्वरूप भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्म निर्भर हो गया था। भारत के पञ्जाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि के आधुनिक प्रकारों का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है।

भूमि पर रसायन या आधुनिक कृषि का प्रभाव- हरित क्रान्ति के परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि के लिए संसाधनों का अत्यधिक दोहन और रसायनिक खाद व बीज का अधिक प्रयोग करने से भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर होने लगी है। रसायनिक उर्वरक ऐसे पदार्थ हैं, जो भूमि में मिलकर कृषि उत्पादन तो बढ़ा देते हैं। परन्तु धीरे-धीरे भूमि में पाए जाने वाले उपयोगी जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे भूमि का उपजाऊपन नष्ट हो जाता है।

इसे भी जानें-

- भारत में हरित क्रान्ति लाने का श्रेय 'नारमन बोरलॉग' को है परन्तु इसका जनक एम. एस. स्वामीनाथन को माना जाता है।
- हरित क्रान्ति से गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी।
- भारत में 1965-66 ई.में गेहूँ का उत्पादन 10 करोड़ टन प्रति वर्ष था वहीं 2017-18 में बढ़कर यह 97 करोड़ टन प्रतिवर्ष हो गया है।
- 1970 ई. में दूध उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए श्वेत क्रान्ति हुई। इसका जनक वर्गीज कुरियन है।

भूमि का वितरण एवं श्रम- हमारे देश में भूमि का वितरण समान नहीं है। गाँवों में अधिकांश लघु कृषक होते हैं।जनसङ्ख्या वृद्धि और भूमि के पैतृक विभाजन के कारण कृषि भूमि में कमी हुई है। इसके अतिरिक्त बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिक विकास आदि के कारण भी कृषि भूमि का रूपान्तरण हो गया है।

कृषि के लिए लागत पूँजी- वर्तमान समय में कृषि कार्यों में खाद, कीटनाशक दवाई , उच्च किस्म के बीज आदि का प्रयोग होने के कारण अधिक लागत की आवश्यकता होती है। छोटे किसानों के पास पर्याप्त पूँजी न होने के कारण उनको मजबूर होकर, व्यापारी एवं साहूकार से अधिक ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता है। इस कारण उन्हें खेती में बचत नहीं होती है। बड़े किसानों के पास कृषि लागत के उचित प्रबन्ध होते हैं। वर्तमान में सरकार के द्वारा किसानों हित संरक्षण के लिए किसान क्रेडिट-कार्ड, पी. एम. किसान सम्मान निधि योजना (2019 ई.) आदि योजनाओं का क्रियान्वन किया गया है। इनके अतिरिक्त सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अल्पावधि और दीर्घावधि के लिए फसली ऋण न्यूनतम ब्याज पर प्रदान कर रही है।

इसे भी जानें-

- हमारे देश में रसायनिक खाद का सबसे अधिक उपयोग पंजाव में होता है।
- ऐसे कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो, उन्हें लघु कृषक कहा जाता है।

कृषि उत्पादों (अधिशेष उत्पादों) की बिक्री- कृषि उपज के पैदा होने के पश्चात कुछ उपज को किसान अपने उपयोग के लिए रख लेता है और शेष उपज को बाजार में बेच देता है, उसे 'अधिशेष बिक्री' कहते हैं। इस अधिशेष बिक्री से प्राप्त पूँजी किसान की बचत होती है। जिसमें से वह कुछ पूँजी अगली फसल के उत्पादन के लिए और शेष को अन्य उपयोग जैसे दुकान खोलने, पशु व कृषि यन्त्र खरीदने में उपयोग करता है।

गाँव में गैर-कृषि कार्य- गाँवों में गैर कृषि कार्यों का भी सञ्चालन होता है। इन गैर कृषि कार्यों में डेयरी उद्योग, लघु निर्माण उद्योग, लघु विपणन केन्द्र और परिवहन कार्य प्रमुख हैं। जिसके माध्यम से किसान अपनी आमदनी को बढ़ाते हैं। डेयरी उद्योग के अन्तर्गत पशु उत्पाद व दुग्ध पर आधारित उद्योग आते हैं। लघु उद्योग के अन्तर्गत गाँव में कृषि औजार, फर्नीचर, गुड़ बनाने, तेल निकालने के छोटे-छोटे कारखाने आते हैं। लघु विपणन केन्द्र के अन्तर्गत गाँव में दैनिक उपयोग का सामान बेचने वाली छोटी-छोटी खुदरा बिक्री की दुकानें आती हैं। परिवहन के अन्तर्गत रिक्शा, तांगे, बैलगाड़ी, जीप, ऑटो, ट्रेक्टर आदि परिवहन सेवाओं का सञ्चालन गाँवों में होता है। इन गैर कृषि सेवाओं से भी गाँव में किसान कुछ आय प्राप्त करते हैं। वर्तमान में सञ्चार प्रणाली के विकास के कारण गाँवों में ई-किसान मित्र का व्यवसाय भी विकसित होने लगा है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना- सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.) का शुभारम्भ 2014 ई. में किया गया था। इसका उद्देश्य प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा दो गाँवों को 2019 तक आदर्श गाँव के रूप में विकसित करना था। सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य महात्मा गांधी के व्यापक और मौलिक आदर्श ग्राम के सपने को वर्तमान संदर्भ में पूरा करना है। अभी तक इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में संसद सदस्यों द्वारा 702 ग्राम पञ्चायतों को गोद लेकर उनके विकास के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत चुने हुए गाँव में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, आजीविका आदि का विकास करना है। इन विकास कार्यों के होने से ये गाँवों अन्य गाँवों के लिए अनुकरणीय आदर्श बन सकेंगे।

निष्कर्ष- कृषि की उन्नत विधियों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ा है, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र में 24% लोग गैर कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं। वर्तमान में हमारे देश के गाँवों में सड़क, विद्युत, जल, पक्के आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना-प्रौद्योगिकी, बैंक, इंटरनेट आदि का विकास हुआ है। गाँव अब शहरों से जुड़ने लगे हैं, जिससे गैर कृषि रोजागर के अवसर बढ़े हैं। सरकार द्वारा गाँवों के विकास के लिए अनेक योजनाएँ चलाई जा रहीं हैं।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. गाँवों में ..... % लोग कृषि करते हैं।

अ. 75 ब. 73 स. 70 द. 61

2. भारत में ग्रामीण क्षेत्र में ..... % लोग गैर कृषि कार्य करते हैं।

अ. 50 ब. 25 स. 24 द. 30

3. भारत में हरित क्रान्ति का सबसे अधिक प्रभाव .....खाद्यान्न पर पड़ा है।

अ. गेहूँ ब. बाजरा स. मक्का द. चावल

4. भारत में सबसे अधिक रसायनिक उर्वरकों का प्रयोग.....में होता है।

अ. हरियाणा ब. पञ्जाब स. राजस्थान द. उत्तर प्रदेश

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. गांवो में जीविका का मुख्य आधार ..... है। (व्यापार/कृषि)
2. छोटी-छोटी मानव बस्तियों को ..... कहा जाता है। (गाँव/नगर)
3. हरित क्रान्ति के जनक ..... है। (नार्मन बोरलॉग/एम.एस.स्वामीनाथन)
4. सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारम्भ..... में किया गया था। (2014 ई./2016 ई.)

सत्य/असत्य बताइए-

1. गाँवों में शहरों की अपेक्षा अधिक मूलभूत सुविधाएँ होती है। (सत्य/असत्य)
2. 1960 ई. तक भारत में परम्परागत कृषि की जाती थी। (सत्य/असत्य)
3. गाँवों में परिवहन के मुख्य साधन रिक्शा, बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि है। (सत्य/असत्य)
4. ऐसे कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती लघु कृषक कहलाते हैं। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. सांसद आदर्श ग्राम योजना	क. 2019
2. किसान सम्मान निधि योजना	ख. 1970
3. श्वेत क्रान्ति	ग. 2014

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. गैर कृषि क्रियाएँ किसे कहते हैं ?
2. कार्यशील पूँजी किसे कहते हैं ?
3. स्थायी पूँजी किसे कहते हैं ?
4. भारत में हरित क्रान्ति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है ?
5. भारत में कृषि की आधुनिक विधियों का सर्वप्रथम उपयोग किन राज्यों हुआ था ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. रसायनिक उर्वरकों का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है ?
2. हरित क्रान्ति के लाभ बताइए।
3. आदर्श ग्राम के स्वरूप का उल्लेख कीजिए।
4. अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री से क्या तात्पर्य है?
5. बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. कृषि के लिए कारक तत्त्वों को समझाइए।
2. गाँवों में गैर-कृषि कार्यों का वर्णन कीजिए ।

परियोजना कार्य-

1. अपने गाँव में स्थापित घरेलू उद्योगों की सूची बनाकर किसी एक उद्योग का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए।

अध्याय - 15

मानव संसाधन और गरीबी

इस अध्याय में- मानव संसाधन, आर्थिक क्रिया के क्षेत्र में पुरुषों तथा महिलाओं का योगदान, जनसङ्ख्या की गुणवत्ता सुधार, शिक्षा (साक्षरता), स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बेरोजगारी का मापन, बेरोजगारी के कारण, निर्धनता, गरीबी और असुरक्षित समूह, कौशल विकास के लिए ऋण गारन्टी कोष, स्टार्ट-अप इंडिया, मेक इन इंडिया।

मानव संसाधन- हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु संसाधन है, इन संसाधनों का उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। अर्थशास्त्र में जनसङ्ख्या का अध्ययन दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में होता है। जब मानव शिक्षा, स्वास्थ्य, और प्रशिक्षण में निवेश करता है तो, ये मानव पूँजी में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार जनसङ्ख्या भी एक संसाधन है। मानव, संसाधन के रूप में अपने उत्पादन कौशल और योग्यता से अपने देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ाने पर जोर देता है। जब विद्यमान जनसङ्ख्या को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित एवं सशक्त किया जाता है, तो इसे **'मानव पूँजी निर्माण'** कहते हैं। भौतिक पूँजी की तरह ही मानव पूँजी भी प्रतिफल प्रदान करती है। शिक्षित तथा प्रशिक्षित लोगों में उच्च उत्पादकता होती है, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य और आय अच्छी होती है। इस मानव पूँजी के द्वारा राष्ट्र और समाज को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है क्योंकि शिक्षित व स्वस्थ्य व्यक्ति अपनी सेवाओं के द्वारा अशिक्षित और अस्वस्थ्य व्यक्ति को भी लाभ पहुँचाता है। मानव संसाधन के बिना अन्य दूसरे संसाधन का प्रयोग करना असंभव है। इसलिए मानव को श्रेष्ठतम संसाधन माना जाता है।

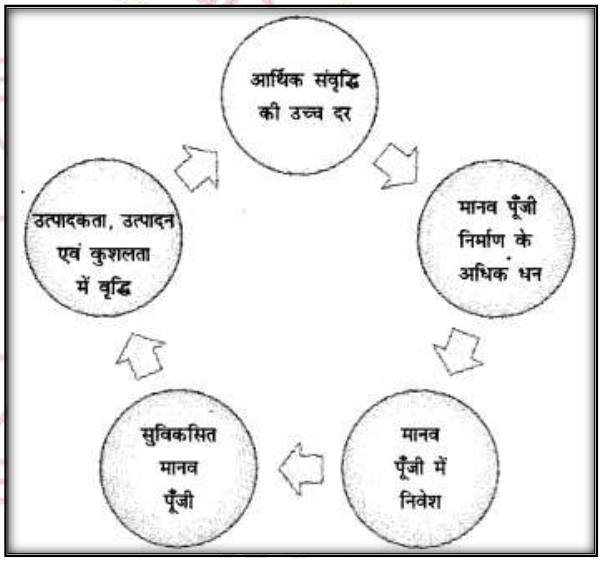

चित्र- 15.1 **मानव पूंजी**

पूर्व के दशकों में हमारे देश में जनसङ्ख्या को जिम्मेदारी माना जाता था। लेकिन मानव पूँजी ने इसे एक परिसम्पत्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया है। वर्तमान में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक तकनीकी, वैज्ञानिक अनुसंधान और श्रमिकों के प्रशिक्षण के प्रयोग से इसकी गुणवत्ता में बहुत अधिक सुधार आया

है। परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि से देश की सकल आय में बढ़ोत्तरी हुई है। मानव को प्रतिफल के रूप में नकद वेतन मिलने से उसका विकास हुआ है। जिन व्यक्तियों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्त्व को जान लिया है, वे मानव पूँजी में निवेश करने लगे हैं। वर्तमान में ऐसे अनेक विकसित देश हैं, जिनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। फिर भी उन देशों ने अपने मानव संसाधन के माध्यम से कौशल और प्रौद्योगिकी का विकास किया और आज वे विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो गए हैं। उदाहरण के लिए जापान एक छोटा सा देश है और उसके पास प्राकृतिक संसाधनों का अभाव भी है। परन्तु उसने अपनी मानव पूँजी के कुशल उपयोग से प्रौद्यिगिकी विकास किया और वह विकसित राष्ट्र बन गया।

आर्थिक क्रिया के क्षेत्र में पुरुषों तथा महिलाओं का योगदान- हम जानते हैं कि आर्थिक क्रिया-कलापों को तीन क्षेत्रों में विभाजित गया है- प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन, मुर्गीपालन, खनन आदि को सम्मिलित किया गया है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण (प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित) सम्मिलित है और तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, सञ्चार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएँ आदि शामिल हैं।

आर्थिक क्रियाकलापों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इन क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाएँ कहते हैं। आर्थिक क्रियायें दो प्रकार की होती हैं-

1. बाजार क्रियाएँ 2. गैर-बाजार क्रियाएँ।

1. बाजार क्रियाओं में पारिश्रमिक मिलता है। सरकारी सेवा, वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन आदि इस क्रिया में आते हैं।
2. गैर-बाजार क्रियाओं में स्व-उपभोग के लिए कार्य किया जाता है। इन क्रियाओं में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद सम्मिलित हैं।

समाज में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार पर महिलाओं और पुरूषों में कार्य का विभाजन किया गया है। अधिकांश महिलाएँ घरेलु कार्य करतीं हैं, तो पुरूष अर्थोपार्जन का कार्य करते हैं। शिक्षा और कौशल के द्वारा मानव की आय निर्धारित की जाती है। शिक्षित व्यक्ति को आर्थिक अवसर अधिक प्राप्त होते हैं। पहले हमारे देश में स्त्री साक्षरता बहुत कम थी इसलिए उन्हें अर्थोपार्जन के कम अवसर मिलते थे। परन्तु वर्तमान में महिलाओं में शिक्षा व कौशल का विकास होने से आज महिलाएँ शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासनिक सेवाओं सहित अन्य दूसरी सेवाओं में कार्य करने लगी हैं। महिलाओं के लिए सङ्गठित क्षेत्र के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ सबसे अधिक आकर्षित करती हैं।

जनसङ्ख्या की गुणवत्ता सुधार- जनसङ्ख्या की गुणवत्ता से देश की समृद्धि निर्धारित होती है। जनसङ्ख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा अथवा व्यक्ति के स्वास्थ्य और नागरिकों में कौशल विकास पर निर्भर करती है इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य को मानव परिसम्पत्ति माना जाता है।

शिक्षा (साक्षरता)- मानव के सकल विकास के लिए शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। शिक्षा से मानव जीवन का विकास तो होता ही है साथ में राष्ट्र और समाज के विकास में इसका महत्त्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा से राष्ट्रीय आय, समृद्धि, प्रशासनिक कार्य क्षमता आदि बढ़ती है। हमारे देश में लड़कों के लिए उच्च प्राथमिक तक की और लड़कियों के लिए उच्च माध्यमिक तक की नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय हमारे देश में शिक्षा का स्तर निम्न था। लेकिन धीरे-धीरे इस क्षेत्र में सरकार द्वारा विकास के लिए विशेष उपाय किये गये। 1951 ई. में हमारे देश में शिक्षा पर व्यय 151 करोड़ रूपये था। वहीं 2021-22 के बजट में 93,244 करोड़ रूपये आंवटित किये गए थे। सरकार शिक्षा के विकास के लिए अनेक कार्य कर रही है- सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे-मील (1995 ई.), अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (2009 ई.) आदि प्रमुख हैं। सरकार ने शिक्षा के विस्तार के लिए दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा और सञ्चार और प्रौद्यिगिकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इन सब विकास कार्यों के परिणामस्वरूप आज हमारे देश में विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की 2019-20 ई. की वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार 12,22,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, 2,85,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, 42,343 महाविद्यालय और 1043 विश्वविद्यालय हैं। हमारे देश में 1951 ई. में साक्षरता 18% थी, जो वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 77.7% (2021ई.) में है। वर्तमान में शिक्षा के विकास के लिए सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (N.E.P.2020 ई.) लागू की है। वर्तमान में कोरोना वैश्विक महामारी के समय स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय पूर्णत: बन्द रहे थे। सरकार ने इस दौरान विद्यार्थियों के अध्ययन को सुचारू रूप से चलाने के लिए डिजिटल, ऑन-लाइन शिक्षण पर बल दिया था। परिणामस्वरूप आज हमारे देश में ई-पाठशाला, राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय, पीएम ई-विद्या, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा, वास्तुकला, विद्यांजलि, समग्र शिक्षा योजना, निपुण भारत मिशन, पी.एम. पोषण योजना आदि योजनाएँ सञ्चालित की जा रही हैं।

इसे भी जानें-

- जीवन प्रत्याशा एक औसत समय का एक सांख्यिकीय उपाय है, जिसके जन्म के वर्ष, उसकी वर्तमान आयु और लिङ्ग सहित अन्य जन सांख्यिकीय कारकों के आधार पर किसी जीव के जीने की आशा है।
- वर्तमान में विश्व में जापान में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक 83.7 वर्ष है।
- वर्तमान में भारत में जीवन प्रत्याशा 71.3 वर्ष है।

स्वास्थ्य- कौशल एवं गुणवत्ता विकास के लिए अच्छे स्वास्थ्य की अत्यन्त महत्ता होती है। स्वास्थ्य से व्यक्ति का आत्मविश्वास तथा बौद्धिक क्षमता प्रबल होती है, जिससे व्यक्ति किसी भी कार्य को अधिक सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से कर पाता है। अतः मानव संसाधन के विकास तथा सशक्तिकरण में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी राष्ट्रीय नीति का मुख्य उद्देश्य भी यह है कि लोगों को उत्तम स्वास्थ्य मिले। इसके लिए सरकारी व निजी क्षेत्र में अच्छे प्रयास हुए हैं। वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना (2018 ई.), जन औषधि योजना (2008 ई.), जननी सुरक्षा योजना (2005 ई.) आदि चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं का सञ्चालन किया जा रहा है।

बेरोजगारी- जब देश में कार्य करने वाली जनशक्ति अधिक होती है, किन्तु काम करने के लिए न्यूनतम निर्धारित एवं प्रचलित मजदूरी दर पर भी कार्य नहीं मिलता है तो उस अवस्था को 'बेरोजगारी' कहा जाता है। **बेरोजगारी** देश की एक आर्थिक तथा सामाजिक समस्या है, जिसके अन्तर्गत कार्यशील जनसङ्ख्या का कोई भी समूह कार्य करना चाहता है किन्तु उसे कार्य नहीं मिल पाता है। **सम्पूर्ण विश्व अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न होने के केवल दो कारण हैं-** वस्तु की मांग में कमी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी और पूँजी की कमी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी। **हमें बेरोजगारी को समझने के लिए पहले श्रमबल और कार्यबल के बारे में अध्ययन करना होगा।** किसी भी देश के आयु वर्ग में 0-15 साल, 15-65 एवं 65+ ऐसे **तीन वर्ग** होते हैं। इस वर्ग को, उस देश का '**श्रम बल**' कहते हैं। हमारे देश में श्रम बल की आयु 15-59 वर्ष है। श्रम बल में से वे लोग जिनको रोजगार अथवा कार्य मिल जाता है, उसे '**राष्ट्र का कार्य बल**' कहते हैं।

इसे भी जानें-

- भारत की आर्थिक समीक्षा 2021-22 ई. के अनुसार पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 68.2 वर्ष और महिलाओं की 70.7 वर्ष है।
- भारत में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा केरल और दिल्ली में 75.3 वर्ष तथा सबसे कम छत्तीसगढ में 65.2 वर्ष है।
- वर्तमान में 2017 ई. में भारत में 1,87,505 उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित 562 मेडिकल कालेज हैं।

बेरोजगारी के प्रकार-

1. ऐच्छिक बेरोजगारी- जब किसी व्यक्ति को वर्तमान मजदूरी दर पर काम मिल रहा है लेकिन वह अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता है, तो इसे '**ऐच्छिक**' बेरोजगारी कहते हैं।
2. **अनैच्छिक या खुली बेरोजगारी-** यदि अर्थव्यवस्था में मजदूर प्रचलित दर पर कार्य करने के लिए तैयार है लेकिन फिर भी उसे प्रचलित मजदूरी पर उन्हें कोई काम ना मिले तो ऐसे लोगों

को **'अनैच्छिक बेरोजगार'** कहा जाता है। इसमें श्रमिकों को कुछ भी काम नहीं मिलता है इसलिए इसे **'खुली बेरोजगारी'** भी कहते हैं। यह बेरोजगारी का सबसे वीभत्स रूप है।

3. **संरचनात्मक बेरोजगारी-** जब किसी राष्ट्र में वित्तीय, भौतिक, और मानवीय संरचना कमजोर होने के कारण रोजगार का अभाव है तो, उसे **'संरचनात्मक बेरोजगारी'** कहते हैं। विकासशील देशों में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में इसी प्रकार की बेरोजगारी अधिक पाई जाती है।
4. **घर्षणात्मक बेरोजगारी-** जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से एक रोजगार को छोड़कर, दूसरे रोजगार की ओर जाता है तो, वह कुछ समय के लिए बेरोजगार रहता है, इसलिए इसे **'घर्षणात्मक बेरोजगारी'** कहते हैं।
5. **छिपी बेरोजगारी-** जिस कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं तो, उसे **'छिपी बेरोजगारी'** कहते हैं। भारत के कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी व्याप्त है।
6. **चक्रीय बेरोजगारी-** जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुस्ती, आर्थिक मन्दी, तेजी तथा आर्थिक पुनरुत्थान होता है, तो उसे **'चक्रीय बेरोजगारी'** कहते हैं। चक्रिय बेरोजगारी मांग व उत्पादन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में पायी जाती है।
7. **शहरी बेरोजगारी-** यदि कोई व्यक्ति शहर में काम करना चाहता हो लेकिन उसे शहर में काम नहीं मिल पाता है तो, इसे **शहरी बेरोजगारी** कहते हैं।
8. **ग्रामीण या मौसमी बेरोजगारी-** ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का कार्य केवल सात-आठ महीने ही होता है बाकी के महीनों में कृषक को कोई काम नहीं होता है। उन महीनों में कृषक बेरोजगार होता है तो,उसे **'ग्रामीण या मौसमी बेरोजगारी'** कहते हैं।
9. **शिक्षित बेरोजगारी-** जब शिक्षित लोगों को उनकी योग्यता के अनुरूप काम नहीं मिल पाता है, तो इसे **'शिक्षित बेरोजगारी'** कहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को **'शिक्षित बेरोजगार** या **अल्प रोजगार'** कहा जाता है। यह बेरोजगारी शहरों में अधिक पाई जाती है।

बेरोजगारी का मापन- भारत में बेरोजगारी को मापने के लिए वर्ष 1973 **ई.** में **'भगवती समिति'** का गठन किया गया था। इस समिति ने बेरोजगारी मापन की **तीन विधियाँ** बताई है-

1. **दीर्घकालिक बेरोजगारी-** यदि किसी वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति को 273 **दिन** (8 **घण्टे प्रति दिन**) रोजगार नहीं मिलता है तो, उसे दीर्घकालिक बेरोजगारी कहते हैं।
2. **साप्ताहिक बेरोजगारी-** जब किसी व्यक्ति को सप्ताह में 1 **दिन** (8 **घण्टे**) का काम नहीं मिलता है तो, उसे **साप्ताहिक बेरोजगारी** कहते हैं।

3. **दैनिक बेरोजगारी-** जब किसी व्यक्ति को यदि प्रति दिन **आधे दिन (4 घण्टे)** का काम नहीं मिलता है तो, उसे **दैनिक बेरोजगारी** कहते है।

बेरोजगारी के कारण- भारत में बेरोजगारी, जनसङ्ख्या में तीव्र वृद्धि, पूँजी निर्माण की धीमी गति, नियोजन में दोष, धीमा आर्थिक विकास, प्राकृतिक आपदाएँ, कुटीर उद्योगों का अल्प विकास और यन्त्रीकरण एवं अभिनवीकरण के कारण बढ़ रही है।

इसे भी जानें-

- छिपी बेरोजगारी का सर्वप्रथम अवधारणात्मक उल्लेख जान राबिंसन ने किया था।

निर्धनता- जब व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को भी पूर्ण करने में सक्षम नहीं होता है, उस स्थिति को निर्धनता कहा जाता है। भारत में 'निर्धनता' एक कठिन चुनौती है। अपने दैनिक जीवन में हमें कई तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे- गाँवों में भूमिहीन श्रमिक, शहरों में झुग्गी-झोपडीयों में रहने वाले लोग अथवा भिखारी आदि निर्धन कहे जाते हैं। हमारे देश में वर्ष 2011-12 ई. में करीब 27 करोड़ लोग निर्धन थे अर्थात् यहाँ का हर चौथा व्यक्ति निर्धन था। भारत में निर्धनता के दो प्रकार हैं-

1. ग्रामीण निर्धनता **2. शहरी निर्धनता**

1. **ग्रामीण निर्धनता-** ग्रामीण निर्धनता से तात्पर्य उन समूहों से है, जो भूमिहीन ग्रामीण मलिन बस्तियों में रहकर बड़ी कठिनता से अपनी अल्प आजीविका के द्वारा जीवनयापन कर पाते हैं। ग्रामीण निर्धनों में मजदूर एवं किसान वर्ग सम्मिलित हैं।
2. **शहरी निर्धनता-** शहरी निर्धनता से तात्पर्य उन समूहों से है, जो शहरों की मलिन बस्तियों में बनी झुग्गी-झोपड़ियों में रहकर बड़ी कठिनता से अपनी अल्प आजीविका के द्वारा जीवनयापन कर पाते हैं। शहरी निर्धनों में फेरी वाले, फैक्ट्रीयों में कार्य करने वाले मजदूर एवं श्रमिक वर्ग आदि सम्मिलित हैं।

निर्धनता पर सामाजिक वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण- समाज में निर्धनता के अनेक सूचक हैं, जैसे- आय में कमी, निरक्षरता, कुपोषण, रोग प्रतिरोधी क्षमता का अभाव, रोजगार की कमी, शुद्ध पेयजल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता आदि। सामाजिक अपवर्जन एवं असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण बहुत ही सामान्य है। जब किसी व्यक्ति या समुदाय के पास आर्थिक सम्पन्नता के अत्यधिक साधन होते हैं तो, उसे आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का भाव उत्पन्न होता है। यदि इसके विपरीत निर्धन के पास ये साधन उपलब्ध नहीं हों तो यह आर्थिक '**असुरक्षा**' कहलाती है। जैसे- महामारी, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या भूकम्प आदि के आने पर सम्पन्न लोगों की तुलना में निर्धन व्यक्ति अधिक प्रभावित होता है। कोरोना महामारी में सबसे अधिक निर्धन वर्ग ही प्रभावित हुआ था।

निर्धनता रेखा- विश्व के सभी देशों में निर्धनता रेखा का मापन अलग-अलग प्रकार से होता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आपूर्ति का वर्तमान सूत्र वांछित कैलौरी की आवश्यकता पर आधारित है। आयु, लिङ्ग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी की आवश्यकताएँ परिवर्तित होती रहती हैं। हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन तथा नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन है। वर्ष 2011-12 ई. में ग्रामीण क्षेत्र के उस पाञ्च सदस्यीय परिवार को गरीबी रेखा से नीचे माना है, जिसकी की आय 4080 रूपये/माह है और शहरी क्षेत्र के लिए यह आय 5000 रूपये/माह निर्धारित की गई। सरकार इस आकलन में समय-समय पर परिवर्तन करती रहती है।

इसे भी जानें-

- सम्पन्न व्यक्ति जिन सुविधाओं का लाभ ले पाता है, उनका निर्धन व्यक्ति उपभोग नहीं कर पाता है तो, उसे सामाजिक 'अपवर्जन' कहते हैं।

गरीबी और असुरक्षित समूह- भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के सामाजिक समूह में असमानता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व जन जाति के लोग, कृषक परिवार, और शहरों में अनियमित मजदूर सर्वाधिक असुरक्षित हैं। वर्ष 2015-16 में नीति आयोग की प्रथम गरीबी सूचकांक प्रतिवेदन (M.P.I.) के अनुसार भारत में सबसे अधिक निर्धनता वाला राज्य बिहार है तथा केरल सबसे कम निर्धनता वाला राज्य है।

निर्धनता के कारण- हमारे देश में निर्धनता के प्रमुख कारण अशिक्षा, उद्योगों की कमी, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, श्रम की मांग और पूर्ति में असन्तुलन, जनसङ्ख्या में वृद्धि, प्राकृतिक आपदा, तकनीकी प्रशिक्षण और ग्रामीण ऋणग्रस्तता हैं।

इसे भी जानें-

- निर्धनता मापन के सर्वे, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात् नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (N.S.S.O.) द्वारा किए जाते हैं।
- वैश्विक निर्धनता- विश्व बैंक के अनुसार प्रतिदिन $ 1.9 से कम आय पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्तियों को गरीब माना जाता है। हमारे देश की आर्थिक संवृद्धि दर 1970 में 3.5 प्रतिशत थी, जो 1980 और 1990 में 6 % पर पहुंच गई थी। आर्थिक संवृद्धि ही निर्धनता को कम करती है।

गरीबी निर्मूलन के उपाय- हमारे देश की सरकार निरन्तर प्रयास करती रही है कि भारत इस निर्धनता के जाल से मुक्त हो परन्तु यह इतना सरल कार्य नहीं है। हमारी सरकारें हमें आत्मनिर्भर बनाने का प्रोत्साहन दे रही हैं तथा उसके प्रति क्रियाशील भी दिखाई देती हैं। भारत में ऐसी अनेक योजनाएँ लागू की गई हैं, जो लोगों की निर्धनता कम करने में सहायक बनी हैं यथा- महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 ई.। इस योजना में 100 दिन के रोजगार की गारन्टी सरकार द्वारा दी जाती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में भारत सरकार ने निर्धनता के उन्मूलन

के लिए आत्म निर्भर भारत, लोकल फोर वोकल, स्पीक इंडिया, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आदि हैं।

कौशल विकास के लिए ऋण गारन्टी कोष- सरकार द्वारा राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों और योग्यता से जुड़े कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए लोगों को संस्थागत ऋण प्रदान करने और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा एक प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री देने के लिए यह योजना जुलाई, 2015 ई.में शुरू की गई थी।

स्टार्ट-अप इंडिया- स्टार्ट-अप इंडिया भारत सरकार की एक अग्रणी पहल है, जिसका उद्देश्य स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देना तथा भारत में नवाचार और उद्यमिता के लिए एक सशक्त तथा समावेशी इकोसिस्टम का निर्माण करना है। 2016 ई. में आरम्भ की गई स्टार्ट-अप इंडिया पहल के अन्तर्गत उद्यमियों को सहायता प्रदान करने एक सुदृढ़ स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के निर्माण तथा भारत को रोजगार खोजने वालों के स्थान पर रोजगार सृजन करने वालों के देश में रूपांतरित करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इन कार्यक्रमों को एक समर्पित स्टार्ट-अप इंडिया टीम द्वारा सञ्चालित किया जाता है। स्टार्ट-अप इंडिया योजना के अन्तर्गत पात्र कम्पनियाँ कर लाभ, अनुपालन में आसानी आई.पी.आर में शीघ्रता तथा अन्य लाभों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए डी.पी.आई.आई.टी. द्वारा स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकती हैं।

इसे भी जानें-

- नरेगा योजना को 2 अक्टूबर, 2005 को पारित किया गया था। भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर नामक गाँव में हुआ था। शुरुआत में इस योजना को लगभग 200 जिलों में लागू किया गया था। बाद में इसे 1 अप्रेल, 2008 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था।

मेक इन इंडिया- इस योजना की शुरूआत सितम्बर, 2014 ई. में हुई थी। इस योजना के द्वारा भारत को एक महत्वपूर्ण निवेश स्थल बनाने तथा विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार के आदि के लिए विकसित करना है। जिसमें सरकार आयात किये जाने वाली वस्तुओं का निर्माण यहीं पर करने वाले लोगों को सुविधाएँ उपलब्ध कराती है।

निष्कर्ष- वर्तमान में हमारे देश में निर्धनता में निरन्तर गिरावट देखने को मिल रही है। नीति आयोग इस दिशा में लगातार क्रियाशील है। आज हमारे देश में महिला सशक्तिकरण, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, रोजगार गारन्टी योजना, जनसङ्ख्या वृद्धि में आई गिरावट, उत्तम नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक समानता के माध्यम से निर्धनता को दूर करने में मदद मिल रही है। जिससे हमारे देश के नागरिकों के जीवन स्तर में संवृद्धि हुई है।

वर्तमान में बेरोजगारी विकसित एवं अविकसित दोनों प्रकार के देशों की प्रमुख समस्या बनती जा रही है। भारत जैसी अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में तो, यह विस्फोटक रूप धारण किए हुए है। भारत में यह समस्या आधुनिक समय में युवावर्ग के लिए घोर निराशा का कारण बनी हुई है। बेरोजगारी का समाधान करने के लिये सरकार द्वारा अनेक कारगर उपाय किये जा रहे हैं।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. भारत में साक्षरता दर.....है।

अ. 75% ब. 73 % स. 77.7 % द. 61 %

2. मिड-डे मील योजना शुरु.....सन् हुई थी।

अ. 1995 ई. में ब. 1999 ई. में स. 1991 ई. में द. 1996 ई. में

3. नरेगा योजना सन् ..... पारित किया गया।

अ. 2004 ई. में ब. 2005 ई. में स. 2010 ई. में द. 2006 ई. में

4. भारत में ..... आयु वर्ग को श्रम बल के अन्तर्गत माना जाता है।

अ. 15- 65 ब. 10-60 स. 15-59 द. इनमें से कोई नहीं

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. वानिकी ..... क्षेत्रक में शामिल है। (प्राथमिक/द्वितीयक)
2. कृषि क्षेत्र में ..... बेरोजगारी सर्वाधिक होती है। (चक्रीय/प्रच्छन्न)
3. शिक्षा के प्रसार के लिए ..... एक उपयोगी कार्यक्रम है। (सर्व शिक्षा अभियान/राष्ट्रीय सेवा योजना)
4. मेक इन इंडिया योजना..... में आरम्भ की गई थी। (2014 ई./ 2018 ई.)

सत्य/असत्य बताइए-

1. व्यापार को तृतीयक क्षेत्रक में रखा गया है। (सत्य/असत्य)
2. शिक्षित व्यक्ति को आर्थिक अवसर कम प्राप्त होते है। (सत्य/असत्य)
3. वर्तमान में भारत लगभग 77.7% साक्षरता प्रतिशत है। (सत्य/असत्य)
4. आर्थिक क्रिया की दृष्टि से कृषि प्राथमिक क्षेत्रक का विषय है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. आयुष्मान भारत योजना	क. 2016
2. स्टार्ट अप इंडिया	ख. 2009
3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम	ग. 2005
4. जननी सुरक्षा योजना	घ. 2018

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. बेरोजगारी किसे कहते हैं ?
2. मानव पूँजी किसे कहते हैं ?
3. छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं ?
4. हमारे देश में कितने मेडिकल कालेज हैं?
5. हमारे देश में कितने विश्वविद्यालय हैं?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं ? इसके क्षेत्र का उल्लेख कीजिए।
2. गरीबी रेखा क्या होती है ?
3. मानव जीवन में शिक्षा की गुणवत्ता को समझाइए।
4. जनसङ्ख्या में गुणवत्ता सुधार को समझाइए ?
5. हमारे देश में गरीबी हटाने के लिए सरकार द्वारा कौनसी योजानाएँ चलाई जा रहीं हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. बेरोजगारी किसे कहते हैं ? इसके कारण और उपाय बताइए।
2. निर्धनता किसे कहते हैं ? इसके कारण और उपाय बताइए ।

परियोजना कार्य-

1. सरकार द्वारा शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए चलाई जा रही योजनाओं की सूची बना कर, उनमें से किन्ही दो का वर्णन कीजिए।

अध्याय – 16

भारत में खाद्य सुरक्षा

इस अध्याय में- वैदिक चिन्तन में खाद्य सुरक्षा का महत्त्व, आधुनिक युग में खाद्य सुरक्षा का अर्थ, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता, खाद्य सुरक्षा एवं असुरक्षित वर्ग, स्वतन्त्र भारत का खाद्यान्नों में आत्म निर्भर होना, भारत में खाद्य सुरक्षा, वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भारत में खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य सुरक्षा और सहकारिता।

वैदिक वाङ्मय में अनेक प्रकार के जनकल्याण के कार्यों का उल्लेख मिलता है। उस समय जनकल्याण के अधिकांश कार्य राजाओं, महाराजाओं, श्रेष्ठियों आदि के द्वारा दिए दान से किए जाते थे।प्राचीनकाल में दान का स्वरूप आधुनिक काल की जनकल्याण की योजनाओं से भिन्न था परन्तु इसका मुख्य उद्देश्य जनकल्याण अर्थात् विपन्न और असहाय लोगों की आधारभूत आवश्यकताएँ, जैसे- खाद्य, आवास, वस्त्र आदि का प्रबन्ध कर, उन्हें जीवनयापन की सुरक्षा प्रदान करना था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय की जनकल्याण या सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के मूल में दान की महत्ता दृष्टि गोचर होती है। इसलिए आधुनिक खाद्य सुरक्षा की योजनाओं के अध्ययन से पूर्व वैदिक चिन्तन में खाद्य सुरक्षा की महत्ता को समझना आवश्यक है।

वैदिक चिन्तन में खाद्य सुरक्षा का महत्त्व- हमारे वैदिक वाङ्मय में खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से दान के महत्त्व एवं उपादेयता के बारे में मनीषियों ने अपने चिन्तन में विशद् वर्णन किया है। ऋग्वेद में दान देने वाले व्यक्ति को ईश्वर समृद्धि प्रदान करे, ऐसी कामना की गई है, "**अग्ने दा दाशुषे रयिं वीरवन्तं परीणसम्।**" (3.24.5) तथा दान से कभी धन में कमी नहीं होती है,"**उतो रयि: पृणतो नोप दस्यति।**" (10.117.1) इसी प्रकार अथर्ववेद में दान के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए उल्लेख किया है- "**अदित्सन्त दापयतु प्रजानन्।**" (3.20.8) अर्थात् विद्वान लोग अदाता को दान देने के लिए प्रेरित करें। "**अहं पचाम्यहं ददामि।**" (12.3.47) अर्थात् मैं पके हुए भोजन का दान देता हूँ। इस प्रकार उक्त वैदिक ऋचाओं से स्पष्ट होता है कि भारत में दान और दानों में भी अन्नदान का अधिक महत्व था। महाभारत के अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के संवाद में अन्नदान के महत्त्व पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। युधिष्ठिर पूछते हैं कि- "**कानि दानानि लोकेऽस्मिन् दातुकामो महीपति:। गुणाधिकेभ्यो विप्रेभ्यो दद्याद् भरतसत्तम।**"(63-1) "**दत्तं किं फलवद् रा जन्निह लोके परत्र च। भवत: श्रोतुमिच्छामि तन्मे विस्तरतो वद॥**" (63-3) अर्थात् राजा को यदि दान करने की इच्छा हो, तो उसे किन वस्तुओं का दान विशेष

प्रवचन कुशल ज्ञानी, गुणी लोगों को करना चाहिए तथा इस लोक और परलोक में कौन से दान का क्या महत्त्व है, विस्तार से बताइए। भीष्म पितामह ने दान की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए उल्लेख किया है कि- "**अन्नमेव प्रशंसन्ति देवा ऋषिगणास्तथा। लोकतन्त्रं हि संज्ञाश्च सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम्॥ अन्नेन सदृशं दानं न भूतं न भविष्यति। तस्मादन्नं विशेषेण दातुमिच्छन्ति मानवा:॥ अन्नमूर्जस्करं लोके प्राणाश्चान्ने प्रतिष्ठिता:। अन्नेन धार्यते सर्वं विश्वं जगदिदं प्रभो॥ अन्नाद् गृहस्था लोकेऽस्मिन् भिक्षवस्तापसास्तथा। अन्नाद् भवन्ति वै प्राणा: प्रत्यक्षं नात्र संशय:॥**" (63-5-8) अर्थात् देवता और ऋषि भी अन्न की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अन्न से ही जीवन का निर्वाह होता है, बुद्धि को स्फूर्ति प्राप्त होती है तथा अन्न में सब कुछ प्रतिष्ठित होता है। इस संसार में अन्न के समान न कोई दान था न होगा। इसलिए हमें अन्न का दान करना चाहिए। इस जगत में अन्न से ही शरीर बलिष्ठ होता है और हमारे प्राणों का आधार भी अन्न ही है। अन्न ने ही सम्पूर्ण विश्व को धारण कर रखा है। इस दुनिया में सभी जीवों के लिए अन्न की आवश्यकता होती है। इस बात का सभी लोग प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। "**नावमन्येदभिगतं न प्रणुद्यात् कदाचन। अपि श्वपाके शुनि वा न विप्रणश्यति॥**" (63-13) अर्थात् अपने घर आए हुए किसी भी व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि मनीषियों का मानना है कि निर्धन व्यक्तियों और पशुओं तथा पक्षियों यथा गाय, कुत्ता, कौवा आदि को भोजन के रूप में दिया गया अन्नदान कभी निष्फल नहीं जाता है। आगे वर्णन है कि- "**ब्राह्मणेष्वक्षयं दानमन्नं शूद्रे महाफलम्। अन्नदानं हि शूद्रे च ब्राह्मणे च विशिष्यते॥**" (63-17) अर्थात् विद्वान् को अन्नदान देने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और निर्धन व्यक्ति को देने से महान फल मिलता है। दान किसी को भी दिया जाए, उसका सदैव अभीष्ट फल ही प्राप्त होगा। भीष्म पितामह अग्राकिंत श्लोक में बताते हैं कि राजा को अन्नदान करने से इस लोक और परलोक में मनोवाँछित फलों की प्राप्ति होती है- "**अन्नदस्यान्नवृक्षाश्च सर्वकाम फलप्रदा:। भवन्ति चेह चामुत्र नृपतेर्नात्र संशय:॥**" (63-19) इसी प्रकार आगे श्लोक सङ्ख्या 24 से 26 में अन्नदान के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए उल्लेख है कि- "**दत्त्वा त्वन्न नरो लोके तथा स्थानमनुत्तमम्। नित्यं मिष्टान्नदायी तु स्वर्गे वसति सत्कृत:॥ अन्नं प्राणा नराणां हि सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम्। अन्नद: पशुमान् पुत्री धनवान् भोगवानपि॥ प्राणवांश्चापि भवति रूपवांश्च तथा नृप। अन्नद: प्राणदो लोके सर्वद: प्रोच्यते तु स:॥**" अर्थात् जो व्यक्ति अन्नदान आदि करता है वह देवताओं द्वारा सम्मानित होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। अत: हे राजन ! मनुष्यों के प्राण अन्न में ही होते हैं। इसलिए अन्नदान करने वाला व्यक्ति इस संसार के सभी सुखों को प्राप्त करता है। अन्नदान करने वाले व्यक्ति को प्राणदाता, सर्वदाता जैसे अलंकरणों से विभूषित किया गया है। **प्रत्यक्षं प्रीतिजननं भोक्तुर्दातुर्भवत्युत। सर्वाण्यन्यानि दानानि परोक्षफलवन्त्युत॥** (63-29) **एवमन्नाद्धि सूर्यश्च पवन: शुक्रमेव च। एक एव स्मृतो राशिस्ततो भूतानि जज्ञिरे॥** (63-41) उक्त श्लोकों

का भावार्थ है कि इस संसार में अन्नदान ही एक ऐसा दान है, जो दाता और भोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष फल प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जितने भी दान हैं, उनका फल अपरोक्ष मिलता है। अन्न से ही सूर्य, वायु, और वीर्य की उत्पत्ति हुई है अर्थात् इस सृष्टि का निर्माण अन्न से ही हुआ है।

आधुनिक युग में खाद्य सुरक्षा का अर्थ- खाद्य सुरक्षा से आशय देश में सभी लोगों के लिए हमेशा भोजन की उपलब्धता, पहुँच और उसको खरीदने का सामर्थ्य से है। इस प्रकार किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित हो सकती है, जब देश में पर्याप्त अन्न उत्पादन, खाद्य आयात और अन्न भण्डारों में पर्याप्त अन्न सञ्चित हो और यह गुणवत्ता पूर्ण अन्न आसानी से देश की जनता को उपलब्ध होता रहे।

खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता- खाद्य सुरक्षा का सीधा सम्बन्ध मानव की भोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं से होता है। समाज में दो स्थितियों में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता होती है-

1.गरीब वर्ग के लिए 2.आपत स्थिति में।

1. देश में समाज का ऐसा वर्ग, जो निर्धनता रेखा (बी. पी. एल.) से नीचे जीवनयापन कर रहा है। इस वर्ग को हमेशा खाद्य सुरक्षा की आवश्यता होती है।
2. आपातकाल में समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है। प्राकृतिक आपदकाल (अकाल, महामारी, भूकम्प आदि)के कारण उपजे खाद्यान्न संकट के समय खाद्य की आवश्यकता सभी वर्ग के लिए होती है। खाद्य सुरक्षा का ज्वलन्त उदाहरण अभी हाल ही में कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए मुफ्त अन्न का वितरण किया था।

खाद्य सुरक्षा एवं असुरक्षित वर्ग- भारत में भूमिहीन मजदूर, पारम्परिक दस्तकार और सेवा प्रदाता, छोटे कामगार, निराश्रित, शहरी बेरोजगार, मजदूर, भिखारी आदि वर्ग खाद्य तथा पोषण की दृष्टि से असुरक्षित वर्ग है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के कुछ लोगों की आय कम होने के कारण यह वर्ग खाद्य पदार्थों को खरीदने में असमर्थ होता है इसलिए इन्हें असुरक्षित वर्ग में सम्मिलित किया गया है। हमारे देश में उत्तर प्रदेश (पूर्वी और दक्षिणी भाग), बिहार, झारखण्ड, ओड़िशा, पश्चिमी बङ्गाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश महाराष्ट्र आदि राज्य खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्य हैं।

स्वतन्त्र भारत का खाद्यान्नों में आत्म निर्भर होना- जब भारत देश स्वतन्त्र हुआ था, तब हम अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं थे। इसका प्रमुख कारण अंग्रेजी शासन की नीतियाँ एवं कुप्रबन्धन था। परन्तु आजादी के पश्चात हमारी सरकारों ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की थी। परिणामस्वरूप भारत में 1967-68 ई. में खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में **हरित क्रान्ति** आई, जिसके क्रान्तिकारी परिणाम निकले और हम अन्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गये। इस क्रान्ति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूँ उत्पादन के

क्षेत्र में हुआ। अन्न उत्पादन में पञ्जाब और उत्तर प्रदेश ने गेहूँ, और चावल के उत्पादन में अपार सफलता दर्ज की।

भारत में खाद्य सुरक्षा- हरित क्रान्ति के पश्चात भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया था। 1970 ई. के पश्चात यहाँ पर कोई अकाल भी नहीं पड़ा है। सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए दो प्रकार की प्रणालियाँ अपनाई गई हैं- 1.बफर स्टॉक 2.सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

इसे भी जानें

- भारत में गेहूँ उत्पादन 2019-20 ई. में 4.775 करोड़ टन तक पहुँच गया है।
- चावल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य पश्चिम-बङ्गाल और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं।

1. भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किसानों के अधिशेष अन्न की खरीददारी कर उसका सुरक्षित भण्डारण करती है,'**बफर स्टॉक**' कहलाता है। सरकार किसानों से अन्न की खरीदादारी करने से पहले उस अन्न का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। इससे किसान भी उन फसलों को बोने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके पश्चात सरकार उस भण्डारित अन्न को बाजार से कम कीमत पर गरीब वर्ग को वितरण करती है, जिसे '**निर्गत कीमत**' कहते हैं।
   आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेज 245, 246
2. भारतीय खाद्य निगम अधिप्राप्त अन्न को सरकार द्वारा स्थापित राशन की दुकान के माध्यम से गरीब वर्ग को वितरित करती है, जिसे '**सार्वजनिक वितरण प्रणाली**' कहते हैं। इन दुकानों को '**उचित मूल्य की दुकान**' भी कहा जाता है। सरकार ने इस कार्य के सुचारू सञ्चालन के लिए देश भर में सभी नागरिकों के राशन कार्ड बनाये हैं। इनके माध्यम से धारक को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ प्रति माह 2 रूपये किलो की दर से दिया जाता है।

वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली- खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। इस प्रणाली में समय के साथ कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। जिसमें 1992 ई. के पूर्व से चली आ रही योजना में संशोधन करके देश के दुर्गम जनजातीय, पिछड़े, सूखाग्रस्त और पर्वतीय स्थानों के उपभोक्ताओं आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए नवीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारम्भ की गई है। जून 1997 ई. में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबों को बी. पी. एल. (जीवन रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोग) और ए. पी. एल. (जीवन रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाले लोग) श्रेणी के राशन कार्ड जारी कर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाने लगा है। वर्ष 2000 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्नपूर्णा योजना और अंत्योदय अन्न योजना (2002 ई.) चलाई गई है। सरकार ने इस प्रणाली को मजबूत करने के लिए 2013 ई. में राष्ट्रीय खाद्य

चित्र- 16.1 राशन की दुकान

सुरक्षा अधिनियम बनाया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत योग्यजनों को गेहूँ 2 रूपये किलो और चावल 3 रूपये किलो की दर से प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से व्यापक स्तर पर गरीब वर्ग के लिए अन्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। फिर भी इस प्रणाली में कुछ कमियाँ होने के कारण सरकार की मदद कई बार वास्तविक व्यक्ति तक नहीं पहुँचती है, जिससे सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- जनता की खाद्य सुरक्षा के संकल्प को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 (एन.एफ.एस.ए.) बनाया था, जिसे 5 जुलाई, 2013 ई. से लागू किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य मानव जीवन चक्र की दृष्टि से लोगों को सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण आहार सुनिश्चित कराते हुए खाद्य और पौष्टिकता सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दर पर 75% ग्रामीण आबादी तथा 50% शहरी आबादी की सहायता करने का प्रावधान है।

इसे भी जानें-

- हमारे देश में 2011ई. में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें थीं।
- हमारे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरूआत 1943 ई. में बङ्गाल के अकाल के समय हुई थी।
- भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (1975 ई.) और काम के बदले अन्न योजना (1977 ई.) का प्रारम्भ किया गया था।

खाद्य सुरक्षा एवं सहकारिता- सहकारिता ऐसे व्यक्तियों का ऐच्छिक सङ्गठन है, जो समानता, स्वायत्तता तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के आधार पर सामूहिक हित के लिए कार्य करता है। सहकारिता का लक्ष्य एक–दूसरे का शोषण रोकना तथा परस्पर सहयोग से कार्य करना है। भारत में खाद्य सुरक्षा में सहकारिता की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके माध्यम से यह कार्य उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा निर्धन लोगों के लिए खाद्यान्न बिक्री और अन्य जरूरी सामान हेतु राशन की दुकान खोलकर किया जाता है। इसमें लोगों को दैनिक के

इसे भी जानें

- तमिलनाडु राज्य में 94 % राशन की दुकान सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं।

उपयोग की वस्तुओं का वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों और राज्य उपभोक्ता सहकारी परिसङ्घ के खुदरा बिक्री केन्द्रों से सहकारी समितियों के माध्यम से सञ्चालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त मदर डेयरी (दिल्ली), अमूल डेयरी (गुजरात), सरस देयरी (राजस्थान), साञ्ची डेयरी (मध्यप्रदेश) दुध तथा दुग्ध उत्पादों में एक सफल सहकारी समिति हैं। इन डेयरियों ने तो दुग्ध उत्पादन, विपणन के क्षेत्र में अत्यधिक विकास किया है। इस तरह के देश में कई सङ्गठन हैं, जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं जैसे- भोज्य पदार्थ, दुग्ध, सब्जी, अन्न आदि को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराते हैं, जो खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का सबसे उचित माध्यम है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. बङ्गाल में अकाल..... पड़ा।

अ. 1943 ई. में ब. 1949 ई. में स. 1991 ई. में द. 1996 ई. में

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति ..... अन्न दिया जाता है।

अ. 10 किलो ब. 5 किलो स. 11 किलो द. 15 किलो

3. भारत में 2011 ई. में राशन की दुकान.....थीं।

अ. 5 लाख ब. 10 लाख स. 5.5 लाख द. 6.5 लाख

4. भारत में ..... ग्रामीण आबादी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राशन दिया जाता है-

अ. 75% ब. 73 % स. 77.7 % द. 61%

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. खाद्य सुरक्षा अधिनियम ..... से लागू हुआ। (2013 ई./2014 ई.)
2. गेहूँ उत्पादक अग्रणी राज्य ..... है। (राजस्थान/उत्तरप्रदेश)
3. हरित क्रान्ति से ..... का उत्पादन सर्वाधिक बढ़ा है। (गेहूँ/चावल)
4. भारत में खाद्यान्नों का संरक्षण.....करता है। (भारतीय खाद्य निगम/ भारतीय बीज निगम)

सत्य/असत्य बताइए-

1. महाराष्ट्र खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से पिछडा राज्य है। सत्य/असत्य
2. भूकम्प, मानव जनित आपदा है। सत्य/असत्य
3. गुजरात सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. सरस डेयरी	क. दिल्ली
2. मदर डेयरी	ख. गुजरात
3. अमूल डेयरी	ग. मध्यप्रदेश
4. साँची डेयरी	घ. राजस्थान

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत में राशन व्यवस्था की शुरूआत कब हुई थी ?
2. काम के बदले अन्न योजना कब प्रारम्भ हुई थी ?
3. न्यूनतम समर्थन मूल्य किसे कहते हैं ?
4. निर्गत मूल्य किसे कहते हैं ?
5. बफर स्टॉक क्या है ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है?
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसे कहते हैं?
3. खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों के योगदान को समझाइए?
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के बारे में जानकारी दीजिए?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. वैदिक वाङ्मय में दान के महत्त्व को समझाइए।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली आप क्या समझते हैं।

परियोजना कार्य-

1. अपने गाँव की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अवलोकन कर,उसके गुण-दोषों का विवेचन कर उसके सुचारू सञ्चालन के लिए अपने सुझाव दीजिए।

वेद भूषण परीक्षा / Vedabhushan Exam

वेद भूषण चतुर्थ वर्ष/ पूर्वमध्यमा - I / कक्षा- नवीं

आदर्श प्रश्न पत्र / Model Question Paper

विषय - सामाजिक विज्ञान

सेट –A

- सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है।
- सभी प्रश्न के उत्तर पेपर में यथास्थान पर ही लिखें ।
- इस प्रश्न पत्र में कुल 42 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के सामने निर्धारित अंक दिये गये हैं।
- उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 40% अंक निर्धारित हैं।

- It is mandatory to attempt all questions compulsorily.
- Write down the answers at the appropriate places provided
- This question paper contains 42 questions Marks for each question is shown on the side.
- The minimum passing marks is 40 %.

सूचना- एन.सी.ई.आर.टी. एवं वैदिक ज्ञान परम्परा के आधार पर तैयार किया गया आदर्श प्रश्नपत्र

बहु विकल्पीय प्रश्न- 1×10 =10

1. भारत में कर्क रेखा.....राज्य से होकर गुजरती है।

अ. मध्यप्रदेश ब. महाराष्ट्र

स. गोवा द. तमिलनाडु

2. खारे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील.....राज्य में है।

अ. मध्यप्रदेश ब. ओडिसा

स. राजस्थान द. तमिलनाडु

3. योग दर्शन के प्रणेता..... हैं।

अ. पतञ्जलि ब. वशिष्ठ स. कपिल द. विश्वामित्र

4. फ्रान्स की क्रान्ति..... हुई थी।

अ. 1889 ई. में ब. 1789 ई. में

स. 1911 ई. में द. 1198 ई. में

5. प्रथम विश्व युद्ध.....शुरू हुआ था।

अ. 1916 ई. में ब. 1914 ई.में

स. 1924 ई.में द. 1920 ई. में

6. जापान ने.....नामक अमरीकी युद्ध पोत पर हमला किया था।

अ. पर्ल हार्बर ब. विक्रान्त

स. पनडुब्बी द. इनमें से कोई नहीं

7. डॉ. भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की.....के अध्यक्ष थे।

अ. राजनायिक समिति ब. प्रारूप समिति

स. भारत के सचिव द. स्वागत समिति

8. भारत में मताधिकार की आयु..... है।

अ. 18 वर्ष ब. 20 वर्ष स. 25 वर्ष द. 21 वर्ष

9. भारत में साक्षरता दर..... है।

अ. 75% ब. 73 %

स. 77.7 % द. 61 %

10. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति.....अन्न दिया जाता है।

अ. 10 किलो ब. 5 किलो

स. 11 किलो द. 15 किलो

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये – $2 \times 5 = 10$

11. बिहार ..... वर्षा क्षेत्र में आता है। (औसत/अधिक)

12. धर्म का श्रेष्ठ साधन ..... माना गया है। (दान/शरीर)

13. समाजवाद को एक ..... की संज्ञा दी गई थी। (कलम/टोपी)

14. विश्व की सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली ..... है। (लोकतन्त्र/राजतन्त्र)

15. राष्ट्रीय मतदाता दिवस..... को मनाया जाता है। (25 जनवरी/ 26 जनवरी)

सत्य/असत्य बताइए- $2 \times 5 = 10$

16. भारत दालों का सबसे बडा उत्पादक व उपभोक्ता है। (सत्य/असत्य)

17. शतरंज एक प्राचीन खेल है। (सत्य/असत्य)

18. 1917 में क्रान्ति के समय फ्रान्स की राजधानी पेत्रोगाद थी। (सत्य/असत्य)

19. लोकसभा सदस्य को विधायक कहते हैं। (सत्य/असत्य)

20. गुजरात सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए- $2 \times 5 = 10$

21.	शीत ऋतु	(क) जून से जुलाई
22.	ग्रीष्म ऋतु	(ख) मध्य नवम्बर से फरवरी
23.	मानसून आगमन	(ग) मार्च से मई
24.	मानसून वापसी	(घ) चाय
25.	बागानी कृषि	(ड.) सितम्बर से नवम्बर

अति लघु उत्तरीय प्रश्न- $2 \times 10 = 20$

26. भारत का क्षेत्रफल कितना है ?

27. भारत में जलवायु के आधार पर कितनी ऋतुएँ होती हैं ?

28. देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है ?

29. अर्जुन किस विद्या का विशेषज्ञ था ?

30. फ्रान्स में आतंक के राज्य की स्थापना कब हुई ?

31. प्रमुख समाजवादी विचारकों के नाम लिखिए ।

32. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई ?

33. प्रजातंत्र या राष्ट्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है ?

34. भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे ?

35. स्थायी पूँजी किसे कहते हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न – $4 \times 5 = 20$

36. अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम लिखिए।

37. बन्ध कितने होते हैं ? नाम लिखिए।

38. महिलाओं के बारे में हिटलर के क्या विचार थे ?

39. प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम लिखिए।

40. गरीबी रेखा क्या होती है ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न- $10 \times 2 = 20$

41. भारत के भौतिक स्वरूप को समझाइए ।

42. वैदिक वाङ्मय में दान के महत्त्व को समझाइए।

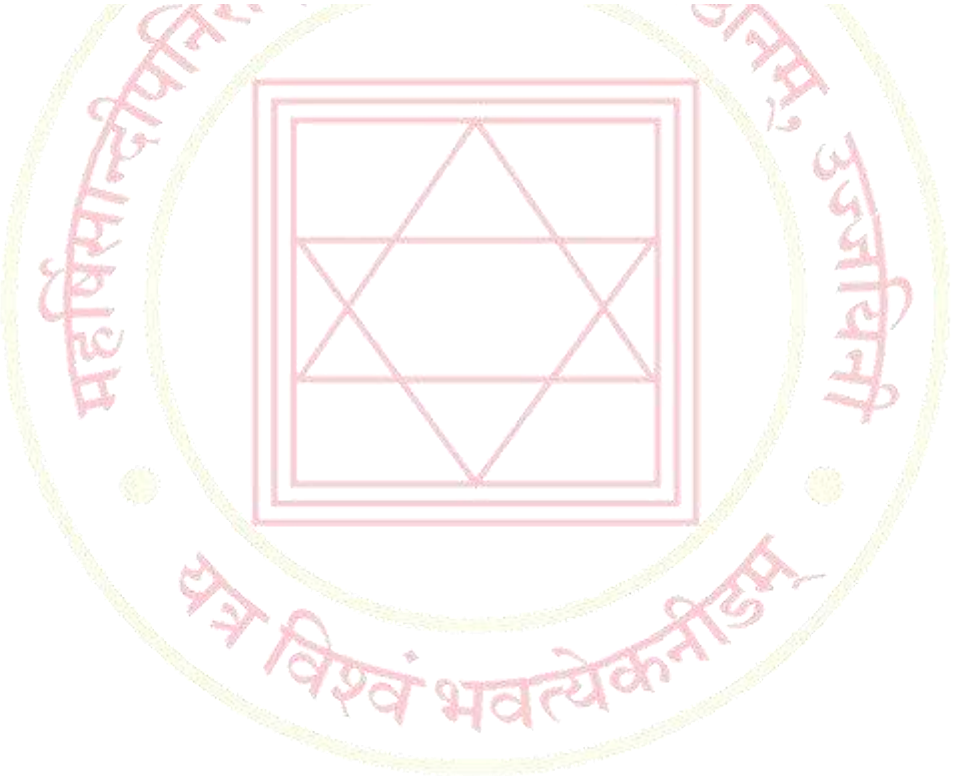

वेद भूषण परीक्षा / Vedabhushan Exam

वेद भूषण चतुर्थ वर्ष/ पूर्वमध्यमा - I / कक्षा- नवीं

आदर्श प्रश्न पत्र / Model Question Paper

विषय - सामाजिक विज्ञान

सेट – B

सूचना- एन.सी.ई.आर.टी. एवं वैदिक ज्ञान परम्परा के आधार पर तैयार किया गया आदर्श प्रश्नपत्र

बहु विकल्पीय प्रश्न- 1×10 =10

1. विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र..... है।

अ. शिमला ब. मासिनराम स. सिलचर द. गुवाहाटी

2. गन्ना उत्पादन में विश्व में भारत का..... स्थान है।

अ. प्रथम ब. द्वितीय स. तृतीय द. चतुर्थ

3. भारत का राष्ट्रीय खेल..... है।

अ. टेनिस ब. हॉकी स. क्रिकेट द. बालीबाल

4. फ्रान्स में महिलाओं को..... मताधिकार प्राप्त हुआ था।

अ. 1804 ई. में ब. 1989 ई. में

स. 1911 ई. में द. 1946 ई. में

5. रूसी क्रान्ति से रूस में.....का शासन समाप्त हुआ था।

अ. लुई 16 वां ब. जार

स. नबाब द. इनमें से कोई नहीं

6. द्वितीय विश्व युद्ध.....आरम्भ हुआ था।

अ. 1914 ई. में ब. 1915 ई. में

स. 1918 ई. में द. 1939 ई. में

7. विश्व में लोकतन्त्र के.....प्रचलित रूप हैं।

अ. दो ब. चार स. छः द. एक

8. भारत का संविधान.....लागू हुआ था।

अ. 9 दिसम्बर, 1946 ब. 11 दिसम्बर, 1950

स. 26 जनवरी, 1949 द. 26 जनवरी, 1950

9. निर्वाचन आयोग.....को मताधिकार से वंचित कर सकता है।

अ. पागल ब. नाबालिगों

स. न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित द. उपरोक्त सभी

10. भारत में हरित क्रान्ति का सर्वाधिक प्रभाव.....उत्पादन पर पड़ा।

अ. गेहूं ब. बाजरा स. मक्का द. चावल

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए- **2 × 5 =10**

11. भारत के दक्षिण में ..... स्थित है। (नेपाल/मालदीव)

12. कपालभाति व भ्रामरी ..... के प्रकार है। (प्राणायाम/आसन)

13. फ्रान्स का प्रथम काउन्सल ..... बना था। (हिटलर/नेपोलियन)

14. राष्ट्रीय मतदाता दिवस..... को मनाया जाता है। (25 जनवरी/ 26 जनवरी)

15. मेक इन इंडिया योजना..... में आरम्भ की गई थी। (2014 ई./ 2018 ई.)

सत्य/असत्य बताइए- **2 × 5 =10**

16. सांभर झील, ओडिसा में स्थित है। (सत्य/असत्य)

17. सुर्य नमस्कार शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है । (सत्य/असत्य)

18. हिटलर 1935 ई. में जर्मनी का चांसलर बना। (सत्य/असत्य)

19. भारतीय संसद के 3 अङ्ग होते हैं। (सत्य/असत्य)

20. शिक्षित व्यक्ति को आर्थिक अवसर कम प्राप्त होते है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए- **2 × 5 =10**

21. आयुष्मान भारत योजना	(क) 2016
22. स्टार्ट अप इंडिया	(ख) 2009
23. शिक्षा का अधिकार अधिनियम	(ग) 2005
24. जननी सुरक्षा योजना	(घ) 2018
25. मेक इन इंडिया	(ड.) 2014

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न - $2\times 10 = 20$

26. अपवाह तंत्र किसे कहते हैं ?

27. देश में चावल की कितनी फसलें पैदा की जाती हैं ?

28. अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है ?

29. लेनिन किस दल का नेता था ?

30. जर्मन संसद का क्या नाम था ?

31. प्रत्यक्ष लोकतन्त्र से आप क्या समझते है ?

32. लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं ?

33. मतदान केन्द्र किसे कहते हैं ?

34. बेरोजगारी किसे कहते हैं ?

35. न्यूनतम समर्थन मूल्य किसे कहते हैं ?

लघुउत्तरीय प्रश्न- $4\times 5 = 20$

36. प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं ?

37. प्राचीन खेलों के नाम बताइए ।

38. लोकतन्त्र के गुणों को का वर्णन कीजिए ।

39. हरित क्रान्ति के लाभ बताइए ।

40. खाद्य सुरक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न- $10\times 2 = 20$

41. गङ्गा-ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तन्त्र का वर्णन कीजिए ।

42. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वैदिक दर्शन को स्पष्ट कीजिए ।

वेद भूषण परीक्षा / Vedabhushan Exam

वेद भूषण चतुर्थ वर्ष/ पूर्वमध्यमा - I / कक्षा- नवीं

आदर्श प्रश्न पत्र / Model Question Paper

विषय - सामाजिक विज्ञान

सेट – C

सूचना- एन.सी.ई.आर.टी. एवं वैदिक ज्ञान परम्परा के आधार पर तैयार किया गया आदर्श प्रश्नपत्र

बहु विकल्पीय प्रश्न- 1×10 =10

1. क्षेत्रफल की दृष्टि से.....भारत का सबसे बड़ा राज्य है।

अ. तेलंगाना ब. उत्तरप्रदेश स. राजस्थान द. महाराष्ट्र

2. भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी..... है।

अ. नर्मदा नदी ब. गोदावरी नदी स. महानदी द. कृष्णा नदी

3. भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य..... है।

अ. उत्तर प्रदेश ब. राजस्थान स. पंजाब द. गोवा

4. योग दर्शन में कुल.....पाद..... मन्त्र हैं।

अ. 5 पाद 200 मन्त्र ब. 4 पाद 195 मन्त्र स. 2 पाद 150 मन्त्र द. केवल 250 मन्त्र

5. वैदिक वाङ्मय में..... प्रकार के बल बताए गये हैं।

अ. 22 ब. 33 स. 11 द. 8

6. 1917 ई. वाल्शेविक दल का प्रमुख नेता.....था।

अ. लुई 16 वां ब. जार स. ब्लादमिर लेनिन द. कार्ल मार्क्स

7. प्रथम विश्व के बाद आर्थिक मंदी.....में आर्थिक मंदी आई थी।

अ. 1916 ई. ब. 1929 ई. स. 1924 ई. द. कभी नहीं

8. लोकतन्त्र में.....की भागीदारी होती है।

अ. जनता की ब. वस्तुओं की स. राजनीति की द. नैतिकता की

9. ग्रामीण क्षेत्रों में..... लोग कृषि कार्यों में संलग्न हैं।

अ. 75% ब. 73 % स. 70 % द. 61 %

10. बङ्गाल में अकाल.....में पड़ा था।

अ. 1943 ई. में ब. 1949 ई. में स. 1991 ई. में द. 1996 ई. में

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए- **2 × 5 =10**

11. प्राचीन समय में विपाशा नदी को .....कहा जाता है। (चिनाब/व्यास)

12. रबर मुख्य रूप से ..... में उत्पादित होता है । (उत्तर भारत/दक्षिण भारत)

13. प्रथम विश्व युद्ध में ..... की हार हुई । (जर्मनी/मित्र राष्ट्रों)

14. भारतीय संविधान की आत्मा .....को कहा जाता है। (प्रस्तावना/मौलिक अधिकारों)

15. हरित क्रान्ति से.....का उत्पादन सर्वाधिक बढ़ा। (गेहूँ/चावल)

सत्य/असत्य बताइए- **2 × 5 =10**

16. क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7 वां स्थान है। (सत्य/असत्य)

17. मानसून का अर्थ है- ऋतु अनुसार हवाओं का चलना। (सत्य/असत्य)

18. फ्रान्स में 14 जुलाई को स्वतन्त्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। (सत्य/असत्य)

19. विश्व का सबसे बडा लोकतान्त्रिक देश भारत है। (सत्य/असत्य)

20. गाँवों में परिवहन के मुख्य साधन रिक्शा, बैलगाडी, ट्रैक्टर, बस आदि हैं। (सत्य/असत्य)

सही-जोडी मिलान कीजिए- **2 × 5 =10**

21. महानदी	(क) जनापाव की पहाड़ियाँ
22. चम्बल	(ख) सिंहावा
23. यमुना	(ग) गङ्गोत्री
24. गङ्गा	(घ) यमुनोत्री
25. मीकांग	(ड.) तिब्बत का पठार

अति लघु उत्तरीय प्रश्न – **2× 10 = 20**

26. विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौनसा है ?

27. भारतीय अपवाह तन्त्र को कितने भागों में विभाजित जाता है ?

28. जेट धाराएँ क्या है ?

29. आसनों की संख्या कितनी है ?

30. मल्ल युद्ध कितने प्रकार का होता है ?

31. 'द स्पिरिट ऑफ लॉज' किसकी रचना है ?

32. हिटलर का जन्म कब हुआ था ?

33. अमेरिका ने किस देश के ऊपर परमाणु हमला किया था ?

34. संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे ?

35. गैर कृषि क्रियाएँ किसे कहते हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न - $4 \times 5 = 20$

36. पश्चिमी विक्षोभ से आप क्या समझते हैं ?

37. गेहूं की फसल के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए ?

38. फ्रान्सिसी क्रान्ति के आर्थिक कारण बताइए ।

39. शीत युद्ध किसे कहते हैं ?

40. निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए ।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न- $10 \times 2 = 20$

41. लोकतन्त्र की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए ।

42. भारत की जल वायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए ।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)

द्वारा सञ्चालित एवं प्रस्तावित राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण, पो. ऑ. जवासिया, उज्जैन - ४५६००६ (म.प्र.)

Phone : (0734) 2502266, 2502254, E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website - www.msrvvp.ac.in